खण्ड-360, अंक-8
मंगलवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(1 मार्च, 1983 ई0)

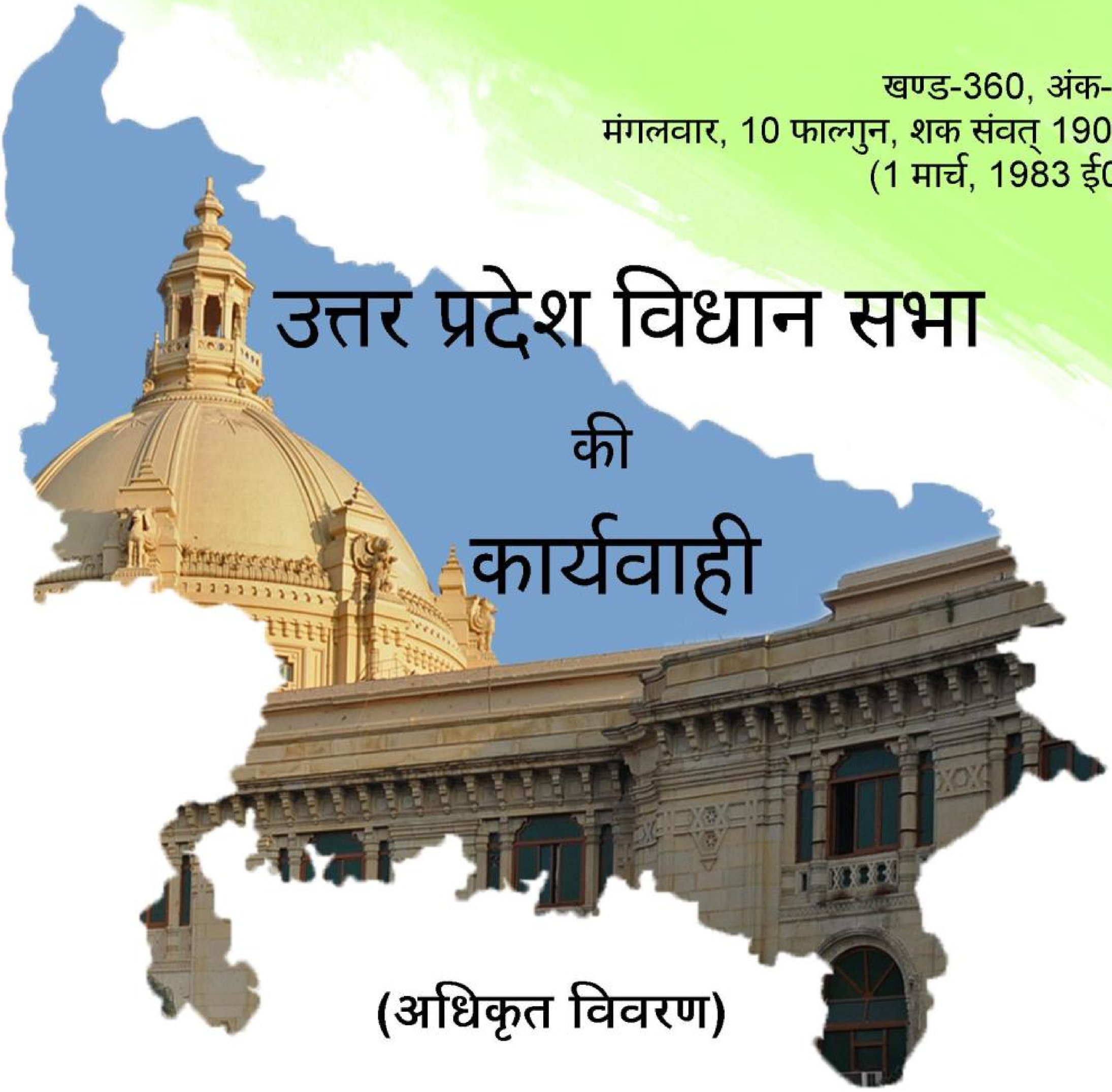

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1377–1381
प्रश्नोत्तर	..	1383–1466
विद्युत् मंत्री द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में गलत सूचना देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	1466–1467
पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1468
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1468–1469
देवरिया जनपद में कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री व कप्तानगंज डिस्टिलरी के पानी से छोटी गण्डक के पानी के विषाक्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1469
तापीय विद्युत् गृह साहावल (फैजाबाद) के बन्द होने से क्षति एवं कर्मचारियों के समक्ष बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1469–1470
तुलसीपुर चीनी मिल, गोंडा द्वारा पेराई हेतु मांगी गयी मात्रा में विभाग के अधिकारियों द्वारा गन्ने का सट्टा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1470
प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शासन को निर्देश	..	1470–1471
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के पिछले तीन वर्षों के आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	1471–1473
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का बारहवां विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	1473
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का तेरहवां विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	1473
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का चौदहवां विशेष प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	..	1474
उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन कार्य-क्रम में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	1474
सिसवां कान्ड जिला बस्ती की न्यायिक जांच को प्रभावित करने के लिये पुलिस द्वारा मुख्य शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पाठक का घर जलाने तथा सम्पत्ति नष्ट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	1474–1481
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	1481–1487

1983–84 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16––गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23––नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36––प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55––विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64––सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70––सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79––सैनिक कल्याण (जारी) .. 1487–1509

कानपुर के विधूना थाना के अन्तर्गत 8 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में सूचना .. 1509–1510

1983–84 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8––कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16––गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17––गोपन विभाग, अनुदान संख्या 33––नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24––नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25––नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36––प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55––विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64––सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69––सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70––सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79–सैनिक कल्याण (स्वीकृत) .. 1510–1546

अनुदान संख्या 32––पर्यटन विभाग (स्वीकृत) .. 1546

अनुदान संख्या 53––विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत) .. 1546–1547

अनुदान संख्या 54––विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) .. 1547

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. 1547–1548

आज आय–व्ययक पर चर्चा के समय श्री भीखालाल द्वारा मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्टीकरण .. 1548

जनपद इलाहाबद के पुलिस कर्मचारियों में हरिजन–सवर्ण को भेद भाव पूर्ण भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 1549–1555

नस्थियां .. 1557–1571

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--352

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अनमेल अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित) आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशी नाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंग सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)

गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री, (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायन, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल, श्री (कानपुर)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह 'त्यागी', श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री, (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायन सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
श्री नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)

बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्मदत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)

राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (उर्फ मणि जी) (इलाहाबाद)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश आजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
संतोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, नवाब श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)

सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी गोमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)

विधान सभा सचिवालय

मेरा पहेली विद्यालय सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 1 मार्च, 1983 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]।

हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, लखनऊ के कार्यकर्ता की शिकायत पर पकड़ी गयी नियंत्रित सस्ते दर की अभ्यास पुस्तिकाएं

*1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या यह सही है कि बाबा साहब अम्बेदकर हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश (रजि0), लखनऊ के एक कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 8-2-82 को लगभग एक लाख नियंत्रित सस्ते दर की कापियां जो नैपाल राज्य जा रही थीं, पुलिस द्वारा पकड़ी गई है, जिसकी रपट थाना नाका, लखनऊ में उसी तिथि को धारा 3/7 आ0 ब0 अधिनियम के अन्तर्गत की गई है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-2-82 को बाबा साहब अम्बेदकर हरिजन एवं समाज कल्याण, समिति, उत्तर प्रदेश के दो कार्यकर्ताओं ने थाना नाका हिण्डोला की पुलिस को मौखिक रूप से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध किये गये रियायती मूल्य के कागज से निर्मित अभ्यास पुस्तिकाओं को नैपाल राज्य सीमा पर स्थित बढ़नी, जनपद बस्ती, जाने की सूचना दी। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा श्री राम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, गुरद्वारा रोड बांसमंडी, लखनऊ पर पहुंच कर उक्त ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की तलाशी ली गई तो 60 बन्डल जिल्ददार बिना जिल्ददार कापियां, जो बढ़नी के लिये फर्जी नामों से बुक हुई थी, बरामद की गई। इन कापियों के बंडलों को कब्जे में लेकर ट्रान्सपोर्ट के मैनेजर श्री योगेन्द्र कुमार शुक्ल तथा गोदाम इंचार्ज जानकी प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। इन दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, यह मामला बड़ा गंभीर है इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आया है। मान्यवर, जिस समय यह घटना हुई उस समय में आई0 पी0 पुलिस के यहां गया वहां वे लोग भी गये थे। जो यह प्रश्न का उत्तर दिया गया है उसमें जितनी मात्रा में कापियों को जिल्ददार और बिना जिल्ददार बताई गई हैं उससे अधिक हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने 60 जिल्दार कापियों की बात कही है उसके अलावा बिना जिल्ददार कापियों की संख्या कितनी है इसको जरा स्पष्ट कर दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, वे 60 बंडल थे। उसमें एक-एक कापी नहीं गिनी गयी।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बिना जिल्दार कापियां थी उसके लिए संबंधित कंपनी से जहां से वह जा रही थी उसके स्टाक का सत्यापन किया गया। कितनी कापियां वास्तव में भारत सरकार से दी गई, कितनी स्टाक में थी और कितनी बाहर जा रही थी ? इन सब का मिलान कर देखा गया कि कुल संख्या ठीक है या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, उपर्युक्त मामले में 6 बिल्टियां थी और छहों में अलग-अलग बंडल थे किसी में 10, किसी में 19, किसी में 5-7 थे ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, यह बढ़नी बाजार नैपाल के बार्डर पर स्थित है। बढ़नी से काठमांडू का रास्ता केवल 5 घंटे का है। तो सारा सामान बढ़नी बाजार से नैपाल काठमांडू होते हुए लाभा चला जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन अपने स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करेगी जिससे जो भी सामान हमारे यहां से वहां जा रहा हो उसकी प्रदेश पुलिस द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, कस्टम विभाग से अलग, उसकी जांच कराई जा सके ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो यह कापियों का कागज सस्ते रेट पर मिलता है वह शहर में गिने चुने व्यक्तियों को ही मिलता है तो जब यह कापियां पकड़ी गयीं तो जिन लोगों को यह सस्ता कागज मिलता है उनके यहां क्या सरकार ने पता लगाया कि किसकी कापियां थीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जिस नाम मे बुकिंग थी उसी की विवेचना चल रही है कि यह कौन-कौन लोग थे ।

श्री अध्यक्ष--

कौन व्यक्ति थे, यदि यह सूचना है तो बतायें वरना नोटिस मांगें ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इसमें तीन नाम हैं--श्री पुरुषोत्तम दास, श्री अश्विनी कुमार और श्री सुधीर कुमार, इनकी विवेचना जारी है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समिति के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, क्या आपके पास ऐसी सूचना है कि जितनी मात्रा में कापियों की सूचना दिया था उससे घटाकर पुलिस वालों ने अभियोग दर्ज किया ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित क्या शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने पहले ही अपने उत्तर में कहा है कि इस समिति के व्यक्तियों ने मौखिक रूप से सूचना दिया अमुक ट्रांसपोर्ट कंपनी से बढ़नी कापियां जा रही हैं ।

केन्द्र द्वारा गठित पुलिस आयोग की रिपोर्ट

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा 1979 में गठित पुलिस आयोग की रिपोर्ट राज्य शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? राज्य सरकार द्वारा उनके सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

केन्द्र सरकार द्वारा 1979 में गठित पुलिस आयोग की रिपोर्ट राज्य शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, दूसरे प्रान्तों को वह रिपोर्ट मिल गयी और उत्तर प्रदेश की बदकिस्मती है कि अभी तक नहीं मिली । इसलिये मंत्री जी से आग्रह है और मैं जानना चाहता हूं कि वह पता लगा लें कि उस रिपोर्ट को अधिकारियों ने कोल्ड स्टोरेज में तो नहीं रख दिया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

हमारे विद्वान मित्र को हमेशा कोल्ड स्टोरेज ही दिखाई देता है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसमें रिमाइंडर जा चुका है ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, यह प्रश्न 21-9-82 को किया गया था और सरकार को 15-10-82 को भेजा गया था, साढ़े चार महीने हो गये हैं तो इस बीच शासन ने कोई प्रयास किये कि केन्द्र से रिपोर्ट प्राप्त हो जाये ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इसमें बराबर केन्द्र से लिखा पढ़ी हो रही है कि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, केन्द्र की पुलिस आयोग की रिपोर्ट जो है उससे उत्तर प्रदेश में डेढ़ लाख पुलिस कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ने वाला है । आज साढ़े चार महीने हो गये तो क्या मंत्री जी उत्तर देंगे कि जरा-जरा सी बातों में अधिकारी दिल्ली का टूर करते हैं, तो इस विशेष मामले में किसी विशेष अधिकारी को शासन ने दिल्ली क्यों नहीं भेजा उस रिपोर्ट को लाने के लिये जब कि प्रश्न यहां सदन में आपके द्वारा स्वीकार हो चुका था और यहां उसका जवाब देना था ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, शासन की नीयत साफ है लेकिन रिपोर्ट आ तो जाये और उसके आधार पर मैं कुछ करना चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, पुलिस आयोग की रिपोर्ट से डेढ़ लाख पुलिस कर्मचारी प्रभावित होंगे, इसलिये रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए और प्रश्न आप स्वीकार कर चुके हैं जिसका जवाब यहां देना है, यह मालूम होते हुये इस बात का प्रयास क्यों नहीं किया गया कि किसी अधिकारी की इसमें ड्यूटी लगाई जाती कि केन्द्र में जाता और रिपोर्ट लाता और उस पर कार्यवाही होती ?

श्री गुलाब सेहरा--

आपकी भावना जो है, उस पर अवश्य प्रयास करूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट देने से पहले कई अन्तरिम रिपोर्ट भी दी है, जब कि इसमें केवल अन्तिम रिपोर्ट की चर्चा है, तो जब अन्तरिम रिपोर्ट 3 और 4 जारी हुई, उनकी प्रति शासन को कब प्राप्त हुई है ? उसमें क्या सिफारिशें थीं और उनमें से क्या-क्या सरकार ने लागू किया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसके अन्तरिम या अन्तिम रिपोर्ट की हमें कोई सूचना नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी ने बताया कि इसका प्रयास किया जा रहा है कि केन्द्र सरकार से इसकी प्रति मंगा ली जाए, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा उस रिपोर्ट को मंगवाने में और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस रिपोर्ट के आने तक के लिए इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने पहले ही कहा बहुत ही शीघ्रता कराऊंगा, अति शीघ्रता कराऊंगा ।

विधायक निवास नं0 3 में निर्माणाधीन बहुखण्डी भवन में कार्यरत मजदूर श्री गणेश राम की मत्यु

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक निवास 3 में जो बहुखंडी भवन बन रहा है, उसमें कार्यरत एक मजदूर (श्री गणेश राम) की विद्युत माइलिंग में कार्य करते बिजली का करेन्ट लगने से मृत्यु हो गई जिसके प्रति अधिकारियों के उपेक्षात्मक आचरण के विरोध में 17 जुलाई, 1982 से 20 जुलाई तक हड़ताल चलती रही ? क्या यह भी सच है कि हड़ताल समाप्त होने के बाद मृतक की पत्नी (श्रीमती सुखमती) लापता है, जिससे पुनः मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है ? यदि हां, तो विद्युत् प्रवाहित टेक्निकल स्थान पर अकुशल श्रमिक से कार्य लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

विधायक निवास नं0 3 के प्रांगण में निर्माणाधीन बहुखन्डीय भवन के कार्य स्थल पर 17 जुलाई, 1982 को नींव हेतु माइलिंग कार्य करते समय एक श्रमिक श्री गणेश की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं है। मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में भी मृत्यु का कोई कारण ज्ञात न होना बताया गया है। जी नहीं। सम्बन्धित अधिकारियों का आचरण उपेक्षात्मक नहीं रहा। अतः उस कारण हड़ताल होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जी नहीं। मजदूरों में कोई असंतोष नहीं है। मृतक की पत्नी इस समय नापता है या नहीं, इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं। इस समय वह उक्त कार्य में र्यरत नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के ग्राम पासिन टकवा में पड़ी डकैती में मृत श्री रामकिशन के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें में कार्यवाही तथा मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता

*3--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8/9-7-81 को ग्राम पासिन टकवा, थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में डकैती पड़ी थी जिसमें रामकिशन पुत्र श्री डोरी लाल पासी (हरिजन), निवासी पासिन टकवा को डकैतों द्वारा मार डाला गया था जिसकी सूचना थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में मृतक के पुत्र द्वारा मु0 अपराध संख्या 263 धारा 396 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 9-7-81 को दर्ज कराई गई? यदि हां, तो मुकदमे में क्या कार्यवाही की गयी तथा मृतक हरिजन परिवार के आश्रितों को अब तक क्या सहायता दी गयी?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां। इस सम्बन्ध में थाना गोसाईंगंज पर दर्ज अपराध की विवेचना कराई गई। विवेचना से 7 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 4 गिरफ्तार करके जेल भेजे गये तथा 3 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। सभी अभियुक्तगण कार्यवाही शिनाख्त में पहिचाने न जाने के कारण धारा 169 दं0 प्र0 सं0 में रिहा हो गये। विवेचना अन्तिम रिपोर्ट में समाप्त की गई।

मृतक के आश्रितों को किसी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की सूचना नहीं है।

श्री सन्त बक्स रावत--

इस सरकार की नीति हरिजनों की उपेक्षा करने की रही है। यह घटना जुलाई, 1981 की है और मैंने इस पर प्रश्न भी 6 महीने पहले 21-9 में इस पर किया है। मंत्री जी अब भी कहते हैं कि मृतकों के परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता दिये जाने की सूचना नहीं है। मंत्री जी ने इस वर्ष भी घोषणा की है कि हरिजनों के उत्पीड़न पर 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी, तो मंत्री जी इन परिवारों को यह आर्थिक सहायता कब तक दे देंगे?

श्री गुलाब सेहरा—

शासन की नीति बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई उपेक्षा की बात नहीं है। लेकिन किसी ने कोई इस बारे में प्रार्थना-पत्र दिया हो तब तो उस पर कार्यवाही की जाय।

श्री सन्त बक्स रावत—

गांव के लोग अपढ़ और अशिक्षित होते हैं, ऐसी स्थिति में जब शासन ने एक सुस्पष्ट नीति बना रखी है, तो थाने से रिपोर्ट आने या हरिजन कल्याण विभाग से जानकारी मिलने के आधार पर इसे किया जा सकता था, तो क्या इनसे सूचना मंगाकर सरकार इन मृतक परिवारों के आश्रितों को सहायता प्रदान करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय सदस्य हरिजनों का नेतृत्व करते हैं, वह लिखकर दे दें तो हम सहायता दे देंगे।

पुलिस उपाधीक्षक श्री एन० पी० सिंह के विरुद्ध गुप्तचर जांच के सम्बन्ध में जानकारी

*4—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, 1982 तक कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक, एन० पी० सिंह, देवरिया के विरुद्ध कोई गुप्तचर जांच वर्ष 1978 से 1982 के बीच बिठाई गई ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है तथा उनके विरुद्ध शासन ने कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नगत अवधि में एन० पी० सिंह नाम का कोई पुलिस उपाधीक्षक देवरिया में नियुक्त नहीं रहा। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

प्रश्नगत अवधि में श्री एन० बी० सिंह पुलिस उप अधीक्षक रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एन० पी० सिंह नहीं रहे हैं, तो क्या इस अवधि में किसी पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ जांच हुई है ? यदि हुई है, तो वह क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

एन० पी० सिंह नाम के उपाधीक्षक देवरिया में कभी नहीं रहे हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

1978-82 के बीच में श्री एन० बी० सिंह—नरेन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध क्या आपने कोई जांच कराई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक प्रश्न है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

फैजाबाद जनपद के ग्राम भिखारीपुर के हरिजनों द्वारा थाना पूरा कलन्दर के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट की जांच

*5—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित थाना पूरा कलन्दर के अन्तर्गत ग्राम भिखारीपुर के हरिजनों ने थाना पूरा कलन्दर के पुलिस वालों के विरुद्ध लूट पाट और बेइज्जत किये जाने के सम्बन्ध में माह अक्तूबर, नवम्बर, 1981 में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इस कांड की जांच स्पेशल हरिजन सेल द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां । दिनांक 27-11-81 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर थाना पूरा कलन्दर पर अपराध संख्या 297/81 धारा 394 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ । मामले की जांच अन्य के अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्क्वायरी, लखनऊ द्वारा भी की गई थी । जांच से आरोप सत्यापित नहीं हुये, विवेचना से अपराध सिद्ध न होने पर अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, ग्राम भिखारीपुर, थाना पूरा कलन्दर के साथ पुलिस द्वारा लूट-पाट और महिलाओं की बेइज्जती की गई थी और उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई । हम यह जानना चाहते हैं कि ग्राम भिखारीपुर के हरिजनों ने जो रिपोर्ट लिखाई है, उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, यह एफ0 आई0 आर0 ननकऊ पुत्र पाहनदीन, हरिजन साकिन भिखारीपुर, थाना पूरा कलन्दर, फैजाबाद हैं । अभियुक्त नायब दरोगा व दो सिपाही थाना पूरा कलन्दर, फैजाबाद हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जब उसकी जांच एस0 एस0 पी0 ने तथा और अन्य विभाग के अधिकारियों ने व स्पेशल सेल ने जो की, उसको तो दबा दिया गया। जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था कि ये दोषी हैं, इनको दण्डित करेंगे। श्रीमन्, यह सारा मामला दबाया जा रहा है । तो क्या इसकी आप सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, संदर्भ में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब इसकी एफ0 आई0 आर0 हुई, तो तत्कालीन जिलाधिकारी, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, एस0 डी0 ओ0, प्रीतम सिंह, एक डिप्टी एस0 पी0 तथा हरिजन सेल से यह इन्क्वायरी कराई गई । सी0 बी0 सी0, सी0 आई0 डी0 द्वारा भी इसकी जांच कराई गई । जो आरोप लगाये गये थे, वह सत्य प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जांच के दौरान आप बता रहे हैं कि उन लोगों से और कई विभाग से जांच कराई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जांच अधिकारी ने कोई किसी का बयान लिया ? यदि लिया, तो उसकी भी बात बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, बयान लिये गये, जिसके बारे में आप पूछें, तो हम बता दें।

सीतापुर जनपद में होमगार्ड समादेष्टा के पद पर नियुक्ति

*6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 10-6-82, जो जिला सीतापुर में होमगार्ड में 11 समादेश नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां। एक पूर्ण-कालिक अधिकारी की तैनाती के आदेश सितम्बर, 1982 में जारी किये गये किन्तु व्यक्तिगत कारणों से वह योगदान नहीं कर पाया है। अन्तरिम व्यवस्था के रूप में सीतापुर के ही एक डिप्टी कलेक्टर को समादेष्टा के पद पर नियुक्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह प्रश्न और उत्तर मेरे एक पत्र से सम्बन्धित है। मान्यवर, इस पत्र को ध्यान में रखते हुए जब मैंने पत्र लिखा था, वहां पर एक समादेष्टा का कई महीने से न होने के कारण, वेतन और मानदेय देने में कई-कई महीने विलम्ब हो जाता है। 1982 से समादेष्टा का पद श्रीमन् वहां पर रिक्त हुआ है। इतने दिन तक उस पद पर वांछित व्यक्ति की व्यवस्था न होने का क्या कारण है और कब तक इस पर वांछित व्यक्ति की नियुक्ति हो जायगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, ऐसे दस जिले थे, जहां समादेष्टा के पद की यही स्थिति थी। लोक सेवा आयोग द्वारा 10 व्यक्ति चयनित हो गये थे। वह पी० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिए एक वर्ष के लिये गये हैं। जो आपके यहां नियुक्त किया गया उसका व्यक्तिगत आग्रह था, उनका कहना है कि वह दिल्ली बहुत आते जाते हैं इसलिये नहीं रह पायेंगे। तो उनके व्यक्तिगत कारणों के कारण उन्होंने मना कर दिया इसलिये विलम्ब हुआ जैसे ही पी० टी० सी० से लोग आ जायेंगे। आपके यहां भेज दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा किसी व्यक्ति विशेष के लिये आग्रह नहीं है। ट्रेनिंग हो रही है तो ट्रेनिंग खत्म होने वाली है। वहां नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री गुलाब सेहरा:—

एक वर्ष की ट्रेनिंग में कुछ दिन रह गये हैं, करीब 4 महीने रह गये हैं।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के अधीन एल0 आई0 यू0 को स्वतन्त्र संस्था बनाने की मांग

*7—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या मुख्य मन्त्री जिलों में उत्तर प्रदेश अभिसूचना विभाग से सम्बन्धित एल0 आई0 यू0 शाखाओं को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के प्रभाव से मुक्त कर स्वतन्त्र विभाग के रूप में अभिसूचना विभाग के पुलिस अधीक्षक के अधीन कार्य करने वाली संस्था बनाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। जिला स्तर पर यह शाखा, जो गोपनीय अभिसूचना एकत्रित करती है, वह मुख्य रूप से स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिये होती है। इस शाखा को जिले के अधिकारियों से अलग करना कार्यहित के दृष्टिकोण से उचित न होगा।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मान्यवर, प्रदेश स्तर पर उन्होंने विभाग को अलग कर दिया है। अभिसूचना का महानिरीक्षक अलग है। तो जिले स्तर पर वह कौन से कारण हैं कि एस0 पी0 और डी0 एम0 के साथ एल0 आई0 यू0 को जोड़ दिया है। मेरी जानकारी को सही मानकर मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहता हूं कि उन्होंने यह जो कहा कि शासन को सूचना देने के लिये या सहयोग देने के लिये एल0 आई0 यू0 की स्थापना की गई है। तो मेरी निश्चित जानकारी है कि एल0 आई0 यू0 के इंसपेक्टर और सब इंसपेक्टर चाय की दूकान और होटलों पर बैठकर अपने भरोसे के लोगों से एस0 पी0 और डी0 एम0 की आलोचना करने वालों के खिलाफ शासन को खबर और रिपोर्ट भेजते हैं। तो मान्यवर, इस चीज को ध्यान में रखते हुये, यह नीतिगत प्रश्न है, यह इस प्रदेश और सदन के हित में है, तो क्या बतायें गे कि एल0 आई0 यू0 को एस0 पी0 और डी0 एम0 के चंगुल से नहीं मुक्त करा पा रहे हैं। यह बताने की कृपा करें ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, बाजपेयी जी हमारे विद्वान साथी हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

विद्वान मैं आपके सामने नहीं हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, 1956 से पहले यह जो इंटेलीजेंस थी यह सी0 आई0 डी0 के अन्डर में थी। लेकिन लोकल इन्फारमेशन के लिये डी0 एम0 और एस0 पी0 से सम्बन्धित हैं। काम सुचारु रूप से हो, व्यर्थ की लम्बी चौड़ी रिपोर्ट प्रदेश

स्तर पर न आये, जिला स्तर पर आये, इस काम के लिये जो अभिसूचना का काम था उसकी रिपोर्ट एस0 पी0 और डी0 एम0 के लिये रख दी गई है। कार्य की सुगमता के लिये यह किया गया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही की चाय की दूकानों पर बैठते हैं तो ऐसे कर्मचारियों की शिकायत आप लिख कर दें, कार्यवाही की जायगी।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने बताया कि सूचना इकठ्ठी करने के लिये यह किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकताओं की रिपोर्ट एस0 पी0 और डी0 एम0 मन चाहे ढंग से डिक्टेट कराकर शासन को भिजवा देते हैं। मान्यवर, आप आदरणीय सदन के उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जो एस0 पी0 और डी0 एम0 लूट लीला करते हैं अगर यह विभाग पृथक् हो जाय और पृथक् एस0 पी0 हो जाय तो लूट की शिकायत शासन तक पहुंच सकती है। इस दृष्टिकोण को देखते हुये, यह नीतिगत प्रश्न है, मन्त्री जी को यह करने में क्या कठिनाई है। न वह विद्वान हैं न हम विद्वान हैं। वह महान हैं क्योंकि मन्त्री हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, यह इंटेलीजेंस के डी0 आई0 जी0 के अन्डर में रहते हैं। केवल लोकल मैटर की सूचना देने के लिये एस0 पी0 और डी0 एम0 से सम्बन्धित हैं।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, यह रिपोर्ट प्रशासन के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें एल0 आई0 यू0 के इन्सपेक्टर्स, जब कभी वहां जिले के अधिकारी, डी0 एम0, एस0 पी0 कोई गलत काम करते हैं, कोई प्रशासनिक गलती करते हैं, तो उस सम्बन्ध में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वह रिपोर्ट डी0 एम0, एस0 पी0 के माध्यम से आती है। जबकि उनसे ही सम्बन्धित वह रिपोर्ट होती है, तो वे उसको सेंसर कर लेते हैं। उसको पूरा आने नहीं देते हैं। इस संदर्भ में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रशासन के हित में, जनता के हित में, कि सही बातों से सरकार अवगत हो सके, क्या उससे सीधे सूचनायें मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, एल0 आई0 यू0 लोकल मामलों से सम्बन्धित हैं कोई रिपोर्ट यहां प्रदेश स्तर पर नहीं आती है।

(व्यवधान)

बेरोजगार प्रशिक्षित बुनकरों को रोजगार दिये जाने की मांग

*8—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित 90 हजार से अधिक बुनकर इस समय बेरोजगार हैं ? यदि हां, तो सरकार उन्हें रोजगार देने के लिये क्या कोई कदम उठायगी ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी नहीं । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित केवल छः (6) बुनकर ही दिसम्बर, 1982 के अन्त तक सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजिका पर उपलब्ध थे ।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि सेवायोजन कार्यालयों में छः बुनकरों के नाम ही दर्ज हैं । यह हो सकता है, परन्तु मैंने तो पूरे प्रदेश की बात पूछी है । तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्न को लेने के बाद, बेरोजगारों की संख्या को पता करने के लिए कोई सर्वे सेवायोजन कार्यालय से, अलग से भी करवाया है ? यदि हां, तो उससे क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, हमारे जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, आई0 टी0 आई0 हैं, उनके अन्तर्गत कोई भी बुनकर का ट्रेड नहीं है । केवल पांच जी0 टी0 आई0 के अन्तर्गत इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें 238 सीटें हैं लेकिन इसके विरुद्ध 350 हम लोगों ने एडमिशन इस बार दिये, अधिक प्रवेश पत्र प्राप्त हुए थे मान्यवर, जो भी यहां से इस व्यवसाय को पास करता है, वह अपना नाम सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड करा लेता है । मान्यवर, 1981 के अन्त तक एसे 27 बुनकर रजिस्टर्ड थे और वर्ष 1982 के अन्त तक, जैसा मैंने पहले कहा केवल 6 नाम रजिस्टर्ड रह गये हैं । इसमें ऐसा है कि जहां भी स्थान रिक्त होता है, वहां से मांग होती है, तो ऐसे बुनकरों के नाम वहां पर भेज दिये जाते हैं, उन्हें वहां नियुक्त कर दिया जाता है ।

बैंक आफ बड़ौदा, कानपुर की शाखाओं में हुई डकैती से सम्बन्धित डकैतों से मुठभेड़ तथा लूट का माल बरामद होने की जांच

श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि 25 जून, 1982 को डाकुओं का एक दल कार में सवार होकर कानपुर स्थित बैंक आफ बड़ौदा और जूही स्थित उसकी दो शाखाओं पर हमला बोलकर लगभग ढाई लाख रुपया लूट ले गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा और कितने का सामान बरामद किया ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 जून, 1982 को कानपुर स्थित जूहांज तथा पाकी की बैंक आफ बड़ौदा की शाखाओं में हुई डकैती में कुल 2,85,621·00 नकद तथा करीब 30 तोले सोने के आभूषण लूटे गये । जूही स्थित किसी बैंक की शाखा में लूट की कोई घटना नहीं हुई है ।

पुलिस द्वारा कोई डकैत पकड़ा नहीं गया वरन् 6 डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये, जिनके पास से 85,395·00 नकद बरामद हुआ ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह मुठभेड़ घटना के कितने देर बाद, किस जिले में, किस थाने के अन्तगत, किस समय हुई ?

श्री गुलाब सेहरा--

घटना दिनांक 25-6-82 समय 17'5 पर । दिनांक सूचना 25-6-82 सायंकाल 20'30 बजे ।

श्री मोहन सिंह--

मैं तो मुठभेड़ का समय पूछ रहा हूं । घटना के कितने देर बाद मुठभेड़ हुई और किस थाने के अन्तर्गत हुई और कब ?

श्री गुलाब सेहरा--

घटना 17-5 पर ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, घटना का तो मूल उत्तर में ही बता दिया । दिनांक 25 जून को 17 बजे हुई । उस घटना से सम्बन्धित डकैत भागे जिनको मुठभेड़ में मारा गया । यह मुठभेड़ कब हुई और कितनी देर बाद हुई ?

श्री गुलाब सेहरा--

23-30 पर ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, सच्चाई यह है कि जब यह डकैत डकैती डालकर रुपया लेकर एक कार के अन्दर रवाना हुये तो इटावा की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया । इटावा की पुलिस ने गिरफ्तार किया और 2 लाख 85 हजार रुपया और 30 तोला सोना बरामद किया । इटावा की पुलिस ने जिसमें पुलिस अधीक्षक भी शामिल है सारा का सारा रुपया बांट लिया और फर्जी मुठभेड़ दिखाकर डकैतों को मार दिया । मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी मेरे इस आरोप को सही मानकर इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब हम लोग प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो अपना विवेक इस्तेमाल करते हैं इसमें जो पैसे की बरामदगी है उसमें सन्देह इसलिये होता है कि 2 लाख 86 हजार रुपया बैंक से लिया गया और उसी तारीख को मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद यह दर्शाने की पुलिस ने कोशिश की वह रुपये की पोटली ग्रामीण लेकर भाग गये और बंटवारा कर रहे थे खेत में पकड़ा गया दूसरे खेत में 52 हजार एक जगह और 30 हजार एक जगह दिखाया है । शासन ने इस पर गम्भीरता से विचार किया और पहले ही सी0 आई0 डी0 को जांच के लिये दे दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जब आपने स्वीकार किया कि शासन इस सारे कान्ड में सन्देह करता है और मोहन सिंह ने प्रश्न भी किया

एस0 एस0 पी0 के बारे में। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सन्देह को आधार मानकर उस एस0 एस0 पी0 को क्या सजा दी गई और नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

आपकी मांग से पूर्व सी0 आई0 डी0 को दे दिया। जनता और ने कर्मियों के कृत्यों की विवेचना के बाद हमने निर्णय लिया कि सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी कराई जाय।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा प्रश्न यह नहीं है। जब शासन ने किसी अधिकारी का डाउटफुल रोल माना और जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी। जांच एक-दो साल में जब होगी तब होगी। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी पर्टीकुलर अधिकारी का रोल डाउटफुल रहा है। तो उसके ऊपर डिपार्टमेन्टल ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

किसी को सन्देह के आधार पर दन्ड देना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसमें इन्वालव्ड होगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री गोरे लाल शाक्य—

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि उस डकैती का धन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ में लगा है....।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सूचना दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सी0 आई0 डी0 को मामला सौंप दिया है।

रमवर्मा—

यह रुपया डाकुओं से पूरा बरामद हो गया और उसके बाद वकेवर और अजीतमल की पुलिस के एस0 आई0-ज0 और कान्स्टेबुलों में यह बांट दिया गया उसके बाद डी0 आई0 जी0 और ज्वाइंट एस0 पी0, एस0 एस0 पी0 भी थ, सब रुपया निकाला कान्स्टेबुलों के घर से, तो मैं जानना चाहता हूं कन जो रुपया एस0 आई-ज0 और कान्स्टेबुलों के घर से निकाला गया एस0 आई0-ज0, कान्स्टेबुलों और एस0 ओ-ज0 के खिलाफ भी कोई जांच वा रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो इन-काउन्टर में शरीक हैं, जो पुलिस कर्मी उसमें शामिल रहे हैं, वे सब भी इस सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी में शामिल रहेंगे।

श्री किरन पाल सिंह--

पूरे सदन में इस तरह के अनेकों मामले आये हैं और पूरा सदन महसूस कर रहा है, मंत्री जी बहुत इम्बेरिंग पोजीशन में हैं, मैं जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने जवाब दिया है कि सरकार इस बात को महसूस करती है कि एस० एस० पी० और पुलिस का जो रोल था यह डाउटफुल है, इसका मतलब है प्राइमाफेसी केस बनता है। आमतौर पर यह रहा है कि जब प्राइमाफेसी केस बनता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही की जाती है--सेनसेशन या ट्रांसफर। तो इस केस के बनने के बाद विभागीय कार्यवाही किन हालात में नहीं कर रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि सन्देह के आधार पर किसी को दन्डित करने का औचित्य नहीं है। सी० आई० डी० को इन्क्वायरी दे दी गई है और उसकी अन्तरिम रिपोर्ट आने पर तुरन्त ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह--

मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री किरन पाल सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री ऊदल--

यह जो 95 हजार रुपया बरामद हुआ एक सब-इन्स्पेक्टर और 3 कान्स्टेबिल के यहां से, जो इन-काउन्टर में शरीक थे ? यदि हां, तो उस सब-इन्स्पेक्टर और 3 कान्स्टेबिल के खिलाफ जिनके यहां माल बरामद हुआ, आज तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा कि जांच हमने खुद बिठाई है...।

श्री ऊदल--

मुझे संरक्षण प्रदान करें, मान्यवर जो रुपया पुलिस वालों ने ले लिया था, उनके पास से बरामद हुआ था। जो जिनके यहां से रुपया बरामद हुआ था उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? मेरा प्रश्न बड़ा थोड़ा सा है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आपने कुछ सुना या नहीं।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने प्रारम्भ में ही बताया है कि 85 हजार रुपया बरामद हुआ जो इनकाउन्टर के बाद प्राप्त हुआ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, घटना 5 बजे कानपुर में घटती है। घटना के बाद जो लोग घटना करने वाले हैं वह ठीक 5 घंटे बाद उस स्थान पर मारे जाते हैं, जिस स्थान की दूरी चलने में जो समय लगता है उतनी ही होगी, इन्काउन्टर दिखाया जाता है। बकेवर और अजीज नामक पुलिस कर्मी मिलकर बांट लेते हैं। आधा पैसा पुलिस अधीक्षक इटावा के पास पहुंच जाता है। शासन को सन्देह होने के बाद भी पुलिस कर्मियों को, थानाध्यक्ष को पुरस्कृत किया गया। थानाध्यक्ष भी उसी स्थान पर बने हैं। जिन पुलिस कर्मियों के बारे में संदेह है वह सभी थाने में बने हैं। एस0 एस0 पी0 भी वहीं पर इटावा में जमा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब घटना से सम्बन्धित सभी पुलिसकर्मी अपनी पूर्व पोजीशन पर बने रहेंगे तो क्या उनके रहते निष्पक्ष जांच हो सकेगी। निष्पक्ष जांच के लिये दोनों पुलिसकर्मियों को, थानाध्यक्ष को, पुलिस अधीक्षक को स्थानान्तरित करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय मोहन सिंह जी दो चीजें एक साथ मिला रहे हैं। मैंने कहा कि उन लोगों ने अपराधियों को पकड़ा, उसमें पुरस्कृत कर दिया गया। पैसे का जो मामला है उसमें सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी करा दी गयी।

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब यह मुठभेड़ हुई और रुपया बरामद हुआ तो वहां की पुलिस ने कानपुर की पुलिस को सूचना दी थी ? कानपुर से कोई आदमी पीछा करते हुये पहुंचा था या सूचना पर पहुंचा था ? क्या कानपुर की पुलिस के सामने ही पैसा बरामद हुआ ?

(शोर)

श्री गुलाब सेहरा—

कानपुर पुलिस ने इटावा पुलिस को सूचित किया था कि हमारे यहां से बदमाश निकल गये हैं।

श्री मोहन सिंह—

यह सरकार इतने बड़े डकैती के मामले को दबाना चाहती है। पुलिस के अधिकारी डकैती के पैसे को पचा गये। उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मोहन सिंह, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री राम आसरे पासवान, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री घनोराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि सभी सदस्य पूछ रहे थे । मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं । अगर मुझे इजाजत दें तो सवाल करूं और अगर आप कहें कि आगे जा चुके हैं तो....

श्री अध्यक्ष--

मैं आगे जा चुका हूं । यह सदन किसी प्रकार से जवाबों से संतुष्ट नहीं है । आप नियम 49 में चर्चा मांग लीजिये । 15 मिनट हो गये हैं । उसके बाद भी सदन किसी प्रकार संतुष्ट नहीं है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

ठीक है चर्चा मांग लूंगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने और बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, राणा जी बैठिये ।

*10--श्री रियासत हुसैन--

[10वें सोमवार में तारांकित प्र0 सं0 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थाना जालौन की पुलिस द्वारा जालौन कस्बे में एक ट्रक से पकड़े गये चोरी के सामान का विवरण तथा पंजीकृत अभियोग पर कृत कार्यवाही

*11--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 15 मई, 1982 को कस्बा जालौन में ट्रक नं0 यू0 एस0 एफ0 3662 पर लदे बिजली के तार, नलकूपों के आरमेचर जल संस्थान के जल आपूर्ति के उपकरण, टेलीफोन के तार, वन विभाग के ऐंगिल भारी मात्रा में थाना जालौन की पुलिस ने पकड़े थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सामान नीलामी का था या चोरी का था ? पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-5-82 समय सुबह 5 बजे थाना जालौन की पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ट्रक नं0 यू0 एस0 एफ0 3662 में लदे बिजली के तार ताम्बा, नलकूपों के आरमेचर, जल संस्थान के जलआपूर्ति के उपकरण व वन विभाग के एंगिल कस्बा जालौन से कानपुर बिकने के लिए जाते समय चौराहा चुर्खी जालौन के पास पकड़ी गयी । उपरोक्त सामान चोरी का था जो धारा 41/411 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया और जिसका सम्बन्ध मु0 अ0 सं0 137/81 धारा 379 थाना जालौन अ0 सं0 256/81 धारा 379 थाना जालौन अ0 सं0 6/82 धारा 379 थाना जालौन तथा अ0 सं0 9/82 धारा 379 थाना एट, जनपद जालौन से है ।

इस अभियोग में अभियुक्त (1) समीउल्ला पुत्र शकूर उल्ला, निवासी तोपखाना, कस्बा जालौन (2) हफीज खां पुत्र काले खां, निवासी मुहल्ला रापटगंज, कस्बा जालौन (3) रामदास पुत्र बाबूराम, निवासी मुहल्ला तोपखाना, कस्बा जालौन (4) सैयद शाकिर अली पुत्र सैयद जाकिर अली, मुहल्ला रापटगंज, कस्बा जालौन को दिनांक 15-5-82 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। दिनांक 16-5-82 को अभियुक्त समीउल्ला की निशानदेही पर उसके गोदाम से ट्रान्सफारमर की पत्तियां, ट्राली के फ्रेम व जल संस्थान के मोटे-मोटे पाइप, ट्रान्सफारमर के एंगिल, डीजल पम्प ट्रैक्टर के पुर्जे, साइकिलें तथा विद्युत् के तार आदि बरामद हुए। अभियोग विवेचनाधीन है।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो अभी इटावा के सवाल पर जवाब दिया गया है, जहां का एस0 एस0 पी0 90 हजार रुपया पी गया हो.....

श्री अध्यक्ष--

आप केवल प्रश्न करें।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, मेरा सवाल छोटा है फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि ऐसे मंत्री जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मान्यवर, इस चोरी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और चोरी का जो सामान गया है वह सामान है, बिजली विभाग का, नलकूप विभाग का, जल संस्थान का और वन विभाग का। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन विभागों ने अपने-अपने थानों में माल चोरी जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरा, यह जो चोरी गया सामान है इसकी कीमत क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, वक्तव्य में स्पष्ट लिखा है कि तीन एफ0 आई0 आर0 दर्ज थीं और उसी के आधार पर माल बरामद किया गया।

श्री दलगंजन सिंह--

मान्यवर, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब नहीं आता है। मेरा प्रश्न यह है कि, आप कान खोल कर सुन लें, चोरी गया सामान सरकारी सम्पदा है। जल संस्थान का सामान है, नलकूप विभाग का है, बिजली विभाग का है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन विभागों ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका यह माल चोरी चला गया है और उस चोरी से गये हुए माल की कीमत क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जब यह माल बरामद हुआ, उस समय तीन एफ0 आई0 आर0 दर्ज थीं चाहे वे विभाग की हों या व्यक्तिगत हों उनके आधार पर शिनाख्त का काम शुरू किया गया और जो माल बरामद हुआ वह एफ0 आई0 आर0 में लिखी रिपोर्ट से मिलता था। दूसरी बात माननीय सदस्य ने पूछी है, इसकी सूची मेरे सामने है परन्तु इसके सामने किसी का कोई मूल्य नहीं दिया गया है वरन् पूरे माल का विवरण दिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्थानापन्न मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चोरी का यह माल पकड़ा गया है और उसके सम्बन्ध में जो ये तीन रिपोर्ट लिखी गई हैं विभाग की ओर से या व्यक्तिगत, वे कब दर्ज हुई और वह माल कब पकड़ा गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, उत्तर में स्पष्ट लिखा है--अपराध संख्या और तारीख।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, हम तारीख जानना चाहते हैं, यह प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। आप बतायें कि ये जो तीन एफ0 आई0 आर0 लिखीं गईं हैं ये कौन सी तारीख में लिखी गई हैं और किस समय पर लिखी गई हैं। माल बरामद करने के पहले लिखी गई हैं या माल बरामद करने के बाद लिखी गई है ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, एफ0 आई0 आर0 की अपराध संख्या और पूरा विवरण लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, यह लगातार यही करते चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको किसी प्रकार की सूचना नहीं है तो यह कहें कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, उत्तर में लिखा हुआ है। मैंने कहा कि उपरोक्त सामान चोरी का था जो धारा 41/411 जा0 फौ0 के अन्तर्गत कब्जे में लिया गया और जिसका सम्बन्ध मु0 अ0 सं0 137/81 धारा 379 थाना जालौन अ0 सं0 256/81 धारा 379 थाना जालौन अ0 सं0 /82 धारा 379 थाना जालौन तथा 9/81 धारा 379 थाना एट, जनपद जालौन से है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

तारीख नहीं आयी। मैं तारीख चाहता हूं कि तारीख कौन-कौन सी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी बतायें एफ0 आई0 आर0 की तारीखें कौन-कौन सी हैं ?

(मन्त्री जी के कोई उत्तर न देने पर)

श्री लल्लू सिंह चौहान--

पूरा सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि माननीय मन्त्री जी तथ्य छुपा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैंने कहा कि आप कहते हैं कि यह जो माल पकड़ा गया, 3 एफ0 आई0 आर0 थीं, वे विभाग की तरफ से हों या व्यक्ति की तरफ से। मैं जानना चाहता हूं कि चोरी की रिपोर्ट माल पकड़ने से पहले हुई या बाद में हुई। ऐसा न हुआ हो कि चूंकि माल पकड़ा गया इसलिये एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गई। निष्पक्ष जांच के लिए यह सूचना जरूरी है कि माल कब पकड़ा गया और एफ0 आई0 आर0 कब की है ?

श्री गुलाब सेहरा--

तारीख 15-5-1982 है, आप स्वयं ही देख लें यह पहले की है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 12 पुकारे जाने पर।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, एक प्रश्न कर लूं।

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे चल पड़े हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह विभाग ने चोरी की। जब माल पकड़ा गया तब रिपोर्ट लिखायी गयी। यह तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं।

श्री दलगंजन सिंह--

विभाग के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए कानून अलग है। 4 मुसजिमान तो बन्द कर दिये गये लेकिन सरकारी कर्मचारी जो चोरी में मिले हुए थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री गुलाब सेहरा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर हेतु खड़े न होने पर तथा प्रश्न का उत्तर तलाश करते रहने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी। आप पहले से प्रश्न को ठीक प्रकार से देख कर लाया करें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी के सभी प्रश्नों को स्थगित कर दीजिये, ये उत्तर नहीं दे पा रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः तारांकित प्रश्न संख्या-12 पुकारे जाने पर श्री गुलाब सेहरा द्वारा उत्तर पढ़ा गया।)

मेरठ नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों की जांच के लिये गठित न्यायिक जांच आयोग

*12--श्री नरेन्द्र सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां तथा श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ नगर में 6 सितम्बर, 1982 से होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के कारण अनेक व्यक्ति मारे गए और अनेक नागरिकों

की सम्पत्ति को भारी क्षति पहुंची ? उक्त दंगे की गम्भीरता को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार न्यायिक जांच द्वारा उन तत्वों का पता लगायेगी, जोकि इस दंगे के लिए जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो कब तक सरकार न्यायिक जांच पूरी करा लेगी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां ।

दंगे से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाओं की जांच के लिये न्यायिक जांच आयोग दिनांक 21 जनवरी, 1983 को अधिसूचना के अधीन गठित कर दिया गया है । आयोग से अधिसूचना के दिनांक से 6 माह के अन्दर रिपोर्ट पूरी कर लेने के लिए कहा गया है ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

यह अधिसूचना जो 21 जनवरी, 1983 की है जिसके अधीन जांच आयोग बनाया गया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें जो निर्दिष्ट विषय है, कौन-कौन से ऐसे बिन्दु हैं जो निर्धारित किये गये हैं, जिन पर कमीशन जांच करेगा ? और इस साम्प्रदायिक झगड़े में कौन लोग मारे गये, कितनों के घर जलाये गये, कितनों के चोटें लगी हैं और ऐसे लोगों को सरकार ने क्या आर्थिक सहायता दी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री को यही उत्तर देते-2 लगभग 4 माह हो गये, लगता है आप इस प्रश्न को टालना चाहते हैं और इस बार भी सूचना मांगने को कहा गया है । इसलिए आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यूं तो मान्यवर, मूल प्रश्न वही है जो माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने दिया है कि कितने लोग मारे गये, कितने लोग जलाए गये तथा कितनों का और कितना-2 माल लूटा गया ? इसलिए मैं भी आप से यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए ताकि सम्पूर्ण सूचना आ सके । दूसरी बात मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि असल झगड़े की जगह कहां पर है, और जहां पर असल में यह झगड़ा हुआ वहां पर न तो कोई मार-पीट हुयी, न किसी की जानें गयीं और न ही कोई लूटपाट हुयी और न ही वहां पर कोई कर्फ्यू लगा यह तो यहां पर 20-22 किलो० मी० के दूरी पर हुआ, इसलिए मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि असल जगह जो झगड़े की है, वहां पर कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया, इसकी वजह क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, इस मामले में सभी को मालूम है कि जुडिशियल इन्क्वायरी चल ही है, जिसके हित में कोई बात कहना उचित न होगा फिर भी यदि आपके रादेश हों तो मैं सूचना दे दूं कि कितने लोग मारे गये कितने जलाये गये ? मआन्यवर, मरने वालों की संख्या 31 है और....

श्री अध्यक्ष—

एक बार तो आपने इसी प्रश्न पर सूचना मांग ली है और अब आप स्वयं यह सूचना दे रहे हैं कि कितने लोग मर गये ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यही सबूत है इस सरकार के खोखले और घटिया होने का । यह बिल्कुल खोखली और घटिया सरकार है ।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अब इनको सूचना उपलब्ध हो गयी है, इसलिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि वह कौन से प्वाइंट हैं जो कमीशन को रेफर किये गये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, सूचना मांगी गयी थी, उसके आ जाने पर सूचना दी जा रही है और मामले की न्यायिक जांच पूरे दंगे के सभी प्वाइंट्स पर हो रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो न्यायिक जांच आयोग गठित हुआ है, उसके टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या हैं, इसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि जांच दंगे के पूरे मामले पर हो रही है, तो मान्यवर, यह कोई जवाब नहीं हुआ, हम केवल टर्म्स आफ कंडीशन्स चाहते हैं न्यायिक आयोग की जांच तो पूरे मामले में होगी, वह दूसरी चीज है ।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, केवल टर्म्स आफ रिफरेन्स है, वह मैं पढ़कर सुनाए देता हूं नं0 (1) इस घटना के सम्बन्ध में तथ्यों तथा उन कारणों का पता लगाना जिनके फलस्वरूप यह घटनाएं हुयीं ।

दूसरी है स्थिति को संभालने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये गये बल के औचित्य तथा पर्याप्तता को निर्धारित करना, तथा उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व और उसकी सीमा निर्धारित और निश्चित करना ।

श्री फखरे आलम—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो टर्म्स आफ रिफरेन्स बताये उसमें कुछ नहीं है । वहां पर बेचारे निहत्थे लोगों को बरबाद कर दिया गया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी क्या आप उन कर्मचारियों के खिलाफ इनक्वायरी करायेंगे जिनके बारे में शिकायतें की गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ जनपद के ग्राम मुन्शीगंज निवासी श्री फकीरे का पुलिस द्वारा पकड़े जाने के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

*13—डा० शिवानन्द नौटियाल तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस द्वारा अवैध रूप से खेत में काम करते हुए श्री फकीरे, ग्राम मुन्शीगंज चौकी अमेठी, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ को पकड़े जाने से सम्बन्धित शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी, विधायक की संस्तुति सहित माह जून, 1982 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी और जांच रिपोर्ट क्या है तथा झूठा मुकदमा वापस लेने एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

जी हां। जांच क्षेत्राधिकारी, मोहन लाल गंज द्वारा की गई। जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 10-6-82 को श्री फकीरे के पास से पुलिस द्वारा 2 बोतल कच्ची शराब बरामद की गई जिसके सम्बन्ध में उसके विरुद्ध धारा 60, आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है। जांच से उक्त प्रार्थना-पत्र में पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गये। अतः पुलिस के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। चूंकि मुकदमा झूठा नहीं पाया गया है इसलिए मुकदमा वापस लेने का भी प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद के सात श्रमिकों के सम्बन्ध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त, कानपुर का निर्णय

*14--श्री जंगबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर राज्य कताई मिल, फैजाबाद के सात श्रमिकों के सम्बन्ध में विभागीय जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 28-12-78 को जो जांच रिपोर्ट दी गयी है जिसके आधार पर सातों श्रमिक उक्त प्रतिष्ठान से आदेश संख्या 57-73 एस० एस० ए० के० के० वी०/जी० ई० एन०-79, दिनांक 3-3-70 द्वारा सेवा-मुक्त किए गये थे, क्या है तथा उक्त सातों श्रमिकों के सम्बन्ध में अतिरिक्त श्रम आयुक्त, कानपुर श्री हरिकृष्ण कौल द्वारा 14 सितम्बर, 1978 का दिया गया निर्णय क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रतिष्ठान के जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट, दिनांक 28-12-78, जिसके आधार पर प्रतिष्ठान के सात श्रमिकों को आदेश संख्या 57-63/एस०ए०एम/अकब/जनरल/79, दिनांक 3-3-79 द्वारा सेवा मुक्त किया गया, यह थी कि यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि श्री आर० पी० चौबे, शिफ्ट आफिसर को दिनांक 21-4-78 को उनकी ड्यूटी के दौरान स्पिनिंग आफिस में पीटा गया तथा पीटने वालों में सर्वश्री बी० एस० पाठक, राघवेन्द्र पाण्डेय, सूरज सिंह एवं महेन्द्र नाथ तिवारी अग्रणी रहे। शेष तीनों सम्बन्धित श्रमिक (श्री चन्द्र

भूषण दुबे श्री सीताराम, श्री काशी नाथ) उपरोक्त चारों श्रमिकों से प्रभावित मालूम होते हैं तथा उनकी भूमिका पिछलगुओं जैसी प्रतीत होती है। सर्वश्री बी० एस० पाठक, राघवेन्द्र पाण्डेय, सूरज सिंह व महेन्द्र नाथ तिवारी के कार्यकलाप अधिक आपत्तिजनक एवं अवांछनीय रहे हैं।

उक्त सातों श्रमिकों के सम्बध में अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर श्री हरिकृष्ण कौल का दिनांक 14-9-1978 का निर्णय निम्नवत् था :--

1--जांच जिस स्टेज से छोड़ी गई है पुनः प्रारम्भ की जाय व श्रमिकों को अपने डिफेन्स के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाय। इस जांच में यदि प्रबन्धक अपनी ओर से किसी और गवाह का बयान भी लिखाना चाहें तो लिखवा सकते हैं। यदि प्रबन्धक चाहें तो वे श्री एस० सी० अग्रवाल से ही जांच करायें या किसी अन्य सक्षम अधिकारी से।

2--स्टेटस क्यू अनटी रिस्टोर किया जाय यानी यह सातों श्रमिक लगातार अपने डिसमिसल की तिथि से निलम्बित समझे जायं व उन्हें देय सबसिस्टेन्स एलाउन्स दिया जाय डिसमिसल का आदेश वापस किया जाय।

3--यदि जांच के उपरान्त सभी अथवा कुछ चार्जशीटेड श्रमिकों के विरुद्ध प्रबन्धकों की नजर में अभियोग सिद्ध होते हैं तो ऐसे श्रमिकों के विरुद्ध प्रबन्धक कार्यवाही करने में स्वतन्त्र व सक्षम होंगे।

4--यदि इन सात श्रमिकों में से किसी को जांच के उपरान्त प्रबन्धक दन्डित करते हैं तो श्रमिकों का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे वैधानिक रूप से अपनी मांग उठायें।

उप पुलिस अधीक्षक (ट्रेनिंग), फैजाबाद द्वारा अपराधियों व डकैतों को कथित संरक्षण के सम्बन्ध में जांच

*15- श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र, दिनांक 18-11-81 उप पुलिस अधीक्षक (ट्रेनिंग), फैजाबाद द्वारा अपराधियों एवं डकैतों को दिए जा रहे संरक्षण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। कार्यालय के स्थानान्तरण के फलस्वरूप प्रयासों के उपरान्त भी यह सद्यः उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। माननीय सदस्य द्वारा पत्र की प्रति उपलब्ध करा देने पर 15 दिनों के अन्दर जांच करा ली जायेगी। अपराधियों एवं डकैतों को दिये गये संरक्षण के विषय में वैसे एक अन्य जांच जारी है।

बुलन्दशहर के कस्बा गुलावटी में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या पर पुलिस की निष्क्रियता के आरोप की जांच

*16—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 28 जनवरी, 1981 की रात को जनपद बुलन्दशहर के कस्बे गुलावटी में एक बढ़ई सहित उसके परिवार के 5 व्यक्तियों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी गयी थी ? क्या इस घटना के सन्दर्भ में गुलावटी की पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सन्दर्भित घटना के अनुक्रम में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाकर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस पर पथराव तथा थाने का घेराव आदि किया गया । उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को हवाई फायर भी करने पड़े थे । इस घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट, अनूपशहर द्वारा की गयी । जांच से इस मामले में किसी भी स्तर पर पुलिस की असावधानी नहीं पायी गयी । अतः पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पदों पर पदोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव

*17—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ने 22-10-80 को 32 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र दिया था ? क्या यह सही है कि इनमें से 24 मार्च, 1981 को केवल 27 नियुक्तियां की गयी ? यदि हां, तो इन पांच पदों पर नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय उच्च न्यायालय ने 22-10-80 को 32 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र नहीं दिया था ।

माननीय उच्च न्यायालय ने 21-10-80 व 12-12-80 को सन्दर्भ भेजकर 32 पदों पर पदोन्नति हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे थे जिनमें 27 अधिकारियों को 24-3-81 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नत किया गया था । शेष 5 अधिकारियों के आदेश भी 14-5-1981 को जारी कर दिये गये थे ।

नैनीताल जनपद के ग्राम उलघन व गोगी के थारुओं के उत्पीड़न के आरोप की जांच

*18—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम उलघन व गोगी, थाना खटीमा, जिला नैनीताल के थारुओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 व 9 दिसम्बर, 1980 संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

सभी शिकायती-पत्रों की जांच की गयी । जांच से आरोप सही नहीं पाये गये ।

फैजाबाद जनपद के थाना अकबरपुर में कस्बा अकबरपुर की घटना से सम्बन्धित एक अभियोग का विवरण

*19—श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1982 में कस्बा अकबरपुर व थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद में धारा 307 इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत कोई घटना दर्ज हुई है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और उक्त घटना में कौन-कौन लोग मुजरिम है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बिहारी पुत्र मेदू, सा0 मिरानपुर, कस्बा अकबरपुर की लिखित सूचना पर थाना अकबरपुर में मु0 अ0 सं0 439/82, धारा 147/148/149/452/307 भा0 द0 वि0, दिनांक 16-9-82 को पंजीकृत हुआ है । घटना के पूर्ण विवरण हेतु घटना से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है । विवेचनोपरान्त 37 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1557 पर ।)

उत्तर प्रदेश सरकार की श्रेणी 'क' सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की पूर्ति

*20—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय सेवाओं की श्रेणी 'क' में भूतभूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण है और क्या इस श्रेणी 'क' की सेवाओं में इस आरक्षण की पूर्ति कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्रेणी 'क' में 8 प्रतिशत का आरक्षण है । 8 प्रतिशत का आरक्षण भी पूर्ण नहीं है । इस आरक्षण की पूर्ति न होने हेतु लोक सेवा आयोग को स्मरित कराया जा रहा है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में विद्युत आपूर्ति में वर्गीकरण के कारण और आधार

**1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मौजूदा समय में प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में मात्र 6 घंटे तथा शहरी इलाके को 18 घंटे विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों को भी 18 घंटे विद्युत् सप्लाई किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों को 10 घंटे और नगरों को 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था है ।

वर्तमान परिस्थितियों में उत्पादन और मांग के अन्तर को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत् आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आया ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आगे बढ़ गया हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है, मैं बराबर अपने प्रश्न के उत्तर के लिये आपसे कह रहा हूं कि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है और आप इजाजत ही नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे लिए यह सम्भव नहीं है । जब 12 बजे का समय अल्पसूचित प्रश्नों के लिये निर्धारित है तो मैं किस तरह से आपको आज्ञा दे सकता था ?

श्री गोपी नाथ वर्मा--

अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि वे ग्रामीण इलाके में 10 घंटे और शहरी इलाके में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं परन्तु मेरी जानकारी है कि ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे के बजाय तीन-चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि शहरों के समान गांवों में भी 24 घंटे बिजली न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, बिजली की आपूर्ति बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करती है । यदि 8-10 मिलियन यूनिट बिजली और बढ़ जाय और वह हमको मिलने लगे तो हम सबको इसे बराबर दे सकते हैं । लेकिन जब तक यह नहीं बढ़ती है तब तक वर्तमान में जो व्यवस्था की गयी है बिजली की आपूर्ति के लिये यह उचित है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आपने जो ग्रामीण क्षेत्र में कस्बे और टाउन एरिया लिये हैं वे 1971 की आबादी के अनुसार जो दस हजार की आबादी से नीचे के थे उन्हें लिया है । लेकिन अब उनमें आबादी बढ़ गयी है और सेन्सेज के हिसाब से अब उनमें 15 हजार की आबादी है । मेरे क्षेत्र मुरादाबाद में भोजपुर और उदरथी ऐसे स्थान है जहां की आबादी 10 हजार से ज्यादा है तो उन्हें आप शहरी क्षेत्र में मिला कर वहां पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इसमें मान्यवर, हमने 1981 की जन गणना के बाद आधार तय किया है। पहले जो 10 हजार की आबादी वाले क्षेत्र थे उन्हें अब 15 हजार और जो 20 हजार की आबादी वाले क्षेत्र थे उन्हें अब 25 हजार मानकर मापदंड निर्धारित किया गया है। अब जो आधार तय किये गये हैं उनमें यदि कहीं उससे बहुत ज्यादा नहीं है और वह हमारी नोटिस में आयेगा तो उसे हम देख लेंगे।

श्री रेवती रमण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि देहात में बिजली 10 घंटे दी जा रही है। मेरी जानकारी है कि वहां पर बिजली कुल 4-5 घंटे ही दी जा रही है। प्रदेश की जो लिफ्टकैनल हैं वहां पर 20-24 घंटे बिजली देने की बात है तो वहां पर 8-10 घंटे ही बिजली दी जा रही है। बिजली की कमी को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी शहरों में और बड़ी-बड़ी फैक्टरियों में जो बिजली दी जा रही है, उसमें कटौती करके देहात में अधिक बिजली देने की कृपा करेंगे जहां पर इस समय बिजली की अधिक आवश्यकता है।

श्री ब्रह्म दत्त--

देहात में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था है, जब उसकी कमी होती है तो निश्चित रूप से कमी हो जाती है। कोशिश हमारी यही रहती है कि अधिक से अधिक बिजली दें।

श्री जयदीप सिंह बरार--

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि पहले देहात में जो बिजली दी जाती थी उसकी रोस्टरिंग होती थी, शाम के समय देहात में रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय कभी बिजली नहीं मिलती है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि पावर उस समय न दे सकें तो एक फेज ही दे दें जिससे लाइट जल सके।

श्री ब्रह्म दत्त--

जो हमारी व्यवस्था है उस में पीक आवर्स 6 से 10 है। उस समय हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सारे प्रदेश को बिजली देने के लिए 4 जोन्स में बांट रखा गया है। 10 घंटे बिजली देने की रोस्टरिंग की गयी है। इसके आगे सम्भव नहीं है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

ग्रामीण व्यवस्था जो बिजली देने की है वह बहुत ही खराब है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो न्यूनतम चार्ज है उसको समाप्त करके मीटर के हिसाब से लेने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मीटर लगाने से मेरी निश्चित मान्यता है कि किसान को तिगुना और चौगुना देना पड़ेगा। अभी मीटर लगाना सम्भव नहीं है। इस समय हम बिजली सब्सीडाइज्ड रेट पर बिजली दे रहे हैं।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, टाइम का फर्क है। देहात में कम और शहरों में अधिक तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देहात में ली जाने वाली करों में भी कमी करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जो बिजली हम इस समय दे रहे हैं वह बहुत ही सब्जीडाइज्ड रेट पर दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान--

माननीय विद्युत् मंत्री जी जरा देर के लिए इधर मुखातिब हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे ग्रामीण अंचल में जहां पर 500 और 600 कनेक्शन लाइट और फैन के लिए हैं, तो क्या शासन कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे इन गांवों को बिजली लाइट के लिए मिल सके। उस समय एक ही फेज में बिजली देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हम उपलब्धता के आधार पर चेष्टा करते हैं।

श्री ऊदल--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत् कटौती अप्रैल, 1982 से समाप्त कर दी गयी है और आपने कहा कि देहात में 10 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्युत् कटौती समाप्त कर दी गयी है, बिजली के घंटे बढ़ा लिए गये हैं लेकिन जो उत्पादन 1500 मेगावाट का उस समय था वही अब भी है, बढ़ा नहीं है, तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हमने पिछले 2 वर्षों में 3 व्यवस्थायें की हैं। पहला तो पुरानी मशीनों का मेन्टीनेन्स तथा उनका रिपेयर्स, कोयले की पूरी मात्रा में आपूर्ति...

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। बिना बुलाये माननीय सदस्य को खड़े नहीं होना चाहिए।

श्री ऊदल--

मान्यवर, अप्रैल, 1982 में विद्युत कटौती समाप्त कर दी गई और जैसा कि अभी आपने फरमाया विद्युत् देहात में 10 घंटे और शहर में 24 घंटे देने की व्यवस्था कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि अप्रैल, 1982 में विद्युत् का उत्पादन 1495 मेगावाट था और आज भी विद्युत् का उत्पादन 1495 मेगावाट है जो आप 10 घंटे और 24 घंटे बिजली की सप्लाई की बात करते हैं, दोनों में कितना फर्क है, आपने कितना उत्पादन बढ़ाया है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं अपने विद्वान सदस्य से यह निवेदन करुंगा कि विद्युत उत्पादन मेगावाट में नहीं होता है। मेगावाट विद्युत उत्पादन की यूनिट नहीं है। इसमें हमने यह बताया है कि कितनी मशीनें हमारे पास हैं और 1982 में कितना प्लान्ड लोड फैक्टर में सुधार हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत देने के बारे में जो उन्होंने असत्य भाषण करके सदन को गुमराह किया है उसके लिए मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूं। मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्रा के क्षेत्र को छोड़कर जहां चौबीसों घंटे बिजली दी जाती है बाकी कहीं पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र में बिजली देने का और उसके वर्गीकरण का आधार क्या है? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उद्योगों पर से कटौती समाप्त कर दी गई है लेकिन अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के हैं वे सब रूरल फीडर से जो जुड़े हुए हैं जिनको मुश्किल से बिजली मिल रही है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रूरल फीडर से जुड़े हुये संस्थान हैं उनके लिए चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति की क्या व्यवस्था है और दूसरी बात यह है कि शहर और देहात में वर्गीकरण का आधार क्या है?

श्री ब्रह्म दत्त--

श्रीमन्, शहर और गावों में वर्गीकरण का आधार यह है कि गांवों में बिजली सप्लाई करने का अभिप्राय यह है कि पंपिंग सेट और खेती में काम आने वाली मशीनों को चलाना है और शहरों में वहां की जनसंख्या को देखते हुए, जन सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है। जहां तक रूरल फीडर से न जोड़ने की बात है यह सम्भव नहीं है क्योंकि जब तक इन्डिपेन्डेन्ट फीडर नहीं होंगे तब तक इसी तरह से बिजली दी जायेगी और वे रूरल फीडर से जुड़े रहेंगे। रूरल फीडर जब इन्डिपेन्डेन्ट हो जायेंगे तो इनको अलग कर दिया जायेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने मेरे क्षेत्र का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मोहन सिंह जी मेरे क्षेत्र में कोई फैक्टरी चलाते हैं जिससे कि वहां पर चौबीसों घन्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है?

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि शहरों में और देहातों में बिजली का वितरण उत्पादन को देखते हुये किया जाता है। मान्यवर, आज जो अन्तर है वह वितरण का अन्तर है, उत्पादन के आधार पर नहीं है। क्योंकि यदि उत्पादन के आधार होता तो जो बिजली उत्पादित होती उसे आप शहरों में और देहातों में बराबर-बराबर बांट देते। इसलिए जो बात आपने कही, वह सही नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो अन्तर है वह उत्पादन का नहीं है, वितरण का है। क्या माननीय मंत्री जी बताने

की कृपा करेंगे कि इस आधार पर आप शहरों में और देहातों में बराबर बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरा प्रश्न यह है कि आप देहातों में 10 घंटे बिजली दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें । यह कोई तरीका नहीं है, आप प्रश्न कीजिये 15 मिनट हो गये, अभी एक ही प्रश्न हुआ है ।

श्री विजय सिंह राना--

आपने कहा देहात को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं । क्या आपने इसके आंकड़े इकट्ठा किए हैं कि वास्तव में कितने घंटे बिजली दी जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आंकड़े तो रोजाना आते रहते ह और उसी के अनुसार हम रेडियो आदि तक म न्यूज देते रहते हैं । दूसरे मैंने वितरण का आधार बताया था उत्पादन का नहीं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय विद्युत मंत्री जी ने अभी झूठ का पुलन्दा सामने रखा और अपनी उपलब्धियों की बात कही । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हरदुआगंज में ब्रेकडाउन हो जाने के कारण बिजली का उत्पादन बहुत कम हो गया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी ने जो उपलब्धि बतायी है वह किस आधार पर बतायी है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पिछले दो सप्ताह में ओवरा में कुछ खराबी आ जाने के कारण उत्पादन में कमी आयी । मगर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का तो माननीय मंत्री जी ने वर्गीकरण करके वहां के लिए व्यवस्था कर दी, मगर जो टाउन एरियाज हैं, जहां पानी की टंकी भी ह, डिस्पेन्सरीज हैं, वहां के लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे और उनका भी वर्गीकरण करेंगे ताकि वहां पर बिजली उपलब्ध होती रहे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं पहले बता चुका हूं कि जन संख्या के आधार पर उनका भी वर्गीकरण किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति दिन कितने यूनिट बिजली की आवश्यकता है और कितने यूनिट आप बिजली दे पा रहे हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, करीब-करीब 33 फीसदी बिजली हम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं और पूरी आवश्यकता के अनुसार देने के लिए करीब 8-10 मिलियन यूनिट की और जरूरत होगी ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया है । यह लिखा नहीं जायेगा :

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय विद्युत मंत्री ने बताया कि देहात में वे 10 घंटे बिजली दे रहे हैं । मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि कम से कम मेरे क्षेत्र में 15 दिन के अन्दर एक मिनट भी बिजली नहीं आयी है । माननीय नेता, विरोधी दल ने भी मुझे यही सूचना दी कि उनके यहां भी उनके क्षेत्र में करीब एक सप्ताह से बिजली नहीं पहुंच रही है । इसके कारण फसल को भारी नुकसान हो रहा है । तो सही जानकारी के लिए क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश भर के नलकूपों के रेकार्ड्स आदि मंगा कर यह जानकारी करेंगे कि वास्तव में 10 घंटे बिजली दी जा रही है या कितने घंटे दी जा रही है ? और अगर यह 10 घंटे बिजली दिये जाने की सूचना गलत साबित हो तो क्या गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही मंत्री जी करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बात समझा नहीं पाया । मैंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10 घंटे की व्यवस्था है और साथ में यह भी कहा कि पिछले 15 दिनों से ओबरा में ट्रबल है लेकिन हम ज्वाइंट इंस्पेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि रबी की फसल सुनिश्चित हो सके ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली दे रहे हैं । तो पूरे प्रदेश में इसकी जांच कराने के लिए कोई कमेटी माननीय सदस्यों की बना दें अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली जाती हो तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र दे दूंगा और अगर 10 घंटे नहीं जाती है तो माननीय मंत्री जी त्याग-पत्र दे देंगे ? नहीं तो जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसको निलम्बित करने की घोषणा माननीय सदन में करेंगे ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही निकाल दिया गया ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, इस ऐक्शन की कोई जरूरत माननीय सदस्य को नहीं है। मैंने कहा इधर ओबरा में स्थिति खराब है जिसके लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन करा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने गलत सूचना दी है और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण

**2--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत जनवरी, 1983 के अन्त अथवा फरवरी, 1983 के प्रारम्भ में खेती में लगे मजदूरों की मजदूरी की दरें पुनः निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी की दरें क्या हैं और उनमें भिन्नता का क्या औचित्य है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। मजदूरी की दरें पुनरीक्षित करने के उद्देश्य से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए दिनांक 24 जनवरी, 1983 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[8वें सोमवार में अतारांकित प्र० सं० 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

2--श्री किरनपाल सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त

बुलन्दशहर जनपद के ग्राम प्रेमपुर निवासी श्री भगवती प्रसाद के अपहरण की रिपोर्ट पर विवेचना

3--श्री किरनपाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 16-6-82 को श्री भगवती प्रसाद पुत्र छिद्दा सिंह, ग्राम प्रेमपुर, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर को किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया था जिसकी सूचना थाना औरंगाबाद में दर्ज करा दी गई थी ? यदि हां, तो इस मामले में थाना औरंगाबाद की पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

दिनांक 1-7-1982 को अपहृत श्री भगवती प्रसाद के भाई श्री धर्म सिंह की लिखित सूचना पर थाना औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर पर रिपोर्ट लिखकर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचनकर्ता ने वादी, उसके घरवालों तथा अन्य लोगों से पूछताछ की, परन्तु किसी व्यक्ति ने शक शुबह या जुर्म में किसी व्यक्ति को शरीक होना नहीं बतलाया विवेचक द्वारा ग्राम प्रेमपुर व इसके पास श्री भगवती प्रसाद की सुरागरसी व पतारसी की गयी तथा श्री भगवती प्रसाद की तलाश हेतु कफी प्रयास किया गया । परन्तु अपहृत श्री भगवती प्रसाद का कोई पता नहीं चल सका ।

बुलन्दशहर जनपद के थाना जहांगीरपुर अन्तर्गत श्रीमती ओमवती देवी की हत्या की रिपोर्ट की विवेचना

4—श्री किरनपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना जहांगीरपुर, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नव विवाहिता (श्रीमती ओमवती देवी) की हत्या से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट 13-14 जुलाई, 1982 को लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, रिपोर्ट दिनांक 13/14 जुलाई, 1982 को नहीं अपितु दिनांक 15 जुलाई, 1982 को लिखाई गई थी ।

विवेचना प्रचलित हैं ।

गोंडा जनपद में पचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग का निर्माण

5—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के जनजाति क्षेत्र में बन रही पचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग पिछले पांच साल से निर्माणाधीन है, परन्तु अभी तक केवल 1 से 9 किलोमीटर तक ही सड़क पेन्ट हो पाई है ? शेष 8 कि0मी0 की क्या स्थिति है ? वह कब तक पूरी होगी ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

थाना डुमरियागंज, बस्ती में कार्यरत एस0 आई0 श्री भागीरथी सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

6—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने थाना डुमरियागंज, जनपद बस्ती में कार्यरत एस0 आई0 श्री भागीरथी सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री राधा मोहन दुबे) को माह अगस्त,

सन् 1982 में दिया है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक, बस्ती को इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट भेजी है ? यदि हां, तो किन-किन आरोपों की जांच कराई गई, और अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कराई गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांकित 17 जून, 1982 व 15 जुलाई, 1982 तत्कालीन थानाध्यक्ष की टिप्पणी व रिपोर्ट सहित पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्राप्त हुये हैं । शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच अभी प्रचलित है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

7--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

थाना डुमरियागंज बस्ती की बाउन्डरी वाल का निर्माण

8--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना डुमरियागंज की बाउन्डरी (दीवाल) बनाने के लिए पांच हजार रुपया धनराशि बजट में प्राविधान कराई गयी थी उससे अब तक बाउन्डरी क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

पांच हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान सा0 नि0 वि0 की मांग पर जनपद बस्ती के थाना डुमरियागंज के अवशेष भवन निर्माण कार्य के लिये किया गया था जिससे सा0 नि0 वि0 ने कान्स0 की बैरक तथा सब इन्सपेक्टर के आवासगृह से अवशेष कार्य को पूरा कर दिया । बाउन्ड्रीवाल का निर्माण अभी नहीं हो पाया है जिसे यथाशीघ्र पूरा किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

थानाध्यक्ष, कोपागंज, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

9--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, कोपागंज, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध ग्राम प्रधान, थवरियासाथ सरवा कुर्थी जाफरपुर आदि व्यक्तियों की संयुक्त शिकायती-पत्र शासन को सितम्बर, 1982 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । संयुक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की गयी थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुये ?

आशा गैस सर्विस, देवरिया के गोदाम से सिलेन्डर की चोरी

10--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री माता प्रसाद पान्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1982 के अन्तिम सप्ताह में देवरिया जिले के मुख्यालय पर आशा गैस सर्विस के गोदाम से 221 गैस सेलेन्डर की चोरी हो गई ? यदि हां, तो इस में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। वादी श्री जेठू पुत्र नोहर डिलिवरीमैन, आशा गैस सर्विस व मुकाम पुरवा ने, थाना कोतवाली देवरिया में 28-9-82 को लिखित सूचना दी कि दिनांक 27/28-9-82 की रात में 10-12 आदमियों ने गोदाम में लगे तालों को तोड़कर गोदाम से 205 गैस सेलेन्डर खाली तथा 16 भरे सेलेन्डर ट्रक पर लादकर भाग गए। वादी श्री जेठू की लिखित सूचना के आधार पर मु0 अ0 सं0 407/82, धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना कोतवाली देवरिया पर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जनपद इलाहाबाद के एक स्टेटवाइड नोटोरियस गैस (गोडाउन डकैत) प्रकाश में आया तथा 115 सेलेन्डर अभियुक्तों से वापस बरामद कर लिया गया। विवेचनोपरान्त छः अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद फर्रुखाबाद के परगना अमृतपुर में अन्धुइया पर पुल निर्माण की मांग

11—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की तहसील सदर में परगना अमृतपुर में अन्धुइया पर पुल बनाने के विषय में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 462-का/81, दिनांक 28-3-81 तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ?

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर नहीं है।

गोरखपुर जनपद में महाबीर-छपरा-ककराखोर बरवल तथा भैंसा बाजार-हरिहरपुर मार्ग का निर्माण

12—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में महाबीर-छपरा-ककराखोर बरवल और भैंसा बाजार-हरिहरपुर-माहनपार की महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण वर्ष 1979 में ही प्रारम्भ कर दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक पूरा न निर्मित होने का कारण क्या है और कब तक इनका निर्माण कार्य पूरा होगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

महाबीर-छपरा-ककराखोर बरवल मार्ग के निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

भैंसा बाजार-हरिहरपुर मार्ग का निर्माण खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में आरम्भ किया गया। 4 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य पूर्ण है। शेष पर भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। भूमि उपलब्ध होने पर कार्य पूरा होना सम्भव होगा।

प्रदेश के पशुधन अधिकारी के पदनाम में परिवर्तन के विषय में जानकारी

13—श्रीमती गौरी देवी –

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के पशुधन अधिकारियों के पद नाम बदलकर पशु चिकित्सा अधिकारी करने पर विचार कर रही है ?

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)—

जी नहीं ।

गोरखपुर नगर के रुस्तमपुर से सुवा बाजार कुसम्हीं तक राष्ट्रीय राज मार्ग का बाई पास

14—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर के रुस्तमपुर से सुवा बाजार कुसम्हीं तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के लिए बाईपास के बनाने के लिए 23 कि० मी० लम्बी सड़क निर्माण का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो उपरोक्त बाईपास वाला मार्ग कब तक बना दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद में रवीन्द्र सिंह मार्ग पर आमी नदी तथा राम जानकी मार्ग पर कुआनों नदी पर पुल निर्माण

15—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के रवीन्द्र सिंह मार्ग पर आमी नदी पर तथा रामजानकी मार्ग पर कुआनों नदी पर पुल निर्माण न कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का अप्रैल, 1981 में मंत्री जी को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी –

अप्रैल, 1981 के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें केवल आमी नदी पर पुल का प्रस्ताव किया गया है । कुआनों नदी पर पुल का प्रस्ताव नहीं किया गया है । उक्त पत्रों में दोनों पुलों को निर्मित न कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । धनाभाव के कारण पुलों की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

कानपुर देहात के कतिपय मार्गों का निर्माण

16—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत कानपुर–कालपी मार्ग रोड से बारा सिकन्द्रा राजमार्गों को मिलाने के लिए

देवीपुर के बलहरामऊ और छतेनी डोभा से मुगीशापुर जाने वाली सड़कों के कब तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है और दो अक्तूबर, 1982 तक उक्त सड़कें कितनी दूर तक कितनी बनकर तैयार हो चुकी थीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

देवीपुर से बलहरामऊ मार्ग की कुल लम्बाई 13·5 कि0 मी0 है इसमें से :--

(क) देवीपुर-केलई मार्ग जिसकी लम्बाई 3·5 कि0 मी0 है, के लिए खाद्यान्न योजना 3 में डामर बिछाने तक, एवं

(ख) केलई बरौर मार्ग, जिसकी लम्बाई 3 कि0 मी0 है, के लिए खाद्यान्न योजना नं0 4 में खड़न्जा स्तर तक स्वीकृत है ।

(ग) शेष 7 कि0 मी0 मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

उक्त सड़कों में से देवीपुर-केलई-बरौर मार्ग पर अक्तूबर, 1682 तक 2·5 कि0 मी0 लम्बाई में प्रथम सतह का लेपन कार्य हो चुका था । शेष कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । केलई-बरौर मार्ग अक्तूबर, 1982 के पूर्व ही पूरा हो चुका था ।

छतेनी डोभा से मुगिसापुर मार्ग सा0 नि0 विभाग का नहीं है।

उ0 प्र0 नवजवान सभा जिला कमेटी, फैजाबाद द्वारा फैजाबाद पुलिस प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच

17--श्री मित्रसेन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 27 व 28 जुलाई, 1982 को उत्तर प्रदेश नव जवान सभा जिला कमेटी, फैजाबाद ने उप पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र फैजाबाद के कार्यालय के समक्ष कोई धरना दिया था और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद को दिया था ? यदि हां, तो उक्त आरोप-पत्र क्या था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । पत्र में मुख्यतः जनपद फैजाबाद की कानून एवं व्यवस्था गिरने, थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा कुछ तारों का तार गायब करने, अयोध्या में अपराधों के बढ़ने का वातावरण होने पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को संरक्षण तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को नाजायज फंसाने की धमकी देने आदि के आरोप लगाये गये थे । मामले की जांच करायी गयी जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं ।

झांसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षार्थियों के चयन में अनियमितताएं

18--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वर्ष 1982-83 सत्र के लिए किए गये प्रशिक्षार्थियों के चयन में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई जांच शासन द्वारा कराई गयी है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी हां। जांच से योग्यता सूची बनाने में गड़बड़ी, वांछित संख्या से अधिक अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने तथा साक्षात्कार में मनमाने ढंग से अभ्यर्थियों को अंक दिए जाने की अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं। मामले की छान-बीन की जा रही है।

विद्युत् वितरण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय भवन का बढ़ाया गया किराया

19--श्रीमती गौरी देवी--

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, गोरखपुर का कार्यालय जो मोहद्दीपुर, गोरखपुर में स्थित है, उसका किराया अब तक 3 बार में क्रमशः 300 रु0, 800 रु0 और 1400 रु0 बढ़ाया गया है और इस समय 1,400 रु0 प्रतिमाह किराया अदा किया जाता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। विद्युत् वितरण मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय भवन का किराया, भवन के स्वामी द्वारा समय-समय पर अनुरोध करने पर, उसके औचित्य पर विचारोपरान्त बढ़ाया गया है। प्रश्नगत भवन का कारपेट एरिया 1860 वर्गफुट है। शासनादेश संख्या ए-2/1702-1/दस-14(30)/73, दिनांक 25-8-1973 द्वारा निजी भवनों के किराये की गणना रु0 1 प्रतिवर्ग फुट कारपेट एरिया के हिसाब की जाती है। इस समय उक्त भवन का किराया रु0 1395 प्रतिमाह दिया जा रहा है।

बस्ती जिले की पुलिस के कार्यकलापों की जांच कराने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

20--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की पुलिस के कार्य कलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का 23 जुलाई, 1982 का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। जांच करायी गयी। पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

21--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[दिनांक 8-2-1983 को तारांकित प्रश्न संख्या 102 द्वारा उत्तरित]

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ कार्यालय के अवर अभियन्ताओं को दक्षता रोक

22--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, 15 वृत्त, सा0 नि0 वि0, आजमगढ़ के कार्यालय में कितने अभियन्ताओं का मामला दक्षतारोक पार करने के लिए विचाराधीन है ? अब तक कितने अवर अभियन्ताओं की दक्षता रोक का निर्णय कर दिया गया और कितने का शेष है ? विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्न में माननीय सदस्य ने किस तिथि तक की सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जाय, इसका उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रश्न की तिथि 19-10-1982 को सूचना देने का आधार मानते हुये उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 19-10-1982 तक 19 अवर अभियन्ताओं के दक्षता रोक पार कराने के मामले अधीक्षण अभियन्ता, 15 वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के कार्यालय में विचाराधीन थे। इन में अब तक 11 अवर अभियन्ताओं के दक्षता रोक के मामलों पर निर्णय कर दिया गया है। 8 अवर अभियन्ताओं के दक्षता रोक पार करने के मामले शेष हैं। विलम्ब का कारण सम्बन्धित अवर अभियन्ताओं की अपेक्षित वार्षिक गोपनीय आख्याओं का उपलब्ध न होना है।

एम० एम० जी० अस्पताल, गाजियाबाद में दवाओं की चोरी की रिपोर्ट

23—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 फरवरी, 1981 को अधीक्षक, एम० एम० जी० अस्पताल, गाजियाबाद द्वारा दवाओं की चोरी सम्बन्धी कोई रिपोर्ट कोतवाली थाना गाजियाबाद में दर्ज कराई है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

प्रश्नगत दवाओं की चोरी की एक प्रथम सूचना दिनांक 4 फरवरी, 1981 को नहीं अपितु दिनांक 30 जनवरी, 1981 को दर्ज हुई थी। वह प्रथम सूचना अस्पताल के ही एक फार्मासिस्ट द्वारा अस्पताल के अधीक्षक को दी गयी रिपोर्ट थी।

विवेचना से माल मुलिजम का कोई पता न लग पाने के कारण मामला अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दिया गया।

बस्ती जनपद के ग्राम मोलनापुर निवासी श्री मथुरा सिंह का आयुध लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र

24—श्री राम आसरे पासवान—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 22 जनवरी, 1982 को प्रश्न-कर्त्ता द्वारा संस्तुत श्री मथुरा सिंह, ग्राम मोलनापुर, थाना महुली, जिला बस्ती का आयुध लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र व निर्धारित प्रपत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो लाइसेन्स न दिए जाने का क्या कारण है तथा कब तक दे दिया जायगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री मथुरा सिंह का प्रार्थना-पत्र राइफल के लाइसेन्स हेतु शासन को प्राप्त हुआ था जिसे नियमानुसार निष्पादन हेतु जिला मैजिस्ट्रेट, बस्ती को भेजा गया। प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट ने आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विचारोपरान्त उक्त प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया है।

उन्नाव जनपद के थाना हसनगंज के पुलिस जनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच

25—श्री छतर सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 जुलाई, 1981 को ग्राम शंकरपुर, थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्राम प्रधान श्री विशेश्वर सिंह ने थाना हसनगंज के पुलिस जनों के विरुद्ध घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र माननीय राज्य गृह मन्त्री, सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश को भेजे थे । क्या उपरोक्त घूसखोरी की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एन्टी करप्शन) सेल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 1981 को कराई जा चुकी है ? यदि हां, तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच की जा चुकी है । जांच के फलस्वरूप दोषी पाये गये सम्बन्धित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप उनका वर्ष 1981 का सत्य-निष्ठा प्रमाण-पत्र रोका गया ।

26—श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री राम करन—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

27—श्री किरन पाल सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम खालिसपुर, विकास खंड आजमगढ़ में विद्युतीकरण से सम्बन्धित पत्र

28—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खालिसपुर, विकास खंड, आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ के विद्युतीकरण से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5 मार्च, 1982 अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत्) आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

माननीय सदस्य ने दिनांक 5 मार्च, 1982 के द्वारा कनेक्शन दिये जाने के लिये निवेदन किया था । उक्त स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन दिनांक 16 मार्च, 1982 को दे दिया गया है ।

ग्राम इसरहा, जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण किए जाने सम्बन्धित पत्र

29—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजबल यादव, ग्राम इसरहा, विकास खंड आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ का ग्रामीण विद्युतीकरण किए जाने से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 20 मार्च, 1982 के साथ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, द्वितीय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

ग्राम इसरहा का विद्युतीकरण सामान्य योजना के अन्तर्गत किया जाना है, जिसके लिये पहली शर्त यह है कि उक्त ग्राम में विद्युत् कनेक्शन हेतु रु0 25 अर्नेस्ट मनी की धनराशि के साथ इतने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायें कि ग्राम के विद्युतीकरण पर आने वाली कुल लागत पर 15 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो जाये । अभी तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर केवल 9.6 प्रतिशत वार्षिक प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा है, अतः उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जाना अभी संभव नहीं है ।

अमुआरी नरायनपुर टेकनगाढ़ा तथा टेकन अहिरौली को विद्युत् उपकेन्द्र मुबारकपुर से जोड़े जाने सम्बन्धी पत्र

30—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अमुआरी नरायनपुर टेकनगाढ़ा तथा टेकन अहिरौली को विद्युत् उपकेन्द्र, मुबारकपुर (आजमगढ़) से जोड़े जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1980 अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत् आजमगढ़) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

माननीय सदस्य का प्रस्ताव व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था ।

ग्राम मानिकपुर के विद्युतीकरण हेतु पत्र

31—श्री पंचानन राय—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य प्रकाश गुप्त, प्रधान, ग्राम सभा मानिकपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का विद्युतीकरण से सम्बन्धित पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1980 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1980 के साथ अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत्) आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां ।

ग्राम मानिकपुर के विद्युतीकरण के लिए प्राकलन स्वीकृत करके संभावित उपभोक्ताओं को सामूहिक अनुबन्ध के लिए नियम व शर्तें दिनांक 23 फरवरी, 1982 को जारी कर दी गई थी परन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूरी न किये जाने की स्थिति में अभी तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण सम्पन्न नहीं किया जा सका है ।

श्री मेवाराम, सहायक अभियन्ता, निर्माण खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित-पत्र

32--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1982 जो श्री मेवाराम, सहायक अभियन्ता, निर्माण खन्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

उसमें लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील की कच्ची सड़क को पक्का कराने का प्रस्ताव

33--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में बाजार बाखालिस से चुनौटवा इनार तक की कच्ची सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पक्की कराने से सम्बन्धित स्थानीय नागरिकों का प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 2 मार्च, 1982 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

मांग का प्रस्ताव जिला सेक्टर योजना में विचार करने हेतु सम्बधित अधिकारियों को भेज दिया गया है ।

जनपद कानपुर देहात में नून नदी पर पुल की स्वीकृति

34--श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में चौबेपुर बद्री माता मार्ग पर नून नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो कथित पुल का निर्माण कब प्रारम्भ होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

नूल नदी पर पुल की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति के पश्चात ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

विकास खण्ड राजेपुर की राजेपुर-कढ़हर मार्ग का निर्माण

35--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड राजेपुर की राजेपुर-कढ़हर मार्ग का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सड़क पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

स्वीकृत 16.2 किलोमीटर लम्बाई के अतिरिक्त शेष 10 किलोमीटर लम्बाई क निर्माण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सेक्टर योजना से सम्बन्धित है । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्त मार्ग अभी अनुमोदित नहीं है ।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में लम्बित मुकदमें

36--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 जून, 1982 को कितने मुकदमें फौजदारी के तथा कितने मुकदमें दीवानी के निर्णय के लिए लम्बित पड़े थे तथा सबसे पुराना मुकदमा किस सन् का है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिनांक 30 जून, 1982 को विभिन्न प्रकार के कुल 1,85,962 मुकदमें लम्बित थे, जिसमे से 1,16,300 दीवानी तथा 69,662 फौजदारी मुकदमें थे ।

उपर्युक्त में से सबसे पुरानी दो अपीलें वर्ष 1960 की हैं ।

आई० ए० एस० कैडर में प्रोन्नति कोटा

37--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि शासन से इस निर्णय के बावजूद कि आई० ए० एस० कैडर की पदोन्नति में 35 प्रतिशत स्थान पी० सी० एस० अधिकारियो को दिए जायेंगे ? इस निर्णय का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो निर्णय का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र---

प्रदेश आई0 ए0 एस0 संवर्ग में प्रोन्नत कोटा 33 1/3 प्रतिशत है तथा उक्त कोटा के पदों की संख्या इस समय 118 है। इनमें से 113 पदों पर प्रोन्नत अधिकारी तैनात हैं और 28-2-83 को रिक्त हुए एक पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। इनके अतिरिक्त एक पद एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी के लिये आरक्षित है और शेष तीन पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रोन्नति कोटा का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[6ठे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विकास खंड राजेपुर में फर्रुखाबाद से विद्युत् आपूर्ति करने का प्रस्ताव

39--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में विद्युत् आपूर्ति प्लान, जनपद बदायूं से करने के बजाय फर्रुखाबाद से आपूर्ति करने का प्रस्ताव विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन कब तक होगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक श्री आर0 एल0 शर्मा के अवशेष वेतन का भुगतान

40--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश प्राप्त सहायक निदेशक श्री आर0 एल0 शर्मा को उनका वेतन, जो 9-2-67 से 31-3-69 की अवधि का है, आज तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री संजय सिंह--

श्री आर0 एल शर्मा का अवशेष वेतन फरवरी, 1967 से दिसम्बर, 1970 तक की अवधि का भुगतान करना अवशेष है जो कोषाधिकारी मथुरा से तान पेमैन्ट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा जिसके लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

मेरठ शहर व सदर कैन्ट मेरठ में लाइसेन्सधारियों की संख्या

41--श्री मंजूर अहमद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 7-9-82 से लेकर 6-10-82 तक शहर मेरठ व सदर कैन्ट मेरठ के कितने हथियार बन्दूक व रिवाल्वर लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स जमा कराये गये और कितनों के नहीं ? जिनके नहीं जमा कराये गये, उसके क्या कारण थे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ शहर व सदर कैन्ट मेरठ में कुल 1339 लाइसेन्सधारी हैं । दिनांक 7-9-82 से 6-10-82 तक की अवधि में कुल 641 लाइसेन्सधारियों के शस्त्र बन्दूक रिवाल्वर आदि सम्बन्धित थानों पर जमा कराए गए थे । 698 लाइसेन्सी के शस्त्र जमा नहीं कराए गए क्योंकि इनमें से बहुत से लाइसेन्सी मिलट्री अधिकारी/कर्मचारीगण, पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, बैंक गार्ड आदि थे एवं कुछ वे थे जो नगर व कैन्ट के दंगे से प्रभावित तथा कर्फ्यू क्षेत्र के निवासी नहीं थे । इनमें से कुछ ऐसे भी लाइसेन्सदार थे जो मेरठ से लाइसेन्स प्राप्त करके अब बाहर निवास करते हैं तथा कुछ लाइसेन्सी उक्त अवधि में मेरठ नगर एवं मेरठ कैन्ट से बाहर थे ।

मेरठ नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति तथा उनकी जमानतें

42--श्री मंजूर अहमद--

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-9-82 से 14-10-82 तक मेरठ नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को न्यायाधीश मेरठ और उनके अधीनस्थ ए0 सी0 जे0 एम0, मेरठ की अदालत में किन-किन व्यक्तियों की जमानतें की गयी और किन-किन की जमानतें निरस्त की गयी हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री नौशाद हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन, 639 पुर्वा इलाही बक्स, निकट मुमिया का पुल (मेरठ) की जमानत निरस्त कर दी ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

राजस्व एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

दिनांक 7-9-82 से 14-10-82 के दौरान न्यायाधीश मेरठ की अदालत से 432 तथा उनके अधीनस्थ ए0 सी0 जे0 एम0, मेरठ की अदालत से 216 व्यक्तियों की जमानतें स्वीकृत हुई ।

न्यायाधीश, मेरठ की अदालत से 45 व्यक्तियों की तथा ए0 सी0 जे0 एम0 की अदालत से एक व्यक्ति की जमानत निरस्त हुई । सूची †संलग्न है ।

2--न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप के देखने से अभियुक्त की आयु 13 वर्ष से अधिक पाई गई । इसके अतिरिक्त घटनास्थल पर मौजूद राजकीय कर्मचारियों तथा दूसरे ग्रुप पर प्रार्थी अभियुक्त तथा अन्य अभियुक्तगण ने घातक हथियारों से हमला किया जिससे पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई । इस कारण श्री नौशाद हुसैन पुत्र अफजाल हुसैन की जमानत निरस्त कर दी गई ।

मेरठ नगर व मेरठ कैन्ट में दंगे में मृतकों के शवों का पोस्ट मार्टम

43--श्री मंजूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-9-82 से लेकर 16-10-82 तक मेरठ नगर व मेरठ कैन्ट के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगे के कारण कितने मृतकों के शवों का पोस्ट मार्टम किया गया ? मृतक कौन-कौन हैं और कहां के निवासी थे ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में साम्प्रदायिक दंगे के कारण 31 मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया।

मृतकों के सम्बन्ध में प्रश्नगत सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1559 पर)

राजस्थान से प्रदेश में आने वाले पशुओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

44--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के हस्ताक्षर से एक शिकायती-पत्र राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आने वाले लाखों की संख्या में पशुओं के सम्बन्ध में जिसे दिनांक 13-5-82 को मंडलीय मंत्री, आगरा मंडल, आगरा को दिया था, उनकी संस्तुति के साथ मिला है ? यदि हां, तो उस संबंध में जब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। पशुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक राजस्थान से आने वाले पशुओं के कारण प्रदेश में पशुओं में बीमारियां फैलने का सम्बन्ध है, जनपद आगरा तथा मथुरा में पशुओं में रिन्डरपेस्ट रोग की रोकथाम के लिये चेक पोस्ट और प्रतिरक्षा मंडल कार्यरत हैं जिस पर बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले पशुओं के टीके लगाये जाते हैं। यह टीके प्रदेश की सीमा के 30 किलोमीटर अंदर तक के पशुओं को लगाये जाते हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवासों के आवंटन का आधार

45--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को जानकारी है कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कम से कम सेवा अवधि के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अब राज्य सम्पत्ति विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या आर0-10159/32-82-119 एच/82, दिनांक 1-10-82 द्वारा 10 वर्ष से कम सेवा अवधि के कर्मचारियों को आवास आवंटन हेतु आवेदन-पत्र देने से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

जी हां।

सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के नियम-4 के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रतीक्षा सूची लखनऊ में तैनाती के दिनांक के अनुसार बनायी जाती है और नियमानुसार इस सूची के अनुसार आवंटन किये जाते हैं। वर्तमान में आवासों के अत्यधिक कमी

के कारण लखनऊ में नियुक्ति/तैनाती की तिथि से निवास करने की न्यूनतम दस वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, केवल ऐसे कर्मचारियों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है ।

46—श्री सन्त बक्स रावत—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री उक्त कार्यालय ज्ञाप को दृष्टिगत रखते हुए 10 वर्ष से कम सेवा अवधि के कर्मचारियों को किये गये सरकारी आवास का आवंटन निरस्त करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत कार्यालय-ज्ञाप के फलस्वरूप पूर्व में किये गये आवंटनों को निरस्त करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

47—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित किये गये आदेश

48—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरणों को, जो लखनऊ में कार्यरत हैं, स्थानान्तरण, निलम्बन व कार्यमुक्ति आदेशों पर स्थगन आदेश पारित करने के अधिकार शासन द्वारा दिये गये हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4 के अनुसार स्थानान्तरण के प्रकरण उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं । निलम्बन तथा पदच्युत के प्रकरणों में, सेवायोजक द्वारा दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन, सुनवाई के दौरान रोका नहीं जा सकता । सुनवाई के बाद गुण दोष पर अधिकरण द्वारा आदेश पारित किये जाते हैं ।

पी० सी० एस० अधिकारियों की आई० ए० एस० के संवर्गीय पदों पर नियुक्ति

49—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में पी० सी० एस० कैडर से कुल कितने अधिकारियों की पदोन्नति आई० ए० एस० कैडर में की गयी थी व किन कारणों से उन अधिकारियों को आई० ए० एस० कैडर की समस्त सुविधायें देने के बावजूद, उनकी नियुक्तियां आई० ए० एस० कैडर में नहीं की गयी हैं और कब तक कर दी जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

"दि इन्डियन एडमिनस्ट्रेटिव सर्विस (अप्वाइन्टमेन्ट बाई प्रमोशन) रेग्यूलेशन्स 1955, के रेग्यूलेशन संख्या 3 के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा तैयार की गई तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 1981 में प्रचलित प्रवरण

सूची के आधार पर उक्त वर्ष में 27 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 के संवर्गीय पदों पर आवश्यकतानुसार जनहित में स्थानापन्न तैनातियां की गयी थीं। आई0 ए0 एस0 प्रमोशन कोटा में रिक्तियों उपलब्ध होने पर प्रचलित प्रवरण सूची मे दिये गये क्रम में पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 में परिवीक्षा पर नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा नियमान्तर्गत की जाती हैं। वर्ष 1981 में स्थानापन्न रूप से आई0 ए0 एस0 संवर्गीय पदों पर तैनात पी0 सी0 एस0 अधिकारियों में से अब तक 13 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जा चुका है तथा एक पद एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी के लिए आरक्षित है।

स्वर्गीय श्री जमन सिंह के आश्रितों को भुगतान

50—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमन सिंह पुत्र मोहन सिंह, ग्राम बधाण चिजिमानोज, बेलदार, अस्थायी खण्ड सा0 नि0 विभाग, रानीखेत का निधन दिनांक 22 4-82 को रानी खेत जालली मोटर मार्ग में काम करने में विभाग की गाड़ी से एक्सीडेन्ट से हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अभी तक उनके आश्रितों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिज़वी—

जी हां। श्री जमन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, बेलदार, ग्राम बधाण चिजिमानौज का निधन दिनांक 22-4-80 को सार्वजनिक निर्माण विभाग की गाड़ी से दबकर रानी खेत जालली मोटर मार्ग पर कार्य करते हुए हुआ था।

स्वर्गीय जमन सिंह के आश्रितों को क्षतिपूर्ति प्रतिकर भुगतान हेतु रु0 16,800 की आर्थिक रिक्त रूप से निर्धारित धनराशि जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को चैक द्वारा भेजी जा चुकी है।

गोरखपुर नगर के सिविल लाइन्स में आवास गृह के निर्माण पर रोक

51—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर के सिविल लाइन्स में वर्ष 1965 में राजकीय कर्मचारियों के आवास गृह निर्माण की कोई योजना बनायी गई थी जिसके लिए भूमि अधिग्रहण करके निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्मित होने वाले उक्त आवास गृह का निर्माण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

जी हां।

न्यायालय के आदेशानुसार कार्य स्थगित है।

जनपद गोरखपुर में मोहद्दीपुर स्थित विद्युत् विभाग के नये निरीक्षण गृह में आवास करने की अवधि के किराये का भुगतान

52—श्रीमती गौरी देवी—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में मोहम्मदीपुर स्थित विद्युत् विभाग के नए निरीक्षण गृह को एक अवर अभियन्ता श्री जे0 पी0 एन0 पान्डय ने आवास गृह के रूप में 1981 व 1982 में 14 माह तक प्रयुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या उन्होंने इस निरीक्षण गृह में आवास करने की अवधि का किराया भुगतान कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनपद गोरखपुर में मोहद्दीपुर स्थित विद्युत् विभाग के नये निरीक्षण गृह में श्री जे0 पी0 एन0 पान्डेय नाम के अवर अभियन्ता नहीं, वरन् इसी नाम के सहायक अभियन्ता जुलाई, 1981 से अप्रैल, 1982 तक रहे थे । उन्होंने आवास करने की उक्त अवधि का किराया भुगतान कर दिया है ।

गुलिस्तां कालोनी के आवास संख्या 19 का आवंटन

53—श्री मोहन सिंह—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि गुलिस्तां कालोनी का आवास नम्बर 19 किस अधिकारी को आवंटित है ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि उक्त अधिकारी प्रतिदिन कानपुर से आता-जाता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त आवंटन को निरस्त करने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

गुलिस्तां कालोनी का आवास संख्या 19 डा0 एस0 एन0 तिवारी को आवंटित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शीतला प्रसाद शुक्ल, थाना लोनी कटरा, जिला बाराबंकी की हत्या

54—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शीतला प्रसाद शुक्ल, ग्राम टिकरा, थाना लोनी कटरा, जिला बाराबंकी की हत्या सितम्बर, 1980 में कर दी गई थी ? क्या यह सत्य है कि हत्या के कुछ दिन पूर्व उसके भाई के बन्दूक का लाइसेन्स जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी तथा उक्त हत्या के अभियुक्तों के पास आज भी बन्दूकों के लाइसेन्स बने हुए हैं ? यदि हां, तो उनके निलम्बन की कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार यह प्रमाणित नहीं हुआ कि मृतक के भाई की हत्या से पूर्व श्री भवानी प्रसाद शुक्ल की बन्दूक के लाइसेन्स जब्ती के लिए कोई

कार्यवाही की गयी । यह सही है कि उक्त हत्या के अभियुक्तों के पास अब भी बन्दूकों के लाइसेन्स हैं । मृतक श्री शीतला प्रसाद तथा उसके परिवार के लोगों से उसके विपक्षी श्री श्याम बहादुर सिंह अन्य से आपसी रंजिश है । मृतक श्री शुक्ला तथा उसके भाई भवानी प्रसाद व जय सिंह को अतिरिक्त सेशन न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी । वर्णित परिस्थितियों में किसी भी पक्ष के लाइसेन्स जब्त न करना उचित पाया गया है ।

थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में श्री रमेश चन्द्र दुबे की हत्या का पंजीकृत अभियोग तथा जांच

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-4-79 को थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में रिपोर्ट की गयी कि श्री रमेश चन्द्र दुबे जबलपुर को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मार दिया गया ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में दिनांक 15-4-79 को सूचना दी गई । इस सम्बन्ध में धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध की विवेचना से अभियुक्तों का कुछ पता नहीं चल पाया । अतएव विवेचना अन्तिम आख्या द्वारा समाप्त की जा चुकी है । यह आख्या न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है ?

प्रदेश में विद्युत् ट्रांसफारमर्स की चोरी रोकने के लिए उठाये गये कदम

56—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितने विद्युत् ट्रांसफारमर्स की चोरी हुई और उनका कुल मूल्य कितना था तथा सरकार इसको रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक 1244 विद्युत् ट्रान्सफारमरों की चोरी हुई जिनका मूल्य लगभग 71 लाख रुपये था ।

ट्रान्सफारमरों की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में जो कदम उठाये गए हैं, उनका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 1561 पर ।)

जनपद गोरखपुर के थाना कोठीभार में दर्ज मुकदमें की जांच

57—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना कोठीभार में दिनांक 1 अगस्त, 1982 को लगभग 13 हरिजनों को धारा 147/452/323/380

भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत एक सवर्ण ने फर्जी मुकदमें में जेल भिजवा दिया ? जिसकी पूरी सूचना प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 30 सितम्बर, 1982 को मुख्य मन्त्री को दी ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

थाना कोठीभार क्षेत्र ग्राम पिपरा नारायन में श्री सितई हरिजन व पड़ोस के अन्य हरिजनों के मध्य पानी बहने के विवाद को लेकर मारपीट हुई । दिनांक 1 अगस्त, 1982 को थाना कोठीभार पर वादी श्री गंगोत्री प्रसाद पुत्र शिवमूरत की लिखित तहरीर पर मु0 अ0 सं0 95, धारा 147/452/323/380 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त आरोप न्यायालय में प्रेषित हुआ जो विचाराधीन है । प्रश्नकर्त्ता के शिकायती पत्र 30 सितम्बर, 1982 पर क्षेत्राधिकारी, महराजगंज द्वारा जांच कराई गई और पुलिस के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गए ।

ग्राम निनावली, थाना रामपुरा जनपद जालौन में सूचीबद्ध डकैत, हत्यायें व सुरक्षा हेतु व्यवस्था

58--श्री दलगंजन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम निनावली, थाना रामपुरा, जनपद जालौन के निवासी सुधर सिंह व मिहीलाल सूची बद्ध डकैत हैं ? यदि हां, तो इनके द्वारा कितने व्यक्तियों की अब तक हत्यायें की गई ? उक्त ग्राम की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार सुधर सिंह तथा मिही लाल, निवासी ग्राम निनावली, थाना रामपुरा, जनपद जालौन के सूची बद्ध डकैत हैं । इनके गिरोह द्वारा जालौन जनपद में अब तक 12 व्यक्तियों की हत्या की गई है । ग्राम की सुरक्षा के लिए गार्ड व पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी समय समय पर लगाई जाती रही है तथा ग्रामवासियों को उदारता पूर्वक शस्त्रों के लाइसेंस दिये गये हैं । इस समय भी पी0 ए0 सी0 की टुकड़ी नियुक्त है ।

श्री राजमंगल यादव ग्राम कुकराहा, जनपद गोरखपुर की डकैतों से मुठभेड़ में मृत्यु तथा आश्रितों को पेंशन का भुगतान

59--श्री मारकन्डेय चन्द--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के ग्राम कुकुरहा थाना गोला के छांगुर यादव के घर दिनांक 7/8 अप्रैल, 1981 को डकैती पड़ी जिसमें इसी गाँव का 35 वर्षीय राजमंगल यादव डकैतों का मुकाबला करते हुए मारा गया और इस वर्ष ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने 26 जनवरी, 1982 को राजमंगल के परिवार को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया ? यदि हां, तो क्या सरकार राजमंगल की विधवा पत्नी को पेंशन देने तथा उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सत्य है कि दिनांक 7/8 अप्रैल, 1981 की रात बदमाशों द्वारा राजमंगल यादव, ग्राम कुकराहा, थाना गोला, जनपद गोरखपुर को जान से मारा गया और दिनांक 26 जनवरी, 1982 को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर द्वारा मृतक राजमंगल के भाई श्री राजेन्द्र यादव को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। चूंकि मृतक राजमंगल यादव अविवाहित था, अतः उसकी विधवा पत्नी को पेंशन देने तथा उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जिलाधिकारी द्वारा शाहजहांपुर जनपद में स्वीकृत किये गये शस्त्र लाइसेंन्स

60--श्री जगदीश सिंह तथा श्री नाजिर अली--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामबाबू, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने नियुक्ति तिथि से कितने शस्त्र लाइसेन्स अल्प बचत (एन0 एस0 सी0) के आधार पर स्वीकृत किये। इसके अतिरिक्त बिना अल्प बचत (एन0 एस0 सी0) कितने लाइसेन्स स्वीकृत किये ? इनके आधार क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत जिलाधिकारी द्वारा शाहजहांपुर जनपद में नियुक्ति तिथि दिनांक 1 नवम्बर, 1981 से कुल 198 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये हैं। ये सभी प्रसंग आयुध अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। राष्ट्रीय बचत योजना में जनता से योगदान एवं सहयोग प्राप्त करना जिलाधिकारियों के अनेक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है लेकिन इसके लिए कोई शर्त या अनिवार्यता नहीं लगाई गई है। शस्त्र लाइसेन्स के प्रार्थियों से भी उक्त योजना के अन्तर्गत योगदान की अपेक्षा की गई है। कुछ ने अपनी सुविधा एवं स्वेच्छानुसार योजना में योगदान दिया है किन्तु इसका अलग से कोई लेखा नहीं रक्खा गया है।

जनपद जौनपुर के विकास खंड बदलापुर में घनश्यामपुर बदलापुर तथा मेड़ा में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण का प्रस्ताव

61--श्री जंग बहादुर--

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खंड में घनश्यामपुर बदलापुर तथा मेढ़ा में पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा धन की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो भवन शीघ्र निर्माण न कराए जाने के क्या कारण है ? क्या शासन शीघ्र भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह--

जनपद जौनपुर के विकास खंड बदलापुर तथा घनश्यामपुर में एक-एक पशु चिकित्सालय तथा मेढ़ा में एक पशु सेवा केन्द्र के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जो धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कथित कार्यवाही

62--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य वन संरक्षक श्री वी० एन० चतुर्वेदी ने 33 वन विभाग अधिकारियों के विरुद्ध अप्रैल, 1982 में अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेज दिया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट मे क्या तथ्य प्रकाश में आए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं । शासन को अप्रैल, 1982 में तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक श्री बी० एन० चतुर्वेदी से 33 वनाधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अभियोजन अधिकारियों के नियमितीकरण हेतु कृत कार्यवाही

63--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1977 के पूर्व नियुक्त 200 अभियोजन अधिकारियों को बिना किसी परीक्षा के स्थायी घोषित किया गया है और वर्ष 1978 में उसी चयन समिति द्वारा नियुक्त किए गए 75 सहायक अभियोजन अधिकारियों के स्थायी न किए जाने का कारण क्या है ? उन्हें कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 1-1-77 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियमितीकरण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली, 1979 के अन्तर्गत की जा रही है । उक्त तिथि के बाद के तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी उक्त नियमावली के अन्तर्गत आवृत्त न होने के कारण विनियमितीकरण के लिए अर्ह नहीं है ।

तकनीकी सेवा महासंघ द्वारा दिया गया कथित ज्ञापन

64--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 2 दिसम्बर, 1981 को तकनीकी सेवा महासंघ उत्तर प्रदेश ने मुख्य मंत्री जी को अपनी मांगों व समस्याओं के सम्बन्ध में एक ज्ञापन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगों व समस्याओं के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए ?

श्री अम्मार रिजवी--

शासन को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

थानाध्यक्ष कोपागंज, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

65--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 3-10-82 जिसमें बांके सिंह, प्रबन्धक उ0 मा0 विद्यालय, धवरिया सात, जिला आजमगढ़ ने थाना इंचार्ज एस0 पी0 पाठक, कोपागंज के द्वारा असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने की शिकायत की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, श्री बांके सिंह, प्रबन्धक, उ0 माध्यमिक विद्यालय धवरिया सात थाना कोपागंज, जिला आजमगढ़ द्वारा थानाध्यक्ष कोपागंज के विरुद्ध दिए गए शिकायती-पत्र दिनांक 3-10-82 में उल्लिखित शिकायतों की जांच की गयी। थानाध्यक्ष कोपागंज, श्री एस0 पी0 पाठक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

जिला परिषद्, देवरिया के मार्ग का निर्माण कराने सम्बन्धी पत्र

66--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें डा0 योगेन्द्र पति त्रिपाठी संयोजक ब्लाक कांग्रेस (आई) लार, जिला देवरिया द्वारा जिला परिषद् मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गयी है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

साकेत डेरी, फैजाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

67--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-10-82 जिसमें साकेत डेरी, फैजाबाद में व्याप्त अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह--

जी नहीं।

साकेत डेरी फैजाबाद में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का एक अन्य पत्र दिनांक 8-9-82 प्राप्त हुआ है जिस पर आवश्यक जांच करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

उपरोक्त शिकायत दिनांक 8-9-82 पर जांच कराई जा रही है।

प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा विदेश यात्रा व्यय व उद्देश्य

68—श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक उत्तर प्रदेश सरकार के कौन-कौन मंत्री, विदेश यात्रा पर किन-किन देशों में, कितनी बार गए तथा उनके जाने पर क्या व्यय हुआ तथा उनकी यात्रा का उद्देश्य क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस फोर्स में बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव

69—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल में प्रदेश अपराधों में वृद्धि को देखते हुए पुलिस फोर्स में बढ़ोत्तरी करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

निम्न प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है :—

1—प्रदेश के 14 दस्यु बाहुल्य जनपदों में 41 नवीन थाने तथा 160 चौकियों की स्थापना हेतु 493 सब-इंसपेक्टर, 402 हेड कान्सटेबिल तथा 6233 कांसटेबिल नागरिक पुलिस एवं 204 हेड कान्सटेबिल तथा 816 कांसटेबिल (सशस्त्र पुलिस) के पदों का सृजन ।

2—अष्टम वित्त आयोग के माध्यम से 875 नवीन थानों की स्थापना के लिए 1208 सब-इंसपेक्टर, 3875 हेड कान्सटेबिल तथा 23145 कान्सटेबिल नागरिक पुलिस के पदों का सृजन ।

जिलाधीश, उन्नाव को टैम्पो चालकों द्वारा दिये गये पत्र पर जांच

70—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश, उन्नाव को कोई प्रार्थना-पत्र टैम्पो चालकों ने दिया है कि थाना गंगा घाट, जिला उन्नाव में 14 जून, 1982 से पूर्व थानाध्यक्ष तथा थाने के कर्मचारियों ने मिलकर पचासों टैम्पों को तोड़ डाला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-82 जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ । प्रश्नगत मामले में राज्य की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

एस0 ओ0, फूलपुर, रामायण सिंह के विरुद्ध शिकायत की जांच

71—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-4-82 को रामशिरोमणी, गांव घमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी की दरख्वास्त को एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी व डी0 आई0 जी0 वाराणसी को अपने पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता ने दिया था और एक पत्र एस0 एस0 पी0 वाराणसी को भी एस0 ओ0, फूलपुर, रामायण सिंह के खिलाफ दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पत्रों तथा दोनों दरख्वास्तों को उसी थानाध्यक्ष के पास जांच के लिये भेजा गया, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत प्रश्नकर्त्ता ने की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

यह सत्य नहीं है कि पत्रों तथा दरख्वास्तों को उसी थानाध्यक्ष के पास जांच के लिए भेजा गया, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी ।

फूलपुर-सिंघोरा मार्ग पर निर्माण कार्य

72—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलपुर-सिंघोरा मार्ग अर्सा 4 वर्ष से बन रहा है और अभी गिट्टी की कुटाई का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? इसका क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि इस मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग नव निर्माण में सन् 82 में भी दिखा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण प्रगति पर है । प्रश्नगत मार्ग वर्ष 82 के नव निर्माण कार्यों में दिखाया जा रहा है ।

जनपद वाराणसी में मार्गों के नव निर्माण कार्य

73—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1981-82 में वाराणसी में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कौन-कौन सी नई सड़कों का कार्य किया है और मरम्मत व दूसरे कार्यों पर कितना रुपया खर्च किया है ? क्या यह सही है कि कई लाख रु0 की गिट्टी तथा दूसरा सामान खरीदा गया है ? यदि हां, तो किन-किन मार्गों के लिए ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद वाराणसी में वर्ष 1981-82 में कुल 55 मार्गों के नव निर्माण का कार्य किया गया, जिनका विवरण संलग्न सूची† "क" के अनुसार है ।

इन कार्यों पर कुल रु0 261.37 लाख का व्यय हुआ ।

विभिन्न कार्यों मार्गों के लिए क्रय की गई गिट्टी तथा अन्य सामग्री का विवरण संलग्न सूची† "ख" के अनुसार है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

थाना जियनपुर, जिला आजमगढ़ की पुलिस हिरासत में श्री पतिराम यादव बन्दी की मृत्यु

74—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जियनपुर, जिला आजमगढ़ की पुलिस हिरासत में पतिराम यादव बन्दी की मृत्यु तारीख 4/5 मई, 1982 को हो गई है ? यदि हां, तो उक्त थाने के थानाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार अभियुक्त पतिराम यादव की मृत्यु दिनांक 4-5-82 को पुलिस हिरासत में थाने से अस्पताल ले जाते समय हुई। तत्कालीन थानाध्यक्ष, जियनपुर के विरुद्ध अभि0 संख्या 72/82 धारा 302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी मामले में मैजिस्ट्रीयल जांच भी की गई। उक्त जांच से मृतक पतिराम यादव की मृत्यु पेट में तिल्ली बढ़ जाने व उसके फट जाने से हुई। इस सम्बन्ध में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। सम्प्रति उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है। थानाध्यक्ष श्री मोहन लाल का स्थानान्तरण थाना जियनपुर से कर दिया गया है।

मछलियों से आधुनिक उत्प्रेरित प्रजनन विधि को लागू किया जाना

75—श्री ऊदल—

क्या मत्स्य पालन मंत्री को जानकारी है कि दो वर्ष की मछली नर व मादा से आधुनिक तरीके से अंडा तत्पश्चात् बच्चा पैदा कराया जा सकता है ? यदि हां, तो इस विधि को प्रदेश में कहां-कहां लागू किया गया ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

दो वर्ष अथवा उससे अधिक आयु में पालने योग्य मछलियों से मत्स्य प्रजनन की आधुनिक उत्प्रेरित प्रजनन विधि अपना कर निशेचित अंडे तत्पश्चात् बच्चे उत्पादित किये जा सकते हैं। इस विधि को प्रदेश के 31 जनपदों के 41 मत्स्य प्रक्षेत्रों में लागू किया गया, जिसकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1562 पर)

पशुपालन फार्म, सैदपुर, जिला ललितपुर में गायें व भैंसे तथा दूध का क्रय

76—श्री ऊदल—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन फार्म सैदपुर महरौली, जिला ललितपुर में कितनी गायें व भैंसे इस वक्त हैं और सन् 1979-80 व 1981-82 में कितने रुपये का दूध व दुग्ध उत्पादन का दूसरा सामान बेचा गया ?

श्री संजय सिंह--

पशुपालन फार्म, संदपुर, जिला ललितपुर इस समय 79 प्रौढ़ गाय व 47 प्रौढ़ भैंसें हैं। वर्ष 1979-80 में रु0 1,94,648 तथा वर्ष 1981-82 में रु0 2,74,538 का दूध व दुग्ध उत्पादन का दूसरा सामान बेचा गया।

संदपुर, पशुपालन फार्म में खेती पर व्यय, उत्पादन तथा सरकारी खजाने में जमा की गई धनराशि

77--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त संदपुर पशुपालन फार्म में खेती भी की जाती है ? यदि हां, तो सन् 1979-80, 1981-82 में कितना खर्च हुआ और कितने रुपये का उत्पादन हुआ ? रुपया सरकारी खजाने में जमा हो गया ?

श्री संजय सिंह--

जी हां। वर्ष 1979-80, 1981-82 में कुल रु0 28,33,244 का खर्च हुआ और रु0 31,86,774 का उत्पादन हुआ। नकद प्राप्तियां सरकारी खजाने में जमा हो गयीं।

पशुपालन फार्म संदपुर महरौली, ललितपुर में अधिकारी/कर्मचारी का कार्यकाल तथा स्थायीकरण व पशुपालन मंत्री को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

78--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन फार्म, संदपुर महरौली, ललितपुर में कितने अधिकारी/कर्मचारी पांच वर्ष से ज्यादा की अवधि का कार्य कर रहे हैं ? उनको स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री संजय सिंह--

पशुपालन फार्म, संदपुर, महरौली जिला ललितपुर पर 57 कर्मचारी पांच वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं।

इनमें से--

(1) तृतीय श्रेणी के 5 कर्मचारी स्थायी पद उपलब्ध न होने तथा कनिष्ठ होने तथा

(2) चतुर्थ श्रेणी के 5 कर्मचारी आचरण-व्यवहार सन्तोषजनक न होने के कारण स्थायी नहीं किये जा सके।

79--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि वहां के कर्मचारियों ने मई, 1982 के दूसरे सप्ताह में एक प्रार्थना-पत्र माननीय पशुपालन मंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजय सिंह--

जी हां । जांच में आरोप निराधार पाये गये ।

ग्राम खटौरा, विकास क्षेत्र बड़गाव, जनपद वाराणसी की हरिजन बस्ती मे विद्युतीकरण

80--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव खटोर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु खंभे गाड़ कर तार अर्सा एक वर्ष से गाड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो विद्युत् कनेक्शन न देने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ग्राम खटौरा (विकास क्षेत्र बड़गांव, जनपद वाराणसी) की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण हेतु खम्भे गाड़ कर विद्युत् कनेक्शन जून, 1981 में ही दे दिया गया था ।

ओबरा विद्युत् गृह की मशीनों में खराबी

81--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा विद्युत् गृह की कई मशीनें माह अप्रैल व 15 मई, 1982 तक खराब रही हैं और विद्युत् वितरण काफी प्रभावित रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां 1 मई, 1982 के प्रथम सप्ताह में ओबरा की कुछ मशीने अस्थाई खराबी के कारण बन्द रहीं । जिसके कारण दो दिन ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित विद्युत् आपूर्ति नहीं हो पायी ।

वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत् आपूर्ति

82--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग वाराणसी द्वारा वितरण व्यवस्था ठीक न होने के कारण बड़े पैमाने पर बीच बीच में ट्रिपिंग हो रही है और कटौती समाप्त करने के बाद भी 6 घंटे से कम ही विद्युत् की सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । माह अप्रैल, 1982 से लेकर अब तक हर माह वाराणसी जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों को सामान्यतः निर्धारित से अधिक विद्युत् आपूर्ति की गई है तथा 17-4-1982 से उद्योगों पर कटौती लागू नहीं है और शहरों को भी निर्धारित कटौती से छूट दे दी गयी है । यह सम्भव है कि कुछ फीडरों पर स्थानीय ब्रेक डाउन ट्रिपिंग आदि के कारण विद्युत् की आपूर्ति में कभी व्यवधान रहा हो ।

मंत्री किसान सभा श्री गुप्त नाथसिंह चकिया द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

83—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री, किसान सभा, गुप्तनाथ सिंह चकिया ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र, दिनांक 25-5-1982 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, द्वितीय मडुवाडीह, वाराणसी को दिया है और माननीय ऊर्जा मंत्री व जिलाधीश वाराणसी को भी मई, 1982 में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत् सब स्टेशन, पिंडरा, वाराणसी में सामानों की कथित कमी

84—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् सब स्टेशन पिंडरा, वाराणसी में उडेन क्रास फार्म 160 नं0 फ्यूज वायर 10 के0 जी0 डिस्क इन पुलेटर नं0 100, कंडक्टर 500 मीटर, केबुल 200 मीटर ट्रांसफार्मर नं0 5 की कमी की वजह से विद्युत् उपभोक्ता परेशान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

सब विद्युत् स्टेशन, चोलापुर, पिंडरा, अनोई, राजातालाब, जिला वाराणसी में सामानों की कथित कमी

85—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत् स्टेशन, चोलापुर, पिंडरा, अनोई, राजातालाब, जिला वाराणसी में तार, ट्रांसफार्मर, केबुल तथा दूसरे सामानों की कमी से कम से कम 200 कनेक्शन इस्टीमेट जमा कर देने के बाद भी नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त कमियों को पूरा करके शीघ्र कनेक्शन दिये जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय नलकूप तृतीय गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा का विद्युतीकरण

86—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप तृतीय गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का विद्युतीकरण 31 मार्च, 1981 को पूरा होना था ? यदि हां, तो 4 जुलाई, 1982 तक उक्त ट्यूबवेल को कनेक्शन केबुल लगाकर नहीं दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां, वायरिंग पूर्ण होने तथा मोटर लगा दिये जाने पर उक्त राजकीय नलकूप का ऊर्जीकरण 12-8-1982 को कर दिया गया है ।

वाराणसी विद्युत् उपक्रम निर्माण इकाई, वाराणसी में सेवामुक्त कर्मचारियों की पुनः सेवा पर लिये जाने पर विचार तथा इस हेतु वाराणसी के पन्ना लाल पार्क में ली गई परीक्षा का परिणाम

87--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विद्युत् परिषद् उपक्रम निर्माण इकाई (चन्द्रिका कालोनी), वाराणसी में तुलसी, घनश्याम, ज्वाला, बंधू प्रसाद, बद्री प्रसाद, बैजनाथ वगैरह मस्टर रोल पर 3 वर्ष से ऊपर कार्य कर चुके थे ? यदि हां, तो इन लोगों की सेवायें क्यों समाप्त कर दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लोगों ने विद्युत् मंत्री को नवम्बर, 1977 तथा दिसम्बर, 1977 में प्रार्थना-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इन्हें पुनः सेवा में लेने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

89--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1978 में उपरोक्त व्यक्तियों को वाराणसी स्थित पन्ना लाल पार्क में परीक्षा भी ली गयी थी ? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता तथा घाटे को दूर करने हेतु उठाए गए कदम

90--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982 से 30 जून, 1982 तक प्रदेश में विद्युत् उत्पादन सिर्फ 1500 मेगावाट हुआ है जबकि मांग 2500 मेगावाट है और उत्पादन क्षमता 35 सौ मेगावाट है ? यदि हां, तो पूरी क्षमता का प्रयोग न करने का कारण क्या है ? क्या यह भी सही है कि 600 मेगावाट के बिजली घर बन्द पड़े हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जनवरी, 82 से जून, 82 तक प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता 3494 मेगावाट थी। उपरोक्त में 1212 मे0 वा0 जल विद्युत् की मशीनें हैं जिनसे पानी की उपलब्धि के अनुसार उत्पादन किया जाता है। शेष 2282 मेगावाट की तापीय मशीनें हैं। इनसे विभिन्न कारणों से पूर्ण उत्पादन नहीं हो पाता है फिर भी इन महीनों में विद्युत् उत्पादन औसतन 32 मि0 यू0 प्रतिदिन रही। (जबकि प्रतिबन्धित मांग औसतन 35 मि0 यू0 प्रतिदिन रही) इस अवधि में इनका 42·1 प्रतिशत से 44·5 प्रतिशत तक पी0 एल0 एफ0 रहा। इनमें से कुछ मशीनें निरन्तर वार्षिक अनुरक्षण में रहती हैं जो इस समय भी थीं।

91--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् इस वक्त 8 अरब के घाटे में है और 10 अरब का इसके ऊपर कर्जा वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार का है? यदि हां, तो इस घाटे को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र--

राज्य विद्युत् परिषद् के घाटे की राशि वर्ष 1981-82 तक 999.99 करोड़ रुपये थी और सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं का ऋण क्रमशः 2211·20 तथा 544·87 करोड़ रुपये था। इस घाटे को दूर करने के लिये पुराने तापीय विद्युत् गृहों की मरम्मत, निष्क्रिय विद्युत् गृहों की समाप्ति, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वितरण हानियों पर नियंत्रण, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता, बकाये की वसूली तथा विद्युत् दरों का पुनरीक्षण आदि कदम उठाये गए हैं।

राज्य विद्युत् परिषद् के स्टोरों, मशीनों, सामानों एवं खेमों का सत्यापन

92--श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के स्टोरों, मशीनों तथा उसके सामानों एवं खेमों का कभी सत्यापन कराया जाता है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां।

सत्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है।

स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण, गांव मानपुर पट्टी बाड़ागड्डी, जिला उत्तरकाशी की हत्या तथा सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

93--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण, गांव मानपुर पट्टी, बाड़ागड्डी, थाना उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी की लाश गांव घनपुर के पास जंगल में दिनांक 1-5-82 को बरामद हुई जिसका पोस्टमार्टम दिनांक

2-5-82 को हुआ ? यदि हां, तो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है ? क्या सरकार पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर मृत्यु के पूर्व की 12 चोटें पाई गई तथा मृत्यु सदमा व रक्तस्राव के कारण होना पाया गया । पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट की प्रति संलग्न† है ।

94--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी में इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । श्री नागेन्द्र दत्त थपलियाल, सहायक मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तरकाशी, निवासी कस्बा, उत्तरकाशी की लिखित सूचना पर थाना उत्तरकाशी में रपट संख्या 25, दिनांक 1-5-82 को दर्ज की गई जिसमें अंकित है कि उनकी पार्टी के साथी कामरेड लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम मानपुर का धानपुर ग्राम के पास जंगल में अचानक स्वर्गवासी हो गये हैं जो काफी लम्बे अर्से से दिमागी बीमारी के शिकार थे । उनकी मृत्यु दुर्घटना से ही होने का समाचार है । शव जंगल में है जिसकी देखभाल लोग कर रहे हैं ।

95--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में लक्ष्मी नारायण के लड़के लोकेन्द्र प्रसाद ने ता0 14-5-82 को तथा जून, 1982 में श्री चक्रधर पुत्र सालिकराम, गांव मानपुर पट्टी बाड़ागड्डी, थाना उत्तरकाशी ने जिलाधीश, उत्तरकाशी, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी तथा परगना मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां । उक्त प्रार्थना पत्रों पर पुलिस उपाधीक्षक प्रभारी, उत्तरकाशी द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक के माध्यम से जांच कराई गई । जांचोपरान्त जांच रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी की संस्तुति के आधार पर इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 को शासन द्वारा सौंपी गई है ।

---

†छापी नहीं गई ।

96—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी नारायण की हत्या के सिलसिले में पुलिस एवं अधिकारियों द्वारा 30 जून, 82 तक कोई कार्यवाही न करने पर 1-7-82 से गांव मानपुर के तीन व्यक्ति जिलाधीश की कोठी पर आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में सी0 आई0 डी0 की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह कहना सही नहीं है कि पुलिस एवं अधिकारियों द्वारा इसे हत्या के सिलसिले में दिनांक 30-6-82 तक कोई कार्यवाही न करने पर दिनांक 1-7-82 से ग्राम मानपुर के व्यक्ति जिलाधीश की कोठी पर आमरण अनशन कर रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में दिनांक 2 मई, 3 मई, 5 मई एवं 6 मई, 1982 तथा 27 जून, 1982 को जांच पर्चे कटे गये। दिनांक 2-7-82 को थानाध्यक्ष (जांचकर्ता अधिकारी) द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । हत्या का पता लगाने का काफी प्रयास किया गया परन्तु कोई पता नहीं चल सका ।

यह बात सही है कि ग्राम मानपुर के तीन व्यक्ति जिलाधिकारी के आवास के बाहर हत्यारों की तुरन्त गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चित कालीन भूखहड़ताल पर बैठे थे । परन्तु दिनांक 2-7-82 को जिलाधिकारी के दौरे से लौटने पर और दिनांक 3-7-82 को जन प्रतिनिधियों आदि के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करने तथा भूख हड़तालियों को इस बात का आश्वासन दिये जाने पर कि इस घटना की जांच हत्या की दृष्टि से की जायेगी, तीनों व्यक्तियों द्वारा दिनांक 3-7-82 से लगभग 7-15 बजे सायंकाल भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई और वे लोग अपने गांव चले गये ।

जी हां, इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

97—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पट्टी बाड़ा गड्डी, उत्तरकाशी में 1-5-82 को किसने दी वह क्या है तथा क्या तारीख 2-5-82 का भी कोई सूचना रजिस्टर में पोस्टमार्टम के दिन भी दर्ज की गयी है ? वह क्या है ? क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक 1-5-82 को श्री नागेन्द्र दत्त थपलियाल, सहायक मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तरकाशी की लिखित तहरीर पर थाना में रपट संख्या 23 समय 14-35 अंकित की गई जिसमें यह उल्लिखित है कि उनकी पार्टी के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण का ग्राम धनपुर के नजदीक जंगल में अचानक स्वर्गवास हो गया है । वह काफी लम्बे अर्से से दिमागी बीमारी के शिकार थे, उनकी मृत्यु

दुर्घटना से होने का समाचार है उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 2-5-82 को दरियाफ्त हाल संख्या 5/82 के अन्तगत कार्यवाही की गई । दिनांक 2-5-82 को श्री लक्ष्मी नारायण के शव के पोस्टमार्टम के दिन किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना दर्ज नहीं कराई गई ।

थाना लभुआ, जिला सुल्तानपुर में डकैती की दर्ज रिपोर्ट तथा गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

98--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1982 के आखिरी सप्ताह में एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी के पेशकर (स्टेनो) राजा तालाब थाने का हेड कांस्टेबुल व उसका भाई, पुलिस लाइन, वाराणसी का एक कांस्टेबुल व उसका भाई तथा दो व्यक्ति और थाना लभुआ, जिला सुल्तानपुर में डकैती डालते हुए पकड़े गये हैं जिनके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज हैं ? यदि हां, तो इन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-6-82 को रात को कांस्टेबिल प्रभूनाथ सिंह, सुभाष सिंह, इन्तजार मेहदी, बृजमोहन सिंह, हेड कान्सटेबिल हुकुमसिंह, कार ड्राइवर विजय किशोर तथा स्टेनो एस0 पी0 (आर0 ए0), वाराणसी इबनेहसन को अपने को आर0 टी0 ओ0 बतलाकर ट्रक ड्राइवर नं0 यू0 आर0 ए0 486, यू0 टी0 एन0 489, यू0 आर0 यू0 7656, बी0 एच0 टी0 646 व 4312 से क्रमशः 500/-, 100/-, 33/-, 140/,- तथा 20/- छीन लेने के कारण थाना लभुआ में पंजीकृत अ0 सं0 101 धारा 395/171/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

गांव नयनपुर, जिला वाराणसी के प्रधान श्री उदय नारायण सिंह को पुलिस द्वारा कथित पिटाई

99--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव नयनपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के प्रधान, उदय नारायण सिंह को थाना फूलपुर, वाराणसी के एस0 ओ0 तथा एस0 आई0 ने जून, 1982 में अकारण मारा है ? इस सम्बन्ध में जिलाधीश, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि श्री उदय नारायण सिंह को पुलिस द्वारा अकारण मारा गया है । वास्तविकता यह है कि दिनांक 26-6-82 को पुलिस द्वारा श्री उदय नारायण सिंह व उनके साथ के कुछ अन्य व्यक्तियों को शंका होने पर टोका गया था और बाद में उन्हें ससम्मान छोड़ दिया गया था । इसी घटना के सम्बन्ध में न्यायालय में इस्तगासा विचाराधीन है ।

ग्राम देवरई, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में डकैतों का मुकाबला करते हुए श्री रामरथी की मृत्यु तथा पेंशन का भुगतान

100—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7/8 अगस्त, 1980 को रात गांव देवरई, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में भीषण डकैती हुई और डकैतों का मुकाबला करते हुए रामरथी पुत्र विश्वनाथ की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या रामरथी की विधवा भुगुली देवी व नाबालिग 3 बच्चे-बच्चियों को पेंशन देने के लिए एस० एस० पी०, वाराणसी ने सभी कागजात तैयार कराकर भेज दिया था ? यदि हां, तो पेंशन अब तक स्वीकार न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न में उल्लिखित डकैती की घटना में मुठभेड़ के फलस्वरूप ग्राम देवरई, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी के निवासी श्री रामरथी की मृत्यु हुयी थी और इनके आश्रितों को अनुमन्य असाधारण पारिवारिक पेंशन देने का प्रस्ताव एस० एस० पी०, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत किया गया और उस पर अग्रेतर कार्यवाही के पश्चात अनुमन्य पायी गयी असाधारण पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दिनांक 21-2-83 को दी जा चुकी ।

श्री उदयनाथ मिश्र की स्कूटर चोरी में गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी के दौरान आई चोटों की डाक्टरी रिपोर्ट

101—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उदयनाथ मिश्र, गांव भरुई, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी को थाना लंका, जिला वाराणसी की पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया और ता० 19-7-82 को एक स्कूटर चोरी में रिपोर्ट लिखकर चालान कर दिया और बुरी तरह मारा ? 21-7-82 को उदयनाथ मिश्रा का डाक्टरी मुआइना जिला जेल, वाराणसी के चिकित्साधिकारी ने किया है और दस चोटें लिखी हैं और सभी चोटें 20-7-82 की हैं ? यदि हां, तो डाक्टरी मुआइने की पूरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-6-82 को डा० ओ० पी० उपाध्याय द्वारा अपने स्कूटर की चोरी के सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 379 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया गया था । दिनांक 19-7-82 को श्री उदयनाथ मिश्र व एक अन्य व्यक्ति को चोरी गए स्कूटर सहित थाना लंका क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के दौरान उन्हें चोटें भी आयीं । डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट की प्रतिलिपि† संलग्न है ।

थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में व्यक्तियों की गिरफ्तारी

102—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 88 से 96/82 धारा 399/402 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में दिनांक 7 अप्रैल, 1982 में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे तथा वे

† छापी नहीं गयी ।

कहां के निवासी हैं ? क्या यह सच है कि उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की मार से जेल में हो गयी ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है ? सम्बन्धित अपराध में अभियोग पत्र अदालत में कब दाखिल किया गया ? क्या मृतक थाना रोहनिया या मडुआडीह, वाराणसी का था ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी अधिकारी को दन्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध से सम्बन्धित सभी 8 अभियुक्त दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को गिरफ्तार किये गये थे जो जनपद वाराणसी के निवासी हैं । इनके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1982 को न्यायालय भेजा गया । यह सही नहीं है कि एक अभियुक्त की मृत्यु पुलिस की मार से जेल में हुई । अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

बनीकरण योजनान्तर्गत वृक्षारोपण के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण

103--श्री ऊदल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बनीकरण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण सुनिश्चित कर लिया जाता है ? यदि हां, तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में यूक्लिप्टस के ही पेड़ क्यों लगाए जाते हैं ?

श्री संजय सिंह--

जी हां ।

बनीकरण योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण सुनिश्चित कर लिया जाता है । ऐसा नहीं है कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में यूक्लिप्टस के ही पेड़ लगाये जाते हैं वरन् वास्तविकता यह है कि भूमि तथा जलवायु की उपयुक्तता के अनुसार सभी प्रकार के आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों, शीघ्र उगने वाली प्रजातियों तथा ईंधन प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया जाता है ।

वाराणसी रेंज में हुए इनकाउन्टर तथा बरामद हथियार तथा दूसरे सामान

104--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी रेंज में सन् 1980 या 1981 तथा जून, 1982 तक कितने इनकाउन्टर हुए और उनमें कितने डाकू मारे गये तथा वे कहां-कहां के थे ? क्या सभी मामलों में मैजिस्ट्रेट की जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और कितना हथियार तथा दूसरे सामान बरामद किए गये ? डाकू किन-किन जातियों से सम्बन्धित हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत आने वाले जिले तथा कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या

105—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत प्रदेश के किन-किन जिलों में कार्य लिया जा रहा है और प्रत्येक जिले में कितने अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य में लगाए गये हैं ।

श्री संजय सिंह—

प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों तथा प्रत्येक जिले में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या की सूचना संलग्न सूची में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1564 पर ।)

वन विभाग, वाराणसी के चकिया व नौगढ़ क्षेत्र में बांस का वृक्षारोपण

106—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग, वाराणसी के अन्तर्गत चकिया व नौगढ़ क्षेत्र में सन् 1957 से लेकर सन् 1977 तक बांस का वृक्षारोपण किया गया था ? यदि हां, तो कितने एकड़ में ? क्या सरकार ने इसका भी मूल्यांकन किया ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

वन विभाग, वाराणसी के अन्तर्गत चकिया व नौगढ़ क्षेत्र में वर्ष 1966 से 1975 तक (न कि सन् 1957 से सन् 1977 तक) 18,879 हेक्टर (47,197.5 एकड़) वन भूमि में बांस का वृक्षारोपण किया गया । उक्त बांस रोपण क्षेत्रों का मूल्यांकन वन संरक्षक, दक्षिणी वृत, इलाहाबाद द्वारा जून, 1978 में कराया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बांस रोपण क्षेत्र 18,879 हेक्टर को सफलता के आधार पर तीन वर्षों में विभाजित किया गया, जिसका अलग-अलग क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

1—50 प्रतिशत से अधिक सफलता के क्षेत्र	..	4968 हे0
2—15 प्रतिशत से अधिक व 50 प्रतिशत से कम सफलता का क्षेत्र	..	4439 हे0
3—15 प्रतिशत से कम सफलता का क्षेत्र	..	9472 हे0
योग	..	18,879 हे0

राज्य सम्पत्ति विभाग के डाइमन्ड डेरी, लखनऊ में निर्मित भवन तथा किराया

107—श्री ऊदल—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के डाइमन्ड डेरी, लखनऊ में निर्मित भवन किन-किन लोगों को कब से एलाट किए गये हैं और उनकी ओर कितना-कितना किराया बकाया पड़ा है? क्या सरकार उसकी सूचः सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

संलग्न विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1566 पर ।)

थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में श्री सुखदेव के घर डकैती तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

108—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 व 19 जून, 1982 की रात गांव मातल देई, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में श्री सुखदेव के घर पर बमों व गोलियों को चलाकर डाकू दल ने हजारों रुपए का सामान लूट लिया और महिलाओं तथा पुरुषों को घायल कर दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई । प्रकाश में आए 8 अभियुक्तों में से 7 गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं तथा एक फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में परिवहन ऐक्ट के अन्दर बसों, ट्रकों व दूसरे वाहनों का चालान

109—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, बड़गांव चोलापुर, रोहनियां मिर्जा मुराद तथा औराई, जिला वाराणसी में सन् 1981 से 25 जून, 1982 तक बसों, ट्रकों तथा दूसरे वाहनों का परिवहन ऐक्ट के अन्दर चालान किया गया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस को परिवहन ऐक्ट के अन्तर्गत गाड़ियों को पकड़ने एवं चालान करने का अधिकार है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी द्वारा राजपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

110--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी ने 15-6-82 के बाद कितने कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं ? क्या यह सही है कि इसमें बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनका सन् 1981-82 में दो-दो बार ट्रांसफर किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने दिनांक 15-6-82 के बाद 43 राजपत्रित कर्मचारियों तथा 248 अराजपत्रित कर्मचारियों कुल 291 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं ।

उपरोक्त में से केवल एक कर्मचारी का स्थानान्तरण सन् 1981/82 में दो बार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही किया गया है ।

थानाध्यक्ष, फूलपुर, जिला वाराणसी के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

111--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० एस० पी०, वाराणसी को थानाध्यक्ष, फूलपुर, जिला वाराणसी के खिलाफ एक शिकायती-पत्र 7-4-82 को प्रश्नकर्ता ने दिया था, जिसका उत्तर संख्या एस० टी० एस० पी०-493/82, दिनांक 16 अप्रैल, 1982 के द्वारा एस० एस० पी०, वाराणसी ने दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

112--श्री ऊदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला वाराणसी निवासी स्वर्गीय भुनेश्वर यादव की डाकुओं से हुई मुठभेड़ में मृत्यु तथा आश्रितों को पेंशन के भुगतान का आदेश

113--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुनेश्वर यादव, गांव खरावन मठ, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी की मृत्यु डाकुओं के मुठभेड़ में हुई थी तथा उसकी विधवा नन्हकी देवी को शासनादेश संख्या 3528 पी०/आठ-6--518/79 (गृह पुलिस) अनुभाग-6, लखनऊ, दिनांक 19 अक्तूबर, 1979 द्वारा 15 रुपया मासिक पेंशन जीवन

पर्यन्त तथा पुत्री डगरा देवी को 5 रु0 मासिक 21 वर्ष तक असाधारण पेंशन 7 फरवरी, 1978 से स्वीकार की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक पेंशन न देने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

यह सत्य है कि ग्राम खरावन मठ, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी के निवासी गर सरकारी व्यक्ति स्वर्गीय भुनेश्वर यादव जिनकी मृत्यु सशस्त्र डाकुओं से हुई मुठभेड़ के परिणामस्वरूप हुई, की विधवा श्रीमती नन्हकी देवी को 15 रु0 प्रति माह जीवन पर्यन्त अथवा पुनर्विवाह तक एवं पुत्री कुमारी डगरा देवी को 5 रु0 प्रति माह 21 वर्ष की आयु तक या विवाह होने की तिथि तक दिनांक 7-2-78 से शासनादेश संख्या 3528-पो0/आठ-6-518/79, दिनांक 19-10-79 द्वारा असाधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई थी। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15-1-80 को पेंशन भुगतानादेश जारी कर मृतक की विधवा को यह सूचित किया गया है कि वह भुगतान प्राप्त करने हेतु कोषाधिकारी, वाराणसी से सम्पर्क करें।

जिला वाराणसी में ईदगाह के पास रामबली पासी द्वारा जमीन पर कब्जा करने सम्बन्धी पत्र

114--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरवां, थाना भदोही, जिला वाराणसी में ईदगाह के पास रामबली पासी ने जमीन पर कब्जा करके सुअर पालना शुरू कर दिया था जिससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है, क्या इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), ज्ञानपुर, वाराणसी को उक्त गांव के नागरिकों ने जून, 1982 में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव सिसवां, थाना मोहाना जिला बस्ती में मारपीट, लूटपाट तथा बलात्कार की घटनाओं पर जांच

115--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिसवां, थाना मोहाना, जिला बस्ती में अप्रैल, मई, 1982 में पुलिस थाना, मोहाना ने व्यापक पैमाने पर लूट की, लोगों को मारा और सामूहिक बलात्कार भी किया ? यदि हां, तो सत्य क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

दिनांक 23 और 24 अप्रैल, 1982 के बीच ग्राम सिसवां, थाना मोहाना, जिला बस्ती में मारपीट, लूटमार, बलात्कार और अन्य अपराधों की घटनाओं के तथ्यों को अभिनिश्चित करने हेतु जांच एक सदस्यीय जांच आयोग कर रहे हैं। तथ्यों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथ्य प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

जिला वाराणसी में वरुणा नदी का चौका घाट पुल की मरम्मत का प्रस्ताव

116 —श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में वरुणा नदी का चौका घाट पुल क्रेक होने की वजह से बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल को मरम्मत कराने पर पुनर्निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । प्रश्नगत पुल को मरम्मत का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

गद्दी का थाना से गड़खड़ा, जिला जौनपुर में डामर की सड़क का निर्माण

117—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोजूबीर–सिधोरा–केराकत मार्ग, वाराणसी में स्थान गद्दी का थाना से गड़खड़ा, जिला जौनपुर में डामर की सड़क अभी पूर्ण नहीं बनाई गई है ? इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । संसाधनों की कमी के कारण ।

बसुही नदी में स्थान कठवतिया का पुल, जिला कानपुर में बनाने का कथित प्रस्ताव

118—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बसुही नदी में स्थान कठवतिया का पुल जिला कानपुर में बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फूलपुर–सिधोरा मार्ग को डामर की सड़क बनाने का विचार

119—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में फूलपुर–सिधौरा मार्ग को डामर की सड़क बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह भी सही है कि अभी पत्थर की कुटाई भी दो किलोमीटर नहीं की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जो हां ।

वाराणसी जिले के थानों में गिरफ्तार डकैतों के विरुद्ध कार्यवाही व आर्म्स ऐक्ट के दर्ज मामले

120-121--श्री ऊदल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में सन् 80 व 81 तथा अप्रैल, 82 तक प्रत्येक थाने में कितने डकैतों को गिरफ्तार किया गया है और उन मुकदमों में क्या कार्यवाही की गई ?

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 80 व 81 तथा अप्रैल, 82 तक वाराणसी जिले के प्रत्येक थानों में कितने आर्म्स ऐक्ट के मामले दर्ज किये गये हैं ? उन मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रश्न के स्वरूप, विषय तथा प्रश्नगत ब्योरे के विस्तार और इसे तैयार करने में लगने वाले समय, श्रम तथा व्यय को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न का उत्तर दिया जाना जनहित में नहीं है ।

कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में एस० ओ० व एस० आई० हेतु निर्मित क्वार्टरों में आवासित पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के कर्मचारी

122--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैसरबाग कोतवाली, लखनऊ में कितने क्वार्टर एस० ओ० व एस० आई० के लिये बनाये गये हैं ? क्या यह सही है कि उन क्वार्टरों में पुराने एस० ओ० व एस० आई० के परिवार अब तक रह रहे हैं और जो इस वक्त तैनात हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो उक्त क्वार्टरों को अब तक खाली न कराने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कैसरबाग कोतवाली में एस० ओ० के लिए एक तथा एस० आई० के लिए पांच आवासगृह बनवाये गये हैं । एस० ओ० के आवास गृह में उक्त कोतवाली के वर्तमान एस० ओ० तथा एस० आई० के आवासगृहों में एक आवासगृह में पुलिस अधीक्षक (नगर) के रीडर व एक आवास गृह में कोतवाली के एक एस० आई० रह रहे हैं । शेष तीन आवासगृहों में पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं तथा सी० बी० आई० आदि के कर्मचारी रह रहे हैं जिनके आवंटन आदेश निरस्त किये जा चुके हैं । इन आवास गृहों को खाली किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा विधिवत् नोटिस जारी की गई थीं किन्तु आवास खाली नहीं हो पाये । अतः इन कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

123—श्री केदार नाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

स्व0 ईदल सिंह, निवासी रिच्छा, बरेली के विरुद्ध हत्या का दर्ज अपराध

124—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि थाना भुता, ग्राम रिच्छा, जिला बरेली में ईदल सिंह पुत्र बल्देव सिंह डकैत एवं पुलिस मुजाहमत में हिस्ट्रीशीटर थे ? क्या यह सही है कि रजिस्टर नं0 8 से इनका नाम हटा दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना भुता के वर्तमान अभिलेखों के अनुसार ईदल सिंह पुत्र बल्देव सिंह, निवासी रिच्छा के विरुद्ध कोई डकैती व पुलिस मुजाहमत का अपराध दर्ज नहीं हुआ और न ही कभी उनकी हिस्ट्रीशीट खुली । इनके विरुद्ध वर्ष 1975 में एक हत्या का अपराध रजिस्टर नं0 8 में दर्ज है । इस अपराध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी । ईदल सिंह की मृत्यु लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है ।

रिहन्द जलाशय का जल स्तर तथा विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़ाने का विचार

125—श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री केदार नाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिहन्द जलाशय का 25 अक्तूबर, 1982 को क्या जल स्तर है तथा भविष्य में विद्युत् संकट से निपटने के लिए क्या उपाय विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

रिहन्द जलाशय का 25 अक्तूबर, 1982 को जलस्तर 861.8 फीट था । भविष्य में विद्युत् से निपटने के लिए विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा साथ ही राष्ट्रीय तापीय विद्युत् निगम द्वारा सिंगरौली विद्युत उत्पादन गृह से भी अतिरिक्त विद्युत् मिलने की संभावना है ।

126—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[दिनांक 15 फरवरी, 1982 को अतारांकित प्र0 सं0 8 द्वारा उत्तरित]

ग्राम सोनरा से अवैध सीमेन्ट ले जाने की दर्ज रिपोर्ट

127—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में दिनांक 26-8-82 की रात में ट्रक नं0 यू0 पी0 क्यू0 1614 ग्राम सोनरा से 50 बोरी अवैध सीमेन्ट ले जाने के प्रयास में पकड़ी गयी जिसकी रपट स्थानीय थाना महाराजगंज में इसी दिन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में की गयी ? यदि हां, तो यह सीमेन्ट किस विभाग की थी तथा इस दिशा में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रक संख्या यू0 पी0 क्यू0 1614 ग्राम सोनरा से 50 बोरी सीमेन्ट ले जाते समय धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 26-8-82 को न पकड़ी जाकर 26-9-82 को पकड़ी गई थी। और उसकी रपट 27-9-82 को लिखी गयी थी। यह सीमेन्ट विश्व बैंक परियोजना, गोरखपुर से साधन सहकारी समिति, चौक के भवन निर्माण हेतु दी गयी थी। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/7 इ0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज अपराध संख्या 192 के विरुद्ध कार्यवाही

128--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ में दिनांक 5-9-82 को एक रिपोर्ट अपराध संख्या 192 सन् 1982 दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त अपराध की मुख्य धाराएं कौन सी हैं और सरकार ने अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। कथित अपराध सं0 192 सन् 1982 धारा 147/148/149/323/504/452/307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत थाना कन्धई में पंजीकृत हुआ है। उक्त अभियोग के सभी 15 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे और जमानत पर छूटे हुये हैं। अभियोग विवेचनाधीन है।

राज्य वन सेवा के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण काल के दौरान निश्चित भत्ता एवं प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि मानने के प्रश्न पर विचार

129--श्री हरिवंश सहाय--

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य वन सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चुनकर प्रशिक्षण में भेजे जाने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण काल के दौरान एक निश्चित भत्ता देने का प्राविधान है तथा उनका दो वर्ष का प्रशिक्षण काल सेवा अवधि में नहीं सम्मिलित किया जाता है ? क्या सरकार राज्य वन सेवा को उक्त प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि में सम्मिलित किये जाने पर विचार करेगी। यदि नहीं, तो क्यों।

श्री संजय सिंह--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चुनकर भेजे जाने वाले राज्य वन सेवा के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण काल के दौरान एक निश्चित भत्ता देने का प्राविधान है तथा प्रशिक्षण काल सेवा अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि को सेवा अवधि मानने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

राज्य वन सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से आये अधिकारियों का प्रतिशत

130—श्री हरिवंश सहाय—

क्या यह सही है कि राज्य वन सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से आये अधिकारियों का प्रतिशत पूर्व के 66-1/2 प्रतिशत, 33-1/2 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत करने के सुझाव पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? क्या वन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्णय लेने से पूर्व वरिष्ठता सूची को सही रूप देने के लिए शासन क्या कदम उठा रहा है ।

श्री संजय सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

थानाध्यक्ष, खटीमा, श्री रणवीर सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

131—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष, थाना खटीमा, जिला नैनीताल के विरुद्ध जानमाल को क्षति पहुंचाने व कत्ल करने की कोई शिकायत ग्राम दियूरी, थाना खटीमा, जिला नैनीताल से उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय विधायक व महामन्त्री जिला नैनीताल जनता पार्टी ने भी थानाध्यक्ष के विरुद्ध इसी प्रकार की शिकायतें की है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

श्री हयात सिंह पुत्र शेर सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम दियूरी, थाना खटीमा-जिला नैनीताल ने अपने शिकायती पत्र में थानाध्यक्ष खटीमा (श्री रणवीर सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, तस्करों व अवैध पेड़ कटान करने वालों के साथ सांठ-गांठ करने एवं संरक्षण देने तथा उसके निजी मामलों में गुन्डों का साथ देने से जान-माल का खतरा होने आदि की शिकायतें की थीं । महामन्त्री, जनता पार्टी, नैनीताल ने भी अपने शिकायती पत्र में थानाध्यक्ष, खटीमा के विरुद्ध उक्त आरोपों का समर्थन करते हुये अपने जानमाल का खतरा होने की आशंका व्यक्त की थी । माननीय क्षेत्रीय विधायक (श्री बिहारी लाल) ने भी अपने पत्र में, अपने ऊपर हुये आक्रमण में थानाध्यक्ष, खटीमा का संदिग्ध हाथ होना बतलाया था ।

उक्त सभी शिकायती पत्रों की जांच करायी गयी । जांच से थानाध्यक्ष खटीमा के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए । थानाध्यक्ष खटीमा (श्री रणवीर सिंह) का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जा चुका है ।

स्वर्गीय हवलदार आनन्दमणि बुड़ाकोटी पी० ए० सी० झांसी, का निधन, परिवार को पेंशन एवं भविष्य निधि का भुगतान

132—डा० शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय हवलदार आनन्दमणि बुड़ाकोटी, पी० ए० सी० झांसी बटालियन का कब निधन हुआ है ? क्या उनके

परिवार को पेंशन तथा भविष्य निधि का भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वर्गीय हवलदार आनन्द मणि बुड़ाकोटि, 33 वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0, झांसी का निधन 18 जून, 1981 को हुआ था ।

जी हां । उनके परिवार को पेंशन तथा भविष्य निधि के भुगतान के आदेश महालेखाकार–उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं ।

जनपद गोरखपुर के प्रान्तीय खन्ड, सा0 नि0 वि0 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा भेजा गया पत्र

133—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के प्रान्तीय खन्ड सा0 नि0 वि0 के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या 2154/32–विविध, दिनांक 21–8–81 के द्वारा संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सा0 नि0 वि0 तथा प्रमुख अभियन्ता को बंसपत्ति–एपगंज–बेलवार रानीडीहा–मिर्जापुर महावीर छपरा–कुस्मौल, मलौनी बांध का किनारा जैतपुर–सेवईबाजार, पान्डेयपार–सोहगौरा, जैतपुर–बोकटा, डागोपार सुत्राबाजार व रुस्तमपुर कजाकपुर मार्ग के निर्माण कराने को स्वीकृति और धन आवंटित करके मार्ग निर्माण का प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

अधिशासी अभियन्ता का दिनांक 21–8–81 का पत्र तो प्राप्त हुआ है किन्तु पत्र में मार्गों की स्वीकृति तथा धन आबंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वाराणसी, जौनपुर में बसूही नदी, जमालपुर में पुल का निर्माण

134—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर, जमालपुर रोड, वाराणसी जौनपुर में बसूही नदी में जमालपुर में एक पुल बनना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सेतु निगम को धन दिया गया है और सर्वेक्षण भी हो चुका है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को 6 सितम्बर, 1982 को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रम निरीक्षक द्वारा भदोही स्थित कालीन उद्योग के प्रतिष्ठानों में श्रम अधिनियमों का पूर्ण प्रतिपालन न करने के विरुद्ध कार्यवाही

135—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम निरीक्षक सफेदू राम द्वारा जुलाई तथा अगस्त, 1982 में कालीन कारखानों का चालान करने और रिपोर्ट

थाना भदोही में दर्ज कराकर मुकदमें कायम कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने राज्य श्रम मंत्री को 6 सितम्बर, 1982 को एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सभी चालान किये गये मामले की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

माननीय सदस्य का दिनांक 6 सितम्बर, 1982 का कथित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । यह सही है कि श्रम निरीक्षक द्वारा जुलाई तथा अगस्त, 1982 में भदोही स्थित कालीन उद्योग के प्रतिष्ठानों के विरुद्ध श्रम अधिनियमों का पूर्ण प्रतिपालन न करने के कारण न्यायालय में प्राभियोजन दायर किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रदेश में सिविल तथा आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मचारी तथा उपलब्ध आवासीय सुविधा

136--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 13-10-1980 को सिविल तथा आर्म्ड कितनी पुलिस फोर्स है और क्या सभी को आवासीय सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्रदेश में दिनांक 13-10-1982 को सिविल तथा आर्म्ड पुलिस फोर्स के कुल 1,30, 359 कर्मचारी थे । उक्त तिथि तक 60,759 कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है ।

श्री राम शिरोमणि, निवासी ग्राम धमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

137--श्री ऊदल--

द्वितीय सत्र 1980 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० पी० आर० ए० वाराणसी को सम्बोन्धित राम शिरोमणि धमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र भी एस० पी० आर० ए० को दिया गया था ? क्या सरकार राम शिरोमणि के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी जिसमें स्वयं एस० पी० आर० ए० को जांच के लिए प्रार्थना की गयी थी न कि क्षेत्राधिकारी को ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्षेत्राधिकारी ने 7-4-82 को मौके की जांच 8 बजे रात के पहले की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

श्री राम शिरोमणि के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । शान्ति व्यवस्था में व्यस्तता के कारण क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके की जांच दिनांक 7-4-1982 को नहीं की जा सकी ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ 1571 पर ।)

थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में डकैतों द्वारा डकैती की योजना के सम्बन्ध में सूचना तथा गिरफ्तार अभियुक्त

138—श्री ऊदल—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या संख्या 58 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में 7-4-1982 को किस वक्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव फतेपुर में डाकुओं का गिरोह डाका डालेगा और किस वक्त पुलिस ने डाका की योजना बनाते वक्त फतेपुर में आठ डकैतों को शस्त्र के सहित गिरफ्तार किया और थाने में किस वक्त धारा 399/402 भा0 द0 वि0 व 25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-4-1982 को नहीं वरन् दिनांक 6/7-4-1982 की रात्रि में प्रश्न में उल्लिखित डकैती की योजना के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई थी तथा दिनांक 7-4-1982 को समय 1.15 बजे रात्रि में पुलिस द्वारा डकैती की योजना बनाते हुये गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध दिनांक 7-4-1982 को समय 3.30 बजे सम्बन्धित अपराध पंजीकृत किए गये ।

श्री राम शिरोमणि द्वारा एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी को दिये गये पत्र में उल्लिखित जांच न होने का कारण

139—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामलखन के पिता राम शिरोमणि की दरख्वास्त प्रश्नकर्त्ता के पत्र 7-4-1982 के साथ एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी को 12 बजे प्राप्त हो गयी थी ? क्या यह सही है कि न तो एस0 पी0 आर0 ए0 और न क्षेत्राधिकारी ने ही 7-4-1982 को मौके की जांच की और न फूलपुर थाने ही गये ? क्या यह सही है कि क्षेत्राधिकारी ने बिना जांच के प्रेस वक्तव्य भी 8-7-1982 को अखबारों में दिया है ? इसका आधार क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

शांति व्यवस्था में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण अधिकारीगण दिनांक 7-4-1982 को थाना फूलपुर में मौके पर नहीं जा सके । क्षेत्राधिकारी द्वारा कोई प्रेस वक्तव्य दिए जाने की बात सही नहीं पायी गयी ।

140—श्री ऊदल—

क्या सरकार उक्त राम शिरोमणि, गांव धमहापुर, थाना फूलपुर, वाराणसी के प्रार्थना-पत्र व प्रश्नकर्ता के पत्र में यह लिखा है कि थाना फूलपुर के एस0 ओ0 रामायण सिंह 7 बजे सुबह तारीख 7-4-1982 को उसके घर से रामलखन को एक लाइसेन्सी बन्दूक, 4 कारतूस, लाइसेन्स के साथ फूलपुर थाने में ले गये हैं और थाने में बैठाये हैं ? तुरन्त जांच की जाय, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र की जांच की गई ।

वसूही नदी में पुल निर्माण की मांग

141--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोपालापुर, रामपुर, जिला जौनपुर की सड़क पक्की बना दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस मार्ग को वसूही नदी काटती है जिसमें आज तक पुल नहीं बनाया गया ? इसका क्या कारण है और क्या यह भी सही है कि मार्ग का इस्टीमेट करते वक्त पुल का भी इस्टीमेट किया गया था ? यदि हां, तो पुल न बनाने का कारण क्या है ? कब तक पुल बनेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

जी हां ।

इस पुल के निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है । मार्ग के आगणन में पुल का प्राविधान नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

142--श्रीमती गौरी देवी--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद जालौन में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण की योजना

143--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 200 कि0 मी0 लम्बी सड़कों के प्रस्तावित निर्माण योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन का कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है और उनके चयन का क्या आधार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर में सरकारी बैंकों के खजाने लूटने की घटनाएं

144--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि जौनपुर में सरकारी खजाना बैंक को लूटने की जनवरी, 1981 व 15 अगस्त, 1982 की अवधि में कितनी घटनाएं घटीं और अलग-अलग उनमें कितनी धनराशि लूटी गयी? अलग अलग-अलग घटनाओं के घटनास्थल क्या हैं ? अलग-अलग घटनाओं की विवेचना 15 अगस्त, 1982 को किस स्टेज पर थी और उस तारीख तक की कार्यवाही का परिणाम क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना निम्नवत् है :—

घटना व घटना की तिथि	घटनास्थल	लूटी गई धनराशि	15-8-82 तक की गई कार्यवाही
		रु0	
दिनांक 27-7-82 को जिला कोषागार से बैंक ले जायी जा रही धनराशि लूटी गई	स्टेट बैंक की गली मुहल्ला हुसेनाबाद, जौनपुर	1,66,150·50	अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।
26-6-82 यूनियन बैंक की जंघई शाखा में लूट	यूनियन बैंक आफ इन्डिया, जंघई	34,900·00	दिनांक 10-8-82 को घटना से सम्बन्धित दो अभियुक्तों के विरुद्ध मफरूरी में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया ।

उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे के चारबाग, लखनऊ स्टेशनों के परिसर में अनैसर्गिक मौत से मृत व्यक्ति तथा शव परीक्षण रिपोर्ट

145—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे के चारबाग, लखनऊ स्टेशनों के परिसर में अनैसर्गिक मौत से मरे कितने शव जून, 1980 व जून, 1982 के बीच प्रदेशीय पुलिस को मिले और अलग-अलग हर शव के सम्बन्ध में शव परीक्षण करने वाले डाक्टर के मतानुसार मौत का क्या कारण पाया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेशीय पुलिस को जून, 1980 व जून, 1982 के बीच 54 अनैसर्गिक मौत से मरे हुए व्यक्तियों के शव पाये गये । शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण भिन्न-भिन्न पाया गया है ।

श्री शिव कुमार सिंह, सिक्योरिटी विभाग दुग्ध संघ, लखनऊ द्वारा लिखित शिकायत पर जांच

146—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव कुमार सिंह, सिक्योरिटी विभाग दुग्ध संघ, लखनऊ द्वारा दिनांक 22-12-81 को दी गयी लिखित शिकायत पर प्रधान प्रबन्धक द्वारा 1-2-82 को पत्र संख्या 536 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासक, लखनऊ दुग्ध संघ को भेजी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार—

(1) श्री नेम सिंह ने डेरी मैनों को 128 दूध के पैकेट ले जाते हुए पकड़ा किन्तु फैक्ट्री में केवल 72 पैकेट ही जमा किये । शेष का हिसाब उपलब्ध नहीं कराया ।

(2) उपर्युक्त श्री नेम सिंह नवम्बर, 1976 में निलम्बित किये गये थे किन्तु दोष सिद्ध न होने के कारण उन्हें बहाल कर दिया गया ।

(3) दिनांक 1-9-81 की रात्रि में सिक्योरिटी इंचार्ज ने एक श्री अजय कान्त शुक्ला को 40 पैकेट दूध से भरे हुए ले जाते हुए गेट के बाहर पकड़ा । उस समय श्री नेम सिंह गेट की ड्यूटी पर थे । उक्त अजय कान्त शुक्ला के अनुसार 40 पैकेट दूध उन्होंने श्री नेम सिंह को 50 रु0 देने पर प्राप्त किये थे ।

(4) श्री नेम सिंह को ड्यूटी पर सोते हुए पाया गया । जिस पर उन्हें चेतावनी दी गयी ।

(5) श्री नेम सिंह की पदोन्नति न्यायोचित नहीं की गयी । जांच रिपोर्ट पर लखनऊ दुग्ध संघ द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिस पर विचार करने के बाद उनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

वर्तमान थानाध्यक्ष, निचलौल (गोरखपुर) के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

147—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष, निचलौल (गोरखपुर) के विरुद्ध जनवरी, 1982 से 21-9-82 तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? क्या उनकी जांच हुई ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1982 से 3-9-82 तक नियुक्त थानाध्यक्ष, निचलौल श्री शिव मूर्ति सिंह यादव के विरुद्ध दो शिकायती-पत्र प्राप्त

हुये थे जिन पर अपर पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ने 4-10-82 को तथा क्षेत्राधिकारी महाराजगंज ने 15-1-83 को जांच की थी।

सर्किल इन्सपेक्टर्स को थाना इंचार्जी से हटाकर निरीक्षण काय देने के सम्बन्ध में विचार

148--श्री राजकुमार राय--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को दिनांक 6-8-82 सर्किल इन्सपेक्टर्स को थाने की इंचार्जी से हटाकर पुनः पूर्व की तरह निरीक्षण कार्य देने के सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां, तो शासन उसमें क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। यह मामला शासन के विचाराधीन है।

ग्राम बेलवा में हरी राम सोनार आदि पर संयुक्त खाते के पेड़ काटने पर दर्ज मुकदमा

149--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम बेलवा में हरीराम सोनार आदि पर जनवरी, 1982 में संयुक्त खाते के पेड़ काटने पर दफा 379 का मुकदमा कायम हुआ जबकि जंगल विभाग पहले ही इन लोगों पर 300 रु0 जुर्माना करके वसूल चुका था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इन पर मुकदमा कायम किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत अपराध 26 दिसम्बर, 1981 को मु0 धर्म कुमारी नामक महिला की प्रथम सूचना पर धारा 379 भा0 दं0 वि0 एवं 15 फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत कायम किया गया था। विवेचना से आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र 15 यू0 पी0 फारेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 10-2-82 न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्राप्त सूचनानुसार अभियुक्त ने यू0 पी0 प्रोटेक्शन आफ ट्रीज इन रूरल ऐन्ड हिल एरियाज ऐक्ट, 1976 की धारा 15 के अन्तर्गत 300 रु0 की कम्पाउंडिंग फीस दाखिल की थी। पंजीकृत अभियोगों के अन्तर्गत विवेचना के दौरान विधिवत् कार्यवाही की गई है।

तराई भावर में वन विभाग की भूमि में भूमिहीनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण

150--श्री बिहारीलाल--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर में वन विभाग की भूमि में वर्षों से भूमिहीनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण हुआ है ? यदि हां, तो भूमिहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या उक्त के परिप्रेक्ष्य में कोई स्पष्ट नीति अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री संजय सिंह--

यह सही है कि तराई भावर क्षेत्र में पड़ने वाले नैनीताल, रामपुर व बिजनौर जनपदों की वन भूमि में भूमिहीनों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उच्चस्तरीय बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इन अतिक्रमणों को खाली कराने की विधिक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा भी वन (संरक्षण) अधिनियम (The Forest Conservation Act), 1980 लागू कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत कोई भी वन भूमि वनीकरण के अलावा कृषि अथवा आवास आदि के लिए बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किए नहीं दी जा सकती है। इससे पूर्व शासनादेश, दिनांक 1-11-75 के अन्तर्गत भूमिहीन खेतिहर एवं हरिजन परिवारों के दिनांक 8-11-73 तक एवं अन्य व्यक्तियों के दिनांक 30-6-66 तक के अतिक्रमणों को नियमित करने के आदेश निर्गत किए गए थे जिसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी। किन्तु आंशिक रूप से ही कार्यवाही हो पाई थी कि इसी बीच भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, (दि फारेस्ट कन्जर्वेशन ऐक्ट), 1980 लागू कर दिया गया। ऐसी स्थिति में नियमितीकरण का अब प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता ले जाने हेतु गोवंशजों के परिवहन हेतु जारी किये गये परमिट

151--श्री शंकर सिंह--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जालौन के जिला पशुधन अधिकारी, डा० दिवाकर ने वर्ष 1981-82 में कलकत्ता ले जाए जाने के लिए गोवंशजों को परिवहन करने हेतु जो परमिट जारी किए हैं क्या उनके सम्बन्ध में गोवध निषेध अधिनियम की धारा 5 (ए) (1) तथा (2), 1979 (संशोधन) के अन्तर्गत प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो जिला पशुधन अधिकारी और परमिट प्राप्त करके परिवहन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री संजय सिंह--

वर्ष 1981-82 में कलकत्ता ले जाने के लिए गोवंशजों के परिहवन करने हेतु जो परमिट जारी किये गये उनमें गोवध निवारण अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उस पर विचार किया जा रहा है। परमिट प्राप्त करके परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन को निदेशक, पशुपालन द्वारा लिखा गया है।

[12 बजकर 20 मिनट]

विद्युत् मंत्री द्वारा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में गलत सूचना देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आप प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 63 के परन्तुक को देखने का कष्ट करें। इसमें सदन के विशेषाधिकारों का वर्णन है। इसमें दिया है कि यदि सरकार से सही उत्तर नहीं आ रहा है और जानबूझकर सदन को गुमराह करने की नियत से कोई बनाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ उत्तर दिया जाता है तो यह इस सदन को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन है । इस समय जो बिजली के सम्बन्ध में सवाल उठा था जिसका उत्तर माननीय मंत्री ब्रह्मदत्त जी ने दिया जो माननीय मुख्य मंत्री के भारसाधक मंत्री के रूप में उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली दे रहे हैं । मेरे तथा कई माननीय सदस्यों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि ओबरा में खराबी आ जाने के कारण कमी हो गयी है । उससे साफ हो गया कि सदन में दिया गया पहला उत्तर गलत दिया गया है जो जानबूझकर दिया गया । इससे सदन को प्राप्त विशेषाधिकारों का हनन हुआ है । आप नियमावली के नियम 63 के परन्तुक को देखने का कष्ट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहा हूं । आप कहेंगे कि लिखकर दे दो तो नियम 63 के परन्तुक में साफ लिखा हुआ है कि यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा । उसमें लिखकर देने की कोई जरूरत नहीं है । मैं विशेषाधिकार के हनन की सूचना आपके माध्यम से माननीय ब्रह्मदत्त जी के खिलाफ दे रहा हूं और चाहता हूं कि आदरणीय सदन की मंशा को ध्यान में रख कर आप इसे स्वीकार करें । यहां पर जानबूझकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा की गयी है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में कहा था कि 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और 24 घंटे शहरी क्षेत्र में देने की व्यवस्था है और साथ-साथ यह भी स्पष्ट किया कि पिछले 15 दिनों से ओबरा में ट्रबुल होने के कारण इन घंटों में कमी आई है । इसमें कहां कंट्राडिक्शन है । जो उत्तर लिखा हुआ है उसमें कहा है कि व्यवस्था है और उसके साथ ही मैंने स्वीकार किया कि ओबरा में ट्रबुल होने से कमी आई है तो इससे न सदन को गुमराह किया है और न तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गयी है ।

श्री ऊदल—

इनसे कह दें कि गलत सूचना देकर गुमराह न करें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक उत्तर का सम्बन्ध है वह आपको दे दिया गया है । उसमें कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा । गुप्ता जी की बात से मैं संतुष्ट नहीं हूं । फिर भी अगर कोई चीज उनको लगे तो लिखकर दे दें मैं उसे देख लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इनको डांट दें ।

पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों द्वारा आमरण अनशन किये जाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे आज 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं इनमें से 5 सूचनायें जो नियम बना हुआ है जिनको मैं समझता हूं कि बहुत महत्व की हैं, जो हर प्रकार से व्यापक हित की हैं उनको मैंने स्वीकार किया है। इसमें पहली सूचना माननीय कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की, दूसरी सूचना श्री खैरुल बशर एवं श्री राम आसरे वर्मा, तीसरी श्री नन्द किशोर सिंह, चौथी श्री गोपीनाथ वर्मा तथा पांचवी श्री अकबाल हुसैन की है। बाकी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगार आयुर्वेदिक दीक्षित कम्पाउन्डर काफी संख्या में कई वर्षों से बेरोजगार पड़े हैं। इनको कई बार साक्षात्कार हेतु लखनऊ आयुर्वेदिक निदेशालय में बुलाया गया परन्तु इन्हें चयनित नहीं किया गया। मैदानी क्षेत्र के कम्पाउन्डरों को चयनित कर पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है जो कि वहां की परिस्थितियों में सेवा न कर वहां से अपना स्थानान्तरण मैदानी क्षेत्रों में करा देते हैं जिसके फलस्वरुप वहां कि रिक्तियां बनी रहती हैं। इस पर भी पर्वतीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक दीक्षित कम्पाउन्डर को चयनित नहीं किया जाता है, इन लोगों ने काफी गरीबी में किसी प्रकार यह ट्रेनिंग ली और हजारों रुपये लखनऊ बार-बार साक्षात्कार में आने पर व्यय किया परन्तु नौकरी न मिलने से निराश होकर इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और 25 फरवरी, 1983 से 4 आयुर्वेदिक प्रशिक्षित बेरोजगार कम्पाउन्डर आमरण अनशन पर तहसील मुख्यालय ऊखीमठ में बैठे हैं और उनकी स्थिति गंभीर रूप से चिन्ताजनक हो गयी है।

अतएव हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करते हैं कि जनपद चमोली में तहसील ऊखीमठ में आमरण अनशन पर बैठे प्रशिक्षित बेरोजगार कम्पाउन्डरों की मांगों को अविलम्ब पूरा कर उनकी हड़ताल समाप्त कर उनके जीवन की रक्षा करें।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के कर्मचारी आंदोलित हैं 8 मार्च, 1983 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है उनकी इस प्रस्तावित हड़ताल से प्रदेश की बीस हजार से अधिक लघु उद्योग इकाइयों का काम-काज ठप हो जाने की आशंका पैदा हो गयी है। वेतन,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अकारण सेवा समाप्ति, मध्य सत्र में स्थानान्तरण, ओवर टाइम, बोनस भुगतान, चिकित्सा सुविधा आदि मसले उनमें असंतोष का कारण बने हुए हैं। निगम के प्रबन्ध संचालक द्वारा की जा रही अवैध कमाई तथा निरंकुश दोनों से कर्मचारी उत्तेजित हैं। अपनी न्यायोचित मांगों के सिलसिले में 17 व 21 फरवरी को प्रदर्शन एवं 22 फरवरी को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी कर चुके हैं।

लोक महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे ताकि प्रदेश के औद्योगिक विकास को धक्का न लगने पाये।

देवरिया जनपद में कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री व कप्तानगंज डिस्टिलरी के पानी से छोटी गण्डक के पानी के विषाक्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि देवरिया जिला अन्तर्गत छोटी गंडक का पानी विषाक्त हो गया है इसमें कप्तानगंज शुगर फैक्टरी तथा कप्तानगंज डिस्टलरी फैक्टरी का गन्धक युक्त पानी के बहाव से लाखों रुपये की मछलियां व अन्य जीव-जन्तु मर गये हैं उस मछली को लोगों के खाने से सैकड़ों लोग मर गये तथा उस पानी को पीने से तमाम जानवर व पशु, पक्षी बीमार पड़ गये हैं तथा उनके मरने का भी क्रम अब भी जारी है। इस नदी पर कप्तानगंज, हेतिमपुर, पटनवां, भटनी, सलेमपुर तथा तमाम गांव भी लगे हैं जहां लोग स्नान करते हैं। इस विषाक्तयुक्त पानी के कारण पूरे 100 किलोमीटर क्षेत्र में बीमारी फैल गयी है तथा हजारों मछुआ परिवार भी संकट की स्थिति में आ गये हैं।

अस्तु आज इस माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाकर माननीय मुख्य मंत्री से दोनों फैक्टरियों के गंदे पानी को इस नाले में गिरने से रोकने की मांग करता हूं तथा मछुआ परिवारों को उचित राहत देने की भी मांग करता हूं।

तापीय विद्युत गृह सोहावल (फैजाबाद) के बन्द होने से क्षति एवं कर्मचारियों के समक्ष बेकारी की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ बर्मा—

महोदय, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत सोहावल तापीय विद्युत गृह अरबों रुपये की लागत से निर्माण किया गया जिसमें हजारों कर्मचारी व श्रमिक कार्यरत हैं परन्तु उच्चाधिकारियों की अयोग्यता एवं लापरवाही के कारण मौजूदा समय में ताप विद्युत गृह पूर्णतया ठप हो गया है तथा गृह का उपकरण व कोयला भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बाजारों में खुले आम ब्लैक किया जा रहा है जिसके कारण लाखों रुपये की क्षति के साथ कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक बेकार घूम रहे हैं तथा प्रतिमाह लाखों रुपये वेतन के रूप में बिना कार्य किए भुगतान ले रहे हैं।

[श्री गोपी नाथ वर्मा—]

सरकार पर फिजूलखर्ची का बोझ बढ़ रहा है । साथ-साथ विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध न होने से उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है क्षेत्रीय जनता द्वारा सरकार का ध्यान व विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को लिखित जानकारी दी गयी परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही सम्भव न हो सकी जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है । जगह-जगह जनसभाओं व गोष्ठियां की जा रही हैं जिससे पूरे जनपद में तनाव व संघर्ष का वातावरण बनता जा रहा है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि सोहावल तापीय विद्युत गृह को पुनः प्रारम्भ कराया जाय तथा उक्त मामले की जांच करा कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी को दंडित करें ।

तुलसीपुर चीनी मिल (गोंडा) द्वारा पेराई हेतु मांगी गयी मात्रा में विभाग के अधिकारियों द्वारा गन्ने का सट्टा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं कि तुलसीपुर चीनी मिल क्षेत्र जनपद गोंडा के आरक्षित क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में 9 लाख कुन्टल तथा 1981-82 में लगभग 19 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की गई । इस वर्ष फसल अच्छी होने के कारण अनुमानित फसल 25 लाख कुन्टल है तथा मिल ने अभी 25 लाख कुन्टल पेराई के लिए मांग की है । परन्तु विडम्बना यह है कि मिल के 25 लाख कुन्टल मांग के बावजूद गन्ना विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मात्र 20 लाख कुन्टल का ही सट्टा किया है ।

शेष 5 लाख कुन्टल जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपया होता है कोई सट्टा नहीं है सभी गन्ना आरक्षित क्षेत्र में है 5 लाख कुन्टल गन्ना न बिकने के कारण बाढ़ और सूखे से प्रभावित इस क्षेत्र के 35 हजार किसानों में भारी असन्तोष तथा पीड़ा है किसान अतिरिक्त सट्टा की मांग लेकर आन्दोलित हो रहे हैं जिसका भयंकर परिणाम हो सकता है ।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि अतिरिक्त सट्टा की नीति तुरन्त तुलसीपुर क्षेत्र में लागू करके सभी गन्ना किसानों को गन्ना की फसल बिकवाने की व्यवस्था करें ।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी खासकर सुनें । यह जो हमारा सचिवालय है, शाम को हाउस उठने के बाद उसमें सभी माननीय मंत्रियों के प्रश्न के उत्तर आ जाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिए लेकिन मुझे दुख है कि आज प्रातः काल सवा नौ बजे तक हमारे कार्यालय में प्रश्न के उत्तर नहीं आए थे। इसलिए मैं आपको अलग से लिखकर भी भेज रहा हूं। आप यह व्यवस्था करें कि प्रश्नों के उत्तर जिस दिन के प्रश्न हैं उसके एक दिन पहले निश्चित समय पर हमारे यहां आना चाहिए।

(व्यवधान)

नियमों में वैसे 48 घंटा है। लेकिन उससे पहले हमारे पास यह अवश्य आने चाहिए, आप इस बात की अवश्य व्यवस्था करें।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के पिछले तीन वर्षों के आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, नियमों में आप देखें। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा 61 (3) के अनुसार प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में विद्युत परिषद् को विधान सभा में अपने आय-व्ययक का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और उसके प्रस्तुत होने के बाद यहां विधान सभा में उस पर चर्चा होगी और माननीय सदस्यगण उस पर अपने विचार, अपना मन्तव्य व्यक्त करेंगे। उस पर बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो चर्चा होगी, उसको विद्युत परिषद् अपने सुझाव के रूप में लेकर कार्यान्वित करेगा। लेकिन 1982-83 का जो विवरण फरवरी में आना चाहिए था वह पूरे साल नहीं आया और इस साल का भी विद्युत् परिषद् का आय-व्ययक, उसका विवरण यहां पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मान्यवर, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1948 की धारा 61 (3) में साफ लिखा हुआ है कि—

61—एकचुवल फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट (1) इन फरवरी आफ ईच इयर बोर्ड शैल सबमीट टू दि स्टेट गवर्नमेन्ट ए स्टेटमेन्ट इन दि प्रेसक्राइब्ड फार्म आफ दि इस्टीमेटेड कैपिटल एण्ड रेवेन्यू रीसीप्ट्स एण्ड एक्स्पेन्डीचर फार दि इन्सुयूइंग इयर।

दि स्टेट गवर्नमेन्ट शैल ऐज सून ऐज मे बी आफटर दि रीसीप्ट आफ दी सेड स्टेटमेन्ट काज इट टू बी लेड आन दि टेबिल आफ दी हाऊस आर ऐज दि केस मे बी हाउसेस आफ दि स्टेट लेजिस्लेचर एण्ड दि सेड स्टेटमेन्ट शैल बी ओपेन टू डीस्केशन देयर इन बट शैल नाट बी सबजेक्ट टू वोट।

श्री अध्यक्ष—

आप उसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, ऐनुउल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर साल बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार को एक वक्तव्य के रूप में बना कर सब्मिट करेगा और उसमें अपने आय-व्यय का विवरण पूरी तरह हर साल का देगा और सरकार की जिम्मेवारी होगी कि उसको, आय-व्यय के खर्चे को यहां सदन के पटल पर रखेगा, जिसमें कि सदन के दोनों हाउसेज के या स्टेट लेजिस्लेचर्स इस पर चर्चा करेगा। उसमें

[श्री रेवती रमण सिंह--]

वोट का अधिकार नहीं होगा । तो मान्यवर, मेरा कहना है कि यह आप देखें कि कितनी बड़ी अनियमितता हो रही है कि जो सदन का संवैधानिक अधिकार है, उसकी भी यह सरकार द्वारा अवहेलना हो रही है । हर साल आप देखें कि पिछले तीन साल से लगातार जब से यह सरकार बनी है, तब से कभी भी इस सदन में यह आय-व्ययक का विवरण विद्युत् परिषद् ने यहां प्रेषित नहीं किया । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह बड़ा संवैधानिक सवाल है और आप इस सदन को संरक्षण दें, जो यहां के माननीय सदस्य हैं उनको संरक्षण देने का कर्तव्य आपका है । मैं चाहता हूं कि इस सरकार के खिलाफ आप अपना संरक्षण देते हुए निर्देश देने की कृपा करें ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय रेवती रमण जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान जो नियमावली है, उसके नियम 300 की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं :--

300--औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय--(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेद के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । मान्यवर, यह पहले तो इन्टरप्रिटेशन की बात आती है । उसके बाद यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से यह, यहां औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया जा सकेगा । मान्यवर, आप देखें इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती है, जो नियमावली से प्रभावित होती हो । मान्यवर, माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) का हवाला दिया, उसके अन्दर यह है कि इस सदन के या दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के सामने आ जाना चाहिये ताकि उनकी राय का फायदा उठाया जा सके और बोर्ड उनके सुझावों के अनुसार कार्यवाही करे । माननीय रेवती रमण जी ने कहा कि पिछले तीन साल में इस सरकार में, इस सरकार ने इस एलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई भी ऐसी बात या जो धारा 61 (3) के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है, उनको आपके माध्यम से सदन में नहीं रखा । मान्यवर, अगर हम ऐसी बात कह देते, तो हमारे ऊपर विशेषाधिकार फौरन लग जाता है । मान्यवर, इसी सत्र के पहली फरवरी के एजेंडा के मद 34 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं मान्यवर, उसे पढ़ देता हूं :

"मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग) वर्ष 1982-83 को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे ।"

यह मान्यवर, 1 फरवरी, 1983 को और इसी सदन में, इसी सत्र में, यह सदन के पटल पर रखा जा चुका है । माननीय रेवती रमण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिंह जी इसे देख लें । एजेंडे को माननीय रेवती रमण सिंह जी देख सकते हैं उन्होंने जो यह कहा कि 3 साल से रखा नहीं है तो 1982-83 का रखा जा चुका है । 1983-84 का आपके सामने सदन के पटल पर रख दिया जायगा । इसलिये संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं है । 61[3] के अंदर जो कहा गया है उसको गवर्नमेन्ट ने पूरा किया है । 34वीं मद के अनुसार 1 फरवरी, 1983 को सदन के पटल पर रखा गया है । तो मान्यवर, औचित्य का प्रश्न कहाँ से बनता है । मेरा निवेदन है कि रेवती रमण सिंह जी जब किसी कानूनी प्रश्न को उठाया करें तो मेहरबानी करके एजेंडा देख लिया करें ताकि ऐसा कोई भ्रम पैदा न हो ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कहा है····

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे । जो आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऐक्ट को देखूंगा और जो आपने कहा है और जो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने कहा है, मैं देखूंगा और तमाम बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लूंगा । औचित्य के प्रश्न का बाद में निर्णय करूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा का आश्वासन समिति का बारहवां विशेष प्रतिवेदन†

डाक्टर शिवानंद नौटियाल--

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 12वां विशेष प्रतिवेदन, जो वर्ष 1981-82 की समिति ने दिनांक 12 अप्रैल, 1982 की बैठक में अंगीकृत किया था, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसके ऊपर क्या विभागीय मंत्री जी को कुछ कहना है । या 16 [3] के अन्तर्गत यहां फिर विचार की बात होगी ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब जानना चाहते हैं तो दफा 16 के अंदर आगे जो उसके ऊपर कभी विचार होगा तो जो कुछ कहना होगा वह कह दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का तेरहवां विशेष प्रतिवेदन†

डाक्टर शिवानंद नौटियाल--

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 13वां विशेष प्रतिवेदन, जो वर्ष 1981-82 की समिति ने दिनांक 13 अप्रैल, 1982 की बैठक में अंगीकृत किया था, प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का चौदहवां विशेष प्रतिवेदन†

डाक्टर शिवानंद नौटियाल—

मान्यवर, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का 14वां विशेष प्रतिवेदन जो वर्ष 1981-82 की समिति ने दिनांक 13 अप्रैल, 1982 को अंगीकृत किया था, प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन कार्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

(संसदीय कार्य मंत्री से) आप उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु जो प्रस्ताव दिनांक 24 फरवरी, 1983 को इस सदन द्वारा पारित किया गया था, उसको तथा उसके अंतर्गत कृत कार्यवाही को संशोधित करते हुए उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, मार्च के तृतीय सप्ताह में माननीय अध्यक्ष कोई नई तिथि पुनः नियत करें और निर्वाचन की पूरी कार्यवाही पुनः अपनाई जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु जो प्रस्ताव दिनांक 24 फरवरी, 1983 को इस सदन द्वारा पारित किया गया था, उसको तथा उसके अंतर्गत कृत कार्यवाही को संशोधित करते हुए उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु, मार्च के तृतीय सप्ताह में माननीय अध्यक्ष कोई नई तिथि पुनः नियत करें और निर्वाचन की पूरी कार्यवाही पुनः अपनाई जाये ।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।]

सिसवां कांड, जिला बस्ती की न्यायिक जांच को प्रभावित करने के लिए पुलिस द्वारा मुख्य शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र पाठक का घर जलाने तथा सम्पत्ति नष्ट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10/11-2-83 की रात में लगभग 10 बजे किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक, निवासी ग्राम-सिसवां, थाना--मोहाना, जिला बस्ती की झोपड़ी में आग लगा दी । इस झोपड़ी के ऊपर

†छापा नहीं गया ।

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छप्पर पड़ा हुआ था। आग लगने के कारण जैसे ही गांव में शोरगुल हुआ, गांव में नियुक्त सशस्त्र गार्ड के कर्मचारी मौके पर तत्काल पहुंचे और ग्रामवासियों की सहायता से आग बुझाने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात् सशस्त्र पुलिस गार्ड के गार्ड कमान्डर ने थाना मोहाना में दिनांक 11-2-83 को प्रातः पहुंचकर आठ बजकर दस मिनट पर इस घटना की रिपोर्ट अंकित कराई। उक्त सूचना पर थाना मोहाना में मुकदमा अपराध संख्या 19/82 धारा 436 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कायम हुआ।

2—11-2-83 को ही श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक भी थाना मोहाना पर 9·50 बजे प्रातः पहुंचे और उन्होंने भी इस घटना के सम्बन्ध में एक सूचना दी जिसमें उन्होंने कपिलेश्वर पुत्र राम प्यारे व प्रहलाद पुत्र नोबर, जो उसी गांव के निवासी हैं, को आग लगाने वाले अभियुक्तों के रूप में बताया। इन सूचनाओं के प्राप्त होने पर थाना मोहाना की पुलिस इस मुकदमें की तफशीस में ग्राम सिसवा 11-2-83 को ही पहुंच गई। दिनांक 15-2-83 को जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बस्ती ने भी मौके का निरीक्षण किया।

3—विवेचना से ज्ञात हुआ कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक तथा उनके द्वारा नामजद अभियुक्तगण श्री कपिलेश्वर व श्री प्रहलाद के बीच पुरानी वैमनस्य चला आ रहा था। दिनांक 23-4-82 को ग्राम सिसवा में हुई घटना के मुकदमें अपराध संख्या 32/82 में कपिलेश्वर एवं प्रहलाद गवाह अंकित किए गए थे। श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक एवं सम्पत, जिसे पाठक ने दिनांक 10-2-83 को घटना में अपना गवाह अंकित कराया है, दोनों 23-4-82 की घटना में सब अभियुक्त हैं। नामजद अभियुक्त अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। खोज जारी है।

4—गांव में नियुक्त सशस्त्र गार्ड ने आग बुझाने में अपना पूर्ण योगदान दिया था और घटना की सूचना स्थानीय थाने पर यथासम्भव शीघ्र पहुंचाई थी। स्थानीय छानबीन से ज्ञात हुआ कि पुलिस गार्ड तुरन्त मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने में मदद की थी। इस बात को श्री पाठक द्वारा अंकित गवाहों ने भी अपने बयान में कहा है।

5—इस घटना के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी कोई शिकायत अधिकारियों को नहीं दी गयी। जहां तक गांव की सामान्य सुरक्षा का प्रश्न है, इस हेतु अप्रैल, 1982 की घटना के बाद पी0 ए0 सी0 गांव में तैनात थी किन्तु बाद में पी0 ए0 सी0 के स्थान पर आर्म्स गार्ड की तैनाती की गयी। गांव में गार्ड के कारण सुरक्षा की पूर्ण भावना पाई गयी। यह सही नहीं है कि लोग डरे हुए हैं।

6—यह बात सही नहीं पायी कि घटना पुलिस की साजिश से घटी एवं श्री राजेन्द्र पाठक ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है।

7—श्री राजेन्द्र पाठक ने दिनांक 15-2-83 को जिलाधिकारी के दौरे के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने की मांग की थी। घटना चक्र को देखते हुए उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था कर दी गयी है। श्री राजेन्द्र प्रसाद पाठक को गृह अनुदान के रूप में आग लगने से हुई क्षति पूर्ति हेतु 400 रुपया स्वीकार कर दिया गया है।

[श्री गुलाब सेहरा--]

8--न्यायिक जांच आयोग की बैठकें दिसम्बर-जनवरी में दो बार हो चुकी है और मार्च में 5-3-83 के लिए आगामी बैठक निर्धारित है। यह सत्य नहीं है कि न्यायिक जांच में बाधा डालने के लिए कोई भी गवाहों को रास्ते में रोकते, मारते, पीटते और आतंकित करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह जो सूचना मैंने दी थी, इसके सन्दर्भ में दो बिन्दु आप देखने की कृपा करें। परिस्थिति यह है कि यह सिसवां कांड एक बड़ा शर्मनाक कांड हुआ था। मान्यवर, यह राजेन्द्र पाठक जो मुख्य उसमें था, जिसने रिपोर्ट लिखायी और मामले को सामने लाया, उसके घर को सत्यानाश किया गया, उसके बाद ही मैंने यह सूचना दी थी। केवल राजेन्द्र पाठक ही नहीं, जितने लोग उस घटना के मुख्य गवाह हैं, पुलिस उन्हें डरा धमका रहा है ताकि सही साक्ष्य सामने आने न पायें। पुलिस उनकी सुरक्षा न करने के बजाय, उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। मैं इसमें लम्बा भाषण न देकर, केवल दो बिन्दुओं पर जानकारी चाहता हूं जो इसमें उन्होंने शासन की ओर से सब सन्दर्भ देकर विवरण बताया है।

जिलाधिकारी 15 तारीख को वहां पर गए और उन्होंने गांव के लोगों से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी, तो उसके बाद क्या उन्होंने भी शासन को कोई रिपोर्ट दी है, या आप यह जानकारी पुलिस की सूचना के आधार पर दे रहे हैं? दूसरा, मैंने यह आरोप लगाया था कि जो नामजद मुल्जिम हैं, वह पुलिस के आदमी हैं और पुलिस जानबूझ कर गवाहों को प्रताड़ित कर रही है और मुल्जिमों को संरक्षण दे रही है। अगर सरकार गम्भीर है और चाहती है कि जिन्होंने अपराध किया है, उन्हें दंडित किया जाय, लेकिन सरकार यह नहीं चाहती है, गवाहों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि न्यायिक जांच को प्रभावित किया जा सके, तो इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ 82/83 की कुर्की की कार्यवाही आज तक क्यों नहीं की गयी है? यह दोनों बातें मैं जानना चाहता हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिलाधिकारी के बाबत जो आपने पहला सवाल पूछा, वह रिपोर्ट जिसके आधार पर यह वक्तव्य तैयार किया गया है यह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सम्मिलित रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें आपसी वैमनस्य की बात उठाई गयी है। यह सही है कि राजेन्द्र पाठक और कपिलेश्वर के बीच तीन मुकदमों का जिक्र किया गया है। न्यायिक जांच की जा रही है फिर भी शासन ने सी० आई० डी० को जांच हेतु दे दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप नियम 40 देखें। इसमें साफ लिखा है जिस प्रश्न को आप संगत स्वीकार कर लेते हैं उसका संगत उत्तर मंत्रियों द्वारा दिया जाय हीला-हवाला नहीं किया जाय। मैंने जानना चाहा है कि 82/83 की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मान्यवर, इसमें जानबूझ कर राजेन्द्र पाठक और जो दूसरे गवाह हैं उनको पुलिस डरा रही है और मुल्जिमों को सरकार संरक्षण दे रही है। आज 20 दिन हो गए घटना घटे। आज तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया उनको पकड़ने के लिए सरकार ने कौन सा कदम उठाया? पुलिस जब असमर्थ हो जाती है तो 82/83 की कार्यवाही करती है यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई। दूसरी

बात सामने आती है आपके गार्ड्स की। जो पुलिस के सिपाही वहां थे वह मौके पर गए या नहीं ? आप किसको सूचना पर बता रहे हैं कि गार्ड्स गए और आग बुझा रहे थे ?

श्री गुलाब सेहरा—

एफ0 आई0 आर0 जो गार्ड्स ने लिखाई है उसमें अपनी उपस्थिति बताई है 9·50 पर। राजेन्द्र पाठक ने जो प्रार्थना-पत्र दिया है उसमें उन्होंने पुलिस की साजिश की बात नहीं लिखी है। उन्होंने व्यक्तियों का नाम लिखाया है कि इन्होंने आग लगायी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

82/83 की कार्यवाही की गयी। यह बात नहीं आयी। क्या सदन छोड़कर हम लोग चले जायं, वहिर्गमन कर दें। मैंने आरोप लगाया था कि वहां पर तैनात पुलिस मौके पर नहीं गयी, राजेन्द्र पाठक ने क्या रिपोर्ट लिखाई उससे कोई मतलब नहीं है। आरोप मेरा था कि पुलिस की साजिश से यह सब हुआ और सरकार जानबूझ कर मुलजिमों को संरक्षण दे रही है। सिपाहियों ने आग बुझाने का कार्य किया होगा लेकिन मेरा जो आरोप है इसकी कोई जांच आपने कराने की कोशिश की और यदि कराई तो उसकी रिपोर्ट क्या आयी ? वास्तव सिपाही आग बुझाने का कार्य किए या मौके पर गए ही नहीं इस सम्बन्ध में च कर्ता की रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जितनी कार्यवाही थी रोक दी गयी है। क्योंकि सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी हो रही है।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, मेरे जिले का मामला है। यह सही है कि पुलिस वहां पर उत्पीड़न करती है आर्म्स गार्ड या स्थानीय पुलिस के दलाल व थानेदार किसी तरह से पुराने दरोगा को बचाना चाहते हैं। राजेन्द्र पाठक के घर का दरवाजा उखाड़ दिया गया घर की दीवाल गिरा दी गई और जब उसने छप्पर छाया तो उसको जला दिया गया और मंत्री जी ने बताया कि 4 सौ रुपया का अनुदान स्वीकार किया गया है। उसकी दयनीय दशा को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इतना अनुदान देने का कष्ट करेंगे कि वह अपना घर बना सके ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने वक्तव्य में कहा है कि 4 सौ रुपया दे दिया गया है। दूसरी बात राजेन्द्र पाठक ने प्रार्थना-पत्र में यह नहीं कहा है कि पुलिस के द्वारा आग लगायी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं कि राजेन्द्र पाठक ने 12-2-83 को जो मुकदमा दर्ज कराया है।

[श्री अकबर हुसैन—]

उसके जो अभियुक्त हैं, आपने भी स्वीकार किया है फरार हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ 82/83 की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की ?

श्री गुलाब सेहरा—

चूंकि सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी सेट हो गयी थी इसलिये सारी की सारी जांच रोक दी गई....

(व्यवधान के मध्य एक सदस्य के कुछ कहने पर)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

सारे विधायकों पर आरोप न लगायें, उनका नाम बताया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है 82/83 की कार्यवाही हुई है या नहीं ? इसकी सूचना आपके पास है या नहीं ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कहिये कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मोती लाल देहलवी—

जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि इसकी तफ्तीश किस को दी गयी थी क्योंकि सी0 आई0 डी0 को जांच तो बाद में दी गई ? और क्या उस तफ्तीश में कोई कमी थी ? क्या कारण था कि सी0 आई0 डी0 को जांच दी गई और जब एस0 पी0 साहब मौके पर गये, उन्होंने क्या कोई रिपोर्ट दी है कि असलियत क्या थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन् इसमें विवेचना अधिकारी बी0 एन0 राय, क्षेत्राधिकारी है, जिलाधिकारी और एस0 पी0 की सम्मिलित रिपोर्ट आयी है जो 5 पेज की है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

जो उन्होंने सदन में जानकारी दी है कि सी0 आई0 डी0 जांच चल रही है, तो यह जांच आप किस अधिकारी से करा रहें हैं और किस तारीख को दी है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार के प्रश्न करना ठीक नहीं होगा क्यों कि सी0 आई0 डी0 शब्द ही कुछ इस प्रकार का है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तारीख तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

अधिकारी का नाम नहीं बताना चाहिये । तारीख की सूचना अगर मुख्य मंत्री जी, हो तो बता दें ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं संरक्षण और व्यवस्था चाहता हूं । जिस तरह से सिसवा कांड के सम्बन्ध में सूचना नियम 56 में दी थी और आपने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया । उसके सम्बन्ध में जो प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं, मैं तो सन्तुष्ट हूं नहीं, आप सन्तुष्ट हों तो कृपया आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ?

श्री रियासत हुसैन—

जिस तरह से जवाब आ रहे हैं, मैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं । क्या आप सन्तुष्ट हैं ? मैं यह आप से व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कैसे एकदम से बता दूं कि सन्तुष्ट हूं या नहीं ? यह कैसे सम्भव है, किसी व्यक्ति के लिए ?

श्री रियासत हुसैन—

प्रश्न क्या करें ? जब प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 देखें । वक्तव्य के लिए स्वीकार होगा । केवल स्पष्टीकरण मांगा जायेगा । स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न कर रहे हैं और मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ।

श्री धनी राम वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि वहां के एस0 पी0 और डी0 एम0 की संयुक्त रिपोर्ट आ गई है । तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब रिपोर्ट यह है कि निश्चित तरीके से इसमें पुलिस की भी

[श्री धनीराम वर्मा--]

साजिस है। यह आशंका है कि पुलिस की भी साजिश है तो उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की जा रही है ? मान्यवर, मामले को टालने की वजह से सी० आई० डी० की जांच कराई जा रही है।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने प्रारम्भ में कहा कि जो रिपोर्ट थाने में राजेन्द्र पाठक ने दिया है, वह नामजद रिपोर्ट है कि इन लोगों ने आग लगाई।

श्री धनीराम वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर दिलायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

हम शासन को मजबूर तो कर नहीं सकते केवल सलाह दे सकते हैं कि उत्तर ठीक से दें।

(व्यवधान)

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मैं आपके माध्यम से विद्वान कार्यसाधक मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वक्तव्य कोई प्रश्नोत्तर तो होता नहीं, वक्तव्य काफी डिटैल में होता है, सारी सूचना इनके पास होनी चाहिये, इन्होंने सी० आई० डी० की जांच कब कराई ? यह स्वयं कहते हैं कि 82/83 इसलिए नहीं हुआ कि सी० आई० डी० को जांच दे दी गयी। सी० आई० डी० की जांच के कब आदेश दिये गये, और कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने कहा कि 82/83 की कार्यवाही नहीं हुई। तिथि की सूचना मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

सी० आई० डी० की जांच नहीं कराई। अभी आदेश नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हममाननीय सदस्यों का और सदन का अमूल्य समय व्यय होने के बाद यदि इस प्रकार के उत्तर आयें तो सदन के चलने का क्या ? मायन निकलता है। पूंछा गया कि सी० आई० डी० की

जांच की तिथि क्या है। मेरी समझ में नहीं आता माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति है ? उन्होंने कहा तिथि की जानकारी नहीं है और कहते हैं 82/83 की कार्यवाही इसलिए नहीं हुई कि जांच सी0 आई0 डी0 को दे दी गयी। कौन अधिकारी जांच कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी सदन के बाद यदि संभव हो तो सूचना एकत्रित कर लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

स्थानापन्न मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। सदन में और आपके कक्ष में भी हमने कई बार निवेदन किया है कि जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं होते। जब सी0 आई0 डी0 को जांच दे दी गयी तो आपको पूछ कर आना चाहिए कि तिथि क्या है ? जब हम कहते हैं कि 82/83 की कार्यवाही क्यों नहीं की तो दूसरा जवाब आता है और जब सी0 आई0 डी0 की कार्यवाही की बात होती है तो तिथि नहीं बताते। मैं समझता हूं कि इमेजिनेशन पर उत्तर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप निर्देशित करें कि सी0 आई0 डी0 को जांच कब दी गयी ? आप पूछें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन प्रश्नों के बाद जो पत्रावली है, मेरे पास भेज दी जाय। मैं देख लूंगा।

[तालियों की आवाज]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनको मैंने पूरी तरीके से देखा है। पहली सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री विद्यासागर नौटियाल की, उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल किये जाने से सम्बन्धित है। इसी सम्बन्ध में श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की भी सूचना है। तीसरी सूचना श्री हरगोबिन्द वर्मा को लखनऊ विश्वविद्यालय के गिरफ्तार छात्रों के साथ थाने में दुर्व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित है। श्री गोपी नाथ वर्मा की जनपद फैजाबाद के वकीलों एवम् पत्रकार के बीच हुई मारपीट के सम्बन्ध में तथा एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने के बारे में है। यही सूचना श्री मित्रसेन ने दी है श्री सरदार सिंह जी की मथुरा नगर एवम् देहात की राशन की दुकानों पर कीड़ायुक्त गेहूं बिकने के सम्बन्ध में है। श्री मोती लाल देहलवी की, चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ में शव मिलने के सम्बन्ध में है और यही सूचना श्री भीखा लाल जी ने भी दी है। श्री जमुना

[श्री अध्यक्ष—]

प्रसाद जी की जनपद बाराबंकी के नेशनल इन्टर कालेज परीक्षा केन्द्र को स्थगित करने के सम्बन्ध में है। श्री विद्यासागर नौटियाल जी की, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली सहायता पर रोक के सम्बन्ध में है। श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी की, मटनी चीनी मिल, देवरिया के मजदूरों द्वारा बोनस न मिलने के विरोध में अनशन किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री रियासत हुसेन, श्री अकबर हुसैन और श्री राम गोविन्द की, जनपद झांसी में चोरी, हत्याएं तथा अपहरण के मामलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री हरिवंश सहाय और श्री नंद किशोर सिंह जी की, उत्तर प्रदेश का 3 लाख क्विंटल गन्ना बिहार फैक्ट्री को देने के सम्बन्ध में है। सर्वश्री धनी राम वर्मा, दल गंजन सिंह, शंकर सिंह, राम सागर, नंद किशोर सिंह, श्रीमती विमला राकेश, श्री राधेश्याम पटेल की, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है। सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ और श्री किरन पाल सिंह की, गोरखपुर विकास मण्डल द्वारा संचालित उद्योगों के धनाभाव के सम्बन्ध में है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, असम चुनाव में भेजी गई पी० ए० सी० का भव्य स्वागत किये जाने के सम्बन्ध में है।

मैंने इन सभी सूचनाओं को देखा है और जहां तक पहली सूचना का सम्बन्ध है जिसमें मैंने श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, विद्यासागर नौटियाल, कुंवर सिंह नेगी और श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी जी को लिया है और नियम 51 के अन्तर्गत अभी तक उस पर विचार किया जा रहा है और उस पर निर्णय में शाम को दूंगा। जहां तक माननीय श्री हरगोविन्द वर्मा जी का सम्बन्ध है इसमें शासन को सुना जा चुका है और इस वक्त इस पर मैं सुनना मुनासिब नहीं समझता हूं। इसमें सदन में बातें हो गई हैं और इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। श्री सरदार सिंह जी की सूचना नियम 301 में हो चुकी है। माननीय श्री राम सागर, श्री नन्द किशोर सिंह, और श्री राधेश्याम पटेल का नियम 301 में स्वीकार हो चुका है। मैंने अपने विवेक से निर्णय लिया है और उसकी महत्ता को देखते हुए तथा तमाम बातों पर विचार करने के बाद तय किया है। पहले में श्री गोपी नाथ वर्मा जी को उसके बाद माननीय श्री मोती लाल देहलवी और तीसरे नम्बर पर श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्द किशोर सिंह जी को सुनूंगा, केवल ग्राह्यता के बारे में।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठें।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं अपनी सूचना के सम्बन्ध में केवल तीन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद फैजाबाद के जनवार्ता समाचार के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश के सर्वजनीय पत्रकार संघ के श्री अरविन्द कुमार सिंह को 25 तारीख को कचहरी में कुछ वकीलों ने बात करने के लिए बुलाया। बार में ले जाकर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें कुर्सियों से तथा बेतों से मारना शुरू किया। इससे भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। उनके सीने की हड्डी हाथ तथा पांव टूट गए और वे बुरी तरह से घायल हो गए इसके बावजूद भी पुलिस का संरक्षण श्री अरविन्द कुमार सिंह को नहीं मिल पाया।

श्री अवधेश कुमार सिंह को मारने के बाद उनके विरुद्ध 307 का मुकदमा लिखा दिया और पुलिस वालों ने श्री अरविन्द कुमार सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उनको हथकड़ी लगाकर पूरी कचहरी में घुमाया गया और उनकी फोटो खींची गई। अरविन्द कुमार सिंह ने जो रिपोर्ट लिखायी 395 की उसपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस की एक पक्षीय कार्यवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके अतिरिक्त उसी घटना क्रम में साकेत विद्यालय का छात्र, जो इस मामले में गवाह था उसका अपहरण कर लिया गया। साकेत विद्यालय के छात्रों ने 26 तारीख को साकेत महाविद्यालय के सामने अयोध्या-फैजाबाद रोड पर जमा होकर ढ़ाई घंटे तक प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन पर आवागमन पुनः जारी हुआ। इसके बावजूद कार्यवाही न होने पर 28 तारीख को जुलूस निकाला, जिसके कारण पूरे जनपद में तनाव व संघर्ष का वातावरण व्याप्त है। इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करा दें जिससे आजमगढ़ जैसी स्थिति मेरे जनपद में न हो सके। आप इस पर चर्चा करा दें वरना पूरा जनपद जल जायेगा।

(श्री रियासत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया था एक विषय पर एक ही सदस्य को सुनूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

फैजाबाद में जनता पार्टी के महामंत्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। शासक दल की जो नीति है कि पदाधिकारियों के साथ इस तरह की कार्यवाही करें इस पर कुछ न कुछ शाम तक वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री मित्र सेन के खड़े होने पर

श्री अध्यक्ष--

मित्र सेन यादव जी, निर्णय हो गया है सदन को कई बार बता चुका हूं कि एक विषय के लिए एक ही माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, जो छूट गया है, उसे कहना चाहता हूं। आज महाविद्यालय के छात्र और सारे पत्रकार दूसरे पढ़े लिखे सम्मानित लोग आज वहां एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। अरविन्द कुमार सिंह को मारने के बाद भी उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहां की स्थिति बिगड़ सकती है। वक्तव्य दिला दें। अरविन्द कुमार सिंह की गिरफ्तारी एक बहुत शर्मनाक घटना है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, जिस दिन की घटना है उस दिन वकीलों ने बुलाकर बुरी तरह मारा...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आपका तो इसमें कहीं नाम भी नहीं है, क्या सुनूं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज में रोष व्याप्त है। इस पर बयान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, इस सारी घटना की जांच के लिए वहां के सभी दलों ने और सभी ने मांग की थी कि वहां की स्थानीय पुलिस से न कराकर सी० आई० डी० से करायी जाय। 26-2-83 को सी० आई० डी० इन्क्वायरी के आदेश हो गये हैं, जांच जारी है। वहां पी० ए० सी० की एक कम्पनी भी लगा दी गई है। स्थिति को कन्ट्रोल में रखा गया है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जिससे कार्य-स्थगन का सवाल बनता हो। फिर भी माननीय सदस्य की चिन्ता को देखते हुए और भी ज्यादा इन्तजाम करा दिये जायेंगे। इन्क्वायरी को शीघ्र ही कराया जायगा।

*श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, कल चारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म पर दो सम्भ्रान्त लोगों की लाशें मिली हैं। और एक ही विषय से सम्बन्धित है, इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। मान्यवर, इसके पहले भी वहां पर एक दर्जन से ज्यादा लाशें मिल चुकी हैं और आज तक इन मौतों के कारणों की जानकारी जनता को यह सरकार नहीं दे सकी है, अगर यह सरकार वास्तव में यह जानकारी प्राप्त करना चाहे तो मान्यवर, कोई वजह नहीं है कि यह सारी जानकारी एक हफ्ते के अन्दर प्राप्त न कर ले, लेकिन यह घटनाएं लगातार घट रही हैं और उन पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है, जब कि चारबाग लखनऊ का मुख्य स्टेशन है और लखनऊ स्वयं इस प्रदेश की राजधानी है, जब यह हाल है, अगर किसी दूसरी जगह का मामला होता तो कुछ कहा भी जा सकता था, इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का प्रश्न है और मान्यवर, वहां पर जो जी० आर० पी० पुलिस है, लगता है उसकी सांठ-गांठ से कोई गिरोह विषैली चीजों को खिलाकर कर रहा है, तो मान्यवर, न तो इन चीजों की जानकारी अब तक हो सकी, मान्यवर, मरने वालों में ज्यादातर संभ्रांत लोगों की लाशें थोड़े-थोड़े दिनों में मिल रही हैं और यह सरकार चुप्पी साधे हुए है, इसलिए मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अवश्य कराकर इस समय सदन के काम को रोककर एक आदर्श कायम करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, चारबाग स्टेशन पर लावारिश लाशों के मिलने की धारणा इस माह से नहीं लगभग दो वर्षों से बन रही है और इसका आज तक कोई पर्दाफाश नहीं हो सका है। मान्यवर, स्टेशन पर तैनात जो जी० आर० पी० पुलिस है, लगता है इसके संरक्षण में कोई दल विषैली चीज को खिलाकर नागरिकों को लूट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है और साथ ही में इस पुलिस की सांठ-गांठ से उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं, जिनकी लाशें दर्जनों की शक्ल में अक्सर प्राप्त हो चुकी हैं इसलिए, मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस विषय पर जो भी विचार माननीय देहलवी साहब ने रखे हैं, मैं भी उन्हीं विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं क्योंकि मैंने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है और सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि वह इसकी गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त चर्चा काम रोक कर करवाएं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, आज भी सदन में इसी विषय को लेकर प्रश्न नं0 145 पर तारांकित प्रश्न द्वारा माननीय प्रदीप कुमार यादव द्वारा पूछा गया है कि वर्ष 1980 से 1982 के अंत तक कितने शव चारबाग स्टेशन पर प्राप्त हुए हैं और जहां तक इस मसले की गम्भीरता का सवाल है, यह मान्यवर, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले सब के लिए चिन्ता का विषय है और जिन बातों को सर्वश्री देहलवी साहब व भीखा लाल जी ने बताया है, उन तथ्यों की जानकारी अवश्य कराई जायगी और यदि मान्यवर, आप चाहें तो इस पर वक्तव्य दिलाना तो भी सरकार इस पर तैयार है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, 18-2-83 को भटनी मिल के श्रमिकों ने कुछ अपनी जरूरतें रक्खीं और जब वह पूरी नहीं की गयीं तो उन लोगों ने क्रमिक अनशन करने प्रारम्भ किये....

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की इजाजत आपको नहीं देता हूं।

[1 बज कर 20 मिनट]

*श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अध्यक्ष जी, देवरिया जिले में 14 चीनी मिलें हैं जिसमें वहां के 18 गांवों का गन्ना गोपालगंज को दे दिया गया है और इस बार उसमें 60 हजार के करीब गन्ना लिया है और अब उसने गन्ना लेना बन्द कर दिया है जिसके कारण वहां के किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि उनका गन्ना अभी खेतों में पड़ा हुआ है वहां के कांग्रेस के लोग कहते हैं कि तुम्हारा गन्ना नहीं लिया जायेगा तो किसान परेशान हैं कि हमारे गन्ना का क्या होगा, कहीं वह फूंक तो नहीं दिया जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा कराने का आदेश दे दें जिससे कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी यह गन्ना का विषय है और आप यहां बैठे हुए हैं आपको इस विषय पर कुछ कहना है ?

(गन्ना मंत्री की ओर से कोई उत्तर न आने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष---]

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, क्या गन्ना मंत्री जी कुछ बतायेंगे ? मैंने बहुत पहले ही निवेदन किया था कि जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत आती है तो उससे सम्बन्धित माननीय मंत्री यदि सदन में उपस्थित हों तो उनको सुनना चाहिये कि यह मामला मेरे से सम्बन्धित है या नहीं और प्रयत्न करना चाहिये कि यदि उन्हें जानकारी है तो शायद वे कुछ उत्तर दे सकें ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आपका जो आदेश है, वह शिरोधार्य है ही, वह तो सब में मानने के लिये तैयार ही हूं ।

श्री रियासत हुसैन---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था यह है कि पिछली बार राज्य सभा में माननीय हिदायत उल्ला जी, उप सभापति ने रूलिंग दी थी कि जब सम्बन्धित मंत्री सदन के अन्दर उपस्थित हों तो उस समय किसी दूसरे मंत्री को उससे मुताल्लिक उत्तर देने के लिये खड़ा होना उचित नहीं है । इस समय गन्ना मंत्री सदन में मौजूद हैं तो क्या आप दूसरे मंत्री से उत्तर दिलाना उचित समझेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आपको याद होगा कि जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गये दोनों की ज्वाइंट रिसपान्सबिलटी है । माननीय गन्ना मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये । मैंने उनसे कहा भी था लेकिन फिर भी संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर देना उचित समझा ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी---

मेरा सिर्फ इतना निवेदन था कि आपका आदेश सिर आंखों पर, पर होता यह है कि सूचनायें 10-30 बजे प्राप्त हो पाती हैं और सब मंत्रियों का यहां हो पाना सम्भव नहीं है । जो सूचनायें हैं वो सम्बन्धित मंत्री के पास भेज दी जायेंगी और उनके निराकरण का प्रयास किया जायेगा ।

(व्यवधान)

(श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री जमुना प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम गोविन्द तथा श्री धनीराम वर्मा सब एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे जिसके कारण शोर में कुछ सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठिये, मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा---

मेरा मामला शिक्षा से सम्बन्धित है । शिक्षा विभाग तो शिक्षा के सम्बन्ध में उदासीन है ही परन्तु मैं आपसे आशा करता था कि आप मुझे इस सदन में अपनी बात को रखने का मौका देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप मुझे एक मिनट के लिये अनुमति दे दें । एक मिनट न सही तो आधा ही मिनट ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसे इस तरह से सब को अवसर देने लगा तो मैं आपको यदि अवसर दे दूं तो दूसरों को कैसे नहीं दूंगा ? आप बैठिये ।

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैंने उन सबको अस्वीकार किया है और कोई भी सूचना इस प्रकार की नहीं है जिसे नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता ।

(श्री धनीराम वर्मा के पुनः खड़े होने पर)

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है ।

मैं बोल रहा हूं तो आपको कोई अधिकार नहीं है धनीराम वर्मा जी, आप बैठ जायं । श्री हरिवंश सहाय की सूचना को मैंने शासन के पास भेज दिया है । बाकी सभी को अस्वीकार किया है ।

(श्री धनीराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यान विभाग, तथा अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

इस पर चर्चा का आज का ही दिन है । इसलिये मैंने निर्णय लिया है कि दल के नेता और मंत्री 10 मिनट और अन्य बाकी सदस्य 5-5 मिनट बोलें । नेता विरोधी दल को उत्तर भाषण के लिए 10 मिनट का समय दिया है और अगर आवश्यकता पड़ी और सदन यह महसूस करता है तो शाम को टाइम इसका बढ़ाया जा सकेगा ।

†दिनांक 28 फरवरी, 1983 को कार्यवाही से ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । कल मैं बड़े गौर से नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था । तीन घंटे का उनका भाषण था । उससे जाहिर हुआ कि उन्होंने विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ा है और अध्ययन किया है, लेकिन उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो गांधी जी से चले और अपनी पुरानी परम्परा पर आ गये । जिसमें केवल कम्पलेंट ही कम्पलेंट थी, केवल शिकायत ही शिकायत

(इस समय 1 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

थी लेकिन अब की थोड़ा सा परिवर्तन किया है । उनका जो भाषण तीन घंटे हुआ उससे उनके दल के ही लोग बोर हो रहे थे । वह भी सिर दर्द की गोली मांग रहे थे । मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो समय उनको बोलने का मिला वह नियमों के विपरीत दिया गया । क्योंकि अनुदानों पर नेता विरोधी दल को कभी भी तीन घंटे का समय नहीं दिया जाता है । मान्यवर, उनका पूरा भाषण अधिकारियों पर था । उन्होंने कलोनियल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कही है यह सही है वह सिस्टम आज भी है वह हम भी स्वीकार करते हैं और वह भी स्वीकार करते हैं । अधिकारी सदा सुहागिन की तरह हैं । राजा चाहे कोई भी हो, रानी मन्दोदरी ही रहेगी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रति और माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रियों तथा विधायकों के प्रति यह कहा जाये कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं यह तथ्य से परे है मैं उनकी ही सरकार के आपके सामने 2–3 मिसालें देना चाहता हूं । सर्व प्रथम इसी सदन में जब जनता पार्टी का शासन था अकबरपुर में दो हत्याकांड हुए थे ।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी जिनका यह बजट है न तो वह हाजिर है और न नम्बर दो के मंत्री ही हाजिर हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

दो मंत्री तो हमारे सामने ही बैठे हैं । उनकी कलेक्टिव रेसपान्सिबिलिटी है । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने चरित्र को संभाल कर नहीं रख सकते हैं और असामाजिक लोगों को प्रश्रय देंगे इससे गलत परम्परायें होंगी ही । मैं कहना चाहता हूं कि जब नरेन्द्र तथा बिरेन्द्र हत्या कान्ड हुआ था जिन लोगों ने गोली मारी उनके इतिहास को मैं जानता हूं । वह श्रीमन् वे रिकग्नाइज्ड डकैतों के सरगना हैं, उनके ऊपर कत्ल और हत्याओं के मुकदमें चल रहे हैं । मान्यवर, इसी सम्बन्ध में माननीय रियासत जी ने उस समय सवाल किया था और उसमें उत्तर आया था कि कोई भी मुलजिम हत्या के मामले में सजायफता नहीं है । अतः केस बनने का प्रश्न नहीं उठता । पांच मुलजिमों को उनके प्रार्थना–पत्र पर, जिस पर क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति थी, उसका संस्तुति के आधार पर उन्हें बी क्लास (श्रेणी) दी गई थी । मान्यवर, ये वे मुलजिम हैं जिनके बाप भी मुलजिम हैं । बेटे

भी मुलजिम हैं। मान्यवर, माननीय रियासत साहब ने दुबारा प्रश्न किया था। मैं उनका इसलिये शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने पूछा था जो इस बात का सबूत है कि जनता पार्टी के विधायक, जनता पार्टी के नेता लोग किस तरह से असामाजिक लोगों को प्रश्रय देते हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री हरीराम वर्मा, विधायक, अकबरपुर तथा उनके साथियों ने वीरेन्द्र सिंह की हत्या से सम्बन्धित मुलजिमानों के फैजाबाद जेल में आने के बाद तथा चौधरी सिबते तथा मो० नकवी, जो अब जेल में विजीटर भी हैं, के साथ कितनी बार जेल विजिट किया है और इन मुलजिमानों के सरेन्डर के पहले कब-कब उन्होंने जेल का निरीक्षण किया या आये हैं? इसका उत्तर दिया गया था वीरेन्द्र सिंह हत्या के मुलजिमानों के कारागार में आने के बाद श्री हरी राम वर्मा, विधायक, अकबरपुर तथा उनके साथी चौधरी सिबते, मुहम्मद नकवी के साथ तथा अलग-अलग 10 बार कारागार में आये। वीरेन्द्र सिंह हत्या के मुलजिमानों के कारागार में प्रवेश करने के पूर्व इन किसी ने भी किसी दिन जेल विजिट नहीं की।

मान्यवर, यह प्रमाण इस बात का है कि जनता पार्टी

[लाल बत्ती होने पर]

मान्यवर, अभी तो मुझे समय मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता--

अध्यक्ष जी व्यवस्था कर गये हैं, उसी के अनुसार आपको समय मिलेगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, बीच में मेरे समय में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, वह समय तो मुझे मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि श्री श्रीपति मिश्र की सरकार की कार्य कुशलता की बात है इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सरकार ने जिस तरह से इस प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था को बनाये रखने में जो योगदान दिया है, जिस प्रकार से डकैतों के साथ इन्काउन्टर करके हथियारों से सरेन्डर करवाया है और जिस तरह से प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने में 15-20 डकैतों के गिरोहों

[श्री प्रियदर्शी जेतली—]

को समाप्त कराया है साथ ही जिस तरह से उन्होंने प्रदेश की शांति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवायें ली हैं वह इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस प्रदेश में शांति व्यवस्था को कायम रखने में अद्वितीय योगदान दिया है। यह प्रदेश या देश निश्चित रूप से चाहता है कि इस प्रदेश और देश के अन्दर एक मजबूत विरोध पक्ष हो जिससे जनतन्त्र प्रणाली मजबूत रह सके लेकिन आज तक वे न कर सके। लेकिन मान्यवर, मेरी राय है विरोध पक्ष तब तक अपना मजबूती से योगदान नहीं दे सकता है जब तक कि उसके दो स्टार्स जो विरोध पक्ष में है उनको यह लोग अलग नहीं करते है। मान्यवर, ये हैं—एक चौधरी चरण सिंह और दूसरे राज नारायण। चौधरी चरण सिंह का काम है कि जब वे जिस शासन में रहे हैं वह शासन पूरा नहीं चला।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उनके बारे में यहां पर कोई कटाक्ष नहीं होना चाहिए। यह संसदीय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण का समय समाप्त हुआ।

[व्यवधान]

आपको दो मिनट मिल गये। कृपया बैठें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अन्त में मैं अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं अभी अपने पूर्व वक्ता माननीय सदस्य फैजाबाद का भाषण सुन रहा था। वे जजबात में बोल रहे थे और बोलते-बोलते कुछ ऐसी अनर्गल बातें कहने लगे जिनको अनर्गल कहते हुए भी मुझे शर्म आती है।

माननीय चरण सिंह और माननीय राजनारायण का नाम लिया, यह प्रश्न यहां इस समय कहां विचाराधीन है? अगर मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम ले लूं और यह कहूं कि जब तक वे राजनीति में रहेंगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तो इस तरह की चर्चा से कोई लाभ नहीं होने वाला है।

मान्यवर, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से कम से कम सही तथ्य अवश्य जनता के सामने रखे जाने चाहिये ताकि स्थिति की सही जानकारी जनता की हो सके और वह गुमराह न हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्य-कलापों तथा उपलब्धियों का विवरण जो इस पुस्तिका में छपा है उसमें यह बताया गया है कि क्राइम्स कम हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले, आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की गयी है कि अपराध कम हुये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

मैं यह बताना चाहता हूं कि यह आंकड़े फर्जी हैं। सरकार ने स्वतः यह स्वीकार कर लिया है कि हत्या के मामलों में 4 फीसदी की इजाफा हुआ है। चूंकि हत्या को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिये इसमें इजाफा हो गया। जो अन्य अपराध हैं उनको सही-सही दर्ज नहीं किया जाता, इसीलिये यह आंकड़े कम दिखाये जाते हैं और यह साबित करने की कोशिश की जाती है आंकड़ों की जगलरी से कि अपराध कम हुए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपराध बढ़े हैं और इस तर्क को सिद्ध करने के लिये मैं आई० जी० महोदय का हाल बयान, जो उन्होंने इलाहाबाद में 15 अगस्त के बाद, एक प्रेस कान्फ्रेन्स में दिया था और उसमें भिन्न-भिन्न अपराधों के कुछ आंकड़े दिये थे, उसे बताना चाहूंगा। उन आंकड़ों से आज के आंकड़ों को अगर कम्पेयर करके देखा जायेगा तो काफी अन्तर दिखायी देगा। उन्होंने बतलाया था कि 1 जनवरी से 15 अगस्त के बीच हत्या के 3,514, डकैती के 2,435, मामले हुए, जबकि इसी अवधि में 1980 और 1981 में हत्या के 3,341 और 3,480 तथा डकैती के 1,385 और 1,871 कांड हुये। यह आंकड़े स्वयं यह बता रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अपराध बढ़े, लेकिन जब सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया, रिमाइन्डर्स भेजे गये कि अपराध लिखे नहीं जायेंगे, तो साल के आखिर में यह आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जो इस किताब में हैं। यह आंकड़ों की जगलरी है। आपने जो प्रशासनिक आंकड़े दिये हैं, सब गलत हैं।

मैंने एक सवाल विधान सभा में पूछा था कि जो नये थाने आपने बढ़ाये उनमें क्या जिलों की पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया, क्या पुलिस फोर्स में वृद्धि की या जो आपका पुलिस फोर्स था उसी में से उन नये थानों में पुलिस फोर्स को आवंटित कर दिया। अगर पुलिस नहीं बढ़ायी तो जो थाने आपने बढ़ाये उनके बढ़ाये जाने से क्या लाभ? मुझे यह बताया गया था कि मेरे जिले में 5 थाने बढ़ाये गये हैं और यह भी बताया था कि अब तक वहां 4 सब-इन्सपेक्टर और 23 कान्सटेबिल आदि दे दिये हैं। पर यह सब झूठ है। यह सदन को गुमराह करने वाला उत्तर था क्योंकि जो आवंटन किया गया वह उसी पुलिस फोर्स में से किया गया था जो वहां पर जिले के लिये आवंटित थी। इस तरह से केवल थानों की संख्या ही बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि पुलिस फोर्स की कमी है इस कारण भी अपराध बढ़ रहे हैं।

अब मैं होम गार्ड्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। शासन की ओर से जो घोषणायें होती हैं उनका तो कम से कम आदर होना चाहिये। 9 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि होम गार्ड्स के जवानों को भी जब वे ड्यूटी पर होंगे और किसी की मृत्यु हो जायेगी, तो उसे वही सुविधायें आदि दी जायेंगी जो पुलिस के जवानों को मिलती हैं। जो नकद धन,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

पेन्शन आदि की सुविधा एक पुलिस वाले को मिलती है, वही होम गार्ड को भी मिलेगी, यह मुख्य मंत्री जी की घोषणा है । मैं पूछना चाहता हूं कि वही सुविधायें होम गार्ड को क्यों नहीं दी जाती हैं ?

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा कर दी कि राज्य होम गार्ड के जवानों को पुलिस के समान ही सुविधायें मिलेंगी । यह घोषणा हो गयी और तालियां पिट गयीं । लेकिन आज तक इस आशय का कोई आदेश प्रशासन ने नहीं किया है । मैं याद दिलाना चाहता हूं अभी 20-21 नवम्बर, 1980 को आल इंडिया होमगार्ड्स की कानफरेन्स हुई थी उसमें प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पधारी थीं उन्होंने खुद कहा कि यह बात सही है कि उनको अधिकार मिलना चाहिये । 1980 में प्रधान मंत्री ने कह दिया और उसके बाद मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी और आज तक इसके बारे में कोई आदेश नहीं गया इसकी बड़ी चर्चा होती है । मैंने होमगार्ड के सम्बन्ध में पूरी किताब पढ़ी आपने कहा वैतनिक और अवैतनिक सब तरह के लोग रहेंगे । प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं महिला हैं जिनके नेतृत्व की आप दुहाई देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि एक भी महिला होमगार्ड वैतनिक नहीं है । आपने आदेश कर दिये वन एवं आबकारी विभाग में 10 और 25 परसेंट महिलाओं का रिजरवेशन रहेगा लेकिन होमगार्ड में एक भी महिला वैतनिक नहीं है । इस पर आपको विचार करना चाहिए । आप उनकी सेवाओं की तारीफ करते हैं लेकिन जब प्रमोशन का सवाल आता है होमगार्ड में तो आप बाहर से लोगों को ले आते हैं जबकि केन्द्र के इस सम्बन्ध में निर्देश हैं तथा अन्य राज्यों ने इसका प्रावधान कर दिया है महाराष्ट्र ने यह सुविधा पहले से दी हुई है । मैंने एक सवाल किया था और जानना चाहा था कि होमगार्ड संगठन में इन लोगों को सेलैक्सन ग्रेड क्यों नहीं देते ? तो सरकार ने आदेश जारी कर दिये, 14 मई 80 को । मैंने फिर सवाल किया कि क्या आपने सेलैक्सन ग्रेड दे दिया है, तो मालूम हुआ वाकई में एक भी सेलैक्सन ग्रेड नहीं दिया गया है । आदेश जारी हो गए लेकिन वास्तव में दिया नहीं गया । यह मैं इसलिए कह रहा हूं, देखें कि हमारा सामान्य प्रशासन कैसे चल रहा है । हम लोग यहां पर सुझाव के सुझाव देते हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही करने का काम नहीं होता ।

एक समस्या को मैं वहां पर कई बार उजागर कर चुका हूं । यह मैं सामान्य प्रशासन की बात बता रहा हूं कि सरकार की तरफ से किस प्रकार के आदेश जारी होते हैं । एक आदेश जारी हो गया जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अधिकांश विद्यालयों में अंग्रेजी अनिवार्य हो गयी है । लोगों ने मेरे से कहा कि अब अंग्रेजी अनिवार्य हो गयी है मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है । तो मैंने उसमें सवाल किया था तो बताया गया कि ओवर आल हाई स्कूल में 6 विषय आपने अनिवार्य कर दिए । यह सरकारी कार्य कुशलता की बात बता रहा हूं । एक विषय आपने हिन्दी अनिवार्य कर दिया उसके बाद कोई दूसरी भाषा लेनी है । इसमें मैंने एक सवाल किया था और सरकार ने स्वीकार किया है कि 473 ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर अंग्रेजी के अलावा कोई और भाषा हो ही नहीं सकती है जिसकी मान्यता हो तो अंग्रेजी इस प्रकार लेनी अनिवार्य हो जाती है । तो इस प्रकार करीब चार सौ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर गांव से छात्र आते हैं उनके सामने कोई विकल्प रह नहीं जाता है कि वह अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा लें ।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15---गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17---गोपन विभाग, अनुदान संख्या 21---नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24---नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25---नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36---प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55---विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65---सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69---सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79---सैनिक कल्याण

श्री अधिष्ठाता:---

आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

ठीक है। एक और प्रश्न में आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धित है। आज हमारे यहां एक नया झगड़ा पैदा हो गया है आई० पी० एस०, आई० ए० एस० और पी०सी०एस० के बीच अगर इस पर नहीं गौर किया तो यह सड़क पर आजायेगा । मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि समय रहते हुए उनकी समस्या को सुन कर समाधान करे । अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हमारे काम करने के माध्यम हैं उस प्रणाली में गतिरोध पैदा हो जायेगा क्योंकि कर्मचारियों में आज असंतोष है जिससे कार्य करने की क्षमता उनकी टूट जाती है ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि समयबद्ध वेतनमान दे देंगे लेकिन साल भर हो गया है आज तक राजाज्ञा नहीं निकली है इसी तरह अगर कोई इनकी इच्छा के खिलाफ काम करने लग जाय तो क्या होगा है । एक तरह से कत्लेआम हो जाता है । मैं समाचार पत्रों की बात बताना चाहता हूं ।

श्री राम सिंह खन्ना---

कितने कत्लेआम हुए जरा बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मंत्री जी जो बहुत विद्वान हैं उसके शब्दिक अर्थ में न जायं । और कत्लों की बात होगी तो उसकी भी संख्या बता दूंगा । तो मैं समाचार पत्रों की बात कह रहा था एक 'हिन्दू प्रभात' है इसी तरह 'मेरठ समाचार' है जिनको आपने विज्ञापन देना बन्द कर दिया है ।

यदि वह गलत काम करते हैं, विज्ञापन उनका बन्द करें या कोई सजा दें उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन काम विधि के अनुसार करें, उनके खिलाफ मुकदमें दायर करें किन्तु वह आपकी हिम्मत नहीं है । चूंकि आपके पास सबूत नहीं हैं । आपने घोषणा कर दिया कि उनको कोई शासकीय विज्ञापन नहीं दिया जायेगा, इसलिए जानबूझकर सरकार चाहती है कि कुछ प्रतिबन्धित पत्रकार हो जायं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि पत्रकारों के खिलाफ कोई आरोप हैं तो उनको नोटिस दी जाये अन्यथा सामान्य कार्यवाही की जाये । धन्यवाद ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गृह और सामान्य प्रशासन के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जो मांगें प्रस्तुत किया है मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, अभी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त कह रहे थे कि हत्या के मामलों में बड़ी बढ़ोत्तरी हुई, आंकड़े सही नहीं दिए गए हैं, तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1977 से 1980 के बीच, जब उनके दल का शासन था, कानून और शांति व्यवस्था की क्या स्थिति थी ? इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश एक गंभीर घटना है। मान्यवर, 1967 और 1977 में प्रदेश की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी चूंकि जितने बड़े-बड़े बदमाश थे सभी मीसा के अन्तर्गत जेलों में बन्द थे लेकिन 1977 से 1980 के बीच में उन सभी को उनके दल की सरकार ने हरी बनाया था और मीसा से उनको छुड़ाया गया और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके कानून एवं शांति व्यवस्था को समाप्त किया गया। आज 1980 और 1983 के बीच में हमारी सरकार के समय में निश्चित रूप से संतोष कर सकते हैं कि कानून और शांति व्यवस्था में समुचित सुधार हुआ है। मान्यवर, 1982 का वर्ष ऐसा नहीं है, हम अहसास करते हैं कि पुलिस की क्या कमियां हैं, जिनके सुधार का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं उन सफलताओं के लिए जो 1982 में पुलिस ने प्राप्त किया। मान्यवर, कठिन परिस्थितियों में जैसे बाढ़ की समस्या आयी, अर्ध कुम्भ की समस्या आयी, सम्पूर्ण प्रदेश में ग्राम प्रधानों के चुनाव कराने, उप चुनाव कराने की समस्या आयीं जिनको सफलतापूर्वक यहां की पुलिस और सरकार ने कानून और शांति व्यवस्था को कायम रखकर एक उपलब्धि प्राप्त किया है जिसके सम्बन्ध में इधर बैठने वाले गर्व कर सकते हैं। मान्यवर, जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कह रहे हैं कि फर्जी आंकड़े हैं, तो जब उनके दल की सरकार थी तो उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को सही बताते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था है उसके आधार पर गतवर्ष की अपेक्षा डकैती में 22·15 प्रतिशत, लूट में 9·08 प्रतिशत, दंगों में 1·52 प्रतिशत नकबजनी में 14·16 प्रतिशत की और समस्त हस्तक्षेपीय मामलों में 11·47 प्रतिशत की कमी आयी है।

मान्यवर, जहां उधर के बैठने वाले और नेता विरोधी दल ने पुलिस की आलोचना करते हैं तो हमें उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। पिछले वर्ष में 55 पुलिस अधिकारियों ने डकैतों से विभिन्न अवसरों पर मुठभेड़ों में अपनी जान की आहुति भी किया और वीरगति प्राप्त किया जिसकी प्रशंसा उनको करनी चाहिए।

मान्यवर, समय कम होने से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक प्रादेशिक सेना होती है जिसमें राज्य कर्मचारी और अधिकारी सैनिक के रूप में काम करते हैं। प्रादेशिक सेना लड़ाई और युद्ध के समय में सैनिकों के साथ कन्धे से कंधा लगाकर अपनी जान की बाजी देकर कुरबानी देते हैं। सारे प्रदेश में उनके अधिकारी जो हैं वह 22 साल की सेवा के बाद टी० ए० डिकोरेशन उनको प्राप्त होता है तो 2,500 रुपये दिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

और उनकी जो सेवायें हैं, 15 साल की सेवा पर जब उनको मेडल प्रदान होता है तो 1,500 रुपया एकमुश्त दिया जाता है। हमारे प्रदेश में इसकी तीन बटालियन हैं। एक हमारे यहां फर्रुखाबाद में, एक इलाहाबाद में और एक रेलवे पुलिस की। इस कार्य हेतु बहुत कम धनराशि की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमारे मुख्य मन्त्री जी घोषणा भी कर चुके हैं। वह पायनियर अखबार हमारे पास है, जिसमें मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि प्रदेश में प्रादेशिक सेना के जो जवान हैं उनको एकमुश्त धनराशि प्रदेश सरकार की ओर से दी जायेगी। मैं आशा करता हूं कि हमारे कर्मठ मुख्य मन्त्री, हमारे समर्पित भावना से काम करने वाले मुख्य मन्त्री उनको पिछली तारीख से यह एक मुश्त धनराशि देंगे और अपनी घोषणा को सार्थक बना देंगे।

मैं एक सुझाव और देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, आई० जी०, डी० आई० जी० और डी० डी० जी० की तादात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे ऊपर के प्रशासन को बहुत हैवी कर दिया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछली बार जब गृह विभाग पर चर्चा हो रही थी, आपने भी यह विचार रखा था और मैं भी उसी बात के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे के पुलिस अधिकारी जो डकैतों से जूझते हैं, जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर जनता के मान-सम्मान की रक्षा करते हैं, उन डी० वाई० एस० पी० के प्रोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। इसलिये उनको भी प्रोन्नति देकर, ज्वाइन्ट एस० पी० बनाया जाए, इससे उनको कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। पहले प्रत्येक जिले में एक डी० एम० होता था और ए० डी० एम० कोई नहीं होता था, जबकि आज हर जिले में 10/10, 12/12 ए० डी० एम्स होते हैं। तो मैं इस बात की मांग करता हूं कि उसी तरह से एक एस० पी० और उसके नीचे आठ-दस डी० वाई० एस० पी० एक-एक जिले में रखे जायं। मैं इसके साथ अपने मुख्य मन्त्री की सराहना करता हूं और इन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, यहां पर गृह और सामान्य प्रशासन के विभागों पर चर्चा हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह विभाग हैं और इन्हीं के बलपर पूरा प्रशासन चलता है। मान्यवर, इन विभागों के बाबत बहुत कुछ बातें हैं, जो कहनी हैं, कह सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पीठ से समय की रार्शनिंग हो गई है, इसलिए समय के अन्दर रह कर कहने की कोशिश करूंगा, फिर भी यह निवेदन है कि यदि एक-दो मिनट अधिक हो जाये, तो आप एक-दो मिनट रियायत करने की कृपा करेंगे मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं और पुलिस विभाग के भार साधक मन्त्री नहीं हैं, लेकिन

[श्री भीखा लाल--]

उनके सहयोगी मौजूद हैं। एक स्वस्थ परम्परा को सरकार ने छोड़ दिया है, मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस बजट के वक्त में जब ग्रान्टों पर बहस होती हैं, माननीय सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में कुछ बातें उठाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में उल्लेख करते हैं। सन् 57 से मुझे इस सदन में रहने का मौका मिला है और उस समय यह परम्परा थी कि हम लोग जिस महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते थे, शासन की ओर से उस पर जांच होती थी और जांच के परिणामों की माननीय सदस्यों को सूचना भी मिलती थी, उसे उसका उत्तर मिलता था कि आपने फलां-फलां तारीख को असेम्बली में जो यह प्रश्न उठाया था, उसकी जांच करने पर निम्न-लिखित तथ्य जानकारी में आये हैं। अब वह परम्परा बिलकुल खत्म हो गई है। हमारे केवल भाषण होते हैं, हम कहते हैं वह सुन लेते हैं, रिपोर्ट्स लिख लेते हैं और रिपोर्टिंग कार्यवाही विभाग में पहुंच जाती है और सरकारी अधिकारी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अतः इस प्रथा को फिर से अपनाया जाय।

कल मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पुलिस का औसत कम है और उनपर हमारा खर्च भी कम है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसके बावजूद हमारे यहां जरायम कम हो रहे हैं। मैं उस फागर्स को दोहराना नहीं चाहता, फोगर्स में जरूर कम हो रहे हैं सिर्फ कत्ल को छोड़कर मेरे पास इसको चैलेंज करने के लिये आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम और आप, प्रदेश की जनता यह महसूस कर रही हो कि शान्ति और व्यवस्था की हालत सुधर रही है तो हम मान लेंगे कि यह आंकड़े 100 फीसदी सही हैं। और अगर हम, आप यह महसूस नहीं करते, तो यह आंकड़े फर्जी है, इन आंकड़ों की जगलरी से कोई शान्ति-व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती क्या इस सदन में प्रश्न नहीं उठते हैं कि माननीय विधायकों के जीवन खतरे में हैं और आम जनता असुरक्षित है - आज माननीय सदस्य भी और जनता भी असुरक्षित महसूस कर रही है। अगर जनता महसूस करने लगे कि शान्ति-व्यवस्था की स्थिति ठीक है, तब तो आपके आंकड़े सही हैं, वरना नहीं।

मान्यवर, एक बात पुलिस विभाग के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कही कि विरोधी पक्ष पुलिस की आलोचना ही करता है और कभी-कभी प्रशंसा भी करता है। हम अपनी आंख बन्द करके, न आलोचना ही करते हैं और न प्रशंसा ही करते हैं। हम यह मान्यवर, सोचते हैं कि सिपाही से लेकर उच्च अधिकारी तक पुलिस में न सब बेईमान हैं और न सब ईमानदार हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जो थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डकैतों के साथ डकैती करते हैं। मान्यवर, रतूड़ी जैसे एस0 पी0 भी हैं, जो डकैतों के माल में बटवारा करते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं, और शासन कार्यवाही नहीं करता है तो विरोधी पक्ष आलोचना अवश्य करेगा। मान्यवर, यह सरकार ऐसा मानती है कि अगर पुलिस के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे, तो उनका मनोबल गिर जायगा। मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, मनोबल गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। अगर जो दो-चार गन्दी मछलियां हैं जो सारे तालाब को गन्दा करती हैं तो उनको पकड़ कर प्रताड़ित किया जायगा, तो जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनका मनोबल गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। इसलिये मैं खाली आलोचना ही नहीं करता हूं, उनकी प्रशंसा भी करता हूं।

संख्या 8--धार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--आविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग, तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ सुधार लाइये। वह ट्रेनिंग का तरीका जो अंग्रेजों के जमाने में था, वह अब भी है। वह गालियां, उनको मुरादाबाद ट्रेनिंग केन्द्र पर सिखाई जाती हैं, जिनका हम, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसी गालियां हम, आप नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, हमारे पुलिस विभाग में महिलायें भी हैं, महिला पुलिस भी हैं, और महिला थानेदार भी हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बदमाश को पकड़ कर पुलिस लाई और थाने में उससे महिला थानेदार इन्ट्रोगेशन कर रही थी और बात चीत के दौरान मोटी-मोटी गालियां दे रही थी और कहा कि ठीक से नहीं बोलोगे, तो अभी गिराकर तेरी छाती पर चढ़कर बैठूंगी। तो उसने कहा कि सरकार देर काहे को कर रही हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है कि आप बात कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, एक बदमाश ने अगर उस महिला थानेदार को ऐसी बात कही, तो मैं समझता हूं कि उस पुलिस महिला का अपमान हुआ। मान्यवर, पुलिस अधिकारियों की जबान इस तरह से नहीं चाहिये। जो इस समय है उसमें तबदीली आना चाहिये। इसलिये आप उनको ऐसा ट्रेनिंग दीजिये, ताकि पुलिस के व्यवहार में सुधार हो और बदमाशों को भी हिम्मत न बढ़े। मान्यवर, अब मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। कल माननीय नेता विरोधी दल ने एक जिले की एक सूची पढ़ी जिसमें कुछ नाम ब्राह्मण वर्ग के थे और वर्ग के नहीं थे। उस समय माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी, मैं उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। लोकपति त्रिपाठी जी ने उसी समय खड़े होकर कहा कि क्या अध्यक्ष महोदय ब्राह्मण होना अपराध है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि न ब्राह्मण, न हरिजन, न मुसलमान, न सिक्ख होना अपराध है और इस विचार से किसी अधिकारी की पोस्टिंग भी नहीं करनी चाहिये। मान्यवर, आज का हमारा जो समाज है, उसी समाज से हम लोग आये हैं शासक वर्ग के लोग भी आये हैं

[श्री भीखा लाल--]

और उसी समाज से हमारे अधिकारी लोग भी आये हैं। समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों की कुछ छाप हम सब के ऊपर है और इन अधिकारियों के ऊपर भी है। हम जातिवाद को कर्म करने के लिए बाहर भी और असेम्बली में भी भाषण करते हैं और कार्य भी करते हैं। लेकिन यह रोग बढ़ता ही जाता है। इसलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे प्रशासक के लिये यह अच्छा होगा कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति में जातीय संतुलन कायम रखने की कोशिश करें ताकि ऐसी बात फिर कहने की जरूरत न पड़े। सरकार ने स्थानान्तरण की नीति अपनायी है कि कोई अधिकारी 3 साल के बाद स्थानान्तरित कर दिया जायगा जरूरत पड़ेगी तो 5 साल तक रक्खा जायगा। नीति अच्छी है लेकिन शासक पार्टी के लोगों के दबाव से इस नीति को पैरों तले रौंदा जाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर एक असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं, नहर विभाग में जिसके 8 साल पूरे हो गये हैं। 6 साल हुआ तो उनका तबादला हुआ लेकिन वह लखनऊ दौड़ कर आये और तबादला रुका ले गये। पिछले साल तबादला हुआ और उसकी जगह दूसरा अधिकारी भी पहुंच गया लेकिन तबादला रद्द हो गया और वह फिर उसी जगह पर आ गये। उस अधिकारी का साहस तो देखिये अपने सहयोगियों से कहा कि हमारा चांदी का जूता जब तक मजबूत है तब तक हमारा तबादला कोई नहीं कर सकता। उन्नाव जनपद से लखनऊ आया मुझे पता नहीं कि किस के सर पर चांदी का जूता मार दिया। लेकिन उसका तबादला रोका गया भी और आज भी वह उन्नाव में मौजूद है।

(व्यवधान)

पांडेजी कहते हैं कि मेरे सर पर मारा। मैं नहीं कहता कि इनके सर पर मारा। एक बात मैं भ्रष्टाचार की और कहना चाहता हूं। मेरे पास एक पत्र है। यह उस पत्र की फोटो स्टेट कापी है, मुझे मिली है उसकी एक कापी अध्यक्ष जी मैं आपके पास भेजता हूं।

मान्यवर, अलीगढ़ में एक मलखान सिंह हास्पिटल है। उसमें एक डाक्टर हैं। उनके खिलाफ युवक कांग्रेस (आई) से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री, राजीव गांधी को प्रार्थना पत्र दिया कि यह बहुत भ्रष्ट है। उसके खिलाफ विजीलेंस की इन्क्वायरी बैठी। इन्क्वायरी हो रही है। डाक्टर साहब ने अपने पिताजी को जो बनारस के रहने वाले हैं उनको लिखा है। मैं इसको पढ़े देता हूं। अंग्रेजी में है मैं इसको हिंदी कर दूंगा। वह लिखते हैं माई डियर पिता जी, होप यू आर डुईंग वेल, आई एम सेन्डिंग रूपीज 5000 फार श्री पाण्डेय। प्लीज इन्श्योर दैट इट रीचस टू दि राइट पर्सन सो दैट ही मे लुक इन माई केस विद न इन्टेरेस्ट यू हैव नाट मेन्शन इन योर लेटर दैट हाऊ मच मनी इज नीडेड एट दि चीफ मिनिस्टर लेविल। मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगाता हूं कि मुख्य मंत्री रिश्वत लेते हैं या लोकपति जी रिश्वत लेते हैं मुख्य मंत्री जी का और लोकपति जी का नाम लिखा जाय? कोशिश हो रही है कि 5 हजार रुपया लोकपति जी के स्तर पर और मुख्य मंत्री के स्तर पर देने की कोशिश है। यह भी कहते हैं वह कितने रुपये की जरूरत है। इस पत्र के जवाब में श्री पाण्डेय ने एक पोस्ट कार्ड भेजा है। हम अपने पत्र चाहे जितना बंद करके भेजें यह सरकार सेन्सर करा लेती है। लेकिन इस पत्र को क्यों नहीं सेंसर किया गया?

मान्यवर, इसमें लिखा है श्री ओम प्रकाश आपके पिताजी द्वारा मुझे सौंपा गया उत्तरदायित्व मय नकद अमानत के बनारस पहुंचा दिया गया । मेरा अनुमान है कि लगभग 10 की आवश्यकता होगी । जल्दी भेज दें । तो यह पोस्टकार्ड सेंसर होकर सरकार के हाथों में क्यों नहीं पहुंचा कि छानबीन होती । तो इस तरह के भ्रष्टाचार के आदेश खुले हुए लगते हैं । इसकी जांच होनी चाहिए कि इन सर्व क्रिया-कलापों के पीछे किसकी साजिश है और उसे समुचित सजा मिलनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

मान्यवर, आपने कैसे सेंसर कर लिया ?

श्री मीखा लाल--

एक बात मैं अपने जिले की कहकर समाप्त करूंगा । मान्यवर, सरकार ने नियोजित विकेन्द्री करण की नीति अपनायी है । बहुत सुंदर है, मैं इसकी सराहना करता हूं । हमारे अधिकारीगण पढ़े लिखे लोग हैं उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं । लेकिन बेचारे सर्विस कंडक्ट रूल्स से बंधे हैं । वह अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, शासन किसी दल का हो, कोई भी पार्टी का शासन हो उनको उसकी जो नीतियां हैं उसके प्रति कमिटेड होना चाहिये । लेकिन कोशिश यह हो रही है कि उनका मंत्रियों के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति कमिटेड होना जरूरी है । जिस जिले का जो मंत्री है । वहां के डी0 एम0 या उच्च अधिकारियों को अपनी जेब में डाले घूमता रहता है । मान्यवर, मैं उन्नाव जिले को एक मिसाल देकर समाप्त करता हूं । मान्यवर, हमारे जिले उन्नाव में, जिसके संदर्भ में मैंने एक प्रश्न किया था, जिसका जवाब मुझे कल मिला है, 1981-82 में आई0 आर0 डी0 स्कीम में 96.00 लाख रुपया बांटा गया । मान्यवर, बताया गया कि वहां के 16 ब्लाकों के अन्तर्गत 9897 परिवारों में यह बांटा गया । मैंने माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में विकास खण्डवार सूची की, मांग की तो उन्होंने मुझे सूचना उपलब्ध की । उस के आधार पर पता चला कि हमारे जिले के जो मंत्री थे माननीय सच्चिदानंद बाजपेयी जी, जो अब भूतपूर्व हो गये हैं, उनके क्षेत्र में इसमें से 4819 परिवारों को यह सहायता मिली और बाकी 4 हजार आदमियों को हम छः आदमियों के क्षेत्र में, जिसमें मैं विरोध पक्ष का हूं और बाकी सब कांग्रेस से सम्बन्धित हैं, मिली । तो, यह असंतुलन क्यों किया जाता है, वह जिलाधिकारी बाजपेयी जी की जेब में क्यों पड़ा है, इसको शासन को देखना चाहिए, ताकि संतुलित विकास हो कि शासन की नीतियों के अनुसार काम हो सके ।

[श्री भीखा लाल--]

मान्यवर, कल ही माननीया शिक्षा मंत्री जी ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि हमारे प्रदेश में 34 ऐसे ब्लाक्स हैं, जिनमें कोई हाईस्कूल नहीं है। मान्यवर, हमारे जिले में दो साल पहले एक इंटर मीडिएट कालेज सरकार ने खोला। मेरे क्षेत्र का औरास ब्लाक भी इन 34 बदकिस्मत ब्लाकों में से एक है, जहां कोई हाईस्कूल नहीं है, नया राजकीय इन्टरमीडिएट कालेज औरास में नहीं खोला गया। यह हमारे सच्चिदानंद बाजपेयी जी के निवास स्थान चमरौली गांव में जो नवाबगंज में जहां पहले से ही इंटरमीडिएट कालेज है, केवल 5 किमी0 के अंदर है यह कालेज खोला गया। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट पर बोलने से पहले आपसे, इस पक्ष से और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो आपका निर्धारित समय है, उसमें से आधा-आधा सेकंड काट करके मुझे बोलने के लिए देने की कृपा करें।

एक सदस्य--

राशनिंग करवा रहे हैं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

राशनिंग तो कल होनी चाहिए थी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वाजपेयी जी, राशनिंग की मजबूरी है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में कल इस प्रदेश के चरित्रवान, परिवार पोषण से दूर, फर्जी मुठभेड़ से राहत दिलाने वाले, मुख्यमंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसी से परे इस सदन के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति माननीय नेता विरोधी दल, जिन्होंने इस सदन में कटौती का प्रस्ताव रखा, स्वभाव से भी मैं उनका आदर करता आया हूं और करूंगा और वे आदरणीय हैं भी, जिस तरह से उन्होंने कल कटौती का प्रस्ताव रखा, उस से मुझे बड़ी निराशा हुई, इसलिए मैं उसका हृदय से विरोध करता हूं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव भी एक आदर्श चीज हुआ करती है, यद्यपि मान्यवर, मैंने काफी अध्ययन किया, वही चीजें जो उन्होंने काफी देर तक कहीं उसे वे एक घंटे में भी प्रभावपूर्ण ढंग से कह सकते थे और जिससे बाकी समय में इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यों को इस बजट की चर्चा में भाग लेने का मौका मिल जाता। मान्यवर, जो उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में कहा, वही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीजें उन्होंने बजट की सामान्य चर्चा में कही और वही चीजें उन्होंने कल कहीं। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं, जो नई कहीं से खोज कर लायें और तो वही रतूड़ी, वही मेरठ, जो मेरी समझ में नहीं आयी।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। माननीय भीखा लाल जी मुझे बड़ी पीड़ा होगी, अगर आप चले गये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं बड़ी चर्चा चलती है आई० ए० एस० और जन प्रतिनिधियों के बारे में। मैं आपके माध्यम से एक बात आदरणीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं जो आदरणीय सदन है इसकी उत्पत्ति की भूमिका में जाना चाहता हूं। इस आदरणीय सदन का जन्म, भारतीय संसद का जन्म राष्ट्र के उन महान लोगों की कृपा थी जिनके सत्कर्मों से देश आजाद हुआ जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जूझते हुये अपनी जान दे दी और अपने त्याग और तपस्या से हम लोगों को जन्म दिया। दूसरी जो नीति निर्धारित की जाती है उसका कार्यान्वयन जिन अफसरशाहों के हाथ में है उनका जन्म कहां से हुआ। हम तो आजादी के दीवानों की त्याग और तपस्या से जन्में हैं लेकिन यह अधिकारी उन जल्लादों से पैदा हुए हैं जिन्होंने देश को रौंदा है और चूसा है।

मान्यवर, राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बहुत कम लोग मिलेंगे मोरार जी देसाई और नेता सुभाष चन्द्र बोस जैसा जिन्होंने त्याग किया था और स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। स्वतंत्रता की कमाई का लाभ सबसे अधिक यह अफसर कर रहे हैं। त्याग और तपस्या आपने किया सुख का भोग यह कर रहे हैं। भिक्षा हम मांग कर लाते हैं और खरचने का अधिकार इनको है। एक दिन इस पर इस राष्ट्र को विचार करना पड़ेगा। आपके पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र लगा हुआ है, वह भी गुजरात से आये थे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद में इनको संज्ञा राष्ट्रपिता की दी गई। मान्यवर, आपने महाभारत पढ़ा होगा। उसमें द्रौपदी के पंचपती थे। आज प्रजातंत्र के रूप में यह सदन द्रौपदी के रूप में है द्रौपदी का चीर–हरण हो रहा है। महाभारत की द्रौपदी का चीरहरण दुस्सासन ने किया था और इस प्रजातंत्र की द्रौपदी का चीर–हरण यह अफसर कर रहे हैं। उस द्रौपदी की लाज उस बंसी वाले ने आकर बचायी थी चीर बढ़ती ही गयी और आज इस प्रजातंत्र की द्रौपदी की लाज यह लंगोटा वाला बचा रहा है। चीर बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से महाभारत में दुस्सासन का अन्त हुआ उसी प्रकार से एक दिन कोई न कोई माई का लाल पैदा होगा जो इन दुस्सासन जैसे अफसरशाहों का अन्त करेगा और महात्मा गांधी की लाज बचायेगा।

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं आई० ए० एस० और आई० पी० एस० का झगड़ा इस सदन में बराबर उठता है और स्वाभाविक भी है। मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि इस पी० सी० एस० की जितनी भी शाखायें हैं प्रदेश स्तर पर सबको मर्ज कर दीजिये। एक सर्विस कर दीजिये चाहे वह आर० टी० ओ० में हो या सेल्स टैक्स में बैठा हो एक सर्विस कर दीजिये। मान्यवर, इस प्रदेश का आपको बड़ा अनुभव है इसलिये मैं आपके समक्ष एक बात कहना मुनासिब समझता हूं। मैं उस जमात का निकला हुआ आदमी हूं जहां यह आई० सी० एस० गिलास से पानी पिलाया करते हैं। हम इसकी रेंज और उड़ान को जानते हैं हमारे सामने आते हैं तो गीदड़ बन जाते हैं।

मान्यवर, आई० ए० एस० लड़का आया, उसको जिले में फौरन एस० डी० एम० बना दिया। अल्था-पल्था खाया और तुरन्त सेक्रेटेरियट आ जाता है। जैसे गांवों के कच्चे घरों में सांप धन्नी-धन्नी पहुंचता जाता है उसी तरह से सेक्रेटेरियट में पहुंचा और तुरन्त सेक्रेट्री और आयुक्त बन जाता है और वह सेक्रेट्री होता है सिंचाई का, बिजली का, कृषि का। आलू का खेत नहीं देखा लेकिन आलू की फसल उगाता है नहर की नालियां कैसी होती हैं नहीं जानता लेकिन यहां सचिवालय में बैठकर बड़े-बड़े कुलाबे चलने लगता है। इसलिए निवेदन है कि जब इन आई० ए० एस० को, जब ट्रेनिंग से आवें तो पंचायत राज अधिकारी, जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, कृषि अधिकारी के रूप में नियुक्त करें और जो उनका कार्यकाल है, उसकी अवधि को जरूर बढ़ावें कि कम से कम 10 साल से पहले जिलाधिकारी न बनाये जा सकें।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस आई० पी० एस० और पी० सी० एस० के मामले में 60 और 40 का अनुपात रखें। पी० सी० एस० धरती से आता है और आई० ए० एस० बड़े-बड़े पदों पर पहुंचता है। अब उस पर आरोप लगता है तो दिल्ली भाग जाता है। हम उनका कुछ नहीं कर पाते। एस० डी० एम० से लेकर के कमिश्नर तक उनको दीजिये। एक सुझाव और है, मान्यवर। आज कल हर जिले में एक आम बात हो गई है-थाना नीलामी की। इसे कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार है और सबसे अच्छा प्रशासन चल रहा है, इसके बावजूद भी यह कहने में संकोच नहीं है कि थाने की नीलामी होती है।

मेरा निवेदन है कि कवाल टाउन्स को छोड़कर बाकी जितने भी जिलों में थाने हैं, उनमें थानेदारों की नियुक्ति का अधिकार डी० आई० जी० को देना चाहिए। कल का लौंडा आया, सब-इन्स्पेक्टर होकर, कीमत लगायी और चार्ज ले लिया। वरिष्ठता क्रम के आधार पर चार्ज दीजिये, कहीं गड़बड़ी सुनने को नहीं मिलेगी और यह भी कहना चाहता हूं कि जो पुलिस अधीक्षकों की सूची है....

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में आप समाप्त करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चार मिनट मान्यवर, रहम करो मेरे देवता। पुलिस अधीक्षकों की सूची देख लें। पिछले 7-8 वर्षों में बराबर चार्ज ही लिया है और जिस जिले में गये

हैं 10-10, 15-15 इन्क्वायरी चल रही हैं। इस प्रकार के भ्रष्टतम पुलिस अधीक्षक हैं अजय सिंह मटनागर, भोखा लाल जी के जिले के। उन्नाव में हैं। अब मैं आपका ध्यान जौनपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां के एस0 पी0 हैं, बाराबंकी में रह चुके हैं। मैं उनको जानता हूं, कितने बड़े कलन्दर हैं। मेरे पास निश्चित जानकारी है भोखा लाल जी, ये सब लोग वर्तमान गृह सचिव के बड़े लाडले हैं। इसलिए इन पर कोई आंख नहीं दिखा सकता है।

साम्प्रदायिक दंगों की बड़ी चर्चा हुई। मैं भी बहुत दुखी हूं। दुःखी होना भी चाहिए। जो जन्म से मैंने ट्रेनिंग ली है, धर्मनिरपेक्षता की ही बात पढ़ी है। प्रदेश स्तर पर एक सर्वदलीय समिति गठित कर दी जाय और जिस समय यह समिति दंगा-ग्रस्त क्षेत्र में जाये, तो सम्बन्धित जिले का कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 वहां समिति का स्वागत करने के लिए मिले और उनके साथ दौरा करें।

[2 बजकर 20 मिनट]

जो समिति हमारी रिपोर्ट दें, उसार शासन तुरन्त कार्यवाही करे। कोई समस्या नहीं रह जायेगी।

मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसमें जितनी नयी कालोनियां बनी हैं, वह सभी आफिसर्स ने छेंक रखीं हैं। आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूंगा इस सम्बन्ध में, पं0 श्रीपति मिश्र जो सत्यप्रिय आदमी हैं, उनसे आशा है कि वह एक कमीशन बैठा सकेंगे। इसकी जांच करायी जाय। जितनी लागत बैठी है, इससे 10 प्रतिशत ज्यादा लेकर जनता को बांट दिया जाय। सही हो जायेंगे। एक और निवेदन है, जो सचिव बैठे हैं, इनके लिये अनिवार्य रूप से यह निश्चित कर दिया जाय कि महीने में यह कम से कम पांच दिन जिलों का दौरा जरूर करेंगे ताकि यह गली-कूचे भी देख लें कि वहां होता क्या है। जो कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 हैं, उन्हें हर जिले में दो दिन जरूर जाना चाहिये मुवायना के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

एक छोटा सा निवेदन है। मैंने पहले कहा था आज भी कहता हूं। सवाल भी आया है मेरा। एल0 आई0 यू0 को जिला स्तर पर एस0 पी0 और

[श्री श्याम लाल वाजपेयी--]

डी0 एम0 के चंगुल से मुक्त कर दें । सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के लिये कि उनकी रिपोर्ट मिले । जो कार्य एस0 पी0 और डी0 एम0 करते हैं उनकी भी तो रिपोर्ट आनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल की तरफ से रखे हुए मन को उबाने वाले कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय बाजपेयी जी के जो विचार सुने उनसे मेरे विचारों को बड़ा बल मिला । मैं महसूस करता हूं श्रीमन्, कि यह युग जो है यह केवल आदेशों की अवहेलना करने का युग है । श्रीमन्, एक बात मेरी समझ में नहीं आती । मैं चाहूंगा कि जो भी मंत्री मौजूद है, जो भी इसका उत्तर दे वह बताये । आजकल मौजूदा शासन ने ग्राम सेवक को अधिकारी बना दिया, चीफ सेक्रेट्री भी अधिकारी हैं । हाकिम तो सब हो गये महकूम कौन है । इस लोकतंत्र में महकूम कौन रह गया, किसके ऊपर हकूमत करने के लिये बनाया गया ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी--)

माननीय रियासत हुसैन साहब ने लोकतंत्र की बात कही । लोकतंत्र के मायने ही है कि इसमें हाकिम और महकूम का फर्क मिटा दिया जाय । महकूम रहने का सवाल ही नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

यही कहूंगा कि फर्क किस तरीके से मिटाया जाय । विमल तिवारी जी हैं, मालूम नहीं सोते-सोते कैसे ख्याल आ जाता है कि जनता रिजीम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ । कल गुलाब सेहरा जी भी कह रहे थे कि जनता रिजीम में बहुत राइट्स हुए । अभी जो पार्लियामेंट के अन्दर फीगर्स दी गयीं, उन्हें मैं बता देता हूं ।

श्री सतीश अजमानी--

यह फीगर्स बनाई किसने थीं ?

श्री रियासत हुसैन--

सुन लीजिये मान्यवर, 1977 में 188 कम्युनल राइट्स हुए, 36 आदमी मरे और 1122 जख्मी हो गये थे । 1978 में 230 कम्युनल राइट्स हुए, 110 आदमी मरे और 1853 आदमी जख्मी हुए । 1979 में, यह भी जनता पार्टी का रिजीम था, 384 कम्युनल राइट्स हुए, 261 मरे और 2037 घायल हुए । अब आप 1980 को ले लीजिये, आपका रिजीम है, इसमें 421 कम्युनल राइट्स हुए, सोर्स है, मिनिस्ट्री आफ अफेयर्स एनुवल रिपोर्ट्स 372 आदमी मारे गये, इन 372 आदमियों में से मुरादाबाद में से केवल 3 लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शामिल किये गये हैं यदि इनको निकाल दिया जाय तो कुल आदमी मरे 369, इसमें सारी फीगर्स दी गई हैं। यदि इन सारी फीगर्स को देखा जाय तो यह 1372 हो जायेगी और इस वर्ष जख्मी हुए 2091। इससे आपको पता चलेगा कि जनता पार्टी के जमाने मे ज्यादा हुए या आपके जमाने में ज्यादा हुए।

मान्यवर, जनता पार्टी के जमाने की दूसरी बात भी कहूंगा कि जनता पार्टी ने कुछ किया लेकिन सन् 1980 में सोनार की हुई अर्थात् सौ सोनार की एक लोहार की तो इस प्रकार मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने मुरादाबाद में एक लोहार की तरह की चोट की, जितना कि जनता पार्टी के तीन सालों में नहीं हुआ था। म सभी बातों को बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय श्री रियासत हुसैन जी आप इधर को मुखातिब हों।

श्री रियासत हुसैन––

श्रीमन्, इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, दो विभागों को अगर आप लें तो आपके पुलिस विभाग में इस समय 1115 का गजटेड स्टाफ है और एक लाख 43 हजार 422 का नान गजटेड स्टाफ है। आपके गोपन विभाग में 9 हजार 35 सारे अधिकारी आ जाते हैं, 79 हजार 42 नान-गजटेड स्टाफ है। इतना व्यापक सांचा, जो उत्तर प्रदेश का है, उसका यह बजट है। जैसा अभी माननीय श्री बाजपेयी जी ने कहा है कि यह स्थिति क्यों हो रही है, जो इस समय युग हो रहा है कि आदेशों की अवहेलना करे।

श्रीमन्, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में, माननीय अध्यक्ष जी ने कई बार आदेश दिये सवालों के सम्बन्ध में लेकिन माननीय मंत्री जी उसकी लगातार अवहेलना कर रहे हैं। माननीय श्री अम्मार रिजवी जी ने यह एलान किया था कि सारे अधिकारियों को और जिलों को टेलेक्स भेज दिया गया है कि सदन के दौरान शासन की कोई मीटिंग नहीं होगी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ, मान्यवर, मैं पढ़कर सुनाता हूं :––

"जिला ग्राम विकास अधिकरण, मुरादाबाद कार्यकारिणी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28–3–1983 को 11 बजे जिला परिषद् में होनी निश्चित हुई है और यह सूचना किन–किन को दी गई है? सभी संसद सदस्यों एवम् विधान सभा सदस्यों को इसकी सूचना दी गई है। यह आपके आदेश की अवहेलना है"।

[श्री रियासत हुसैन—]

श्रीमन्, इसी तरह से माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने दिनांक 10-12-1982 को मेरे गांव में एक डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश दिये थे, जिसका जी0 ओ0 भी है। 10-12-82 को आदेश दिये थे। इसमें लिखा है कि 1 जनवरी से डिस्पेन्सरी चल जानी चाहिये। सारी व्यवस्था पूरी करा दी गयी, लेकिन आज तक वह डिस्पेन्सरी नहीं चली। यह आदेशों की अवहेलना हुई।

आपने जो यह बात कही कि पुलिस की बड़ी अच्छी इमेज है, तो यही अच्छी इमेज है कि दलपतपुर थाने से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर लाशें पड़ी हुई 20 दिन तक सड़ती रहीं। जब वहां के थानेदार को बताया गया तो दरोगा जी कहते हैं डी0 पी0 सिंह साहब कि कौन सी हमारे यहां एफ0 आई0 आर0 दी है, पड़ी रहने दो खा जायेंगे चील-कौए। 3 हफ्ते बाद जब मैंने दिया तो डी0 एम0 साहब, एस0 पी0 साहब, जहां से पुलिस वाले दो दिन पहले लाशें ले गये थे, तो जो नये दफन शुदा मुर्दे थे, उनकी कब्रों की गिनती कर रहे थे। 20 दिनों से पुलिस वाले दलपतपुर से डेढ़ किलोमीटर दूर नहीं गये, यह कहकर टाल दिया कि एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी है। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि आपके थाने ला एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिये नहीं हैं, केवल एक सेन्टर बन गये हैं कि कितना रुपया एक्सेप्ट किया जा सकता है। एफ0 आई0 आर0 लिखवाने के लिये भी पैसा मांगा जाता है, आज भी हेड कांस्टेबिल पूछता है, अभी मुझे एक शिकायत मिली है, बहेड़ी ग्राम का आदमी रिपोर्ट लिखाने गया तो उनसे कहा गया कि कितना पैसा लाये हो। उसने कहा कि 10 रु0 लाये हैं 7 रु0 ले लो और 3 रु0 किराये के लिये छोड़ दो। थाने में उससे कहा गया कि 7 रु0 में कहीं रिपोर्ट लिखी जाती है।

कैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। यह थाना मोजपुर का है केस, जो दस्ती आर्डर आपके मुख्य मंत्री ने दिया है, 18-20 मामलों में जो शिकायत थी। मुख्य मन्त्री ने आदेश दिया कि इस पर कार्यवाही की जाय। अभी तक उन आदेशों का पता नहीं है, डेढ़ महीना हो चुका। मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा भी था कि अगर कोई विधायक कोई शिकायत लेकर आपके पास जाय तो आप उससे कनविन्स होने के लिये आधा घन्टा एक घन्टा लगा लीजिये, लेकिन जब कनविन्स हो जायें तो अगर आपका कोई आर्डर निकल जाय तो 7 दिन के अन्दर अमल हो जाना चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता तो उस विधायक की तौहीन और बेइज्जती होती है। मुख्य मंत्री का लिखा हुआ आर्डर एक-एक महीने तक सेक्रेटेरियेट में घूमता रहता है। जिसके खिलाफ शिकायत होती है, उसे पहले पता चल जाता है और वह उसका इंतजाम कर लेता है। उस थानेदार के बारे में जिसको मन्त्री ने आदेश दिया निकालने का, एस0 पी0 साहब ने 5 फरवरी को उसे लाइन हाजिर कर दिया। 5 तारीख को ही उसने आमद कर दी और 7 तारीख की सुबह को उसी थानेदार ने उसी थाने में जाकर फिर चार्ज ले लिया। कौन सी ऐसी चीज है कि लाइन हाजिर होने के बाद उसी थाने में जाकर फिर चार्ज ले लिया?

मान्यवर, एक मामला है, रेन्ट कंट्रौल से सम्बन्धित एक सर्फराज हुसैन साहब हैं, उनकी एक इमारत में गोविन्द सिंह आर्या, 400 रु0 किराये पर रहता था और श्रीमन्, उस पर उस भवन का हाउस टैक्स 480 रु0 फिक्स हुआ और जब मिस्टर आर्या से काफी कोशिशों के बाद वह मकान खाली भी कराया

गया तो अब देखिये आगे कि वह मकान अभी खाली भी नहीं हो सका, उसी मकान में मजिस्ट्रेट साहब के यहां के कर्मचारी मोती सिंह नाम के आकर जबर्दस्ती उस मकान पर पजेशन ले लेते हैं और जो रु0 480 हाउस टैक्स फिक्स था पहले उसे संशोधित करके 180 अपने आप कर दिया गया बगैर किसी परस्यूएशन के और सर्फराज साहब को जो किराया 400 रु0 मिलता था, वह 100 रु0 कर दिया गया, तो यह हालत आज की है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रियासत साहब, अब आप का समय समाप्त हो गया, कृपया आप अब बैठ जाएं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल ने रखा है, वह बिल्कुल उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री राम औतार दीक्षित—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आभारी हूं आपका कि आपने समय दिया बोलने का और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गयी मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मान्यवर, साथ ही मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे वरिष्ठ विधायक जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और इस विधान सभा में वे बहुत बड़े अनुभवी सदस्य समझे जाते हैं, मैंने उनके भाषण को सुना और सुनने के पश्चात् कहीं भी यह अनुभव नहीं किया कि आज की वर्तमान सरकार के लिए, सामान्य प्रशासन के लिए या होम डिपार्टमेंट के लिए उनके द्वारा कौन-कौन से सुझाव आए हैं। मान्यवर, यह 12 करोड़ की आबादी का एक प्राविन्स है, जिसमें छोटी-मोटी घटनाओं का होना आवश्यक एवं स्वाभाविक भी है। हम माननीय सदस्य से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आज दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर कोई छोटी-छोटी घटनाएं न होती हों। जब महात्मा गांधी जी ने इस देश में आजादी से पहले राम राज्य की एक कल्पना की थी, परन्तु वह भी उस तौर पर साकार नहीं हुई होगी और उस समय के इतिहास को जब उठाकर देखता हूं कि उसमें भी कहीं-कहीं छोटी-मोटी इस प्रकार की घटनाएं होती हुई अवश्य नजर आयी हैं?

कई सदस्य—

अब आप अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम औतार दीक्षित--

जी हां मैं सुझाव दूंगा, अवश्य दूंगा और साथ ही अपने विरोधी पक्ष के भाइयों से अनुरोध भी करूंगा और अभी हमारे एक वरिष्ठ सदस्य श्री भीखा लाल जी ने भी कुछ बातें हमारे सामने रखीं साथ ही कुछ सुझाव रखे और साथ ही उन अधिकारियों की तारीफ भी की जो ईमानदार हैं और जो भ्रष्ट हैं उनकी आलोचन की यह मेरा कहने का मतलब है कि इस तालाब में सभी गंदे नहीं हैं, जिस प्रकार से एक तालाब की कुछ मछलियां गंदी होती हैं, उसी प्रकार से इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं। इसी प्रकार से सभी आई०पी०एस० या आई०ए०एस० खराब नहीं हैं कुछ के लिए सबको कहना कुछ के लिए पूरे प्रशासन को कहना यह कहां की अक्लमंदी है। इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूंगा कि अभी 3 वर्ष पूर्व जनता पार्टी का शासन था, अगर आप में क्षमता और कर्मठता होती तो जितने भी आई० पी० एस० व आई० ए० एस० हैं, उनको हटाकर कोई दूसरी व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की ? लेकिन इसके साथ ही साथ वही कहावत कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उसको यहां चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं ?

अधिष्ठाता जी, चूंकि समय बहुत कम है इसलिये मैं आपके माध्यम से दो चार बातों को रख देना चाहता हूं और इन बातों को यहां उठाना अपना कर्तव्य समझता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

केवल मुख्य बातें ही कहें।

श्री राम औतार दीक्षित--

सब से बड़ी बात तो वह है कि जो भी पुलिस ने काम किये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये। उनमें जो काम हुए हैं उनमें सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि हमने पुलिस दल को नये शस्त्र से सुसज्जित किया है, हमने उनको जीपें प्रोवाइड की हैं, हमने नये थाने खुलवायें हैं, हमने अराजपत्रित कर्मचारियों को 25,000 और राजपत्रित कर्मचारियों के लिये 50,000 की धनराशि की बीमा की व्यवस्था को कर दिया है। हमारी जो उपलब्धियां हैं उनको तो आपको तस्लीम करना चाहिये।

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जिस तरीके से हमारा धन का आडिट होता है उसी तरीके से आप सरकारी कर्मचारियों के काम के आडिट की भी व्यवस्था करें। सरकारी कर्मचारियों के वर्क का वर्क आडिट होना चाहिये। आज सरकारी कर्मचारियों के लिये वर्क आडिट की प्रणाली डाली जानी चाहिये कि जो लोग अच्छा काम करें या जो अच्छा काम करते हैं, जिनकी कार्य प्रणाली अच्छी है, उन्हीं को प्रोन्नत करना चाहिये।

इसी के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सरकारी कर्मचारियों के वर्क का आडिट हो और उनके अन्दर हमारे सहयोगियों

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी मैं दो मिनट और लूंगा। अभी जैसे कि भाई रियासत साहब ने कहा कि फाइल पर जो नोटिंग होती है उसके लिये उन अधिकारियों को जिम्मेदार

ठहराना चाहिये जिसके माध्यम से फाइल जाती है, न कि उन अधिकारियों को उनसे टिप्पणी न ली जाय जो उसके मुस्तहक नहीं हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं। आज एक प्रथा सी बन गयी है कि काम कम और तनख्वाह ज्यादा। जब सरकारी तंत्र का वर्क आडिट होगा तो बात सामने आ जायेगी कि लोग काम कम करते हैं और तनख्वाह ज्यादा लेते हैं। आज सरकारी कर्मचारी काम कम करता है और तनख्वाह बढ़ाने के लिये डिमान्ड करता रहता है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिये। आज सचिवालय के अन्दर, जिला प्रशासन के अन्दर ज्यादा से ज्यादा दो या तीन घंटे लोग काम करते हैं, जब वर्क आडिट होगा तो ऐसे लोगों का लेखा-जोखा हमारे सामने आयेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया।

कानपुर के बिधूना थाना के अन्तर्गत 8 व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह--

एक मिनट। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि कानपुर के विधूना थाने में खास कर 8 व्यक्तियों का नरसंहार हुआ है। मैं चाहूंगा कि इसकी सूचना आप इस सदन में सरकार को दे दें क्योंकि इस समय सारे उनके अधिकारी यहां बैठे हुए हैं यदि वे ध्यान इस ओर दिला देंगे तो मामले की छानबीन जल्दी हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता विरोधीदल, सूचना अपने नियमानुसार आती है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं यह जानता हूं परन्तु मैं चाहता था कि इस समय सब लोग यहां पर उपस्थित हैं तो यदि उनको सूचित हो जायेगा तो जल्दी सक्रियता आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो माननीय नेता विरोधी दल ने सूचना दी है, वह शासन को प्राप्त हो गयी है। अभी तक जो सूचना हमारे पास आयी है उसमें यह है कि 8 बच्चों की हत्या कर दी गयी है और बच्चों की मां की भी। और उनके शौहर का पता नहीं है कि कहां गया है या लापता है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आस-पास के सारे गांव को पुलिस ने घेर कर रखा है। यह नहीं पता चला है कि किस कारण से यह हुई है। सारी विवेचना चल रही है। एस० एस० पी० और डी० एम० पहुंच गये हैं और भी उच्च अधिकारी जा रहे हैं।

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण (क्रमागत)

श्री राम अवतार दीक्षित--

मान्यवर, मैं दूसरी यह बात कहना चाहता हूं कि वित्त विभाग से सेंकशन न होने के कारण हमारे कामों में देरी होती है। जब किसी विभाग का बजट पास हो जाये तो वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के लिये भले ही वित्त विभाग का कर्मचारी उसकी देख-रेख करे, लेकिन उसको सेंकशन में देरी नहीं होना चाहिए। हमारे एक साथी ने विकेन्द्रीकरण की बात कही है। हमारी सत्ता नीचे तक जानी चाहिए और महात्मा गांधी ने यह कहा था कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिये तभी सत्ता का सदुपयोग होगा। अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मैंने देखा है कि चाहे विधान सभा हो या बाहर जब भी कोई सचिव नियुक्त किया जाये तो उसको उस स्थान पर 2-3 साल तक अच्छा काम करने का अवसर देना चाहिये। जब वह उस विभाग के मसलों को समझने लगता है, उसी बीच उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इससे हमारे कामों की प्रगति में अड़चन आती है। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण मई में कर दिये जाने चाहिए। इस काम के लिए एक कमेटी बना देना चाहिये जो इसका मूल्यांकन करे और अपनी एक फाइनल लिस्ट बना दें। सभी लोग स्थानान्तरण के मामलों में उलझे रहते हैं जिसके कारण नीति सम्बन्धी मामलों को अधिक समय नहीं दिया जाता है। इन शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, हमारे जिले में बड़ी गण्डक का बहुत ही बड़ा बीहड़ इलाका है। हमारे यहां पर इस क्षेत्र में बहुत ही घटनायें हो रही हैं। 14 फरवरी को किसुनवा गांव है, यहां पर हीरा राय के लड़के ओम प्रकाश राय

जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, 40 रिवाल्वरधारी आये और उसको पकड़ ले गये। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपया दें तो उनके लड़के को छोड़ दिया जायेगा। पुलिस को जब यह खबर मिली तो उसने मोर्चा बन्दी की। लड़का भाग कर निकल आया। इस मोर्चाबन्दी में पुलिस के कुछ कर्मचारी और कुछ डाकू जख्मी हुए। इस तरह की घटनायें लगातार हो रही हैं। आम जनता जब छितौनी से बगहा या बगहा से छितौनी आती है तो नाव पर ही उसको लूट लिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो 30 किलोमीटर का इलाका है, उस इलाके में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वहां पर जंगल पार्टी लूटती है, अपहरण करते है, जो घटनायें होती रहती हैं, वह न हो पायें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि 22 फरवरी को 8 बजे दिन में चौरीचौरा (गोरखपुर) में लोहे की फैक्टरी वाले के लड़के का बदमाशों ने अपहरण कर लिया जो कि वहां पर खड्डा छितौनी के पास मिला। उसके सम्बन्ध में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दो जीपे बरामद हुई। मैं शासन का ध्यान उस तरफ दिलाकर आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाय। हमारे पूर्वांचल में डाकुओं ने आतंक मचाया हुआ है। आये दिन कत्ल और अपहरण हो रहे हैं। पुलिस विभाग इसके लिये सक्रिय नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि पूर्वी जिले आज बहुत ही बीहड़ होते जा रहे हैं। आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। अभी 15/16 की रात को कप्तानगंज थाने के मान्हू मुगेरा में ढाई लाख रुपये की डकैती पड़ी। उसमें नामजद रिपोर्ट भी हुई किन्तु 15 दिन हो गये हैं अभी तक उसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार बार्डर पर जो सड़कें बन रही हैं, उन पर विशेष ध्यान शासन का नहीं है। एक जगह है महुवाडीह, वहां से एक थाना रामपुर कारखाना 20 किलोमीटर पर पड़ता है और वहां से हाटा थाना भी 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसलिये मैं वहां पर एक नये थाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शासन सिपाहियों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी करे और थानों के लिये टेलीफोन और जीपों की व्यवस्था भी करे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ । कृपया बैठें ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैं चाहूंगा कि पूर्वी जिलों की जांच की जाय और सी० आई० डी० द्वारा करायी जाय, जिससे क्रिमिनल लोगों की थानाध्यक्षों से जो साठ-गांठ है वह सामने आ सके और उस पर कार्यवाही हो सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री मुईद अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भू नाथ—

मान्यवर, यह कोई व्यवस्था नहीं है । एक सदस्य दो-दो बार बोलें और हमको एक बार भी समय न दिया जाय । यह कहां का न्याय है ?

श्री अधिष्ठाता—

आपके ही दल के सदस्य को बुलाया है ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलते हुये माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उस पर सबसे पहले उन्हें एक शेर भेंट करना चाहता हूं—

बक रहा हूं जुनूं में क्या-क्या,

कुछ न समझे खुदा करे कोई ॥

कल तीन घंटे तक नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा वह मेरी नाकिश बुद्धि में कुछ नहीं आया (व्यवधान) मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग का जो काम है वह यह है कि वह प्रदेश में ला एंड आर्डर मेन्टेन करे और जनता को यह विश्वास हो कि वह हमारी रक्षा करेगी, अराजक तत्वों से, चोरों से, डकैतों से हमारी रक्षा करेगी । ऐसा विश्वास जन-जन के दिमाग में घुसना चाहिए । मगर कभी-कभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि खामखां गरीब लोगों को, समाज के कमजोर लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि पुलिस हमारी रक्षा करेगी । इसी प्रकार की इमेज पुलिस देती है । शहरों और जिलों में जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो चोरी और डकैती करते हैं, उनको पुलिस पर अधिक विश्वास होता है बनिस्बत शरीफ आदमियों के आज शरीफ आदमी अगर कोई रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस उसे परेशान करती है, जब कि इन क्रिमिनल्स को, अगर उनके खिलाफ कोई चीज होती है, कोई रिपोर्ट लिखायी जाती है, पुलिस उन्हें छेड़ना नहीं चाहती । इस प्रकार का विश्वास आज जनता में पैदा हो गया है । जो भी हीनियस क्राइम्स करने वाले हैं, उनको पुलिस नहीं छेड़ती, जबकि शरीफ आदमी तथा छोटे-छोटे लोगों को पुलिस परेशान करती है । मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में सभी लोग ऐसा करते हैं, पर कुछ लोग अवश्य ऐसा करते हैं ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55 --विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभान, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

ऐसा भी होता है कि एक कोतवाली में एक कोतवाली इन्चार्ज के अन्डर में जो 3-4 दरोगा या सब-इन्सपेक्टर होते हैं, वे पूरी तरह से कोतवाली इंचार्ज को सहयोग नहीं देते । वे यह सोचते हैं कि अगर थाना इंचार्ज बदनाम होगा तो नीचे वाले की तरक्की होगी । इस चीज पर भी नजर रखना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुईद अहमद--

ला एंड आर्डर के सिलसिले में एक सुझाव देना चाहता हूं । पहले भी मैंने यह सुझाव दिया था कि जिस तरह से नोटों के ऊपर नम्बर पड़े रहते हैं, उसी प्रकार से कारतूसों के ऊपर नम्बर छापे जायें और जिस दूकानदार को जिस नम्बर तक के कारतूस दिये जायें, उसको रजिस्टर में दर्ज किया जाये । अब अगर कोई कारतूस किसी डकैत के यहां पाया जाता है, तो उससे यह पता चल जायेगा कि वह कहां से बिका है ।

सामान्य प्रशासन पर आज सब जानते हैं कि करीब पूरे बजट का 85 प्रतिशत इस टैबलिशमेन्ट पर खर्च हो रहा है जो 15 प्रतिशत ही जन कल्याण पर खर्च हो रहा है । आज जरूरत के अनुसार सिपाहियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, पर डी0 आई0 जी0, एडीशनल आई0 जी0 बढ़ते चले जा रहे हैं । जिस अनुपात में अधिकारी बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में छोटे कर्मचारी नहीं बढ़ रहे हैं । सिपाही या छोटे दरोगा नहीं बढ़ रहे हैं ।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि जो भी राजाज्ञा जारी हुआ करे, उसका सख्ती से पालन होना चाहिये । जो कर्मचारी या अधिकारी अच्छे काम करें उन्हीं को प्रोन्नति होना चाहिये, जिनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि है, उनकी प्रोन्नति नहीं होना चाहिये । होता यह है कि भ्रष्ट अधिकारी कोशिश करके प्रोन्नति पा जाते हैं और ईमानदार रह जाते हैं ।

इन अधिकारियों का रवैय्या जन प्रतिनिधियों के साथ अच्छा होना चाहिये, उनमें कोआर्डिशन की भावना होनी चाहिये । इन शब्दों के साथ में जो अनुदान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उनका समर्थन करता हूं ।

श्री अकबाल हुसैन--

हर दल के कम से कम एक सदस्य को बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

जरूर ।

श्री फखरे आलम--

मेरी पार्टी से कोई नहीं बोला है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है ।

(व्यवधान)

माननीय राम गोविन्द जी आप बैठें आपके दल से तो बोल दिये हैं । माननीय ऊदल जी केवल 5 मिनट में सुझाव के रूप में बोलें ।

श्री ऊदल--

आप कहेंगे तो मैं चार ही मिनट में समाप्त कर दूंगा । श्रीमन्, आज जो सामान्य प्रशासन के बारे में चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन यह दो ही महत्वपूर्ण विभाग हमारे यहां हैं और इन्हीं के ऊपर प्रदेश का विकास और शांति व्यवस्था निर्भर रहती है । अब हम इस दृष्टि से विचार करें तो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं यहां पर एक प्रशासनिक सुधार कमीशन श्री के0 के0 दास की अध्यक्षता में बैठा उसकी रिपोर्ट आप देखें तो आज की स्थिति में लगता है कि हमारे अधिकारियों की दृष्टि से वह ओझल हो गयी है । मैं चाहता हूं हमारे अधिकारी और सरकार के लोग उसको पढ़ लें और उसके बाद जो कुछ आज हो रहा है सामान्य प्रशासन और पुलिस में वह सामने आ जायेगा ।

बहुत दिनों से मांग होती आ रही है कि कमिश्नरों के पद समाप्त कर दिये जायं और आज तक वह पद समाप्त नहीं हुए उन पर लाखों रुपया हर साल खर्च हो रहा है बिना किसी मतलब के । दूसरा आप देखें कि आज से दस वर्ष पूर्व जिले में एक ए0 डी0 एम0 [इ0] हुआ करते थे लेकिन आज आप देखें कि जिलों में कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे जिले बनारस में ही 20 पोस्ट हैं और छोटे-छोटे जिलों में 5, 7 जगहें जरूर होंगी तो इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य जनप्रतिनिधियों को सम्मान की बात कर रहे हैं आज हालत क्या है कुछ अधिकारियों को छोड़ कर सरकारी आदेशों के बावजूद जनप्रतिनिधियों को कहीं सम्मान नहीं दिया जाता है । मैं सब अधिकारियों की बात नहीं कहता लेकिन ज्यादातर अधिकारी ऐसे हैं जो सम्मान नहीं देते हैं ।

आज बड़े पैमाने पर चकबन्दी में हेरफेर हो रही है माननीय शुक्ल जी यहां पर बैठे हैं जो राज्य मंत्री हैं मैं उनको बताना चाहता हूं पूरे गांव का नक्शा बदल दिया गया है हमारे यहां चकिया में यह हुआ है, सारे अभिलेख बदल दिये गये, धारा 45 और धारा 52 को बदल दिया है । तो अगर हमारे अधिकारी इस तरह काम करेंगे तो हमारे देश और समाज का क्या होगा । [लाल बत्ती होने पर] मैं खतम कर रहा हूं ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

पुलिस प्रशासन अगर तीन काम बन्द कर दें फर्जी मुठभेड़, फर्जी एनकाउन्टर और फर्जी डाका डालने की योजना बनाने का मुकदमा बनाना व निरीह लोगों को पकड़ कर मारना यह तीन काम बन्द कर दें और सही रिपोर्ट लिखे तथा जनता के साथ इज्जत का व्यवहार करे तो मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन कुछ हद तक ठीक हो सकता है। पुलिस अधिकारी बड़े सीनियर हैं और हमारे जिलाधिकारी सबके सब जूनियर हैं उसका नतीजा यह हो रहा है कि कहीं पर कोई तालमेल नहीं है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री राम कुमार भार्गव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में और नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, खासकर, इस बात से विरोध करता हूं कि नेता विरोधी दल को कुछ सुझाव देने चाहिये थे लेकिन वह नहीं दिये। मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि दशहरा और दीवाली के त्यौहारों को शांतिपूर्वक निपटाया और कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। मान्यवर, नेता विरोधी दल को इस बात की बधाई देना चाहिये था कि हमारी पुलिस ने आदमियों की जान की कैसे सुरक्षा किया और इंसान की रक्षा करते हुये 55 कर्मचारी एवं अधिकारियों ने अपनी जान की कुरबानी दी और वह मारे गये, इसके लिये वह संवेदना प्रकट करते तो मैं समझता कि नेता विरोधी दल मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं।

मान्यवर, आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो बढ़ा है और इसमें हम कहें कि उनके समय में श्री राम नरेश यादव के समय में आजमगढ़ में कितने बड़े-बड़े अपराधियों को लाइसेन्स दिये गये जो मीसा में बन्द थे उनको छोड़कर हीरो बनाने का काम किया था। तो यह आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इस तरह समाप्त नहीं होगा। मान्यवर, आज हमको जिस जनता ने चुनकर भेजा है तो मैं उसकी बात कहना चाहता हूं आज हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा दिया है। यदि आप में हौसला है तो भ्रष्टाचार उन्मूलन में शरीक होकर पहले अपने भ्रष्टाचार को दूर करें। जनता जिसको असामाजिक तत्व कहती है, वह बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक लोगों में से ही बहुत से लोग हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट रहते हैं लेकिन कर्तव्य को निभाना वह भूल गये हैं। जनता के प्रति वह अपने कर्तव्य को भूल गये हैं। मान्यवर, नेता विरोधी दल और सभी माननीय सदस्य जानते हैं, जिसको

[श्री राम कुमार भार्गव---]

संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होती है उसी तरह एक बैठक इस बारे में भी कर लें कि आपके जो समस्त सदस्य हैं क्या उनका सबका आचरण ठीक है। यदि इस सम्बन्ध में बैठक करलें तो जनता में हम अपना चेहरा दिखा सकते हैं। जनता जिन शब्दों में आज हमको कहती है उन शब्दों को मैं यहां बयान नहीं कर सकता हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि जनता की नजर में आज हम लोग गिर गये हैं। बड़े अपराधों पर यदि पर्दा डालते हैं तो वह पर्दा डालने वाले हमीं राजनीतिक लोग हैं।

मान्यवर, दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि वैसे यह भारत सरकार का विषय है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज कोर्ट की, न्यायालय की क्या भूमिका है? कोर्ट गरीबों के लिये नर्क है और अमीरों के लिये स्वर्ग है। मान्यवर, बलात्कार के सम्बन्ध में यहां बातें कहीं जाती हैं तो उसके अपराधियों को छोड़ने वाले यही कोर्ट हैं। आज के समय में कानून का क्या ठीक से उपयोग हो रहा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। मान्यवर, हम जानते हैं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो समय को बदल सके लेकिन कानून को समय के अनुसार बदलना चाहिये। मान्यवर, पुणे की अदालत में 761 वर्ष के बाद एक मामले में अदालत में फैसला हो पाया है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की बात है प्रधान मंत्री यहां लखनऊ में आयीं थी तो उन्होंने कलकत्ता कोर्ट की बात कही कि एक व्यक्ति ने वहां पर कुर्सी पर बैठे जज का मरडर कर दिया, वह पकड़ा गया, मुकदमा चला उसी न्यायालय में और बाद में दूसरा जज आया और कानून की लचर के कारण वह व्यक्ति छूट गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि न्यायालय किधर हमको ले जा रहे हैं, इस पर बिचार करने की जरूरत है, आज कोर्ट में गरीबों को जो पट्टे करते हैं वह रद्द हो जायेंगे, करोड़ों रुपये के करवंचना करने वाले लोग मौज कर रहे हैं और चन्द रुपयों में गरीब आदमी जेलों में सड़ रहे हैं जिसका उदाहरण मैं अपने क्षेत्र तहसील बिस्वां का देना चाहता हूं कि वहां 15 अगस्त को चन्द 100 रुपये के बकाये के सम्बन्ध में एक गरीब आदमी बिस्वां तहसील के ताले में जेल में सड़ रहा है। उससे पूछा, तो मालूम हुआ कि कुछ हजार रुपये उस पर बाकी थे, जिस पर वह 15 अगस्त को पकड़ कर लाया गया था। तो यह कुछ मुख्य बिन्दु हैं, जिन पर मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और हमने इस बात के लिए नेता सदन और नेता विरोधी दल से प्रार्थना की थी कि वह अपने लोगों के आचरण के बारे में विचार करें कि हम लोग क्या आचरण आज कर रहे हैं और उनके बारे में जनता क्या सोच रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्रीमती विमला राकेश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने सामान्य प्रशासन पर मुझे बोलने की स्वीकृति दी है। मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता ने सन् 1980 में अपना भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को देकर यह आशा की थी कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त कर, गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर कर, प्रदेश में बढ़ रहे असन्तोष और व्यभिचार को समाप्त कर, इस प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन देगी। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि समाजवाद

का ढिंढोरा पीटने वाली यह कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में इतना फंस गई है कि इससे न्याय की उम्मीद करना अन्याय है। मान्यवर, आज हालत यह है कि ईमानदार अधिकारियों को बड़ी से बड़ी सजा दी जा रही है, भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मन्दिरों में चोरियां हो रही हैं, सरकारी गोदामों और फैक्टरियों से सामान लापता है। जातिवाद का जहर अपनी चरमसीमा पर है, दहेज की लपटों में कितनी ही महिलाएं जल–जल कर मर रही हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं हरिजनों तथा दूसरी पार्टी से सम्बन्धित लोगों को तंग तथा परेशान किया जा रहा है। मान्यवर, इतना ही नहीं, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विधायकों को पीटा जा रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है अधिवक्ताओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मान्यवर, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने में, अपनी सुख–सुविधाओं को जुटाने में, समस्त सिद्धांतों को ताक पर रखकर, इस गरीब प्रदेश की अमीर सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। जहां तक साम्प्रदायिकता की बात है, साम्प्रदायिकता की आग में कितनी ही माताओं की गोद खाली हो गई है, कितनी ही बहिनों के सुहाग उजड़ गए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए।

मान्यवर, लखनऊ में साम्प्रदायिक दंगा, मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगा, मेरठ में साम्प्रदायिक दंगा। मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं सत्ता पक्ष में बैठने वाले इन लोगों से कि कौन हैं इस दुखद स्थिति के जिम्मेदार क्या विरोध पक्ष में बैठने वाले यह लोग या इस प्रदेश की यह गरीब जनता। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी अराजकता को समाप्त करने की बात कहते हैं, प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन लाने की बात कहते हैं, परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से ही जानना चाहती हूं कि "ये चोरी, ये डकैती, ये कत्लोगारत, ये चोर बाजारी, ये 35 साल से जारी है, अब तक आफतें जानी, ये आजादी के बरबादी, बता दो क्या कहूं इसको मेरा नगमा तो है हिन्दी, मगर लय है मुसलमानी।" मान्यवर, इस प्रकार प्रदेश के सब थाने बिक रहे हैं। प्रदेश के हर थाने की एक–एक ईंट पैसा मांगती है, थाने में जाने वाला हर व्यक्ति जानता है कि रिश्वत देना ही होगा। अन्यथा चोरी, डकैती, कत्ल जैसे संगीन मामले में वान्टेड होना पड़ेगा। वास्तव में प्रदेश के ये थाने भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके हैं। भ्रष्ट–रिश्वतखोर, हवशी–दरिन्दे पुलिस के नाम पर धब्बा ही नहीं इस समाज के लिए कलंक भी है। आज इस प्रदेश की गरीब जनता के सामने हजारों समस्यायें हैं। कहीं भाषा का प्रश्न है तो कहीं साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, कहीं शिक्षा की विषमता है, तो कहीं आर्थिक और सामाजिक समस्यायें इस प्रदेश की जनता का मार्ग अवरुद्ध किए हैं। मेरा सुझाव है कि सत्तापक्ष में बैठने वाले ये लोग अपने चारों ओर के दूषित वातावरण को स्वच्छ बनायें तथा सिफारिशों के आधार पर कार्यों में प्रगति लाना छोड़ दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती विमला राकेश--

मान्यवर, मेरा कुछ सुझाव है, इजाजत हो तो बोलूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब किसी अन्य मौके पर बोलिएगा ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, जहां तक बजट के सम्बन्ध में बात है, मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करते हुए विरोधी दल के नेता ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपसे सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि विरोधी दल के नेता ने जो विचार रख थे, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश में 1977 के पहले जो शासन था, उसको भंग करने का श्रेय उनको है । क्या वह इस बात को भूल चुके हैं कि जब इस देश में अनुशासन बड़ी अच्छी हालत में था, उनके आने पर जो कुछ वारदातें हुईं, भ्रष्टाचार हुए और दूसरी ऐसी कार्यवाहियां हुईं, क्या वह उनकी देन नहीं है ? जहां तक इस देश में ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है उससे हम सभी लोग सहमत हैं कि आज देश में ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा बोलबाला हो रहा है और इसी कारण अनुशासनहीनता हो रही है ।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आजादी के यह दिन हमको देखने को मिल रहे हैं लेकिन अनुशासनहीनता जनता और कर्मचारियों में बढ़ती जा रही है जिससे देश को खतरा है । अनुशासन की ओर ध्यान देकर कड़ाई से काम करने की आवश्यकता है ।

जहां तक राजनीतिक पेंशन के बारे में है, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश की आजादी दिलाने वाले जिन्होंने अपनी कुरबानी की, हमने यह नहीं सोचा था कि हम आजादी के दिन देख सकेंगे । यह हम जैसे लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है । हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे साथ बड़े-बड़े क्रांतिकारी जेलों में थे । शचीन्द्रनाथ सान्याल आर0 डी0 भारद्वाज, पंडित परमानन्द झांखी जो देवली कैंप और चुनार कैंप सुल्तानपुर में थे । हमें स्वप्न में विश्वास नहीं था कि देश आजाद होगा और यह दिन हम देख सकेंगे । लेकिन आज हमें दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उम्र 70 से नीचे नहीं है, लेकिन आज शासन की

ओर से, गंग के कुलियों को 8 रुपया रोज दिया जा रहा है लेकिन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को केवल 4 रुपए रोज के हिसाब से दिया जा रहा है और इसको बड़ी बात कहा जाता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों और उनके जो आश्रित हैं उनके बारे में कहा गया था कि हर जगह स्थान मिलेंगे, नौकरी में, रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनका कहीं पर नामोनिशान नहीं है । इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जब कि हम चन्द लोग ही बाकी रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त होने को है ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मैं सैनिक कल्याण के बारे में कहना आपके माध्यम से आवश्यक समझता हूं । जहां तक पर्वतीय जिलों के सैनिकों का प्रश्न है तराई, भावर में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी उनको भूमि नहीं दी जा रही है । इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । वहां पर सीलिंग लगाने की आवश्यकता है और इस तरह से जो भूमि बचे उसको सैनिकों को देने का प्रश्न है । मैं मुख्य मंत्री जी से इस तरफ ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

मान्यवर, जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है, मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । विरोध पक्ष का जो कटौती का प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि सहयोग और अनुशासन की बात करते हुए इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की जायेगी ।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आलोचना कम करना चाहता हूं । मान्यवर, समाज में सैकड़ों बेगुनाह लड़कियां दहेज न लाने के जुर्म में अग्नि देवता पर भेंट चढ़ा दी जाती हैं । मां-बाप लड़की का दान तो कर देते हैं मगर मुंह मांगा दहेज का दान करना उनके बस की बात नहीं है । मान्यवर, इस बारे में कानून बनाये गये हैं, हमारे प्रदेश में भी कानून बनाये गये हैं, मगर यह अग्नि देवता को भेंट जो लड़कियां हो रही हैं, उनके ऊपर

[श्री फखरे आलम –]

किसी तरह की रोक नहीं हो सकी है, बल्कि यह घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य रखने के उपरान्त सुझाव देना चाहूंगा कि यह जो घटनायें हैं इनको रोकने के लिए, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, इस किस्म के वाकियात जो रोजना हो रहे हैं, हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, रेडियो पर खबरें आती रहती हैं कि कितनी लड़कियां, कितनी नवविवाहिता इस तरह से खत्म कर दी जाती हैं, कभी उनको सुसाइड कहा जाता है, कभी कत्ल कहा जाता है और उसमें पता नहीं चलता, उसमें से 80 प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं, जिनमें मुकदमें कायम नहीं हो सकते और जिस कारण लोगों को सजा नहीं मिल पाती है, जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं।

इसके लिए मेरा सुझाव माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह है कि एक कमीशन का गठन होना चाहिये जो इस बात को देखें और इस बात की पूरे-पूरे तरीके से जांच करे और उसमें हम सब लोग मिलकर इस बात पर विचार करें कि जो वाकियात हो रहे हैं, जो यह बेगुनाह लड़कियां मौत के घाट उतारी जा रही हैं, उनका किस तरह से इन्तजाम हो सके। इसके कंट्रोल करने के लिये जरूरी है कि समाज में तब्दीली लाई जाये और रिहायेशी मियार बढ़ती जा रही है स्टैंडर्ड आफ लिविंग में कमी जरूरी है, स्टैंडर्ड आफ लीविंग बढ़ता चला जा रहा है, यह इसकी वजह है और समाज भी उसके पीछे होता चला जा रहा है। इसके बाद में दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि जरायम में कमी हो रही है, मान्यवर, मगर यह वाकई नहीं है। मैंने जो यह किताब देखी यह जो पुलिस के कार्य कलापों पर जो आपने यह लिखा है, जिसमें दिखाया है कि कमी हुई है इस प्रकार से कहा गया कि 1982 में डकैती में 22.15 प्रतिशत कमी हुई, लूट में 9.08 प्रतिशत की कमी हुई और दंगे में 1.52 प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी नहीं हुई बल्कि इसमें सप्रेशन हो रहा है। जिलों में लोग एफ0 आई0 आर0 लिखाने जाते हैं, तो उसकी एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है। शायद ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से तमाम थानों को यह आदेश दे दिया हो कि अगर कोई एफ0 आई0 आर0 थाने के अन्तर्गत लिखाने आये, तो उसकी रपट को न लिखा जाय। तो, इसीलिए यह आपको मौका मिल गया और कहा कि कमी हो गई। तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे तरीके से यह आदेश दे दिये जायें कि जो आदमी एफ0 आई0 आर0 लिखाने आये, उसकी रिपोर्ट को तुरन्त लिखा जाय। जब एफ0 आई0 आर0 न लिखी जाय और वह व्यक्ति इसकी शिकायत करे तो यह निश्चित तौर पर होना चाहिये कि उस रिपोर्ट को न लिखने वाले सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध एक्शन लिया जाय, इसमें यदि एस0 पी0, थानेदार, सी0 ओ0 आते हों, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो तो, इस तरह से इस पर कंट्रोल हो सकेगा। यदि यह कर दिया जाय तो सप्रेशन नहीं हो सकेगा, जो सही स्थिति है सामने आयेगी।

मान्यवर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका एप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है इसमें बड़े-बड़े एपाइंमेंट्स होते हैं। लेकिन मान्यवर, आदमी के लिये जगह क्रियेट की जाती है, जगह के लिए आदमी नहीं होते हैं। इस बात को रोकने के लिए, और यह देखने के लिए सही जगह पर सही आदमी पहुंच सके, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसका पूरी तरह से चेक अप करायें। अभी आपने नियुक्ति डिपार्टमेंट के सचिव को तबदील किया और उनके स्थान पर एक बहुत ही होशियार आदमी लाये जिनके

बारे में यह कहा जाता है कि उनको बहुत जानकारी है, वे काम कर सकते हैं। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहूंगा कि आपके यहां जितनी कमिश्नर की पोस्टें हैं उन कमिश्नर की पोस्टों पर आपने अच्छे लोग रखे हुए हैं, मैं यह नहीं कहता कि बुरे लोग रखे हुए हैं, लेकिन इन पोस्टों पर आपको यह देखना है कि हर क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो सके। मैं बिना खौफ इस बात को कहने के लिये तैयार हूं कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कमिश्नर मुसलमान भी होने चाहिये। अभी पूरे प्रदेश में केवल एक मुसलमान कमिश्नर थे, जो रिटायर हो गये, उनके रिटायरमेंट के बाद अब कोई कमिश्नर मुसलमान नहीं है, तो इस पर ध्यान दें। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुसलमान हैं और बाकी जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुसलमान नहीं हैं। मान्यवर, आप इस बात पर ध्यान दें और इस काम को पूरा करें। इसलिए किसी क्लास को और खासतौर से माइनारिटी कम्यूनिटी को जब यह एहसास हो जाय कि उनकी सुरक्षा नहीं हो रही है तो बहुत सी बातें पैदा हो जाती हैं जिसको दूर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन बातों की जरूरत है। उन लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये डी0 एम0 बनायें और हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी बहुत कम हैं उनकी संख्या भी बढ़ाना जरूरी है। ताकि जो अत्याचार अनुसूचित जाति पर हो रहा है उसकी रोकथाम हो सके।

चौथा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—"अन्दाजे बयां गरचे बहुत शोख नहीं है शायद की उतर जाय तेरे दिल में मेरी बात"। पुलिस प्रशासन जो है वह प्रशासन ऐसा हो गया है कि आपका प्रशासन खत्म हो गया है और पुलिस का शासन हो गया है। पुलिस पर आपका कन्ट्रोल नहीं है, चीफ सेक्रेटरी का कन्ट्रोल नहीं है, होम सेक्रेटरी का कन्ट्रोल नहीं है वे आपस में लड़ रहे हैं। आपने डायरेक्टर जनरल जिनका कुछ समय रिटायर होने में बाकी था उसको हटाकर अपने पसन्द का डायरेक्टर जनरल और आई0जी0 नियुक्त किया। आपके डी0आई0जी0 लड़ रहे हैं ए0आई0जी0 आपस में लड़ रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं डी0आई0जी0, गढ़वाल रेंज का श्री पीयूष चन्द्र कक्कड़ है, जिसने आपको लिखा है कि हमको रिटायर कर दिया जाय। उससे यह चाहते थे कि वह गढ़वाल इलेक्शन में इन्टरफियर करें और चुनाव आजादी से न हो। उसने चुनाव में आजादीनामा से वोट करने का आदेश दिया था। इसलिये उससे जूनियर को ए0 आई0 जी0 बना दिया गया और उसे नहीं। यह बहुत बड़ा अन्याय है। माननीय नेता विरोधी दल ने भी कल कहा था एक नाम है गिरीश बिहारी। मैं कोई विरोफ होल्डर नहीं हूं न मैं इनको जानता हूं। लेकिन मैं यह चाहता हूं जिसका जो हक है वह उसको मिलना चाहिये।

[श्री फखरे आलम--]

पांचवा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जूडीशियरी की हालत खराब से खराब होती जा रही है। जब हम और आप इस प्रोफेशन में आये थे तो जूडीशियरी का स्टैन्डर्ड क्या था ?

[व्यवधान]

श्री राम औतार दीक्षित--

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जुडीशियरी के बारे में यहां कोई कमेन्ट हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं हो सकता है। जुडीशियरी के बारे में कोई बात न कहें।

श्री फखरे आलम--

मैं जुडीशियरी की वर्किंग के बारे में नहीं कमेंट कर रहा हूं।

[व्यवधान]

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आप स्वयं अच्छे वकील हैं फिर क्यों हाहाकार मचा रहे हैं। दूसरे आपका समय समाप्त हुआ, बैठिये।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, जुडीशियरी की हालत ठीक नहीं है। मैं हाहाकार नहीं मचा रहा हूं। उनको जो सैलरी मिलनी चाहिये, जो सुविधायें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही हैं। वह उनसे सैटिस्फाइड नहीं हैं, इसलिये वह ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

वर्तमान शासन में वह सब कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ है।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें।

[व्यवधान]

*श्री भोला पाण्डेय--

श्रीमन्, सामान्य चर्चा पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 34--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

कटौती का प्रस्ताव और विरोध पक्ष के लोगों की तकरीरों को सुनने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि 1977 और 1980 के बीच में जो अपने प्रशासन के समय में जानकारी हासिल की थी और जिस तरह से प्रशासन चलाया था, उसी की पूरी समीक्षा की है। विरोध पक्ष के लोगों की तरफ से लोकतंत्र की हत्या के प्रति आशंका प्रकट की गई है। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या किये जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है लेकिन 1977 से 1980 के बीच में लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने की कोशिश जरूर जनता पार्टी के शासन ने की थी।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं। जो ला-एण्ड-आर्डर के बिगड़ने की चर्चा की जा रही है उसके दो तीन कारण हैं और वे कारण यह हैं कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० दोनों के बीच में कोई समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये और जब तक समझौतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तब तक कानून और व्यवस्था को सही रूप में नहीं लाया जा सकता है। जिस लोकतंत्र की आधारशिला हमारे जवाहर लाल नेहरू जी ने रखी है--एक तरफ लोक और दूसरी तरफ तंत्र--नहीं चल सकते। इन दोनों के बीच में कोई....

(व्यवधान)

लोक और तंत्र के बीच में किस तरह समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया जाये इसके लिए विशेषज्ञों की एक विशिष्ट कमेटी बनाकर अध्ययन दल गठित कर के जानकारी हासिल की जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में, लोगों ने बातें कहीं, मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता, माननीय नेता विरोधी दल के क्षेत्र के एक-एक घर, कान्स्टीट्यूएंसी के बारे में जानता हूं, साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में नेता सदन और यह हमारा प्रशासन वास्तव में बधाई देनी चाहिए, चाहे मेरठ में दंगा हुआ हो, चाहे मुरादाबाद में इन तमाम दंगों के कारण क्या थे, यह बताना मैं आवश्यक समझता हूं। जब जनता पार्टी की हुकूमत थी, जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी बाजपेयी दिल्ली में राज्य कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान के लिए खुले रूप में पासपोर्ट देने की व्यवस्था की थी उस समय खाली मंशा यह थी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उन को नेस्तनाबूद किया जाय, उन को बिल्कुल समाप्त करने की योजना बनायी गयी थी। पाकिस्तान से जो असलहे आ रहे थे...

(व्यवधान)

यह सरकार जो आयी है, बधाई की पात्र है। मेरठ, मुरादाबाद या कहीं का भी दंगा हो, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने प्रशासन को कि इतनी मुस्तैदी के साथ, समझौतावादी रूप में काम किया है।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के बारे में कही गया। पिछले शासन में आपके प्रशासन के पहले से होता रहा कि जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० बनने के बाद काबिल नहीं थे, उसीको फील्ड में भेज दिया गया था। जो जिलाधिकारी, सचिवालय में फाइलों का काम देखा करता था, उसी को जिलों में भेज दिया गया था। इसकी आप इन्क्वायरी करा लें। जो प्रमोटेड आई० ए० एस० हैं, पी० सी० एस० से प्रमोटेड हैं, इनके पास एक व्यावहारिक स्तर और इनकी व्यावहारिक मानसिकता जन मानस के प्रति है। इस बात पर शासन को विचार करना होगा। इस तरीके के लोग जो पहले भी फील्ड में रह चुके हैं, जिले, तहसील में कार्य कर चुके हैं, जनता के साथ व्यवहार करने में बहुत सक्षम हैं। ऐसे लोगों को फील्ड और जिला देने की व्यवस्था की जाये। जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें वापस बुला लिया जाये। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता, दो मिनट और लूंगा। एक बात, जो भ्रष्टाचार के बारे में की जा रही है, के बारे में माननीय मंत्री जी से कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री भोला पांडेय--

दो मिनट। उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिये। पहली बार प्रशासन ने खेत खलिहानों में जाकर काम करने की व्यवस्था की है। दूसरी बात कही गयी कि जातिगत भावना से काम किया जा रहा है। इसका अवलोकन कर लिया जाय। नेता सदन के कार्यालय से लेकर छोटे छोटे दफ्तरों तक निष्पक्षता की बात, निष्पक्षता की भावना बर्ती गयी है। कभी इतिहास में ऐसी निष्पक्षता से कार्य नहीं किया गया और न कर सकते हैं। जनता पार्टी में जब श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे। सड़कों पर भैंसे चला करती थीं। कानेस्टिबिल कहा करते थे कि राम नरेश यादव की सरकार है हम भैंसों को नहीं रोक सकते। बनारसी दास मुख्य मंत्री थे। राशन की दुकानों पर चले जाइये, मनमानी व्यवस्था थी। कोई भी राशनिंग इन्सपेक्टर किसी भी दुकानदार को नहीं पकड़ सकता था। बनारसी दास की सरकार थी, पूंजीपतियों के ऊपर चलती थी....।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री भोला पान्डेय—

मान्यवर, आपने जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं। नेता सदन, जिले में जो नौजवान हैं, युवक समितियां हैं, उनका मार्ग दर्शन करेंगे, इस आशा के साथ बजट का समर्थन करता हूं और आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं।

*श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में पर्यावरण निदेशालय में लम्बे समय से रिक्त पदों के सम्बन्ध में कहा था। मैं बताना चाहूंगा कि निदेशालय में 5 टेक्निकल अधिकारी के स्थान हैं, इनमें चार में नियुक्तियां हो चुकी हैं। एक स्थान चीफ एप्रीजल का रिक्त है, उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। नेता विरोधी दल ने कल प्लैनीटोरियम और साइन्स म्यूजियम के बारे में कहा। यही कार्य परिषद् करता है। गृहशाला, साइन्स म्यूजियम दोनों की स्थापना परिषद् द्वारा की जा रही है। गृहशाला 2.5 करोड़ की लागत से यहां स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्राद्योगिक परिषद् है जो ऊर्जा कमीशन का कार्य भी कर रहा है। यह जो बनेगा यह नेचुरल सोर्सेज आफ इनर्जी के माध्यम से जैसे वायु गैस, सौर्य चूल्हा आदि की गांव में स्थापना करेगा। यहां पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। पिछले 8 महीने पूर्व जो रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन लखनऊ में स्थापित हुआ उसके माध्यम से बहुत अच्छे काम किये गये। इसके माध्यम से हम लोगों ने बुन्देलखंड में भूमिगत जल की खोज एवम् भूमि उपयोगी क्षमता का रेखांक एवं वर्गीकरण का काम आरम्भ कर दिया है और इसके साथ ही साथ शारदा सहायक कमांड और भी अन्य जगह, जो फ्लड पून एरियाज हैं, वहां फ्लड से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, इस सम्बन्ध में हमारा जो यह एप्लीकेशन सेन्टर है, कार्य कर रहा है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। यदि जहां 1960-61 में केवल 27 हमारे इन्सट्टीट्यूट या संस्थायें थीं, में टोटल इनटेक, जो छात्रों को एडमिसन होता था वह 2,930 था, आज उसे हमने बढ़ाकर, संस्थाओं की संख्या 50 तक कर दी गई है और इनटेक की संख्या 8,570 तक चली गई है। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि देश का औसत है- हर एक लाख व्यक्ति पर 4.11 छात्रों को डिग्री एवं डिप्लोमा की शिक्षा प्रदान की जा रही है वह औसतन उत्तर प्रदेश में कम है। यहां पर हम इस समय एक लाख व्यक्ति पर 2.36 छात्रों को प्राविधिक शिक्षा दी जा रही है। इसको और बढ़ाने के लिये, इसे अपने देश के औसतन पर बराबर लाने के लिये हमारी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि अगले वर्ष 1983-84 में 11 पालीटेक्निक और इस प्रदेश में स्थापित करेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 50 पालीटेक्निक कार्य कर रहे हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री सुनील शास्त्री--)

लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में 18 जनपद ऐसे हैं जहां पालीटेक्निक नहीं हैं इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि अगले वर्ष 1983-84 में 11 जनपदों में 11 पालीटेक्निक की स्थापनायें की जायेंगी ।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक पालीटेक्निक की स्थापना करने के लिए लगभग 1 करोड़ 36 लाख रुपये की आवश्यकता होती है लेकिन फिर भी सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि प्राविधिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है ।

मान्यवर, इस समय हमारी राजधानी में एक इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एवम् टेक्नालाजी की स्थापना करने का प्रस्ताव भी है और इस संस्था में 1983-84 से कार्य आरम्भ हो जायेगा, डिग्रियों में पढ़ाई का कार्य शुरू हो जायेगा । इसमें चार कोर्स हैं--वे हैं, सिविल, मैकेनिकल इन्जीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग और इलेक्ट्रानिगस इन्जीनियरिंग । इसके माध्यम से हम 240 छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रिस्टीजियस इन्स्टीट्यूट राजधानी लखनऊ में स्थापित होगा । इसको लगाने में 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त इस समय प्रदेश में लड़कियों का एक पालीटेक्निक स्कूल लखनऊ में है । हम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि कानपुर में भी शीघ्र ही एक गर्ल्स पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी और इसके माध्यम से हम नयी-नयी शिक्षा लड़कियों को प्रदान करेंगे । जैसे इन्टोरियर डेकोरेशन और फारमेसी । मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारे पालीटेनिक्क कालेज हैं उसमें भी हम कुछ नये ट्रेड्स और कुछ नये सब्जेक्ट्स हैं, उनको चलाने जा रहे हैं और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में उन ट्रेड्स व विषयों पर हम कार्य करना आरम्भ कर देंगे । इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता होगी जैसे, शुगर केन ग्रोइंग का और जहां चमड़े का ज्यादा काम होता है, वहां उस ट्रेड की हम इन्ट्रोड्यूस करेंगे, उसमें एक एक्सपरटाइज देकर छात्रों का ट्रेन्ड करेंगे तथा उसके स्तर को उठायेंगे ताकि वह पूरे देश के स्तर तक आ जाय ।

मान्यवर, इन सभी बातों को मैंने माननीय सदस्यों एवम् इस माननीय सदन के समक्ष इसलिए रखा कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में हम प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रहे हैं ।

हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अच्छी शिक्षा टेक्निकल एजूकेशन छात्रों को इस प्रदेश में दें ।

*श्री अकबाल हुसैन--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता, विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आंकड़ों से जो माननीय नेता सदन ने कल यह बताया कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधर रही है, अपराधों में गिरावट हो रही है, उसके बारे में मेरा सुझाव माननीय मुख्य मन्त्री जी से केवल इतना है कि यदि इन अपराधों में गिरावट हो रही है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा आफेन्स होता है मर्डर का, हत्या का उसमें 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 118 आदमियों से ज्यादा मारे गये हैं। इसलिये आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूं कि दरअसल अपराधों में गिरावट नहीं हुई है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो अपराध होते हैं उसमें जो एफ0 आई0 आर0 लिखाने आता है, वह दर्ज नहीं की जाती है, इसलिये इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि अपराधों में कमी हुई है। इस तरह के कम से कम दो "स्टेट एमेन्डमेन्ट्स" सी0 आर0 पी0 सी0 और आई0 पी0 सी0 में ले आयें जिससे अगर कोई आदमी गलत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चले और दन्डित किया जाय। दूसरी ओर अगर किसी पुलिस अधिकारी ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं की है, तो उसके विरुद्ध अगर वह प्रमाणित हो जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही मुख्य मन्त्री जी करें तभी शान्ति व्यवस्था सुधर सकती है।

कल के अखबार से यह ज्ञात हुआ, हालांकि मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया, इसके लिये हम माननीय मुख्य मन्त्री जी को बधाई देना चाहते हैं, हम विरोध पक्ष के हैं अगर हम बधाई देते हैं तो वह उनके लिये एक सर्टीफिकेट हो जाता है, तो कल के अखबार से यह ज्ञात हुआ कि इस प्रदेश में 15 राजपत्रित अधिकारियों के ऊपर करप्शन का मुकदमा चलाया गया और वह दन्डित हुए। अगर इसकी पुष्टि माननीय मुख्य मन्त्री जी करते हैं इस सदन में तो वह बधाई के पात्र हैं। दशहरा और मुहर्रम के मौके पर 1150 करोड़ व्यक्तियों के लिये जो शान्ति व्यवस्था हमारे इस प्रदेश की वीर पुलिस ने की उसके लिये बहुत ही बधाई दी गयी है, मुख्य मन्त्री जी ने भी बधाई दी, हम भी देना चाहते हैं, लेकिन उसी जगह पर हमारे दिल के अन्दर यह दर्द पैदा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस दशहरा और मुहर्रम के मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रख सकती है तो उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के दिल में यह दर्द पैदा होता है कि जब 6 सितम्बर, 82 को मेरठ में दंगा हुआ और वह दो महीने तक रहा, उस साम्प्रदायिक दंगे में मेरठ जलता रहा, चाहे हिन्दू भाई मारे गये हों या मुसलमान भाई मारे गये हों, हमारा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह है कि वह भारतमाता की गोद में जन्मे हुए भारतमाता के सपूत मारे गये, उसके लिये आपने क्या किया ? अगर आप यह व्यवस्था कर सकते थे तो यह कमी है कि मेरठ के दंगे को रोकने के लिये व्यवस्था नहीं की।

[श्री अकबाल हुसैन—]

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम एक संस्था की स्थापना की जाय, जहां पुलिस के जवान भर्ती हों, उनको वहां पर शिक्षित किया जाय, ट्रेनिंग दी जाय और एक ऐसे धर्म निरपेक्ष दल, समाज सुधारक दल की स्थापना की जाय जो ऐसे मौकों पर जाकर साम्प्रदायिक दंगों को रोके ।

इस विषय से सम्बन्धित जो अधिकारी गलत हों उन्हें दन्डित किया जाए लेकिन जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हों उन्हें काम करने दिया जाए लेकिन मान्यवर देखा यही गया है कि आप ऐसे मौकों पर क्या हर मौकों पर आप में निर्णय लेने की अब क्षमता नहीं रह गयी है । एक आर0 ई0 एस0 चीफ इंजीनियर का मामला उदाहरण के लिए है कि वह इतना भ्रष्ट है, जिसके खिलाफ मामले चल रहे हों और वह आज भी अपनी जगह कार्यरत है, इसी के साथ दूसरा मामला एक

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका समय अब बोलने का समाप्त हो गया, कृपया बैठ जाएं, श्रीमती पुष्पा चौहान, श्री अकबाल हुसैन साहब अब आप बैठें हमने दूसरे सदस्य को बुला लिया है

(शोर)

श्री अकबाल हुसैन—

साथ ही मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए समर्थन करता हूं ।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इस बजट का प्रबल समर्थन करती हूं और नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं । मैं मान्यवर, ज्यादा दूर की बात नहीं करती इससे पहले का शासन भी मैंने देखा है उस समय की मैं अपने ही जो एटा और मैनपुरी से लगा था क्षेत्र हैं तब इन जिलों में एक छोटे से क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं जहां बारिश होती है, उसकी बौछार मेरे क्षेत्र में आती है तथा उधर धूप यदि निकलती है तो इधर रोशनी भी आती है । उस शासन के दौर में जब वहां पर छविराम विश्राम करता था और अब कांग्रेस के दौर में वह छविराम क्या अन्य भी दिखाई नहीं पड़ते तथा वहां की धूप की रोशनी इधर भी आ रही है लेकिन कल माननीय नेता विरोधी दल की बातें व उनके विचारों को सुना, उन्होंने जातिवाद को उछालकर अच्छा कार्य नहीं किया । मेरी नेता विरोधी दल से कोई व्यक्तिगत ऐसी बात नहीं है जो मैं उन्हें कुछ कहना चाह रही हूं, लेकिन यह अवश्य कहना चाहूंगी कि आप जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए यह शोभा नहीं देता कि आप फर्ला-2 की लिस्ट यहां पर सुनाएं, लिस्ट ही सुनानी है तो पूरी यू0 पी0 की लिस्ट ही सुनाये यह बड़ी घृणित चीज है, अच्छी नहीं है और हमारे यहां कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई भावना किसी में नहीं है, इसीलिए आपके इस तरह के

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग, (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79- सैनिक कल्याण

कहने पर हम लोगों को कोई असर नहीं आता क्योंकि इस भावना को हम लोग मानते ही नहीं हैं यहीं पर चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, सब को समान रूप में देखा जाता है । जातिवाद का यहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मुझे गौरी देवी जी की बातें इसके मुकाबले में सही लगीं, आप अपनी मांगें रखें, खाली बुराई करने से क्या मिलता है । अभी एक महिला सदस्य ने बजट पर बोलते समय महिला के वैधव्य तथा गोद खाली होने की बात कही तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि वैधव्य एक ईश्वर की प्रक्रिया है कि विधवा महिला ही होती हैं गायें या भैंसे नहीं हुआ करती मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि वे जिस हिन्दुस्तान में रहती हैं उस देश की नेता एक महिला हैं जो वैधव्य के दुख से भी गुजरी हैं तथा गोद खाली दोनों के दर्द से भी गुजरी हैं । अतः श्रीमती गांधी महिलाओं के दुख को समझती हैं कि आंखों के आंसू कैसे पिये जाते हैं यह हमें श्रीमती गांधी से सीखना चाहिए ।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य महिलाओं की चर्चा करके दुखित हो रहे थे और इस बहाने से साम्प्रदायिकता की बात कर रहे थे यह लोग हमेशा इस तरह की बातें कर रहे थे कि वे बातें करते हैं जिससे भारत की अखन्डता व एकता भंग हो । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जिसके घर आग लगती है वो तो उसे बुझाने में जुटा रहता है लेकिन दूसरे लोग जो सहानुभूति का दिखावा करने के लिए खाली शोर मचाते हैं । मैं कहती हूं कि अल्प संख्यक के लिए व देश समाज के लिए लाल-कुर्ती से कितने टेलीफोनिक मैंने किए कि उनकी बन्दूकें न ली जायं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

अन्त में मैं फिर मुख्य मन्त्री जी द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि दोनों तरफ के काफी सदस्य बोलना चाहते हैं । यह जो विषय है सामान्य प्रशासन का और गृह विभाग यह बहुत ही इम्पा-टेन्ट है । श्रीमन्, खाने से पहले ला-एन्ड-आर्डर का प्रश्न है । मान्यवर, यह तो परम्परा रही है और संसद भी रात के 11-11 बजे तक चलती है, तो मैं नहीं समझता

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

कि हमारा सदन क्यों नहीं बैठ सकता है । अभी हरियाणा का बजट पेश हुआ, यहां का हुआ, बजट दुगना और तिगुना हो गया, इसे तो हम दो-चार दिन में कही कर पायेंगे, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का टाइम दो घन्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय । माननीय नेता सदन चाहेंगे कि दो घंटे इसे बढ़ा दिया जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं, इनसे कहिए कि ये अपना भाषण शुरू करें तो ये तैयार हो जायेंगे ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

नहीं मान्यवर समय न बढ़ाइये नहीं तो फिर ये नेता विरोधी दल घन्टों हम लोगों को बोर करेंगे ।

श्री खैरुल बशर--

आपने तो बजट पेश किया है, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आशा करता था कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को मानेगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल आप अपना भाषण शुरू करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मुझे आशा थी कि माननीय नेता सदन मेरे प्रस्ताव को मानेंगे, लेकिन बड़ा दुख होता है जब ऐसी चीज नहीं मानी जाती है । यह तो जनहित की बात थी । मैं फिर कहता हूं कि माननीय नेता सदन थोड़ा समय बढ़ाने की कृपा करें ।

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बढ़ाने की बात जब भी कभी चर्चा की बात आयी है या और कोई विषय पर समय बढ़ाने की बात आयी है, हमेशा हमने समय बढ़ाने में कभी कोई एतराज नहीं किया है और एक-एक घंटे और आधे-आधे घंटे का समय बढ़ाया है । लेकिन इस बजट पर इसका निश्चित समय निर्धारित है और 5 ही बजे तक का इसका समय है । बजट पर डिस्कशन का समय बढ़ा कर यह सदन के लिए अच्छी बात नहीं होगी इसलिए, मैं क्षमा मांगता हूं और यह चाहता हूं अब मुझसे आगे समय बढ़ाने का प्रस्ताव न करें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों तरफ के सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया, मैं उन सभी को बधाई देता हूं । मान्यवर, जहां तक समझ पाया, मैंने जो कुछ भी कहा है उसका समर्थन खासकर बाजपेयी जी

ने तो 5 मिनट के अपने भाषण में किया जिसको मैं 3 घंटे में भी नहीं कह पाया। श्रीमन् एक बात आपके समक्ष रखने की है। अर्ध कुम्भ मेले में अधिकारी गये थे, प्रशासन के काफी अधिकारी जाते हैं, उनका जी0 ओ0 होता है, मुझे ऐसी सूचना है कि वह जी0 ओ0 अभी तक नहीं हुआ है। जी0 ओ0 जब जाता है तब उनकी सेवा रेगुलइज होती है। यह आपके विभाग की कुशलता है कि अभी तक जी0 ओ0 नहीं हुआ। मैं फिर कहता हूं, पी0 ए0 सी0 के बारे में कहा जाता है और सिविल पुलिस के भष्टाचार के बारे में भी कहा जाता है। पी0 ए0 सी0 के लोगों को ऐसा अवसर नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सिविल पुलिस और पी0 ए0 सी0 को मिला दें और इन्टर ट्रान्सफर आप करें। 5 साल कोई अधिकारी या कर्मचारी पी0 ए0 सी0 में रहे फिर उसको सिविल पुलिस में लाये। सब इन्सपेक्टर तक की बात में खासकर कहता हूं।

दूसरी बात में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग बचे हैं, आप उनकी जीविका का कोई माध्यम बतायें, खाली पेन्शन से तो काम चलता नहीं है। जब वह जेलों में रहे तो उनके बच्चों की देख भाल-करने वाला कोई नहीं था, उनके बच्चे पढ़ नहीं सके, वह एजूकेशन नहीं पा सके। तो आप इस पर विचार कर लें।

मान्यवर, आपके बी0 डी0 ओ0 और ए0 डी0 ओ0 पहले गांव में जाते थे और वहां पर नाइट हाल्ट करते थे। अब उनको जीप सप्लाई कर दी गई है। सुबह जाते हैं और शाम को वह वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो एस0 डी0 एम0 हैं वह भी सुबह जाते हैं और शाम को वापस चले आते हैं। उनको विकास के लिए गावों में रात्रि रुकना चाहिए और छोटी-मोटी जो गांव की समस्यायें हैं वह वहीं पर हल कर देनी चाहिए। इस काम के लिए इन्सपेक्शन हाउस बने हुए हैं, अधिकारी वहां पर जाये और नाइट हाल्ट करें। हम पुरानी अंग्रेजी पद्धति की बुराई करते हैं, लेकिन उस समय यह होता था। अधिकारी अपना 2-3 दिन का टूर लगाते थे और जनता की सेवा करते थे। जो हमारे पुलिस के कर्मी हैं और जो डकैती में मारे गए हैं उनको मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर श्रद्धान्जलि देता हूं। मान्यवर, पुलिस के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, अमेरिका मानव अधिकार समिति ने रिपोर्ट दी है। उन्होंने माना है भारत की पुलिस की प्रशंसा की हालांकि प्रशंसा के साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यहां की पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। यह मान्यवर, फरवरी 10 को निकला है। इसे आप देख सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दल के लोगों से इस बात को कहें। पूर्वांचल के एक व्यक्ति हैं पंडित हरि शंकर तिवारी। उनके

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

बारे में काफी प्रश्न चिन्ह हैं । मैं नहीं कहता कि इसमें मुख्य मंत्री जी का सीधा हाथ है लेकिन उनके दल के लोगों का उसमें हाथ हो सकता है । मुख्य मंत्री जी जब पूर्वांचल में गये थे तो आपके कुछ व्यक्तियों ने इनवाइट किया और यह कहा कि हरि शंकर तिवारी भी उसी मंच पर आयेंगे जहां मुख्य मंत्री जी हैं । मान्यवर, आपकी पोजीशन बहुत ऊंची है । पंडित हरि शंकर तिवारी एक व्यक्ति हो सकते हैं लेकिन वे श्रीपति मिश्र नहीं हो सकते । जहां पर आप जायेंगे वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से न जाय. . . .

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि पंडित हरि शंकर तिवारी के साथ मुख्य मंत्री जी का कहीं न कहीं कोई सम्बन्ध है । मैं कहना चाहता हूं यदि उनके ही नेता का कहीं पर कोई मीटिंग हो और उसमें कोई व्यक्ति आकर बैठ जाय तो क्या वहां पर उनके पास कोई पास-पोर्ट साइज का फोटोग्राफ है कि वह फलां व्यक्ति है और वह वहां पर नहीं आ सकता ? मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल का ऐसा कहना शोभा नहीं देता ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

जो भावना आपकी है वही भावना हमारी भी है । मैंने कहा कि आपके ही दल के लोगों ने ऐसा पर्चा निकाला । मैं उसको आपके पास भिजवा देता हूं । उसे आप पढ़िये तब आपको शर्म आयेगी ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

शर्म तो मुझे क्या आयेगी लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए जो आप ऐसा कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं उनका सम्मान करता हूं । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जो मीटिंग आयोजित करें उसमें उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था कि पंडित हरि शंकर तिवारी भी उसमें आयेंगे । मैं फिर कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी का सम्मान बहुत ऊंचा है, वे प्रथम नागरिक हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने साथियों से कह दें कि वे इक्वेट न किया करें । मेरे पास कल एक पत्र आया था और उसमें कुछ शिकायतें की गयी हैं । एक कोई यदुवीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी हैं थाना रडियावां हरदोई के हैं । पुलिस उनको तंग कर रही है । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं :

"यूं आती रहेंगी खुत सितम की आंधियां कब तक,
उड़ाई जायेंगी इंसानियत की धज्जियां कब तक ।
मगर मजदूर तेरी बेबसी मजबूरियां कब तक,
सुनाई जायेंगी यह दास्ताने खून कब तक ।"

श्रीमन्, अभी कानपुर में नरसंहार हुआ । उसके बारे में पूरी सूचना नहीं आयी । यह नरसंहार कब तक होता रहेगा ? इस सबको रोकने के लिए हम सब मिलकर कार्य कर सकते हैं । व्यक्तिगत बात छोड़िये लेकिन जब कोई इंसिडेन्ट होता है तो हम लोग एक भावना से काम कर सकते हैं, वह कैसे हो, इस पर हम लोग विचार करें । हमारा सहयोग, सदन का सहयोग जन कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए आपको मिलता रहेगा । ऐसे कार्यों में हम आपके साथ कन्धे

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23 --नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

से कन्धा मिलाकर काम करेंगे और जनता का विश्वास प्राप्त करेंगे । यह दूसरी बात है कि जो नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरी समस्यायें हैं,- जैसे आपके सामने जनसंख्या का सवाल आया था, वह हम सब की प्रोब्लम है, हम सब बैठकर आपस में तय करें और उस पर विचार करें हम आपका सहयोग देंगे । जो डेवलपमेन्ट की बात हो चाहे वह सत्ता में हो या उससे बाहर हो, हर आदमी चाहता है कि हमारे प्रदेश का डेवलपमेन्ट हो । अच्छा काम होगा तो आपकी छवि बनेगी, जन प्रतिनिधियों की छवि बनी रहेगी । इन शब्दों के साथ में आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यह सदन मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा । मैंने तो जो कुछ कहा, वह कम ही कहा, जो कुछ बाजपेयी जी ने कहा वही आप समझ लें तो वह काफी होगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैंने तो जो कुछ कहा वह आप मान लें तो आपका उद्धार हो जाता ।

*श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से सर्व प्रथम उन सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने कल से आज तक चर्चा में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए तथा सुझाव दिए । मान्यवर, विवाद बहुत उच्च स्तर से प्रारम्भ हुआ, महात्मा गांधी के सिद्धान्तों से प्रारम्भ हुआ, और किसी तिवारी जी पर जाकर उसी प्रकार से समाप्त हुआ जैसे कि गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो स्वच्छ निकलती है, पर आते-आते बंगाल की खाड़ी में जाते-जाते मटमैली हो जाती है । कल की चर्चा भी अंत में वैसी ही हो गयी ।

तीन तरह की बातें कही गयीं । एक तो सैद्धान्तिक आधार पर कुछ बातें कही गयीं, दूसरे प्रशासनिक तंत्र और उसकी संरचना के बारे में कही गयीं, तीसरे प्रशासन के अधिकारियों के कार्यों की आलोचना की गयी । सारी बहस को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है ।

जहां तक सैद्धान्तिक बातों का और प्रशासनिक संरचना का सम्बन्ध है, पहले मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं । 40 मिनट के समय में साढ़े 3 घंटे की एक चर्चा का तथा 15-15, 20-20 मिनट की अन्य चर्चाओं का, सारी बातों का उत्तर देना तो सम्भव नहीं होगा, लेकिन जितना भी संभव होगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

(व्यवधान)

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य--

कानपुर में जो नरसंहार हुआ उसके बारे में भी कहिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

कलेजा थाम कर सुनों, हमने भी साढ़े 3 घंटे तक आपके नेता को सुना है ।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय नेता विरोधी दल ने सबसे पहले यह बात कही कि कांग्रेस दल गांधी जी के सिद्धान्तों और उनकी नीतियों से अलग होता जा रहा है । दूर होता जा रहा है । उन्होंने यह दिशा निर्देश किया था कि हमको उस तरफ जाना चाहिए । मैं उनके इस सुझाव का स्वागत करता हूं और अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं इसलिए कि उनकी जानकारी और समझदारी गांधी जी के प्रति बढ़ती जा रही है । माननीय नेता विरोधी दल की बात तो जाने दीजिये, ऐसे लोगों ने भी गांधियन समाजवाद को स्वीकार किया बम्बई और हैदराबाद में बैठ कर जिनका रास्ता ही और था ।

(व्यवधान)

जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मान्यवर, हम तो उनके बताये हुए रास्ते पर ही चलते हैं और हमारे तो जन्मदाता ही गांधी जी है । गांधी जी के सिद्धान्तों को छोड़कर तो हम स्वतः जिन्दा ही नहीं रह सकते हैं । हम आपके सुझावों का, जहां तक गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने की बात है, स्वागत करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, हम उस पर चलेंगे और चल भी रहे हैं ।

(व्यवधान)

[4 बजकर 20 मिनट]

जो गांधी जी के आदर्श थे उनकी तरफ जाने का प्रयास किया जा सकता है गांधी जी होने या आदर्श प्राप्त करने की बात नहीं हो सकती है । आदर्श मान्यवर, प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि प्रयास होता है आदर्श की प्राप्ति का । यह दल, हमारी सरकार उस आदर्श की तरफ जाने का प्रयास करेगी । हम यह नहीं कहते हैं कि उस आदर्श को प्राप्त कर लेंगे हमारा हमेशा प्रयास रहता है उन आदर्शों की तरफ चलने का ।

दूसरी बात प्रशासनिक तंत्र के बारे में है । उसकी संरचना के बारे में आसानी से एक स्वीपिंग रिमार्क कर दिया जाता है कि उसे बदलना होगा । तो वह संरचना बदली है । पुराने समय को जरा देखें तो उस समय मात्र गृह विभाग और प्रशासनिक विभाग होते थे, यही दोनों मुख्य विभाग थे । हम लोगों ने बचपन से सयाने होने तक देखा कि केवल डी0 एम0 और पुलिस कप्तान होते थे इनके अलावा कोई और अधिकारी नहीं होता था । इन दोनों का काम मुख्य रूप से रेवेन्यू की उगाही और शांति व्यवस्था बनाये रखना होता था । तो केवल यह दो काम थे इसलिए ही डी0 एम0 का नाम कलेक्टर पड़ा हुआ था । आज आप देखें प्रगति का सारा खर्च, हमारा सारा जोर डेवलपमेन्ट पर है । आज हमारे जिला स्तर के सारे अधिकारी छोटे-छोटे स्तर पर फैले हुए हैं जो सब विकास कार्यों में लगे हुए हैं । दर्जनों अधिकारी गांव से लेकर शहरों तक

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

फैले हुए हैं तो यह उस संरचना का भेद है। राजस्व की उगाही करने और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा हमने छै-छै योजनायें कार्यान्वित की हैं और कर रहे हैं।

इसके साथ ही एक बात और है जिसके लिए बुनियाद में जाकर सोचने पर पता चलेगा जो ऊपरी सतह में देखने से पता नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है या सुरक्षा ठीक ढंग से नहीं हो रही है। हम 1947 में आजाद हुए और आजादी के बाद पैदा होने वाले बच्चे हमसे भिन्न हैं, हम लोग जो गुलामी में पैदा हुए थे वे कुछ बरदास्त कर लेते हैं, हम अपने अधिकार नहीं जानते हैं और हमें बरदास्त करना आता है लेकिन जो नौजवान आज आजादी में पैदा हुआ है वह चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी नौकरी में हो वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझता है, उसमें जागरूकता आई है। जब जागरूकता समाज में आती है तो संघर्ष होता है उसमें अपना हक लेने की बात आती है। इसीलिए आज जगह-जगह संघर्ष होते हैं। यह शासन के फैल्योर की निशानी नहीं है। पहले जिनको आप डांट देते थे और वह सिर झुकाये चला जाता था या एक आदमी बड़ा होकर 50, 100 या हजार आदमियों को डांट देता था और वे सब सिर झुकाये सुन लेते थे आज यह नहीं रह गया है। आज जब वह डांट सुनता है चाहे किसी जाति का हो, चाहे शैड्यूल कास्ट का हो या दूसरी जाति का उसमें जागृति आई है। वह उठकर आपको उत्तर देता है तो उससे कहीं-कहीं संघर्ष हो जाते हैं तो उसका मूल कारण जागृति है। ऐसा भी नहीं है कि घटनायें नहीं हो रही हैं घटनायें भी हो रही हैं। यह तो मान्यवर, तन्त्र की रचना की बात हुई। एक बात और इसी तन्त्र रचना के सिलसिले में कहना चाहता हूं।

हमारे माननीय मित्र अभी चले गये, लेजूरिस्ट फखरे आलम साहब। उन्होंने जाति के आधार पर कुछ टोटल बताया मैं जाति के आधार पर कोई नियुक्ति करने के लिये तैयार नहीं हूं बल्कि मैं इस बात का कायल हूं कि सब के सब यदि योग्य अधिकारी एक जाति के मिलें तो उनको रखने के लिये तैयार हूं। केवल गुण केवल प्रशासनिक क्षमता आधार बनेगी नियुक्ति करने में और किसी को नियुक्त करने की संकीर्ण बातें आधार नहीं बनेंगी। मान्यवर, कल नेता विरोधी दल ने एक मिर्जापुर की नियुक्ति के सम्बन्ध में बात बतायी और कुछ नाम अधिकारियों के लिये थे कि वहां 7 आई० ए० एस० और 20 पी० सी० एस० अधिकारी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि 7 में से 2 आई० ए० एस० अधिकारी उन्होंने विशेष जाति ब्राह्मण के बताया तो इसमें एक आई० ए० एस० अधिकारी 1981 में नियुक्त हुआ है और एक आई० ए० एस० अधिकारी पंडिता सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से आये हैं, बाकी दूसरी बिरादरी के हैं।

[श्री श्रीपति मिश्र--]

20 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के सम्बन्ध में जो कहा तो उसमें दो वेतनक्रम के अधिकारी हैं—एक हायर वेतनमान क्रम और एक लोअर वेतनमान के हैं। हायर दो अधिकारी 1981 के हैं और लोअर के एक अधिकारी वह भी 1981 के नियुक्त हैं। मान्यवर, इसमें सफाई देने की बहुत जरूरत नहीं थी लेकिन यह मैंने उनके भ्रम को निवारण हेतु कहा है। अब इस संरचना के बारे में थोड़ा जिक्र कर दूं अन्यथा कहना उधर से शुरू हो जायेगा।

मान्यवर, इस प्रशासन के सबसे बड़े प्रशासन के अलावा हमारे डिवीजनल कमिशनर्स हैं जो सबसे बड़ी-कड़ी हैं। जो यहां नीति निर्धारित होती है और जो वहां कार्य संपादित होता है उसमें 12 कमिशनर्स हैं और उनमें से योग्य जो मिले हैं, जिनपर कि आप ध्यान नहीं देते हैं, उनकी संख्या 6 है, जो शिडयूल कास्ट के हैं। तो इसमें जातीयता के आधार पर मैं किसी को नहीं बिठाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आप देखें उ0 प्र0 के चीफ सेक्रेटरी किस जाति के हैं, मुख्य मंत्री के सेक्रेटरी किस जाति के हैं, लखनऊ के प्रशासक किसी और जाति के हैं, लोक आयुक्त किसी और जाति के हैं, इसलिये आप ध्यान उस तरफ लगायें जिससे प्रदेश के कल्याण की बात हो, यह नहीं कि अपना सिर दीवार से टकरायें जिससे आपका सर और दीवार दोनों खराब हों।

मान्यवर, इसके अलावा दो बातें और उठायी गयीं थी जिंदल की और लाटरी की। लेकिन जिस समय जिंदल की बात उठायी थी। मुझको आपके कहते हुए यह लगा, बात इस तरह की है तो अवश्य इसका जवाब देना चाहिए और गलती हुई है तो उसका समाधान होना चाहिए। यह जिंदल जुलाई, 1981 में थे, इम्पार्टेन्ट तारीखें है। जब नेता विरोधी दल ने कहा तो उससे यह आभास लगा कि जैसे जिन्दल का जब मसला आया और आपकी चिट्ठी गई तो आपके कथन से यह आभास होता था कि विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्री जी जिन्दल को प्रमोशन देना चाहते थे और इसीलिए वह कागजात मुख्य मन्त्री के पास प्रमोशन के लिए भेजे गये, लेकिन चूंकि नेता विरोधी दल ने चिट्ठी भेजी, मुख्य मंत्री ने उसको उस आधार पर रोक दिया। फिर विभाग की चिट्ठी आई और हमारे पास उसे भेजा गया, लेकिन जब इनका पत्र आया तो फिर इनको निकाल दिया गया, उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। इसके बाद यह कहा गया कि फिर किसी तरह से उनकी फिर जांच कराने की बात पैदा कराई गई और फिर जब जांच कराने की बात हुई, तो उसके आधार पर, उसके पहले उसने कोई कार्यवाही नहीं की, उसको गुन्जायश मिल गई और वह हाईकोर्ट चला गया और उसने वहां से अपने कम्पलसरी रिटायरमेन्ट के आर्डर समाप्त करा लिये और वह फिर नौकरी में आ गया। 9-7-82 को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के उसके आदेश हुए थे औरकिसी भी सेवा निवृत्ति के आदेश होने के बाद दोनों रास्ते ओपेन रहते हैं। कह उसके लिए सरकार में प्रतिवेदन दें और अदालत में चाराजोरी करें। उसने 14-7-82 को सरकार में प्रतिवेदन दिया और उसके साथ-साथ उसने 26-8-82 को हाईकोर्ट में केश--पिटीशन भी दायर कर दिया।

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16-गृह विभाग (राजनैतिक पेन्शन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17-गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23-नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24-नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25-नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 79--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79-सैनिक कल्याण

प्रतिवेदन सरकार में पड़ा रहा, लेकिन 26-8-82 को जो हाईकोर्ट में रिट दायर की उसमें कम्पलसरी रिटायरमेंट के आर्डर समाप्त हो गये। क्यों समाप्त हो गया ? यह उनके फैसले में दिया हुआ है। जो कार्यवाही उन पर हुई थी--कम्पलसरी रिटायरमेंट किया गया था और उसमें यह भी आदेश था कि इसके पेंशन से कटौती की जाए--तो यह दोनों आदेश थे। हाईकोर्ट ने यह माना कि यह पनिशमेंट है और दोनों नहीं हो सकते हैं। ऐसी हालत में पनिशमेंट के लिए पहले नोटिस होनी चाहिए थी। इसलिए यह कम्पलसरी रिटायरमेंट का आर्डर मुनासिब नहीं है। उसने उसको क्वेश कर दिया, एक कानूनी आधार पर यह हुआ और फिर जब हाईकोर्ट से आर्डर आया तो उसके आधार पर उसका रिइन्स्टेट करने की बात आई। तो इस पर ला विभाग से यह मांगा गया कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। उसने यह कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना ही होगा, लेकिन उसके खिलाफ जो विभागीय कार्यवाही है, उसकी जांच पड़ताल की जा सकती है। तो उसके लिए कमेटी बनी है और उसके लिए आदेश हुए हैं और वह सारा का सारा हो रहा है। कोई भी ऐसी कार्य नहीं हुआ है जो हाईकोर्ट के आदेश के प्रतिकूल हो अथवा नियम-कायदे के कोई विरुद्ध हो। किसी को बचाने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है।

उसके बाद लाट्री की बात सामने आई है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं।

श्री ऊदल--

क्या आपने उसे बहाल कर दिया ?

(व्यवधान)

इतना बड़ा बेईमान अध्यक्ष कोई था ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, लाट्री की बात कही गयी और लाट्री के बारे में यह कहा गया कि एक जगह से टिकट छपा, कुछ उसमें गलती हुई, डुप्लीकेट छपा। उसके बाद उसमें जांच हुई। उसके बाद रोक दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद, कुएशूरेंस देकर, सारी व्यवस्था को देखकर, फिर उसको टिकट छपने के लिए दिया गया। मैं नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि

[श्री श्रीपति मिश्र—]

में इसको जांच करके स्वतः गवर्नमेंट प्रेस में छपने की बात करुंगा और जो दिया गया है, मैं उसकी भी जांच कराऊंगा कि किस आधार पर किया गया, क्योंकि अगर एक बार किसी प्रेस ने भूल कर दिया, तो सुझाव और सुधार की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको सहर्ष और सधन्यवाद स्वीकार करता हूं ।

इसके बाद मान्यवर, आपने कुछ अन्य बातें भी हमारे सामने डाली थी, अभी एक नरसंहार की बात शुरू करके सबसे बड़ा एक अहम मसला जो गृह विभाग का है, वह सामनें आया है । अभी तक जो सूचना है, उस सूचना के अनुसार एक स्त्री और उसके 8 बच्चों की हत्या 24/1 की रात में की गयी । गुलाब सिंह उस घर का सबसे बड़ा मालिक था । गुलाब सिंह गायब है । उस आदमी के पास कोई जर जमीन नहीं है । जो अब तक की सूचना है, अब तक की सूचना के हिसाब से कोई उससे दुश्मनी की सूचना नहीं है । धारदार हथियार से उसके चोटें बताई जाती हैं । हम लोग भी उसको मौके पर जाकर देखेंगे, जो भी स्थिति का पता चलेगा, कल तक फिर व्यवस्थित रूप से सदन को सूचना दी जायगी । उसके लिए हम सतर्क हैं और उसके लिए देखनें का प्रयास करूंगा, क्या कारण है ? कैसे वह मरा है ? कोई उसकी जानकारी अभी तक नहीं है । मान्यवर, अगर बहुत उत्तेजना में नहीं कह रहा हूं, बिलकुल इमोशन में नहीं कह रहा हूं, आप तो इस्तीफे की बात कह रहे हैं, अगर यह घटनाएं मेरे जान देने से खत्म हो जायं, तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

जान न दें, ध्यान दे दें ।

श्री कुबेर भंडारी—

जान दे सकते हैं, रिजाइन नहीं कर सकते हैं ।

[व्यवधान]

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह ऋषियों की वाणी है । इस पर गुप्ता जी गौर करिये ।

[व्यवधान]

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने कल इस बात को कहा था, मैंने जिक्र किया था और आज मैं समझता हूं कि उसका स्पष्ट रूप से दोहराना और स्पष्ट करना आवश्यक है । अपराध की स्थिति खराब, पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में खराब है, मैं अच्छी तरह से उसको आपके सामने रखना चाहता हूं । राष्ट्रीय औसत पूरे भारतवर्ष में जहां 202.3 प्रति लाख आबादी का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में औसत है, वहां पिछले वर्ष 82 के अन्त तक 178.2 हो गया था । अब वह घटते-घटते 148, कुछ हो गया है । यह हमारी औसत अपराध स्थिति है, जो कहीं देश में यदि 200 है तो यहां पर 148, 150 के लगभग है । इस स्थिति को देखने की कोशिश करें । इसके साथ ही साथ हम इस स्थिति को कैसे रख रहे हैं यह भी बताना जरूरी होगा । औसतन एक हजार पर 1.1 पुलिस जन उत्तर प्रदेश में है । पंजाब में हजार पर 1.7 पुलिस जन हैं । गुजरात में 1.5 तथा हरियाणा में 1.45

और महाराष्ट्र में 1.5 पुलिस जन हैं। हर जगह से कम पुलिस जन हमारे यहां और इतनी कम आपराधिक स्थिति हम मेंटेन करते हैं। मान्यवर, खर्च भी हम इनके ऊपर कम करते हैं। उपयोगी कार्यों म अधिक खर्च करें इन सारी परिस्थितियों को देखकर हमने अपने खर्च को कम किया है। जहां 1977-78 में पूरे बजट का 6.8 परसेंट खर्च होता था वहीं 1978-79 में 6.7 परसेंट खर्च हुआ था। 1980-81 में 6.6 परसेंट खर्च हुआ और आज 4.3 परसेंट पुलिस पर खर्च हो रहा है।

[मेजों के थपथपाने की आवाजें]

तो मान्यवर, घटनायें घटती हैं, अपराध घटे हैं, हर अपराध घटा है। 22 परसेंट अपराध घटे हैं और केवल एक में बढ़े भी हैं मैं इसको छिपाना नहीं चाहता हूं। हत्या का जहां तक प्रश्न है, उसमें 3 परसेंट की वृद्धि हुई है। डकैतियों, डकैतियां विद मर्डर, लूट राहजनी में 22 परसेंट की कमी हुई है।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

पुलिस ने नोट नहीं किया।

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, यह स्थिति है। इसके अलावा कुछ अन्य बातें भी मैं कहना चाहता हूं। कुछ सुझाव हमारे अन्य साथियों ने माननीय रियासत हुसैन साहब ने दिये, मैं नहीं था, लेकिन जो नोट हुआ उससे मालूम हुआ कि इस बात को कहा गया कि आदेश जो होते हैं वह चलते रहते हैं कार्यवाही नहीं होती है। आदेश पर कार्यवाही होती हैं और आदेश सबसे जल्द से जल्द कार्यान्वित होते हैं जब डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप का दम है कि कोई आदेश मिनटों में कार्यान्वित करें। डेमोक्रेसी सबसे वीक गवर्नमेंट (Weak Government) होती है, आदेश को तुरन्त कार्यान्वित कराने में डेमोक्रेसी की व्यवस्था में जनता की आवाज सुनी जाती है, प्रभाव पड़ता है। जनता की आवाज तरह-तरह की आती है और उसको सुनने और समन्वय करने में जनता की आवाज का पालन कराने में कुछ समय लगता है, यही इसकी बुनियादी बात है।

[मेजों के थपथपाने की आवाजें]

जिसके कारण कहीं-कहीं आपको यह दिखायी पड़ता होगा, तो मैं यह बुनियादी सिद्धांत की बात आपसे करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार निवारण की बात आप कर रहे हैं।

एक सदस्य—

लेटर का जवाब ढाई महीने में मिलता है और लिखा जाता है कि आपका पत्र उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास जितना सम्भव है वह किया जा रहा है । सतर्कता आयोग है, अन्य ढंग हैं और साथ-साथ दूसरी जानकारी से इस वर्ष 161 सतर्कता आयोग के सामने केसेज गये जिनमें से 140 का निस्तारण हुआ । मान्यवर, इस तरह से केसेज आते हैं, उनका निस्तारण होता है । लोक आयुक्त बनाये गये हैं, वे उसका निस्तारण करने के लिए, कैसेज का फैसला करने के लिए हैं । लेकिन मैं एक बुनियादी बात और भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है । जब भ्रष्टाचार को बाहर मान्यता दी जायेगी, तो यहां भ्रष्टाचार को दूर करने का हम जितना प्रयास करें, चाहे आप प्रयास करें, उसको दूर नहीं कर सकते हैं । भ्रष्टाचार की मान्यता ऐसी बात है कि जो भी आदमी सम्पन्न हो जाता है, चाहे जिस तरीके से हो जाय, उस सम्पन्न व्यक्ति की उपेक्षा, उसका तिरस्कार संयोग से कम हो रहा है, बल्कि वह स्वीकार हुआ जा रहा है ।

[मेजों की थपथपाहट]

मान्यवर, इसके लिए आपको भी और हमको भी कटिबद्ध होना पड़ेगा और अगर हम आप कटिबद्ध नहीं होंगे और इस आधार पर हम भ्रष्टाचार निवारण के कार्य को करने के लिए कहते रहेंगे, तो वह नहीं कर पायेंगे । अगर किसी अधिकारी को या हर अधिकारी को भ्रष्ट कहते रहेंगे, और समाज में जब यही भावना रहेगी, उस भावना को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता । जब हम समाज में अपने सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करने के लिए स्वयं इस बात की विवेचना करेंगे कि यह आदमी किस पद पर है और सीधे-सीधे इसकी ऊपरी आमदनी क्या है और जब इस बात का जिक्र हम आपके समक्ष करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार दूर होगा या तिरस्कार होगा, ऐसा सम्भव नहीं । इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है और सबके सहयोग से यह दूर हो सकता है ।

मान्यवर, एक बात और कहनी है और वह अन्तिम बात है—स्वीपिंग रिमार्क्स के बाबत । एक अभी माननीया सदस्या खड़ी हुई और जितनी बातें सरकार के खिलाफ कही जा सकती थी, उन्होंने सीधे-सीधे एक-एक सेन्टेन्स में सब बात कहना शुरू कर दी कि भ्रष्टाचार है, प्रशासन नहीं चल रहा है, इस तरह से जो स्वीपिंग रिमार्क्स हैं, यह बहुत फायदा नहीं करते, बहुत मदद नहीं करते, बहुत लाभ नहीं करते हैं । मैं नमूने में आपको बता रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल ने दो बातें मेरे सामने रखीं तो उन्होंने बहुत सी बातें जिन बातों के ऊपर मैं उनको यहां जवाब नहीं दे सका, मैंने उनको नोट कर लिया, उस पर मैं कार्यवाही करूंगा और उसमें जो भी होगा, उससे मैं उन्हें सूचित करूंगा ।

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा आय-व्यय), अनुदान संख्या 17-- गोपन विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 59--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

दो बातें आयीं और उसमें एक बात ऐसी लगी कि जिसमें हम स्वतः आश्वस्त नहीं थे । मैंने आपके सामने उस बात को स्वीकार करके उसके निराकरण के लिए जो कुछ भी कार्यवाही की जा सकती थी, की । दूसरी बात का उत्तर मैंने दिया । जब स्पेसिफिक बातें इस प्रकार की आयेंगी, तो उन पर कार्यवाही अवश्य होगी और निश्चित रूप से जो भी उनके खिलाफ कार्यवाही संभव होगी, की जायेगी ।

इन शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद देते हुए, उन सभी को, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, प्रार्थना करूंगा कि उनके सुझावों का आदर किया जायेगा, उन पर कार्यवाही की जायेगी, वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस अनुदान की मांगों को पास करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

[श्री अध्यक्ष --]

लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,61,73,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,41,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--.

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,51,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23 के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,62,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यान विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,51,39,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25 - नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25- नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,38,34,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योग विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,14,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

संख्या 8--कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 16--गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 17--गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23--नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24--नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25--नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36--प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 37--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 55--विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,74,66,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,17,23,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,90,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,26,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,29,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,10,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53--विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 73,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 54--विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,95,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज मुझे 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के बारे में हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री धनीराम वर्मा की जनपद इटावा की तहसील औरैया की भूमि अधिगृहीत करने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, खैरुल बशर, गोपीनाथ वर्मा, परमाई लाल और श्री मित्रसेन की उन्नाव के मगरवारा स्थित रैलीज इंडिया कैमिकल के दो सुरक्षा गार्डों के मृत पाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना माननीय श्री सरदार सिंह जी की मथुरा जिले में विद्युत पूर्ति न होने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री राजेन्द अग्निहोत्री जी की चारबाग स्टेशन, लखनऊ तथा अन्य स्टेशनों पर शव मिलने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना सर्वश्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन और श्री राम गोविन्द जी की जनपद सीतापुर के विदेश्वर शिव मन्दिर में हुई हत्या के बारे में गिरफ्तारी होने के सम्बन्ध है। सातवीं सूचना श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की जिला बस्ती के ग्राम मन्नीजोग के प्रधान की हत्या इसी में श्री माता प्रसाद पाण्डेय, जमुना प्रसाद के भी नाम में है और यही सूचना किरनपाल सिंह जी की है। आठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव जी की जनपद बाराबंकी के तहसील रामसनेही घाट के कई गांवों में जलभराव से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है।

[श्री अध्यक्ष--]

मैंने इन सभी सूचनाओं को पूरी तरह से देखा है और जहां तक श्री सरदार सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है उसमें चर्चा और वक्तव्य के लिए समय निर्धारित है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना जो उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के बारे में हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है, को मैंने स्वीकार किया है और बाकी सभी सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

मान्यवर, हड़ताल चल रही है, विस्फोटक स्थिति हो रही है। इस पर बयान चाह रहा था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, दिनांक 9, 10, 11 में भी यह किया जा सकता है।

आज आय-व्ययक पर चर्चा के समय श्री भोखा लाल द्वारा मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोप के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री का स्पष्टीकरण

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि मैं इस सदन में नहीं था। माननीय श्री भोखा लाल जी के माध्यम से मेरे तथा मुख्य मंत्री जी के माध्यम के बारे में एक पत्र गया था, जिसमें घूस-खोरी की चर्चा है। मान्यवर, घूस लेना व देना दोनों ही अपराध है। . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां इस आदरणीय सदन में, माननीय विधायकों के विरोध में या माननीय मंत्रियों के विरोध में इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं यह चाहूंगा कि परम्परा के अनुसार अगर उनको पूरी तरह से उसमें विश्वास है, पूरी तरह से उसमें उन्हें तथ्यों की सही जानकारी है, जो कुछ वह कह रहे हैं, वह सही उनको कहना चाहिये। दूसरा, उनको इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिये जो सही तथ्यों के आधार पर न हों। मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की सूचनाएं नहीं होनी चाहिए।

श्री लोकपति--

मान्यवर, उसमें केवल मेरा ही सम्बन्ध नहीं है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी साथ में हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि भविष्य के लिए एक मानक आप निर्धारित कर दें, चूंकि यह विधान सभा में आ चुका है तो मेरा आपसे सुझाव है कि इसमें आप एक समिति गठित कर दें और उसमें माननीय श्री भोखा लाल जी को ही सदस्य बना दें और इस पत्र पर वह स्वयं छान-बीन कर लें। अगर हम दोषी हैं तो मैं इस सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि मुझे 6 वर्ष के लिए सदन से निकाल दिया जाय और मैं किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य न करूं और 6 वर्ष के लिए मुझे कोई अधिकार न हो। अन्यथा जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिया है, माननीय श्री भोखा लाल जी उस व्यक्ति के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करने हेतु हमें आदेश दें, हम उसके ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

पत्र मुझे दें। इस विषय में मैं यह नहीं चाहता हूं कि पत्र किसके पास है]?

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, जो पत्र मुझे मिला था उसकी फोटो स्टेट प्रति आपके पास भेज दी है। मैंने यह कहा कि इसमें न्याय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को घसीटा गया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह सत्य है। इसे मैं आपके माध्यम से भेजता हूं इसकी आप जांच करा लें जो दोषी हों उसके विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, उन्हीं की पार्टी का आदमी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

किस पार्टी का है प्रश्न यह नहीं है।

श्री लोकपति—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें एक समिति उनकी अध्यक्षता में गठित कर दें तथा इसकी जांच करा लें। अगर हम दोषी हों तो सदन हमको सजा दे वरना भीखा लाल जो निर्दिष्ट करें उस व्यक्ति को सजा दी जाय, जिसने यह पत्र लिखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठें। इसमें ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिये।

जनपद इलाहाबाद के पुलिस कर्मचारियों में हरिजन-सवर्ण की भेदभाव पूर्ण भावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

हेड कान्सटेबिल श्री जयदेव प्रसाद शुक्ल, निवासी क्वार्टर नं0 106 आई0 ब्लाक, पुलिस लाइन, इलाहाबाद के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-11-1982 के आधार पर दिनांक 6-11-1982 को थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद पर कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के विरुद्ध धारा 352/307 भा0 द0 वि0 तथा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत एक मुकदमा अंकित हुआ। प्रार्थना-पत्र में दिनांक 5-11-1982 को प्रार्थी के पड़ोसी कान्सटेबिल श्री श्री कृष्ण के क्वार्टर से गन्दगी आने तथा आपत्ति करने पर कानिस्टेबिल श्री श्री कृष्ण तथा उसके भाई द्वारा गाली गलौज करने, बन्दूक लेकर गोली से मारने की धमकी देने आदि का उल्लेख किया गया था।

[श्री गुलाब सेहरा—]

2—कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण, दिनांक 6 नवम्बर, 1982 को गिरफ्तार किया गया और 7 नवम्बर, 1982 को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया। विवेचना से कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के विरुद्ध केवल धारा 352 भा0 द0 वि0 एवं 25 शस्त्र अधिनियम का अपराध बनता पाया गया अतः उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण को उक्त अभियोग से सम्बन्धित होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों से निलम्बित किया गया। घटना के दिन उसकी पत्नी के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की पुष्टि नहीं हुई। श्री श्रीकृष्ण द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई। अतः उनके द्वारा उसे फाड़कर फेंकने का प्रश्न नहीं उठता। श्री श्रीकृष्ण को क्वार्टर गार्ड में बन्द रखने की बात जांच से सही नहीं पाई गई।

3—कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण लगभग 3 वर्षों से पुलिस लाइन के फेमिली क्वार्टर नं0 105 में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। दिनांक 11 नवम्बर, 1982 को हेड कान्सटेबिल श्री जयदेव प्रसाद शुक्ल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना-पत्र दिनांकित 9 नवम्बर, 1982 दिया जिसमें उन्होंने कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के जेल से छूटने के उपरान्त खतरा महसूस होने की चर्चा की। इसकी जांच प्रतिसार निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी लाइन्स ने की। जांच में यह पाया गया कि कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के क्वार्टर में बने रहने से कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अतः क्षेत्राधिकारी लाइन्स ने क्वार्टर खाली कराने का आदेश दिया। दिनांक 12 जनवरी, 1983 को कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण ने मुंसिफ वेस्ट के समक्ष क्वार्टर खाली न कराये जाने के लिये परमानेन्ट इन्जक्शन पारित किये जाने हेतु एक वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया था और सुनवाई हेतु 26 फरवरी, 1983 की तिथि नियत की। दिनांक 8 फरवरी, 1983 को कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के परिवार ने क्वार्टर खाली कर दिया। यह क्वार्टर एक अन्य कान्सटेबिल ओंकार मिश्रा को आवंटित कर दिया गया और वह इसमें रह रहे हैं।

4—दिनांक 9 फरवरी, 1983 को प्रतिसार निरीक्षक को यह सूचना प्राप्त हुई कि कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण रात्रि साढ़े दस बजे कान्सटेबिल ओंकार मिश्रा का दरवाजा पीट रहे थे। प्रतिसार निरीक्षक ने कुछ पुलिस कर्मियों को वहां भेजा जो कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण को प्रतिसार निरीक्षक के समक्ष लाये। प्रतिसार निरीक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया किन्तु वह क्वार्टर पर कब्जे की धमकी देकर चला गया। तब कुछ कर्मचारियों को पुनः भेजा गया और उन्होंने समझाने बुझाने का पुनः प्रयास किया तो वह फायर करता हुआ भाग गया। इस सम्बन्ध में उसके विरुद्ध थाना कर्नलगंज में दिनांक 10 फरवरी, 1983 को मुकदमा अपराध संख्या 137 धारा 307 भा0 द0 वि0 का दर्ज हुआ जो विवेचनाधीन है।

5—क्वार्टर का सामान एवं नकदी आदि उठाये जाने के आरोपों के सम्बन्ध में कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से नहीं मिले, अतः उनके आदेशों से प्रतिसार निरीक्षक के पास जाने का प्रश्न नहीं उठता। कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण के क्वार्टर का सामान फेंकवाने, जेवर, नकदी उठाये जाने के आरोप जांच से सही नहीं पाये गये।

6—किसी अधिकारी द्वारा कान्सटेबिल श्री श्रीकृष्ण को हरिजन होने के नाते उत्पीड़ित करने का प्रश्न नहीं उठता। पुलिस लाइन में अनेकों हरिजन कर्मचारी निवास करते हैं किन्तु उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और न उनमें किसी प्रकार की निराशा एवं असन्तोष व्याप्त है। यह आरोप कि हरिजन पुलिस कर्मचारियों की भेदभाव की भावना से देखा जाता है, सही नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह मामला इसलिए भी और गम्भीर हो जाता है क्योंकि यह मामला बनाम हरिजन और सवर्ण की भावना को ले कर पैदा किया गया है। यह घटना शुद्ध रूप से मान्यवर, हरिजन-सवर्ण की भावना से ही एक हरिजन कांस्टेबिल श्री कृष्ण के यहां 10 दिन पूर्व एक लड़की पैदा हुयी थी, तभी उसका सामान फेंका गया और इन सब के दौरान उसकी पत्नी को मारा-पीटा गया और यह सब हुआ सिर्फ जबर्दस्ती मकान खाली कराने की गर्ज से। यह सब होने के बाद जब एस० आई० के पास रिपोर्ट करने गया, तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे यह शंका होती है, कि यह सारी घटना पहले से तयशुदा थी, फिर वह एस० एस० पी० के यहां गया फिर वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मान्यवर, यह स्वतः प्रमाणित हो चुका कि यह किस भावन से घटना हुई। इससे पहले जो दो एफ० आई० आर० लिखाई गयी, मान्यवर, मैं कहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष—

आप केवल स्पष्टीकरण से संबंधित प्रश्न कीजिए, पूरी घटना न दोहराएं।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वह दोनों एफ० आई० आर० कृपया पढ़ दें।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, पूरे डेढ़ पेज की नकल है। मुकदमा नं० 1017/352/307 आई० पी० सी०, दिनांक 6-11-1982 समय लगभग 9-30 बजे रात, घटना स्थल-सरकारी क्वार्टर नं० 106, आई ब्लाक, पुलिस लाईन, इलाहाबाद बहद ओ० पी० कटरा, नाम वादी एच० सी० 7 ए० पी० जय देव प्रसाद शुक्ल पुलिस क्वार्टर नं० 106, आई ब्लाक पुलिस लाईन, इलाहाबाद, बनाम कान्सटेबल 1771 सी०पी०, श्री कृष्ण सिंह, ओ० पी० नाका थाना मंझनपुर, जिला इलाहाबाद तथा विवेचक एस० आई०, श्री जे० पी० सिंह। इस तरह मान्यवर, पूरे डेढ़ पेज की है, कहिए तो पूरी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप सारांश में पढ़ दीजिए।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी--

नहीं मान्यवर, पूरी-पूरी एफ० आई० आर० पढ़वाइए, तब समझ में आ जायेगी पूरी बात, मान्यवर, ऐसे नहीं पूरी. . . .

[व्यवधान]

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह मुकदमा जिन धाराओं 352/703 आई० पी० सी० में कायम हुआ है क्या इस बात का हवाला देते हुए माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(शोर)

कि यह झगड़ा दो पत्नियों के बीच का है, ऐसा लगता है तो क्या इस मामले के निपटारे के लिए जब उनके उच्चाधिकारियों के बीच आपसी सुलझाव के लिए गया तो उन उच्चाधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस पर माननीय मंत्री जी कृपया प्रकाश डाल दें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह जो रिपोर्ट कराई गई है पहली वह मान्यवर, 24 तारीख को है, इस रिपोर्ट को मान्यवर, जिसे एस० ओ० ने दर्ज किया वह भी हरिजन है और इस मामले की जैसे ही जानकारी मान्यवर, हमको 25 तारीख को मिली, उसके तुरन्त बाद मौके की जांच व जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस एस० पी० सेल (आर्या) को भेजा गया, वह भी श्रीमन्, हरिजन। उन्होंने जांच की और मुख्य रूप से जो चार आरोप लगाये गये थे उसकी विवेचना की और आख्या दी है और उसके अंत में उन्होंने लिखा है इसको मैं अभी आपके समक्ष पढ़ कर सुनाऊंगा।

[शोर]

एक सदस्य--

मान्यवर, यह मामला एस० पी० आर्या का नहीं है यह पूरे नगर का मामला है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा और आप पूरी एफ० आई० आर० दोनों पहले पढ़वाइये।

[5 बज कर 20 मिनट]

श्री गुलाब सेहरा--

. . . जो एस० पी० हरिजन सेल गया था उन्होंने जो अन्त में लिखा है उससे ही स्पष्ट है और उसको 1980-81 की चरित्र पंजिका में जो प्रविष्टियां

हैं वह भी अत्यन्त असन्तोषजनक हैं। 1981 की प्रविष्टि में लिखा है कि वह एक गरम मस्तिष्क का व्यक्ति है और अपने अधिकारियों के लिए समस्या उत्पन्न करता रहता है। यह व्यक्ति अत्यन्त ही निष्क्रिय और अहमक कर्मचारी है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी आपने जो रिपोर्ट की बात कही उसमें यह दोनों बात नहीं दी हैं। यह रिपोर्ट हरिजन सेल की नहीं है। यह उसकी चरित्र पंजिका की दो वर्ष की प्रविष्टयां हैं जिसे आपने पढ़ा है।

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें 1 से 4 नम्बर तक जो आरोप लगाये गये हैं उसी लिस्ट में जो उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा है और लिखा है कि यह व्यक्ति झगड़ालू किस्म का आदमी था और हमेशा अपने अधिकारियों के लिए समस्या खड़ी करता रहता था।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से जो गृह विभाग से संबंधित वक्तव्य देने की बात आयी है, पहले भी यह दुर्भाग्य रहा कि माननीय स्वरूप कुमारी बक्शी जब मंत्री थीं तब भी ऐसा ही होता था और फिर यह हम लोगों का दुर्भाग्य बन गया है कि जो बात यहां गृह विभाग से संबंधित दी जाती है उसे माननीय गुलाब सेहरा तोड़ देने में माहिर हैं। आप दोनों एफ० आई० आर० को पढ़ दें तो मान्यवर, आपको मालूम हो जायेगा कि यह मामला हरिजन उत्पीड़न का है या नहीं, आपको यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायेगी।

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने पहले कहा था कि 24 तारीख को जब यह वक्तव्य देने की बात आयी तो जिले के अधिकारियों ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उससे मैं सन्तुष्ट था परन्तु फिर भी मैंने वहां इनक्वायरी के लिए एस० पी० हरिजन सेल को भेजा। जिला धिकारियों की रिपोर्ट से सन्तुष्ट होने के बावजूद भी हमने 25 तारीख को एस० पी० हविजन सेल को वहां भेजा। उनकी जो रिपोर्ट आयी है, वह करीब 12 पेज की है। सारे आरोप सिलसिलेवार हैं। यह मामला हरिजन उत्पीड़न का नहीं है। उस क्वार्टर को खाली कराने के लिये जिसने आदेश दिये हैं वह भी हरिजन है और सी० ओ० लाईन भी हरिजन है। इसमें लिखा हुआ है कि यह अत्यन्त गरम मिजाज का आदमी है अपने उच्च अधिकारियों के लिये समस्या उत्पन्न करता रहता है। वर्ष 1982 की प्रविष्टि में लिखा है कि यह व्यक्ति अत्यन्त ही अनुशासनहीन तथा अभद्र आचरण का कर्मचारी है। इसका सम्बन्ध अवांछनीय तत्वों एवं असामाजिक तत्वों से भी होना पाया गया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि यह हरिजन उत्पीड़न का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, यह तथ्य सामने भी है कि जब सी० ओ० हरिजन है तब वहां पर जाति भेद की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है ?

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, आप तो प्रबुद्ध हैं । यह आश्चर्य की बात है कि हरिजन का उत्पीड़न हुआ है । पूरी रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि 5-11 को घटना 352, 307 आई0 पी0 सी0 में अपराध बर्ज होता है और तुरन्त वह आदमी हिरासत में ले लिया जाता है । 307 की घटना सही नहीं पायी जाती है, वह गलत है तो बचा अब 352 तो अब दो बाते उत्पन्न होती हैं, 307 की रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, दूसरी बात यह है कि जब उसने इन्जन्कशन सूट मुन्सिफ के यहां पर 12-1-1983 को दाखिल कर दिया था तो फिर कौन सी ऐसी स्थिति आ गयी कि 8-2-1982 को उसने मकान खाली कर दिया अगर उसने मकान खाली कर दिया तो 9-2-1983 को फिर झगड़ा करने कैसे पहुंच गया ? यह घटना बनाई जा रही है ।

श्री गुलाब सेहरा--

ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री मोती लाल देलहवी--

मान्यवर मंत्री जो रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ता हूं । उसका छोटा भाई जो उसी के साथ क्वार्टर में रहता है आवेश में आकर मुझे गाली देने लगे और हाथा पाई के लिए तैयार हो गये । मैंने कहा मैं उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा तुम्हारा यह कार्य ठीक नहीं है इस पर वह जोर जोर से गाली देने लगा था यह धमकी दिया कि ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हें गोली से भून दूंगा । मैंने कहा तुम्हारी क्या हिम्मत है जो तुम गोली मार दोगे, उसने कहा कि अभी बताता हूं इतना कहते हुए वह अपने कमरे में घुसा मुझे विश्वास नहीं था कि उपरोक्त का0 के पास बन्दूक भी हो सकती है वह तत्काल अन्दर से दो नाली बन्दूक लिए तथा जल्दी जल्दी उसमें कारतूस भरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा जिससे मैं घबराकर प्राण रक्षा के लिए नीचे की तरफ भागा जहां पर पहले से ही हमारे तथा उपरोक्त का0 के बीच हुए हो हल्ला तथा गाली गलौज के कारण लाइन के काफी पुलिस के लोग इकट्ठा हो गये थे । मेरे पीछे-पीछे वह भी बन्दूक लिए दौड़ा तब तक मैं भीड़ में छिपकर भीड़ के पीछे हो गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आप उसकी लिस्ट बता दें तो बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह एफ0 आई0 आर0 की कापी आपको कहां से मिली ?

श्री मोती लाल देहलवी--

अगर मेरी रिपोर्ट गलत हो, मुख्य मंत्री जी बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मेरा निवेदन है कि मंत्री जी उसको मिला लें, गलत हो तो बता दें ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि एफ0 आई0 आर0 में जो बन्दूक का चोरी होना बताया गया है । बन्दूक इकराम कांस्टिबुल की थी और जो 352 की धारा उस पर लगाई गई है वह क्यों लगाई है ? जो वाद-विवाद है वह एफ0 आई0 आर0 का है । 352 उसमें नहीं लगता है । वह एक हरिजन है । इसलिय इस तरह की कार्यवाही की गई उसको निलंबित किया गया और झूठा मुकदमा उस पर कायम किया गया । दूसरी जो रिपोर्ट है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों को देखें । उसके आधार पर स्पष्टीकरण संक्षेप में ही दिया जा सकेगा । आपको जो कुछ कहना है संक्षेप में ही कहें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यदि आप दोनों रिपोर्टों को पढ़ेंगे तो पूरा सदन संतुष्ट हो जायेगा । वास्तव में यह घटना एक हरिजन के ऊपर हुई है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं सजा पाने के लिये तैयार हूं अगर यह बात गलत हो जायेगी । आप उसको पढ़ें । बड़े आप हरिजनों के हमदर्द बनते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं हाथ जोड़ कर माननीय देहलवी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हरिजनों के प्रति जितना दर्द आपको है उससे चौगुना हमारे ऊपर भी है ....

(व्यवधान)

मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं । तीन एजेन्सियों द्वारा इसमें जांच करायी गई । तीन एजेन्सियों में से 2 एजेन्सियां शेड्यूल्ड कास्ट की थीं....

(व्यवधान)

प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि आर0 आई0 अगर उसकी दरख्वास्त फाड़ दी थी, हमने मान लिया, तो वहां जो एस0 पी0 थे उनसे वह नहीं मिला, डी0 आई0 जी0 से नहीं मिला और न ही उसने आज तक कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश या ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया । पता नहीं कहां से ये एफ0 आई0 आर0 ले आये और कहते हैं....

(व्यवधान)

श्री भोखा लाल--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं इस कम्पीटीशन के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं कि हरिजनों के लिये कौन कितना हमदर्द है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही और उसी संदर्भ में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो हमारा लड़का पैदा हुआ है उसको अपने अधिकारों के प्रति चेतना पैदा हुई है और इसी वजह से संघर्ष पैदा होता है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं और इसी संदर्भ में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो यह घनीराम कांस्टेबुल है जिसे आप अनुशासनहीन और उद्दन्ड बताते हैं उसी प्रकरण में और उसी सिद्धांत के अनुसार क्या आप पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे कि कहीं उसकी उपेक्षा तो नहीं हुई है जिसने उसको अनुशासनहीन और उदंड बना दिया है और उसे बन्दूक उठाने तक की नौबत आई है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि तीन एजेन्सियों से इसकी जांच करायी गई और आखिरी जांच स्टेटलेबुल की थी और वह भी हरिजन सेल की है....

(व्यवधान)

मान्यवर, यह मामला हमारे सामने 24 तारीख को आया। मैं जिले की रिपोर्ट आने के बाद जब संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं उस पर और जांच कराना चाहता था। मैं अपने माननीय सदस्य देहलवी साहब जो काफी यथार्थ के व्यक्ति और विद्वान सदस्य हैं, ने यह प्रश्न उठाया है....

(व्यवधान)

जिले की कोई रिपोर्ट आई थी लेकिन उसके बावजूद भी हमने स्पेशल इन्क्वायरी इस मामले में की।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बज तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 मार्च, 1983

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1407 पर ।)

नकल चिक मु0 अ0 सं0 439/82 धारा 147/148/149/452/307 भा0 दं0 वि0 थाना अकबरपुर, फैजाबाद ।

घटना दिनांक 16-9-82 समय 7.30 बजे

घटना सूचना दिनांक 16-9-82 समय 8.05 बजे रात्रि

घटना हाल मोहल्ला मीरानपुर

वादी श्री बिहारी मूद, मुहल्ला मीरानपुर, कस्बा व थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद ।

प्रतिवादी--शिवमूर्ति पुत्र कोबई वर्मा, नि0 बसौढ़, दा0 कुरई, थाना अकबरपुर ।

2--दलसिंगार पुत्र राम नेवाज, नि0 कुडिया चितौना, थाना अकबरपुर।

3--बचचूलाल पुत्र रामशब्द वर्मा, नि0 पोखापुरा, थाना अकबरपुर ।

4--गोबरी पुत्र करिया, नि0 कनकपट्टी, थाना अकबरपुर।

5--सन्तराम पुत्र सूर्यमणि, नि0 ऊचगांव, थाना अकबरपुर।

6--कानिका पुत्र रामदास, नि0 ऊजगांव, दा0 गौसपुर, थाना अकबरपुर।

7--बाबूलाल पुत्र रामकलप, नि0 बसौढ़ी, थाना समनपुर, सा0 विनान अदम तहरीर ।

विवेचक--उपनिरीक्षक श्री विश्वनाथ मिश्रा।

परिणाम--सी0 एस0 नं0 156, दिनांक 28-9-82

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान, थानाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की चाय और पान की दूकान मीरानपुर मोहल्ले में कजी हाउस के निकट बिजली के खम्भे के नीचे है । आज शाम के लगभग 4 बजे शिवमूर्ति वर्मा ठेकेदार व दलसिंगार प्रार्थी की दुकान पर आये और कहा कि दुकान की तलाशी लेंगे । तुम गांजा बेचते हो । प्रार्थी ने कहा गांजा पीता हूं और बेचता नहीं हूं जिस पर शिवमूर्ति ने लपक कर प्रार्थी का कालर पकड़कर खींच कर मारना शुरू कर दिया । प्रार्थी ने दुकान के सरोते से जो प्रार्थी के हाथ में था उल्टी ओर से शिवमूर्ति के गाल पर मारा चोट खाने के बाद मार डालने की धमकी देते हुए दलसिंगार व शिवमूर्ति भाग गये । रात को लगभग साढ़े सात बजे प्रार्थी बनवारी व दयाराम व नन्दा व गुरुदीन आदि कई लोग दुकान के सामने बैठे थे प्रार्थी का लड़का लक्ष्मन गैस जलाकर दुकान में टांग रहा था इतने में शिवमूर्ति व दलसिंगार, बचचूलाल व गोबरी व सन्तराम व कानिका व बाबूलाल बन्दूकें, कट्टा व लाठी लिए हुये मोटर साइकिल पर सवार होकर आये । सड़क पर मोटर साइकिल खड़ी कर दी । दल-सिंगार व शिवमूर्ति व बचचूलाल बन्दूकों से फायर करते हुये शेष लोग लाठियां व

कट्टा लिए ललकारते दूकान में घुसकर प्रार्थी के लड़के को मार पीट कर दूकान से बाहर खींच तथा प्रार्थी व दुकान पर बैठे अन्य लोग बन्दूक देखकर आड़ ले लिए और वहां से बचत में ईंटा ढेला फेकना शुरू कर दिये प्रार्थी के अन्य लोगों के ईंट ढेले की मार से शोर और गोहार की आवाज पर सैकड़ों लोगों न भीड़ की अते देखकर मुल्जिमान जान से मार डालना चाहते थे घटना को दुकान में कुछ लोगों ने और मुहल्ले के सैकड़े लोगों ने देखा है और गैस की रोशनी में सभी मुल्जिमान को पहचाना है । सूचना लिखी जाय और कार्यवाही की जाय । प्रार्थी मु0 आ0 बिहारी पुत्र मेदू, मुहल्ला मीरानपुर कस्बा, थाना अकबरपुर तारीख 16-9-82 लेखक इन्दजीत पुत्र राम समुझ, गां0 कोडहा, थाना मालीपुर 16-9-82

लेखक एच0 एम0 नकच्छेद दूबे 16-9-82 में कान्स0 मु0 प्रमाणित करता किचकअिसलहू मुताबिक नकल किया गया है । कान्स0 मु0 अवध राम 12-10-82 ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1428 पर ।)

मेरठ के दंगे में मृतकों की सूची

1--राम भूले उर्फ राजकुमार पुत्र राधेलाल शर्मा, नि0 222, मोरी पाड़ा, थाना कोतवाली, मेरठ ।

2--अजमेरी पुत्र मंगलू, नि0 जाकिर कालोनी, मेरठ ।

3--अशोक कुमार पुत्र किशन स्वरूप, नि0 तोपची बाड़ा, मेरठ ।

4--शब्बीर पुत्र सूखे होमगार्ड, नि0 कांकर खेड़ा, मेरठ ।

5--सईद अहमद पुत्र लियाकत, नि0 अहमद नगर लिसाड़ी गेट, मेरठ ।

6--मो0 फैयाज, नि0 देवबन्द, सहारनपुर ।

7--श्रीमती मज्जो, नि0 कृष्ण पाड़ा, कोतवाली, मेरठ ।

8--मो0 गुलाम पुत्र नूर अली मूल, नि0 जबलपुर, मिस्त्री घंटाघर, मेरठ ।

9--समसुद्दीन मिस्त्री, नि0 भैंसा, थाना मवाना, मेरठ ।

10--सईद अहमद पुत्र जमील, नि0 नूर नगर, मेरठ ।

11--असद मोहम्मद, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर ।

12--चन्दू पुत्र तेजा, नि0 लक्ष्मणपुरी ।

13--अब्दुल्ला, नगरपालिका कर्मचारी ।

14--सरदार देवेन्द सिंह पुत्र सरदार सन्त सिंह, नि0 लिसाड़ी गेट, मेरठ ।

15--सलीम पुत्र शकील, नि0 पुरवा इलाही बक्स, मेरठ ।

16--जाफर अली पुत्र इनायत अली, नि0 हरी नगर, मेरठ ।

17--मामराज सिंह पुत्र चन्दा, नि0 पूर्वा इलाही बक्स, मेरठ ।

18--फूल सिंह पुत्र घसीटा, नि0 पूर्वा इलाही बक्स, मेरठ ।

19--जमील पुत्र नसीर, नि0 किदवई नगर, मेरठ ।

20--अमीराउद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन, नि0 फिरोज बिल्डिंग, मेरठ ।

21--मोनू पुत्र फजूउद्दीन, नि0 फिरोज बिल्डिंग, मेरठ ।

22--वली मोहम्मद पुत्र शफीदाद खां, नि0 फिरोज बिल्डिंग, मेरठ ।

23--शेरू पुत्र जमाल खां, नि0 हरीनगर, मेरठ ।

24--इरशाद पुत्र हमीद, नि0 पूर्वा इलाही बक्स, मेरठ ।

25—शहावत पुत्र फहीमुद्दीन, नि0 फिरोज बिल्डिंग, मेरठ ।

26—अब्दुल कय्यूम पुत्र महबूब खां, नि0 फिरोज बिल्डिंग, मेरठ ।

27—यमीन पुत्र जलील, नि0 पूर्वी फैयाज अली, मेरठ ।

28—यासीन पुत्र चेल्वा, नि0 पूर्वी फैयाज अली, मेरठ ।

29—मेहर इलाही पुत्र समसू, नि0 बजाजा, कोतवाली, मेरठ ।

30—मोहनलाल पुत्र राम किशन, पूर्वी इलाही बक्स, मेरठ ।

31—शफीक अहमद, नि0 पूर्वी जाला खां, शाहपीर गेट, मेरठ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1432 पर)

विद्युत् ट्रान्सफार्मर्स की चोरी की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :--

1--ट्रान्सफार्मर की चोरियां पुलिस विवेचना हेतु साधारण चोरी के वर्ग से हटाकर "स्पेशल रिपोर्ट केस" के वर्ग में रख दी गई हैं एवं इस प्रकार की चोरियों की विवेचना का पर्यवेक्षक पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर पर भी होता है। इस प्रकार के "स्पेशल रिपोर्ट" की विवेचना सम्बन्धी क्रमागत प्रगति आख्यायें परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षकों को भी भेजी जाती हैं।

2--ट्रान्सफार्मर चोरी से सम्बन्धित क्रियशील अपराधियों की सूची, उनके गैंग चार्ट एवं प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे आदि भी थानों में रखे जाते हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में समुचित गश्त व्यवस्था की जा सके।

3--ट्रान्सफार्मर की सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुये उन्हें सुनसान स्थानों से हटाकर यथा सम्भव आबादी के निकट लगाया जा रहा है।

4--ट्रान्सफार्मरों की ऊपरी प्लेट को भलीभांति वेल्ड करने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है।

5--ट्रान्सफार्मर की चोरी मुख्यतः उनमें लगे तांबे की क्वाइल के कारण होती रही है, अतः राज्य विद्युत परिषद् पिछले कई वर्ष से एल्यूमीनियम के क्वाइल के तथा "सील्ड" छोटे ट्रान्सफार्मर खरीद रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाते हैं।

6--ग्राम सुरक्षा समितियों की भी सहायता ट्रान्सफार्मरों की सुरक्षा हेतु ली जा रही है।

7--पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा ट्रान्सफार्मर चोरियों की रोकथाम के लिए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे ट्रान्सफार्मर की चोरी का रोकने के लिए सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निरन्तर निर्देश देते रहे एवं ऐसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध थानाध्यक्ष के पद से हटाने की कार्यवाही करें, जो इस प्रकार के अपराधों के नियन्त्रण में असफल रहते हैं।

8--राज्य विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जनपदों मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, बदायूं, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ एवं फैजाबाद में

पुलिस प्रवर्तन दल भी स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय पुलिस को इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिये निरन्तर सहायता देते रहते हैं।

9--विद्युत् सम्बन्धी वे सामग्री जिनको रखने का अथवा बेचने का लाइसेंस यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है और फिर भी ऐसी सामग्री उसके पास पाई जाती है तो उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1439 पर)

जनपद	मत्स्य प्रक्षेत्र
1—लखनऊ	1—उतरठिया
	2—कठौता ताल
2—उन्नाव	3—नवाबगंज
3—लखीमपुर खीरी	4—घरथनिया
4—रायबरेली	5—नीमटीकर
5—फैजाबाद	6—रानी बाजार
6—गोंडा	7—पूरे तिवारी
7—बाराबंकी	8—बंकी
8—बरेली	9—फरीदपुर
9—शाहजहांपुर	10—बलेली
10—बदायूं	11—संडपुर
11—मुरादाबाद	12—हरियाना
12—नैनीताल	13—घोरा
	14—तुमरिया
	15—मीमताल
	16—भवाली हंचरी
13—वाराणसी	17—विक्रमपुर
14—जौनपुर	18—गूजरताल
15—मिर्जापुर	19—बघौड़ा
	20—धन्धरौल
	21—बंकी
16—गाजीपुर	22—नन्दगंज
17—बलिया	23—निधरिया
18—बस्ती	24—तामा
19—देवरिया	25—खुखुंदू

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

1	2
20--आजमगढ़	26--आजमतगढ़
	27--हाजीपुर
21--इलाहाबाद	28--तेंदुआ
	29--तरांव
22--कानपुर	30--चौबेपुर
23--इटावा	31--करवा बुजर्ग
24--झांसी	32--गुरसराय
25--ललितपुर	33--माताटीला
26--बांदा	34--नहरी
	35--कालूपुर
27--हमीरपुर	36--किवारी
	37--अटकौहा
28--आगरा	38--लड़ामदा
29--एटा	39--प्रहलादपुर
30--मेरठ	40--मीतली
31--सहारनपुर	41--रामपुर मनिहारन

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये आरांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1450 पर)

(संलग्नक)

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम तथा प्रत्येक जिलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या :

क्र० सं०	जिलों का नाम	अधिकारियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1	लखनऊ	11	233
2	बाराबंकी	1	48
3	सीतापुर	2	142
4	सुल्तानपुर	2	128
5	कानपुर	2	146
6	कानपुर (देहात)		
7	रायबरेली	1	152
8	उन्नाव	2	122
9	हरदोई	1	123
10	फतेहपुर	2	138
11	फैजाबाद	2	38
12	गोंडा	—	11
13	प्रतापगढ़	2	82
14	बस्ती	1	90
15	देवरिया	1	50
16	गोरखपुर	—	33
17	वाराणसी	4	76
18	जौनपुर	1	84
19	इलाहाबाद	2	125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
20	आजमगढ़	1	95
21	गाजीपुर	1	84
22	बलिया	1	43
23	मुजफ्फरनगर	1	64
24	सहारनपुर	1	16
25	मुरादाबाद	1	64
26	रामपुर	1	12
27	मेरठ	2	32
28	गाजियाबाद		
29	बरेली	2	13
30	शाहजहांपुर	1	21
31	बिजनौर	1	83
32	बदांयू	1	96
33	आगरा	3	280
34	मथुरा	1	119
35	अलीगढ़	2	139
36	मैनपुरी	2	178
37	एटा		
38	बुलन्दशहर	1	122
39	इटावा	3	149
40	फर्रुखाबाद		
41	बांदा	—	13
42	बहराइच	कार्य वन संरक्षक पूर्वी वृत्त गोरखपुर द्वारा/कराया जा रहा है ।	

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1451 पर)

डायमन्ड डेरी कालोनी

क्रम सं0	आवास संख्या	अध्यासी का नाम व पद	अध्यासन तिथि	1/83 तक बकाया किराया
1	2	3	4	5
				रु0
1	ई0 डी0-13	श्री पुत्तू लाल, उप सचिव	12-12-76	407.80
2	ई0 डी0-13	श्री राम नाथ वर्मा, उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग, लखनऊ	16-8-79	1,930.54
3	ई0 डी0-14	श्री एल0 एस0 माथुर	15-9-77	शून्य
4	ई0 डी0-14	श्री डी0 एस0 घेंडियाल, बिक्रीकर अधिकारी	8-10-79	शून्य
5	ई0 डी0-14	कुमारी उमा वर्मा, अवर गन्ना आयुक्त	12-8-82	499.70
6	ई0 डी0-15	पैगाम दैनिक	19-7-78	14,540.24
7	ई0 डी0-16	दैनिक गणेश	28-11-79	9,300.63
8	ई0 डी0-17	श्री आर0 के0 शुक्ला, आरचीटेक्ट, प्लेनर एल0 डी0 ए0	28-11-76	21,537.67
9	ई0 डी0-18	श्री कमलेन्द्र घोष, सम्पादक	7-10-77	370.60
10	ई0 डी0-19	श्री के0 के0 उपध्याय ओ0 एस0 बी0 टूसी0 एम0	15-12-76	650.82

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	ई0 डी0–19	श्री के0 डी0 राय, सिविल जज	12–8–77	751.82
12	ई0 डी0–19	श्री के0 सी0 मिश्रा, वैयक्तिक सहायक	1–12–80	361.60
13	ई0 डी0–19	श्री पी0 आर0 नागर, सेक्शन आफीसर	1–4–81	358.70
14	ई0 डी0–20	श्री एस0 एन0 झा	15–5–79	शून्य
15	ई0 डी0–21	श्री बी0 एन0 यादव, अधि0 अभियन्ता जल निगम	22–8–78	697.05
16	ई0 डी0–21	श्री अनूप श्रीवास्तव, सम्पादक	21–1–77	14,331.50
17	ई0 डी0–21	कुमारी उमा वर्मा, अतिरिक्त गन्ना आयुक्त	20–9–80	शून्य
18	ई0 डी0–21	श्री राम कुमार श्रीवास्तव, यूडी ए/राज्य सम्पत्ति अनुभाग	18–8–82	शून्य
19	ई0 डी0–22	श्री एन0 के0 भट्ट, उप सचिव, कोपरेटिव केनफेडरेशन, लखनऊ	1–10–78	337.35
20	ई0 डी0–23	कुमारी इन्द्राणी सेन, उप सचिव, एरिया डेवलपमेन्ट	25–1–77	647.77
21	ई0 डी0–23	श्री ओ0 एन0 मिश्रा, वरिष्ठ शोध अधिकारी, नियोजन, विभाग	28–8–78	1,419,55
22	ई0 डी0–24	श्री वी0 पी0 घोटे, संयुक्त सचिव	29–11–76	शून्य
23	ई0 डी0–24	श्री अच्युतानन्द मिश्रा, विशेष संवाददाता	21–2–78	7,719.65
24	ई0 डी0–25	श्री जगदीश मिश्रा, बाल्टी बाबा, विश्व मानव सेवा, परिषद्	23–11–79	18,849.60
25	ई0 डी0–26	तदेव	3–11–79	252.64
26	ई0 डी0–26	श्री देवराज बल, उप सचिव	23–11–79	शून्य

अनुपूरक विधान सभा

1	2	3	4	5
				रु0
27	ई0 डी0–26	श्री आर0 एस0 माथुर, स्पेशल जज	11–4–80	274.05
28	ई0 डी0–27	श्री एल0 एस0 माथुर, चीफ इंलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर	4–10–79	544.19
29	ई0 डी0–27	श्री उदय शंकर माथुर, बिक्रीकर अधिकारी	15–10–81	766.03
30	ई0 डी0–28	श्री सरजू पांडे	19–8–82	1,627.78
31	ई0 डी0–28	श्री अशोक कुमार सिंह	31–8–79	3,956.10
32	ई0 डी0–28	श्रीमती आर0 ए0 शर्मा, प्रशासन सेवा अधिकारी	1–10–81	344.10
33	ई0 डी0–29	श्री के0 आर0 खान, डेन्टल सर्जन	1–11–79	2 936.85
34	ई0 डी0–30	डाक्टर एस0 के0 गुप्ता, सीनियर रेडियोलाजिस्ट सिविल अस्पताल	9–10–79	650.39
35	ई0 डी0–31	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, अधि0 अभियन्ता, सिंचाई विभाग	19–9–79	69.65
36	ई0 डी0–31	श्री आर0 के0 टंडन, मेडिकल आफिसर, बलरामपुर अस्पताल	15–8–81	600.25
37	ई0 डी0–32	श्री निर्मल तिवारी, बिक्री–कर अधिकारी	5–10–79	1,747.17
38	ई0 डी0–32	श्री उग्रसेन सिंह, केमिस्ट	1–8–81	642.05
39	ई0 डी0–33	श्री आर0 एस0 माथुर, स्पेशल जज	6–2–80	शून्य
40	ई0 डी0–33	श्री कैलाश वर्मा, पत्रकार	8–6–80	12,183.95
41	ई0 डी0–34	श्री सरजू पांडेय, मन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टी	31–10–79	8,562.17

अनंत विधान सभा

42	ई0 डी0-34	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, अधि0 अभि0, सा0 नि0 वि0	21-8-82	214.05
43	ई0 डी0-35	श्री जी0 एस0 मिश्रा, उपनिबन्धक उपभोक्ता	15-9-79	139.05
44	ई0 डी0-36	श्री डी0 एस0 यादव, सह0 निदेशक, खादी व ग्रामोद्योग	11-9-79	8,889.63
45	ई0 डी0-37	श्री आर0 के0 टण्डन, चिकित्सा अधिकारी	5-11-79	0.50
46	ई0 डी0-37	श्री इन्द्र देव वर्मा, अधि0 अभि0	15-8-81	1,634.92
47	ई0 डी0-37	श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, सा0 नि0 अनुभाग-6	6-7-82	328.10
48	ई0 डी0-38	श्री अशोक कुमार, अति0 मुंसिफ	11-9-79	84,83.66
49	ई0 डी0-39	श्री एस0 डी0 पालीवाल, अति0 मुंसिफ	23-10-79	8,929.32
50	ई0 डी0-40	श्री उग्रसेन सिंह, केमिस्ट	1-5-80	शून्य
51	ई0 डी0-40	श्री आर0 एस0 वर्मा, सहा0 अभि0, अनुरक्षण खंड विभाग	15-9-81	1,006.40
52	ई0 डी0-41	श्री बी0 सी0 राय, सेक्शन आफिसर, नगरपालिका अनु0-2	11-9-79	159.05
53	ई0 डी0-42	श्री महेन्द्र त्रिपाठी, डिप्टी मार्शल, विधान भवन	24-9-79	2,102.75
54	ई0 डी0-43	श्री जे0 आर0 पावगगी, सूचना अधिकारी, राज्यपाल	25-9-79	81.54
55	ई0 डी0-43	श्री राजेन्द्र प्रसाद पांडे, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय	1-1-81	846.45
56	ई0 डी0-44	श्री नारायण प्रसाद, सीनियर रिसर्च आफिसर	9-11-79	3,279.10
57	ई0 डी0-45	श्री के0 आर0 खान	12-9-79	263.68

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
				रु0
58	ई0 डी0-45	श्री एस0 सी0 गुप्ता, अधि0 अभि0, सिंचाई विभाग	10-1-80	15,646.32
59	ई0 डी0-45	श्री नरेश श्रीवास्तव, न्यूज प्रेजेन्टर, दूर दर्शन	2-7-82	244.10
60	ई0 डी0-46	डा0 एस0 पी0 दुबे, चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर अस्पताल	11-9-79	शून्य
61	ई0 डी0-46	श्री धीरेन्द्र वर्मा, अनुभाग अधिकारी (गृह)	27-4-82	236.91
62	ई0 डी0-46	श्री अलेक्जेन्डर चन्डी, सम्पादक, नार्दन इन्डिया पत्रिका	14-7-82	1,378.45
63	ई0 डी0-47	श्री बी0 एन0 पी0, निबन्धक, उत्तर प्रदेश	22-9-79	334.60
64	ई0 डी0-48	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, एकाउन्ट्स आफिसर, खाद्य तथा रसद विभाग	5-11-79	217.00
65	ई0 डी0-49	श्री एस0 सी0 चतुर्वेदी, उप निदेशक, आवास विकास परिषद्	26-12-79	शून्य
66	ई0 डी0-49	श्री हरि नन्दन पांडेय, रिपोर्टर, विधान सभा	16-6-82	144.05
67	ई0 डी0-50	श्री एस0 के0 गुप्ता	11-9-79	104.10
68	ई0 डी0-50	श्री एन0 सी0 पन्त, अधि0 अभि0, विद्युत् अनु0 खंड नं0 1, सा0 नि0 वि0	1-12-79	388.10
69	ई0 डी0-51	श्री रवीन्द्र सिंह, अधि0 अभि0, टाउन प्लानिंग	1-7-80	3,114.[illegible]0
70	ई0 डी0-51	श्री पवेन्द्र सिंह	22-11-79	शून्य
71	ई0 डी0-52	श्री सुरेश चन्द्र, सेक्शन अधिकारी, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट, सचिवालय	1-7-80	312.15

अनावृत्त विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1460 पर ।)

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,

वाराणसी ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी राम शिरोमणि पुत्र गंगाराम, ग्राम धमहापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी का निवासी है । प्रार्थी के नाम दोनाली बन्दूक लाइसेन्स शुदा है । आज दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को करीब 7.00 बजे सुबह फूलपुर के थानाध्यक्ष सिपाहियों के साथ प्रार्थी के दरवाजे पर जाकर प्रार्थी के लड़के राम लखन को डरवा धमका कर उससे मकान के अन्दर से लाइसेन्स व 6 कारतूस तथा बन्दूक ले लिये । रामलखन को भी पकड़कर थाने ले आये ग्राम के प्रधान श्री रामरथी तथा और लोग जब कहने लगे कि क्यों बन्दूक ले जा रहे हैं तब उन लोगों को गाली-गुप्ता देने लगे । प्रार्थी जब घर पर आया तब तक बन्दूक व रामलखन को लेकर चले गये थे । प्रार्थी को डर है कि बन्दूक व कारतूस का इस्तेमाल फूलपुर की पुलिस फर्जी मुकदमें करके प्रार्थी व प्रार्थी के लड़के को परेशान करेगी तथा बन्दूक की जप्ती की कार्यवाही कर सकती है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि थानाध्यक्ष व पुलिस के खिलाफ इस गैर कानूनी कार्यवाही के लिए उचित कार्यवाही करें और प्रार्थी को बन्दूक व लाइसेन्स वापस दिलाने हेतु आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें और यदि कोई फर्जी मुकदमा थानेदार ने कायम किया हो तो उसकी जांच स्वयं या उच्चाधिकारी द्वारा कराने की कृपा करें ।

ता0 7 अप्रैल, 1982 ।

प्रार्थी,

राम शिरोमणि,

ग्राम धमहापुर, थाना फूलपुर,

जिला वाराणसी ।

प्रमाणित

(ह0) अपठनीय,

14-2-83

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक

वाराणसी ।

पी0एस0यू0पी0 45 वि0 सभा--1-3-1983--813--(पी0डी0) 45 वि0 सभा--14